भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

51 वाँ वार्षिक विवरण 2020-21

आकाश अस्त्र–प्रणाली

प्रतिमारक अवसर्जन प्रणाली

काँकूर्स-एम

हल्के भार वाला टॉरपिडो

समर्पण. प्रतिबद्धता. दृढ़ता.

सशस्त्र सेना बल की सेवा में

भारत डायनामिक्स लिमिटेड अपनी स्थापना से लेकर आंतरिक अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से संचलित प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध उपकरणों का विनिर्माण करता आ रहा है। आज बी डी एल, भारतीय सशस्त्र सेनाओं सहित मित्र देशों को नवीनतम टेक्नोलॉजी युक्त मिसाइल व संबद्ध उपकरण का एक अग्रणी विनिर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

अनुक्रमणिका

परिदृश्य

हमारा परिचय	01
निगम संबंधी सूचना	02
निदेशक मंडल	03
अध्यक्ष की कलम से	05
हमारे उत्पाद	09
वित्तीय विशेषताएँ	11
दस वर्षों पर दृष्टिपात	12

अभिशासन

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	13
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	53
नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट	63
संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट	82

वित्तीय विवरणिकाएँ

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	88
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	105
तुलन-पत्र	109
लाभ-हानि लेखा	110
ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण	111
नक़द प्रवाह विवरण	112
लेखा नीतियाँ	113
वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ	126
वार्षिक आमसभा की सूचना	156

हमारा परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल), वर्ष 1970 में स्थापित रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक ऐसा उद्यम है जो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), टॉरपिडो तथा अन्य संबद्ध उपकरण बनाता है। कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी तीन विनिर्माण इकाइयाँ – तेलंगाना राज्य के कंचनबाग, हैदराबाद, संगारेड्डी जिले के भानूर ग्राम और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम में स्थित हैं। बी डी एल, महाराष्ट्र के अमरावती में अपनी एक और सुविधा के विनिर्माण की योजना बना रहा है। साथ ही, बी डी एल ने इब्राहीमपट्टणम, तेलंगाना की अपनी इकाई में स्टैटिक परीक्षण सुविधा और सौर ऊर्जा सयंत्र की स्थापना की। पिछले चंद वर्षों में कंपनी ने कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरणों का निर्यात भी आरंभ किया है और सार्वजनिक व निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित किये हैं। कंपनी में दि. 31 मार्च, 2021 तक कुल 2812 कार्मिक कार्यरत रहे और वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 1914 करोड़ का निवल बिक्री कारोबार हुआ।

उद्देश्य

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।

भविष्य-दृष्टि

रक्षा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुणता उत्पाद बनाने वाला विश्वस्तरीय उद्यम बनना।

मिशन

वांतरिक्ष तथा अंतर्जल अस्त्र प्रणाली उद्योग में अग्रणी विनिर्माता के रूप में स्वयं को स्थापित कर देश की रक्षा प्रणाली की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक विश्वस्तरीय अत्याधुनिक व उत्कृष्ट उद्यम बनकर उभरना।

निगम संबंधी सूचना

निदेशक मंडल

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री चंद्रकर भारती, आई ए एस, संयुक्त निदेशक (एयरो)
सरकारी निदेशक (दि. 02 फरवरी, 2021 से)
श्री अश्वनी कुमार
सरकारी निदेशक (दि. 02 फरवरी, 2021 तक)
श्री एम एस आर प्रसाद
सरकारी निदेशक
श्री एस पिरमनायगम
निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ (दि. 30 जून, 2020 तक)
श्री एन पी दिवाकर
निदेशक (तकनीकी)
श्री पी राधाकृष्ण
निदेशक (उत्पादन)
श्री एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ (दि. 01 जुलाई, 2020 से)
श्री के एस संपत
स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)
श्री अजय नाथ
स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)
श्रीमती लता नरसिंह मूर्ति
स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. उपेंदर वेन्नम, आई पी ओ एस

कंपनी सचिव

श्री एन नागराजा

प्रधान कार्यपालक

(दि. 31 मार्च, 2021 तक)
कमोडोर त्रिलोक नाथ कौल (से.नि.)
अधिशासी निदेशक (विपणन)
श्री शिवानंद खानापेट
अधिशासी निदेशक (प्रधान-भानूर इकाई)
कमोडोर ए माधव राव (से.नि.)
अधिशासी निदेशक (प्रधान – कंचनबाग इकाई एवं पीएसजी)
श्री अरूप कुमार माइती
महाप्रबंधक (सा.से.)
श्री एन संपत कुमार
महाप्रबंधक (इकाई प्रधान - इब्राहीमपट्टणम इकाई)
श्रीमती वी लता
महाप्रबंधक (ओ पी जी एवं डी अण्ड ई)
श्री के जे जोसेफ़
महाप्रबंधक (वित्त)
श्री सी एच रमेश बाबू
महाप्रबंधक (मिलान और सीपी - केबीयू)
श्री एस वी कामेश्वर
महाप्रबंधक (विशाखापट्टणम इकाई)
श्री पी वी राजाराम
महाप्रबंधक (सैम)
श्री एस मुरली मोहन
महाप्रबंधक (पुनर्सज्जीकरण एवं टी एस डी)
श्री एम श्रीधर राव
महाप्रबंधक (नयी परियोजनाएँ)
श्री एल किशन
महाप्रबंधक (के एम अण्ड सी पी)
श्री आर विजय राम राजू
महाप्रबंधक (1एस अण्ड पीएमजी- आकाश)
श्री सय्यद रफी
महाप्रबंधक (मा.सं.)
श्री एम रवि
महाप्रबंधक (सं.वि. एवं विपणन)

लेखापरीक्षक

मेसर्स जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, हैदराबाद

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स तेजराज अण्ड पाल
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
मेसर्स एम भास्कर राव अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
मेसर्स कोमांडूर अण्ड कंपनी एल एल पी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
मेसर्स निमित कलसी अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स नरसिम्ह मूर्ति अण्ड कंपनी
लागत लेखाकार

कर परामर्शदाता

बंसल अण्ड दवे
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स

विधि सलाहकार

श्रीमती वी उमा देवी
श्री डी रवि शंकर राव

बैंकर्स

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में आंध्रा बैंक)
भारतीय स्टेट बैंक
ऐक्सिस बैंक
आई सी आई सी आई बैंक
एच डी एफ सी बैंक

पंजीकृत कार्यालय

कंचनबाग डाक
हैदराबाद-500058
तेलंगाना, भारत
ई पी ए बी एक्स : 040-24587466 & 040-24587777
फैक्स : 040-24340464
ई-मेल : bdlitd@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निगम कार्यालय

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
(आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास)
गच्ची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
हैदराबाद-500032.
दूरभाष : 040-23456145
फैक्स : 040-23456107
ई-मेल : investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

निदेशक मंडल

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने दि. 01 मार्च, 2019 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया। कमोडोर मिश्र वर्ष 1985 में भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रिकल ब्रैंच में कमीशन हुए थे। सितंबर, 2016 में नौसेना से सेवानिवृत्ति के बाद कमोडोर मिश्र ने अनुसूची 'ए' के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम ई सी आई एल, हैदराबाद में महाप्रबंधक (रक्षा) के रूप में अपनी सेवाएँ दीं।

कमोडोर मिश्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक, डिफेंस स्टडीज़ में एम एस सी और मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस की उपाधि प्राप्त हैं। ये प्रतिष्ठित नौसेना अकादमी और नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, लोणावाला के पूर्व छात्र भी हैं।

अपने 33 साल के विशिष्ट सेवाकाल के दौरान कमोडोर मिश्र ने विभिन्न परिचालनीय व स्टॉफ संबंधी जिम्मेदारियों के साथ-साथ ई सी आई एल में चार प्रमुख समूहों के प्रधान की जिम्मेदारी भी निभायी।

नौसेना मुख्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी शामिल करने और इसके प्रबंधन कार्य के अलावा नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। साथ ही, इन्होंने नौसेना की कोर समिति के सदस्य के रूप में एयर क्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना की सेवाओं में शामिल करने संबंधी कार्य में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया।

नेवल डॉकयार्ड, विशाखापट्टणम में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने पोत और पनडुब्बियों को पुन:कार्यक्षम बनाकर आधुनिक बनाने के कार्य की देखभाल का जिम्मा सँभाला। इन कार्यों के अलावा इन्होंने डॉकयार्ड के निर्बाध संचालन / रखरखाव / परिसंपत्ति प्रबंधन / अवसंरचना विकास और संसाधन नियोजन के नियंत्रण और प्रबंधन का कार्य भी किया।

ई सी आई एल के शीर्ष प्रबंधन के एक सदस्य के रूप में इन्होंने रक्षा व अन्य क्षेत्रों में 'मेक इन इंडिया' के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जिससे देश को बहुत लाभ हुआ।

श्री एम एस आर प्रसाद

श्री एम एस आर प्रसाद, विशिष्ट वैज्ञानिक, दि. 28 सितंबर, 2018 से महानिदेशक (मिसाइल एवं स्ट्रेटजिक सिस्टम्स) के रूप में नियुक्त किये गये हैं। वर्ष 1961 में जन्मे श्री प्रसाद ने सन् 1983 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी.टेक और आई आई टी, मुंबई से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एम टेक की उपाधियाँ प्राप्त की हैं। पिछले तीस वर्षों से श्री एम एस आर प्रसाद डी आर डी ओ के विभिन्न रक्षा कार्यक्रमों के मिसाइल टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय योगदान देते आ रहे हैं। विभिन्न मिसाइल परियोजनाओं के एयरोस्पेस स्ट्रक्चरल डिजाइन, विश्लेषण तथा स्ट्रक्चरल डायनामिक्स अध्ययन के क्षेत्र में इनका योगदान उल्लेखनीय है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल संबंधी कार्यक्रमों के वरिष्ठ डिजाइनरों में से एक श्री प्रसाद ने डिज़ाइन संबंधी कई नवोन्मेषी अवधारणाएँ उपलब्ध करायीं। श्री प्रसाद ने पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली देश की पहली मिसाइल बी-05 के डिज़ाइन, विकास और उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इन्होंने रक्षा कार्यक्रम के लिए उच्च विश्वसनीयता वाले एयरोस्पेस मेकानिज़्म विकसित करने का भी उत्तरदायित्व निभाया है। श्री एम एस आर प्रसाद के इन कार्यों के फलस्वरूप मिसाइल कांप्लेक्स में इन्होंने उप परियोजना निदेशक, बी-05, परियोजना निदेशक-के4, प्रोन्नत नौसेना कार्यक्रम के निदेशक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डी आर डी एल) के निदेशक के पदभार सँभाल अपना कैरियर सँवारा। और, अब महानिदेशक (मिसाइल अण्ड स्ट्रेटजिक सिस्टम्स) बनाये गये।

इनकी प्रतिभा और नवोन्मेषी योगदान की पहचान करते हुए डी आर डी ओ ने इन्हें लेबोरेटरी साइंटिस्ट ऑफ दि इयर-2003, डी आर डी ओ परफार्मेन्स टीम अवार्ड-2007, साइंटिस्ट ऑफ दि इयर 2011 तथा स्ट्रेटजिक मिसाइल प्रोग्राम-2014 के लिए डी आर डी ओ उत्तम नवोन्मेष टेक्नोलॉजी विकास अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया। श्री एम एस आर प्रसाद दि. 31 दिसंबर, 2018 से बी डी एल के निदेशक मंडल में सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त हैं।

श्री चंद्रकर भारती

श्री चंद्रकर भारती दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त हैं। सितंबर, 1996 में इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (ए जी एम यू टी) में कार्यभार ग्रहण किया। इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ एकोनॉमिक्स अण्ड पोलिटिकल साइंस, यू के से 'पब्लिक मैनेजमेंट अण्ड पॉलसी' में एम.एससी., की भी उपाधि प्राप्त की है।

इन्हें सिविल सेवा में 22 वर्ष से भी अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त है। इनकी अब तक की सेवाओं में अपर आयुक्त, बिक्री कर विभाग, एन सी टी, नई दिल्ली; निदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार सहित पांडिचेरी केंद्र शासित प्रांत के कृषि, वित्त और योजना, उद्योग और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न विभागों में विकास आयुक्त जैसे कार्य शामिल हैं। साथ ही, इन्होंने कुछ समय के लिए दिल्ली एन सी टी (National Capital Territory) के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पर्यावरण एवं वन विभागों में सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री चंद्रकर भारती ने अप्रैल, 2017 में रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। यहाँ इन्हें एयरोस्पेस प्रभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। साथ ही, ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी सरकारी निदेशक (अंशकालिक सरकारी निदेशक) हैं। इन्होंने दि. 02 फरवरी, 2021 से बी डी एल के निदेशक-मंडल में सरकारी निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री एन पी दिवाकर

श्री एन पी दिवाकर दि. 1 सितंबर, 2018 से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त हुए। इससे पूर्व वे बी डी एल भानूर इकाई के अधिशासी निदेशक रहे। श्री एन पी दिवाकर उस्मानिया विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त हैं। इन्हें 'पृथ्वी', 'आकाश', 'एटीजीएम' जैसे विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों में लगभग 28 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने 'पृथ्वी', 'आकाश' मिसाइल प्रणालियों को विकास स्तर से उत्पादन स्तर तक लाने के लिए डी आर डी ओ के साथ मिलकर काम किया। श्री दिवाकर ने सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य अनुरूप 'आकाश' और कांकूर्स मिसाइल की उत्पादन श्रृंखला व मानव-शक्ति योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। साथ ही, श्री दिवाकर ने भानूर इकाई में 'अस्त्र' मिसाइल उत्पादन सुविधाएँ भी स्थापित कीं। मार्च, 2017 के दौरान रक्षा मंत्रालय के साथ सफलतापूर्वक बातचीत कर कांकूर्स-एम मिसाइल उत्पादन के आदेश प्राप्त किये।

बी डी एल में नियुक्ति से पूर्व श्री दिवाकर ने ओ एन जी सी में 6 वर्ष तक अपनी सेवाएँ दीं।

श्री एन श्रीनिवासुलू

श्री एन श्रीनिवासुलू ने दि. 01 जुलाई, 2020 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक और वित्त में एम बी ए उपाधियाँ प्राप्त की हैं। श्री श्रीनिवासुलू को वित्त से संबंधित विविध क्षेत्रों में 30 वर्ष का समृद्ध अनुभव प्राप्त है, जिसमें 24 वर्ष बीडीएल में कार्य किये। इस नये पद पर कार्य-भार ग्रहण करने से पूर्व इन्होंने बीडीएल में महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में सेवाएँ दीं। बीडीएल में कार्यकाल के दौरान इन्होंने कंपनी के मैडेन आई पी ओ के लिए यांकर्स इनवेस्टर्स के साथ कार्य करने में और भारतीय लेखा मानक, कोशागार प्रबंधन, कराधान, बजट नियंत्रण और पॉलसी फॉरमूलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्री पी राधाकृष्ण

श्री पी राधाकृष्ण ने दि. 01 जून, 2019 को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के निदेशक (उत्पादन) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री पी राधाकृष्ण, बीडीएल की भानूर इकाई में महाप्रबंधक रहे। अपने सेवाकाल के दौरान यहाँ उन्होंने काँकूर्स, काँकूर्स-एम और इनवार टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र, लाँचर्स और राइफल्स के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने सुरक्षा सन्नहित क्रमानुगत उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय, हैदराबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अण्ड मैनेजमेंट में एम-टेक., नागार्जुन विश्वविद्यालय, आंध्रप्रदेश से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी-टेक उपाधि प्राप्त। श्री पी राधाकृष्ण को घटक उत्पादन, मिसाइल एकीकरण तथा परीक्षण, परियोजना योजना, गुणता नियंत्रण एवं मिसाइल प्रणालियों के देशीकरण जैसे मिसाइल उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।

इन्होंने 'मल्टी वेंडर बेस' तथा 'आयात प्रतिस्थापन' विकास के ज़रिये टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की भी स्थापना की। इन्होंने उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए उत्कृष्ट विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और संस्थापन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन्होंने बीडीएल, भानूर इकाई में आई एस ओ 9001:2008 गुणता प्रबंधन प्रणाली तैयार कर इसे लागू करवाने में सक्रिय भूमिका निभायी जो आज वांतरिक्ष मानक AS9100D नाम से परिचालन में है।

इन्हें भारतीय नौसेना के लिए मॉड्यूलर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की खरीद और दीर्घकालिक आदेश की दृष्टि से देशीकरण नीति का मसौदा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा तकनीकी ओवरसाइट समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय शेयरधारक,

आपकी कंपनी की 51वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मुझे, इस गतिमान कंपनी की 51 वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके साथ साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है जिसे पिछले पाँच दशक से भी अधिक समय से कंपनी से जुड़े पुरुष और महिला साथियों के समर्पण, प्रतिबद्धता और दृढ़ता ने निर्मित किया है।

सबसे पहले, मैं बी डी एल के प्रति आपके निरंतर सहयोग और इसमें निवेश के लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्षों में हम सबने मिलकर जो कुछ भी हासिल किया है, उस पर मुझे गर्व है मैं आगे आने वाले अवसरों के प्रति और भी अधिक आशावादी हूँ।

कोविड-19 महामारी ने विश्व की अर्थ व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है और जहाँ तक आपकी कंपनी का सवाल है, आपूर्ति- श्रृंखला और परिचालन भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस महामारी ने सभी के लिए कई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' को साकार करने भारत सरकार द्वारा की गयी पहल और पिछले वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बनायी गयी विभिन्न नीतियों ने इस महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए एक अनुकूल तंत्र तैयार किया है। आपकी कंपनी इन चुनौतियों से पार पाकर इन्हें अवसरों में बदलते हुए आगे बढ़ने के लिए लगातार काम कर रही है।

इस अवसर पर मैं वर्ष के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें तथा कंपनी की भविष्य-दृष्टि आपके सामने रखना चाहूँगा।

वर्ष के दौरान वित्तीय और कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अपने परिचालन से 1913.76 करोड़ रुपये का राजस्व और रु. 257.77 करोड़ रुपये का कराधान बाद लाभ (पीएटी) हासिल किया है। कोविड -19 महामारी और इस कारण लगे लॉकडाउन ने मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभ को प्रभावित करते हुए बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। अत: इस अवधि के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की तुलना पिछली अवधि या पिछले वर्षों के साथ नहीं की जा रही है।

आपकी कंपनी के पास दि. 01 अप्रैल 2021 तक लगभग 8386 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं जिसमें प्रमुखत: आकाश, एम आर सैम, ए टी जी एम और वरुणास्त्र के कार्य-आदेश शामिल हैं।

यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आपकी कंपनी ने लाभांश दिये जाने की स्थिति की निरंतरता को बनाये रखा है। आपके निदेशक मंडल ने रु. 10/- के प्रत्येक ईक्विटी शेयर पर रु. 0.65 के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है जो कुल मिलाकर 11.91 करोड़ है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने मार्च, 2021 में प्रत्येक शेयर के प्रति रु. 6.70 के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 7.35 रुपये प्रति शेयर (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- रुपये) के अंतिम लाभांश की घोषणा की गयी है।

अनुबंध ज्ञापन प्रलेख के सापेक्ष में कार्यनिष्पादन :

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हुए अनुबंध ज्ञापन प्रलेख के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी को 'बहुत अच्छा (Very Good)' रेटिंग प्राप्त हो सकती है जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह मूल्यांकन अधीन है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

1) **मुख्य विशेषताएँ:**

- **आत्मनिर्भर भारत :** 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए आह्वान के फलस्वरूप बी डी एल में दि. 7 से 14 अगस्त, 2020 तक 'आत्मनिर्भर भारत' सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ संपन्न हुईं:

  ए. सतहधारी प्रतिष्ठापन प्रौद्योगिकी और उन्नत निष्पादन संगणन सुविधा का उद्घाटन।

बी. माननीय रक्षा मंत्री द्वारा आभासी रूप से (ऑनलाइन) आयोजित कार्यक्रम में 'सीकर' निर्मिति केंद्र और वारहेड उत्पादन सुविधा के लिए शिलान्यास।

सी. माननीय रक्षा मंत्री द्वारा आभासी रूप से (ऑनलाइन) आयोजित कार्यक्रम में बी डी एल में देशी तौर पर अभिकल्पित और विकसित कॉंकूर्स मिसाइल परीक्षण उपकरण (के एम टी ई) और कॉंकूर्स लॉंचर परीक्षण उपकरण (के एल टी ई) का उद्घाटन।

डी. रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डी आर डी ओ के अध्यक्ष द्वारा उच्च तापमान कार्बन काम्पोजिट निर्माण सुविधा की स्थापना के लिए आभासी रूप में (ऑनलाइन) आयोजित कार्यक्रम में शिलान्यास।

- **आज़ादी का अमृत महोत्सव :** स्वतंत्रता-प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार बी डी एल की ओर से दि. 26 मार्च से दि. 01 अप्रैल, 2021 तक सप्ताह भर निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गयीं :

  ए. 'फ्रीडम मार्च' जिसमें सशस्त्र सेनाओं के अग्रज योद्धा और सेवारत अधिकारियों सहित बी डी एल के वरिष्ठ कार्यपालकों ने भाग लिया।

  बी. आत्मनिर्भर भारत पर विक्रेताओं के लिए मौज़ूद देशीकरण की संभावनाओं पर वेबिनार आयोजित।

  सी. एम एस एम ई विक्रेताओं के लिए 'सरकारी नियम, विनियम की अवधारणात्मक समझ और एम एस एम ई के लिए लाभ' पर केंद्रित एक वेबिनार आयोजित।

  डी. एम एस एम ई, अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिए विक्रेता पंजीकरण का एक विशेष अभियान आयोजित।

  ई. 'बी डी एल – आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम' शीर्षक से ई-बुक का विमोचन सचिव (रक्षा उत्पादन), रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से किया गया।

- दि. 21 नवंबर, 2020 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं अध्यक्ष, डी आर डी ओ ने बी डी एल विशाखापट्टणम में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को बनाकर दिये जा रहे पहले भारी टॉरपिडो 'वरुणास्त्र' को हरी झंडी दिखायी।

- माननीय रक्षा मंत्री ने दि. 18 दिसंबर, 2020 को संपन्न डी आर डी ओ पुरस्कार वितरण समारोह में वायु सेनाध्यक्ष को 'अस्त्र' (एम के-I) मिसाइल सौंपी। बी डी एल इस मिसाइल के एकीकरण और परीक्षण से जुड़ी हुयी है।

- भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सेक्यूरिटी (सी सी एस) ने नौ देशों को आकाश अस्त्र-प्रणाली के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रदान की।

- कोविड टीकाकरण अभियान में सहयोग करने की दृष्टि से बी डी एल ने 18 फरवरी, 2021 को तेलंगाना राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त को रु. 0.60 करोड़ मूल्य के 96 डीप फ्रीज़र सौंपे।

- **नये उत्पाद उद्घाटित :** बी डी एल ने एयरो इंडिया-2021 के दौरान माननीय रक्षा मंत्री की उपस्थिति में 'दिशानी' और 'गरुडास्त्र' नाम से दो नये उत्पादों को उद्घाटित किया। ये उत्पाद, अगस्त 2020 के दौरान आयोजित 'आत्मनिर्भर भारत' सप्ताह समारोह के दौरान उद्घाटित 'के एल टी ई' और 'के एम टी ई' के अलावा हैं।

2) **नये कार्य-आदेश :** वर्ष के दौरान बीडीएल ने 2803 करोड़ (कर सहित) के नये कार्य-आदेश प्राप्त कर मौजूदा कार्य-आदेशों की स्थिति को और मजबूत किया है। इस वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण कार्य-आदेशों में शामिल हैं – लगभग रु. 1820 करोड़ मूल्य के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र का कार्य-आदेश और लगभग रु. 793 करोड़ मूल्य के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का कार्य आदेश।

3) **प्रक्रियाधीन परियोजनाएँ :**

वित्तीय वर्ष में प्राप्त नये कार्य-आदेशों के अलावा कुछ और नये कार्य-आदेश प्रक्रियाधीन हैं जो इनके प्राप्त होने के विभिन्न चरणों में हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त होने वाले प्रत्याशित कार्य-आदेशों में भारतीय वायु सेना के लिए आकाश मिसाइल, भारतीय थल सेना के लिए आकाश का तीसरा और चौथा रेजिमेंट, 'अस्त्र' हथियार प्रणाली और कांकूर्स-एम मिसाइल संबंधी कार्य-आदेश शामिल हैं। कंपनी तेजी से इन कार्य-आदेशों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

बी डी एल को भारतीय नौसेना से मेक-II के तहत 'मोबाइल टारगेट एमुलेटर 5' के विकास और इसके निर्माण के लिए एक परियोजना संबंधी स्वीकृति आदेश भी प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी इनका प्रोटोटाइप बना रही है और उम्मीद है कि एक बार इसके बन जाने के बाद आपकी कंपनी को एक और बड़ा कारोबार मिल पायेगा।

4) **प्रौद्योगिकी उन्नयन की खोज में नये भागीदार:**

वैश्विक चलन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी उन्नयन आपकी कंपनी की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने विभिन्न राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी / मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख / एल ए टी ओ टी / टीमिंग करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

बी डी एल ने दि. 3 से 5 फरवरी 2021 तक बेंगलूरु में आयोजित एयरो-इंडिया-2021 प्रदर्शनी में भाग लेकर अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न अनुबंध ज्ञापन प्रलेखों पर हस्ताक्षर किये गये जिसका विवरण इस प्रकार है :

- अंतर्जलास्त्र विनिर्माण के लिए नेवल ग्रुप, फ्राँस और भारत के नेवल ग्रुप के बीच समझौता ज्ञापन प्रलेख हस्ताक्षरित। इसी प्रकार रेफेल उन्नत रक्षा प्रणाली लिमिटेड (नेवल प्रभाग), इज़रायल के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख किया गया।

- बी डी एल को टेक्नोलॉजी अंतरण के साथ भारत में देशी तौर पर स्टार स्ट्रीक मिसाइल के विनिर्माण के लिए थेल्स, यू के के साथ टीमिंग करार।
- भारत में प्रणोदक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए रोलेक्स, फ्राँस के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख।
- विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के संयुक्त विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण (टी ओ टी) और संयुक्त विनिर्माण सहित भारत में मौज़ूद मिसाइलों की ऑप्टिकल साइट के साथ-साथ मरम्मत, पुनर्सज्जीकरण और इनके कार्यकाल विस्तार के लिए STE "SPETS TECHNO EXPORT", उक्रेन के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख।
- बी डी एल और एम बी डी ए, फ्राँस/यू के ने भारत में ए एस आर ए ए एम और मिस्त्रल मिसाइल के अंतिम संयोजन एकीकरण तथा परीक्षण के संस्थापन के लिए एक ऑफसेट करार और इसी क्रम में अनुबंध ज्ञापन प्रलेख पर हस्ताक्षर किये। भारतीय वायुसेना को इन मिसाइलों की आवश्यकता है। भारत में इस सुविधा के संस्थापन से इन दोनों मिसाइलों के एकीकरण का काम देश में ही संभव हो पाएगा। इस सुविधा का उपयोग एम बी डी ए और बी डी एल द्वारा भारतीय वायु सेना को मिसाइल आपूर्त करने और साथ ही, भविष्य में एम बी डी ए द्वारा वैश्विक कार्य आदेश पूरा करने के लिये किया जायेगा।

5) **नयी अवसंरचना :**

आपकी कंपनी ने नयी अवसंरचना सुविधाएँ स्थापित करने की पहल भी की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 'सतहधारी प्रतिष्ठापन प्रौद्योगिकी' और 'उन्नत निष्पादन संगणन सुविधा' का परिचालन शुरू कर दिया है।

6) **तकनीकी उपलब्धियाँ :** आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। जो इस प्रकार हैं :

- डी आर डी एल के उपयोगकर्ता परीक्षण आदेश के अंतर्गत बी डी एल टीम ने डी आर डी एल में 'अस्त्र' मिसाइल के पहले बैच का सफलतापूर्वक एकीकरण कर इसे जुलाई, 2020 के दूसरे सप्ताह में इसके परियोजना कार्यालय को सौंप दिया।
- 'नाग' मिसाइल का वारहेड कन्फर्मेटरी ट्रायल दि. 21 अक्तूबर 2020 को सफलतापूर्वक किया गया था। बी डी एल टीम 'सीकर' और प्री-कर्सर के एकीकरण, चेक आउट और इसके संयोजन में शामिल रही।

7) **गुणता प्रणाली :**

कंपनी एकल उत्पाद बनाती है। अत: जिनसे सटीक काम और वार की उम्मीद की जाती है। इन उत्पादों के लिये गुणता सबसे महत्वपूर्ण मानदण्ड होता है। वैसे भी इन उत्पादों में कड़े गुणता मानकों की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से, आपकी कंपनी हमेशा से उच्चतम गुणता मानक वाले उत्पाद बनाती आ रही है। आप अवगत ही हैं कि कंचनबाग और भानूर इकाई के उत्पादन प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय वांतरिक्ष गुणता प्रबंधन मानक ए एस 9100 डी से प्रमाणित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग (आईटीडी) आई एस ओ – आई ई सी 27001-2013, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आई एस एम एस) से प्रमाणित है।

इसके अलावा, तीनों इकाइयाँ आई एस ओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) से प्रमाणित हैं।

8) **अनुसंधान और विकास (आर अण्ड डी) :** आपकी कंपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नये उत्पाद के विकास और वर्तमान उत्पादों के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के क्रम में आपकी कंपनी का अभिकल्पन एवं अभियांत्रिकी विभाग निम्न परियोजनाओं पर बल दे रहा है :

ए. **अमोघ-III :** बीडीएल ने अमोघ-III, तीसरी पीढ़ी के व्यक्तिवाह्य, फायर अण्ड फारगेट टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र का अभिकल्पन एवं विकास किया है। इस उत्पाद के लिए भारतीय थल सेना से एक परियोजना स्वीकृति आदेश प्राप्त हुआ है और आपकी कंपनी की डी अण्ड ई टीम परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार विधिमान्यता परीक्षण के लिए भारतीय सेना को दिये जाने वाले प्रोटोटाइप पर काम कर रही है।

बी. डी अण्ड ई टीम अगली पीढ़ी के ए टी जी एम पर भी काम कर रही है जो वर्तमान में विकास के प्रारंभिक चरण में है। उम्मीद की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस ए टी जी एम का उल्लेखनीय विकास संभव हो पाएगा।

9) **नैगमिक अभिशासन :**

आपकी कंपनी की एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रणाली ने निदेशक मंडल, इसके शेयरधारक और अन्य हितधारकों के बीच निर्बाध संबंध सुनिश्चित किया है। इसके सुव्यवस्थित सिद्धांत, नीतियाँ, पद्धतियाँ, स्पष्ट निर्धारित दायित्व एवं जवाबदेही के होने से आपकी कंपनी के पास अपनी उद्देश्य-प्राप्ति के प्रावधान सटीक माध्यम तथा कार्यनिष्पादन के अनुवीक्षण की प्रणाली मौजूद है।

आपकी कंपनी की गतिविधियों का अनुवीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) जैसी बाह्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

सूचित करना चाहूँगा कि नैगमिक अभिशासन श्रेणी में रक्षा मंत्रालय द्वारा आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट" (Excellent) रेटिंग दिया गया है। यह सुव्यवस्थित पद्धति, संबंध, विनियम और प्रक्रियाओं के अधीन कार्यरत आपकी कंपनी के लिए शंसा पत्र है।

10) नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास :

हमेशा की तरह, आपकी कंपनी सामाजिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है। सामाजिक एवं व्यावसायिक लक्ष्य को एकीकृत करते हुए हमने कई कार्यक्रम एवं परियोजनाओं को सतत् रूप से अपनाया है। वर्ष के दौरान सी एस आर गतिविधियों पर रु. 1540.70 लाख खर्च किये गये। सी एस आर गतिविधियों के तहत आपकी कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह के अंतर्गत गाँवों को अपनाया, आकांक्षी जिले, स्वच्छ भारत, कौशल विकास जैसे कई कार्यक्रमों को चलाया है। आपकी कंपनी सी एस आर गतिविधियों के तहत आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित क्षेत्रों में अच्छे कार्य कर रही है।

भविष्य-दृष्टि :

आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में ऊर्ध्वगामी विकास की साक्षी बनेगी। कार्य-आदेश की स्थिति में सुधार हो रहा है और हम उन कार्य-आदेशों को भी समेकित करेंगे जो अंतिम रूप लेने के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकार द्वारा जारी आयातों की निषिद्ध सूची में बी डी एल के भी कुछ उत्पाद शामिल हैं और इससे आने वाले वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों से इन उत्पादों के कार्य-आदेश प्राप्त होने की उम्मीद है।

निर्यात के लिये भी बाजार खुल चुका है और 'आकाश' अस्त्र प्रणाली जैसे बी डी एल के उत्पाद के प्रति विदेशी खरीददार रुचि दिखाने लगे हैं। बीडीएल को लगभग नौ देशों से मिसाइल के निर्यात के लिए लीड मिली है। देशी बाजार के अलावा, बी डी एल कंपनी के कार्य-आदेशों को और मजबूत करने के साथ-साथ मिसाइल प्रणालियों के वैश्विक निर्यातक बनने के लिए विदेशी ग्राहकों की भी तलाश कर रहा है जो कि एक अनोखा प्रयास है। 'आकाश' और हल्के भार वाले टॉरपीडो के अलावा, आपकी कंपनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हथियार, ए टी जी एम, भारी टॉरपिडो और प्रतिमारक प्रणालियों के निर्यात के लिए पेश कर रही है।

मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की नई नीतिगत पहल, आत्मनिर्भर भारत के लिए और विशेषकर देश की रक्षा जरूरतों के लिये एक मजबूत आधार तैयार करने में सहायक सिद्ध होंगी।

इसके अलावा, बी डी एल, डी आर डी ओ के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है और संयुक्त विकास कार्यक्रम जारी रखना चाहता है। बी डी एल विदेशी मूल विनिर्माणकर्ताओं (ओ ई एम) के साथ विभिन्न व्यावसायिक अवसर तलाशने में लगा है और इस दिशा में बी डी एल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मूल विनिर्माणकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये हैं। बी डी एल का मानना है कि नये उत्पाद विकसित करने से कंपनी को अपने उत्पादों में विविधता लाने के साथ-साथ उत्पाद निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। इस दिशा में मिसाइल विकास समूह (MDG) की स्थापना की गयी है ताकि नयी मिसाइलों का अभिकल्पन एवं विकास किया जा सके और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद विकसित किये जा सकें।

आभार प्रदर्शन :

हम वैश्विक स्तर की पहुँच हासिल करने में लगे हैं और, मुझे विश्वास है कि हितधारकों के निरंतर सहयोग व निर्देशन से कंपनी और भी नयी उपलब्धियाँ हासिल कर सर्वतोमुखी सफलता प्राप्त करेगी।

मैं, भारत सरकार, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, डी आई पी ए एम, राज्य सरकार, हमारे ग्राहक, निरीक्षण अभिकरण, लेखापरीक्षक, विक्रेता, अन्य प्राधिकरण एवं अभिकरण द्वारा दिये गये निरंतर सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कंपनी को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए निदेशक मंडल के रूप में मेरे साथी सहकर्मियों की भी उनके अमूल्य सहयोग के लिये प्रशंसा करता हूँ। मैं, उन निवेशक एवं शेयरधारक के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कंपनी में भरोसा, विश्वास और निरंतर सहयोग बनाये रखा है। मैं, पूरे बी डी एल परिवार की ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपकी कंपनी, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप अथक प्रयास एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

जय हिंद !!!

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

तारीख : 21 जून, 2021
स्थान : हैदराबाद

हमारे उत्पाद

बी डी एल, संचलित प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का विनिर्माण करने वाला भारत का एक अग्रणी सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है। कंपनी की उत्पाद-सूची में ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (सैम), टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम), अंतर्जल-अस्त्र, लाँचर, प्रतिमारक तथा परीक्षण उपकरण शामिल हैं। कंपनी मिसाइल के कार्य-काल का विस्तार और इनके पुनर्सज्जीकरण का कार्य भी करती है। बी डी एल, वर्तमान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए सैम (एस ए एम) व ए टी जी एम आपूर्त करने वाला अकेला आपूर्तिकर्ता है।

आकाश सैम (एस ए एम)

ज़मीन से हवा में मार करने वाली आकाश अस्त्र–प्रणाली (सैम) हर तरह के मौसमी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली है जो एक साथ एक से अधिक लक्ष्यों को साध सकती है। यह हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान और मानव रहित वायु वाहनों को लक्ष्य बना सकती है। हम आकाश – एस ए एम के अतिरिक्त इसके लिए आवश्यक भू-आधार प्रणाली और निर्माण संरचनात्मक सुविधाएँ भी अपने ग्राहकों को मुहैया कराते हैं।

लंबी दूरी की सैम (एल आर सैम) और मध्यम दूरी की सैम (एम आर सैम)

यह उच्च और त्वरित प्रतिक्रियावादी लंब रूप प्रमोचित सुपरसॉनिक मिसाइल है जो शत्रु के हवाई खतरे जैसे मिसाइल, वायुयान, संचलित बम और हेलिकॉप्टर आदि को ध्वस्त करती है।

मिलान 2टी ए टी जी एम

मिलान 2टी दूसरी पीढ़ी की द्वि-युद्धास्त्र युक्त व्यक्तिवाह्य टैंकभेदी मिसाइल है जो चल और अचल दोनों तरह के लक्ष्य भेद सकती है।

काँकूर्स-एम ए टी जी एम

काँकूर्स-एम दूसरी पीढ़ी की अर्द्ध-स्वचालित ट्यूब प्रमोचित प्रकाशिकीय नियंत्रित टैंकभेदी मिसाइल है जो चल एवं अचल कवचित लक्ष्य भेदने तैयार की गई है। इसे वाहन और लाँचर दोनों से चलाया जा सकता है।

इनवार (3 यू बी के 20) ए टी जी एम

इनवार (3 यूबीके 20) ए टी जी एम मेकनाइज़्ड इंफैण्ट्री द्वारा प्रयुक्त दूसरी पीढ़ी से आगे का अस्त्र है जिसे टी-90 टैंक गन बैरल से फायर कर कवचित वाहनों को ध्वस्त करने बनाया गया है।

सी एम डी एस

सी एम डी एस एक माइक्रो कंट्रोलर शाफ़ और फ्लेएर आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। इसे पायलेट या फिर वायुयान के राडार चेतावनी रिसीवर से सक्रिय किया जा सकता है। सी एम डी एस हीट सीकिंग व राडार संचलित मिसाइल से वायुयान को शाफ़ और फ्लेएर, पे-लोड अवसर्जित कर सुरक्षा प्रदान करता है।

टॉरपिडो रोधी डिकॉय प्रक्षेपण प्रणाली ('टॉरपिडो रोधी प्रणाली')

टॉरपिडो रोधी प्रणाली किसी सक्रिय और / या निष्क्रिय अभिगृह टॉरपिडो से पनडुब्बी को होने वाले खतरे से बचाने के लिए तैयार की गई है।

हल्के भारवाला टॉरपिडो

यह हल्के भार वाला टॉरपिडो युद्धपोत हेलिकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग पनडुब्बी को खत्म करने किया जाता है।

भारी टॉरपिडो

भारी टॉरपिडो युद्धपोत से छोड़े जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रणोदित और उन्नत स्वयंचलन प्रणाली युक्त एक अंतर्जलास्त्र है। यह अस्त्र-प्रणाली लक्ष्य का पीछा करने में अस्त्र युक्त बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है।

कॉंकूर्स एम और मिलान 2टी ए टी जी एम के लिए लॉंचर

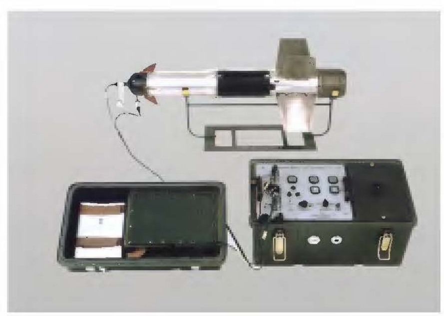

मिसाइल और लॉंचर परीक्षण उपकरण

वित्तीय विशेषताएँ

टर्नओवर

(करोड़ रुपये में)

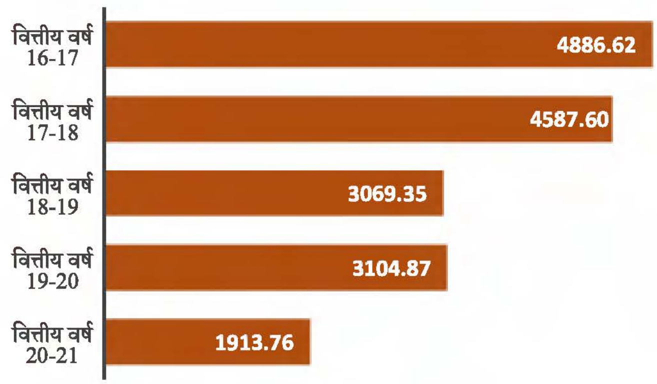

कर पूर्व लाभ

(करोड़ रुपये में)

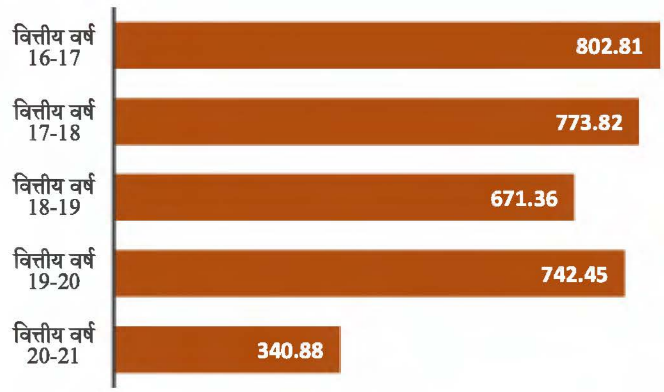

कराधान के बाद लाभ

(करोड़ रुपये में)

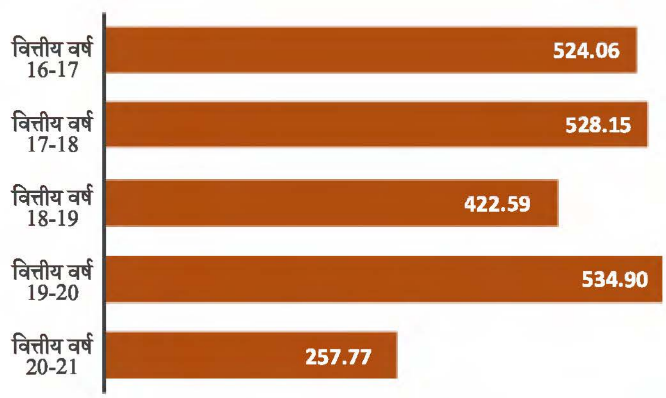

निवल मालियत

(करोड़ रुपये में)

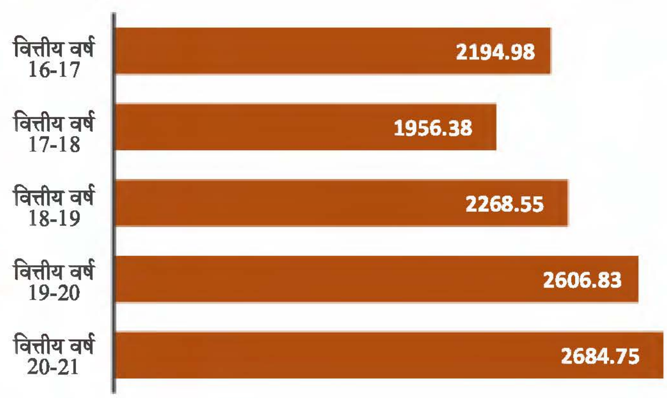

उत्पादन मूल्य

(करोड़ रुपये में)

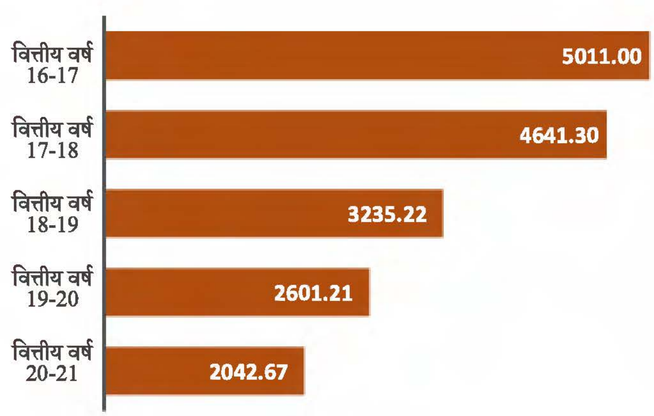

ईक्विटी

(करोड़ रुपये में)

दस वर्षों पर दृष्टिपात

विवरण	यूनिट	2020-21*	2019-20*	2018-19*	2017-18*	2016-17*	2015-16*	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
बिक्री (सकल)	रु. करोड़	1913.76	3104.87[#]	3069.35[&]	4587.60	4886.62	4159.97	2799.68	1779.89	1074.71	959.12
निर्माणाधीन कार्य / संव्यवहाराधीन कार्य में परिवर्तन	रु. करोड़	128.91	(503.66)	165.87	53.70	124.38	137.86	(29.63)	24.60	100.81	33.82
उत्पादन मूल्य	रु. करोड़	2042.67	2601.21[#]	3235.22	4641.30	5011.00	4297.83	2770.05	1804.49	1175.52	992.94
सामग्री की खपत	रु. करोड़	970.08	1014.09[#]	1818.97	2907.59	3125.23	2620.30	1855.10	1226.01	779.57	633.53
परिवर्द्धित मूल्य	रु. करोड़	1072.59	1587.12[#]	1416.25	1733.71	1885.77	1677.53	914.95	578.48	395.95	359.41
कर पूर्व लाभ	रु. करोड़	340.88	742.45	671.36	773.82	802.81	847.31	614.19	508.59	419.06	348.19
कराधान के बाद लाभ	रु. करोड़	257.77	534.90	422.59	528.15	524.06	564.88	418.57	345.51	288.40	234.96
ईक्विटी	रु. करोड़	183.28	183.28	183.28	183.28	122.19	97.75	115.00	115.00	115.00	115.00
प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि	रु. करोड़	2501.47	2423.55	2085.26	1773.10	2072.79	1702.27	1418.58	1102.97	838.30	617.38
सकल निरुद्ध (पूँजीगत नि. का. छोड़ कर)	रु. करोड़	1368.51	1291.36	1219.61	1048.62	869.66	746.38	940.04	834.56	711.55	604.24
सामग्री-सूची	रु. करोड़	1397.01	856.52	1664.53	1925.87	2240.42	2057.66	1480.12	1382.51	1006.53	602.57
ग्राह्य व्यापार	रु. करोड़	1475.20	2676.19[#]	1844.53	2208.13	1735.36	1478.22	865.72	398.81	281.55	88.39
कार्यगत पूँजी	रु. करोड़	2378.03	2259.40	1390.38	1085.68	1569.75	2052.30	2740.34^	812.68[$]	614.58[$]	458.97
नियोजित पूँजी	रु. करोड़	3293.01	3191.76	2347.34	1954.05	2326.87	2745.18	3134.20^	1172.29[$]	892.59[$]	670.64
निवल मालियत	रु. करोड़	2684.75	2606.83	2268.55	1956.38	2194.98	1800.02	1533.37	1217.75	953.08	732.19
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	2812	2950	3034	3095	3182	3132	3183	3266	3300	3142[@]
कर्मचारियों पर लागत	रु. करोड़	501.09	534.03	534.21	529.34	448.39	326.23	313.07	307.28	258.99	240.32
पारिश्रमिक प्रति रु. पर परिवर्द्धित मूल्य	रु.	2.14	2.97[#]	2.65	3.28	4.21	5.14	2.92	1.88	1.53	1.50
परिवर्द्धित मूल्य प्रति कर्मचारी	रु. लाख	38.14	53.80[#]	46.68	56.02	59.26	53.56	28.74	17.71	12.00	11.44[@]
प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस)	रु.	14.06	29.18	23.06	26.65	24.51[!]	42.73[!]	36.40[!]	30.04[!]	25.08[!]	20.43[!]

वर्ष 2019-20 की कुछ मदों के वर्ष 2020-21 में पुन:समूहन के कारण पुन:समायोजित।

& भारतीय लेखा-मानक 115 के अनुसार वर्ष 2018-19 से बिक्री की गणना परिसमापन क्षतियों की कटौती के बाद की जाती है।

* वर्ष 2015-16 की राशियाँ भारतीय लेखा-मानक के अनुरूप दर्शायी गई।

@ अस्थाई कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए पुनर्व्यवस्था की गई।

$ वर्ष 2013-14 की चालू अस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2014-15 में पुन:समायोजन किया गया।

^ वर्ष 2014-15 की चालू आस्तियों को चालू देयताओं के पुनर्समूहन के कारण वर्ष 2015-16 में पुनर्व्यवस्थीकरण किया गया।

! वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 1000/- मूल्य के शेयर को रु. 10/- में विभाजित करना और तदनुरूप ई पी एस को रु. 10/- के अंकित मूल्य के लिए पिछले वर्ष में पुन:समायोजित।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य,

आपके निदेशकगण की ओर से प्रस्तुत है दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 51वें वार्षिक विवरण सहित कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे।

1. परिचालन के मुख्य अंश

- माननीय रक्षा मंत्री ने दि. 18 दिसंबर, 2020 को वायु सेनाध्यक्ष को 'अस्त्र' मिसाइल प्रणाली सौंपी। आगे, डी आर डी एल से प्राप्त उपयोगकर्ता परीक्षण आदेश के अंतर्गत, आपकी कंपनी ने 'अस्त्र' मिसाइल के पहले बैच का एकीकरण सफलतापूर्वक कर डी आर डी एल को सौंपा।

- दि. 21 नवंबर, 2020 को बी डी एल विशाखापट्टणम में आयोजित एक समारोह में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं अध्यक्ष, डी आर डी ओ ने भारतीय नौसेना को बनाकर दिये जा रहे पहले भारी टॉरपिडो 'वरुणास्त्र' को हरी झंडी दिखायी।

- एयरो इंडिया-2021 के दौरान 'दिशानी' उद्घाटन कार्यक्रम के अंतर्गत कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) 'दिशानी' अंतर्जलास्त्र के प्रतिरूप को माननीय रक्षा मंत्री को सौंपते हुए।

· एयरो इंडिया-2021 के दौरान 'गरुड़ास्त्र' उद्घाटन कार्यक्रम के अंतर्गत कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) 'गरुड़ास्त्र' अंतर्जलास्त्र के प्रतिरूप को माननीय रक्षा मंत्री को सौंपते हुए।

2. वित्तीय परिणाम और कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएँ :

2.1 वित्तीय मामलों के संबंध में कंपनी के कार्यनिष्पादन का सार इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	करोड़ रुपये में		वृद्धि का / % (अपवृद्धि)
		2020-21	2019-20	
i)	परिचालन से बिक्री / राजस्व	1914	3105*	(38.36)
ii)	उत्पादन मूल्य	2043	2601*	(21.45)
iii)	कर पूर्व लाभ	341	742	(54.04)
iv)	कर के बाद लाभ	258	535	(51.78)
v)	परिवर्धित मूल्य	1073	1587*	(32.39)
vi)	प्रति शेयर अर्जन # (रुपये में)	14.06	29.18	(51.82)

ईपीएस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़कर लाभ के आधार पर की गई है।

* आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुन:समूहन किया गया है।

2.2 निम्नलिखित डाटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :

विवरण	करोड़ रुपये में		वृद्धि का / % (अपवृद्धि)
	2020-21	2019-20	
सकल ब्लॉक	1070	1011	5.84
संचित मूल्यह्रास	327	258	26.74
निवल ब्लॉक	743	753	(1.33)
कार्यगत पूंजी	2378	2260	5.22
नियोजित पूंजी	3293	3192	3.16
निवल मालियत	2685	2607	2.99

2.3 **कोविड -19 :** कोविड-19 महामारी की वजह से समीक्षाधीन वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लगे लाकडाउन ने कंपनी के परिचालनों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। नतीजतन, इस दौरान उत्पादन लगभग नहीं के बराबर रहा। स्थानीय विक्रेता, आयुध निर्माणियाँ और अन्य रक्षा सार्वजनिक उपक्रम जैसे सभी उप-ठेकेदार फैक्टरियाँ बंद रहीं और विदेशी आपूर्ति में भी देरी हुई। परिणामस्वरूप, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई और जरूरी कच्चा माल समय पर प्राप्त नहीं हो सका जिसका इस साल के उत्पादन और बिक्री पर गहरा असर पड़ा। साथ ही, इस महामारी की वजह से ए टी जी एम मिसाइल प्रूफ फायरिंग के लिए फील्ड फाइरिंग रेंज के मिलने में भी देरी हुई।

2.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने परिचालन से 1913.76 करोड़ रुपये का राजस्व और रु. 257.77 करोड़ रुपये का कराधान बाद लाभ (पीएटी) हासिल किया है। कोविड -19 महामारी और इस कारण लगे लॉकडाउन ने मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभ को प्रभावित करते हुए बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। अत: इस अवधि के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की तुलना पिछली अवधि या पिछले वर्ष की किसी भी अवधि के साथ नहीं की जा रही है।

2.5 आपकी कंपनी के पास दि. 01 अप्रैल 2021 तक लगभग 8386 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं जिसमें प्रमुखत: आकाश, एम आर सैम,ए टी जी एम और वरुणास्त्र के कार्य-आदेश शामिल हैं।

3. सर्वजन से सावधि जमा :

कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से किसी भी प्रकार की सावधि जमा राशि स्वीकार नहीं की है और न ही वर्ष के शुरुआत / अंत तक कोई सावधि राशि शेष रही। अत: ऐसे किसी जमा / ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं रही।

4. सामान्य प्रारक्षण में लाभांश और अंतरण :

आपकी कंपनी की ओर से लाभांश भुगतान का एक सतत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। निदेशक मंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए रु.10/- रुपये के प्रति ईक्विटी शेयर पर रु. 0.65/- रुपये के हिसाब से रु. 11.91 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। साथ ही, आपकी कंपनी ने मार्च, 2021 में प्रति शेयर पर रु.6.70/- रुपये के हिसाब से रु. 122.80 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान भी किया है। वर्ष 2020-21 के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि सामान्य प्रारक्षण में अंतरित की जा रही है।

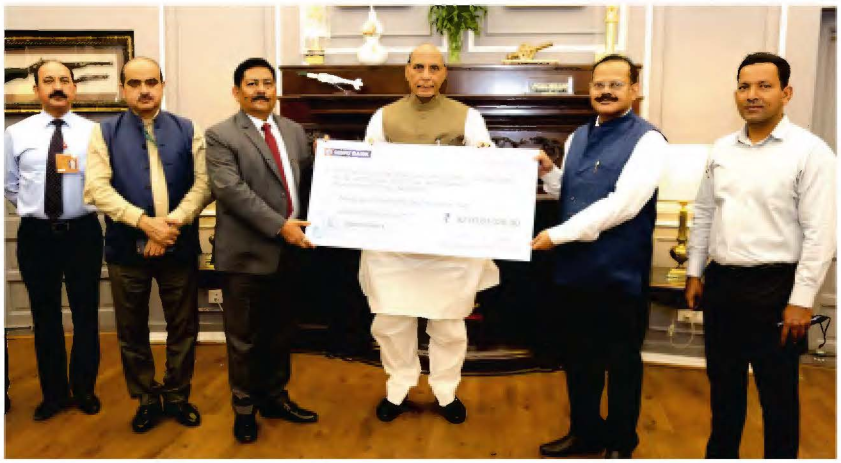

माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को बी डी एल में भारत सरकार की शेयरधारिता से संबंधित रु. 92.008 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश चेक प्रस्तुत करते हुए कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सी एम डी, बी डी एल। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय के सचिव (रक्षा उत्पादन) और संयुक्त सचिव (पी अण्ड सी) और बी डी एल के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

5. पूँजीगत व्यवस्था :

दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की प्रदत्त पूँजी रु. 183.28 करोड़ रही (10/- रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर)। दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की प्राधिकृत पूँजी 200 करोड़ रुपये (10/- रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर) रही।

भारत सरकार द्वारा बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओ एफ एस):

वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की प्रति शेयर 10 रु. के अंकित मूल्य के 27,492,188 ईक्विटी शेयर के ओ एफ एस की घोषणा की जो कंपनी की कुल ईक्विटी शेयर पूँजी का 15% है। ओ एफ एस दि. 8 सितंबर, 2020 और दि. 9 सितंबर, 2020 को हुआ और तदनुसार भारत सरकार ने कंपनी के कुल 23,503,770 ईक्विटी शेयर गैर-खुदरा निवेशकों और खुदरा निवेशकों को 'टी' दिन और 'टी' + 1 दिन (यानी, 8 सितंबर, 2020 और 9 सितंबर, 2020) को प्राप्त वैध बिड के आधार पर बेचे। ओ एफ एस के पूरा होने पर, कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 87.75% (प्रत्येक 10/- रुपये के 160,829,297 इक्विटी शेयरों के रूप में) से घटकर 74.93% (प्रत्येक 10/- रुपये के 137,325,527 ईक्विटी शेयरों के रूप में) हो गई है। दि. 31 मार्च 2021 तक, कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 74.93% है (प्रत्येक 10/- रुपये के 137,325,527 ईक्विटी शेयरों के रूप में) रही।

6. समझौता ज्ञापन के प्रति कार्य-निष्पादन :

आपकी कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ हर साल समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी का एमओयू रेटिंग 'बहुत अच्छा' रहने की उम्मीद है और वर्ष 2020-21 का मूल्यांकन चल रहा है।

7. आधुनिकीकरण, उन्नयन और देशीकरण :

7.1 वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने पूँजीगत व्यय कार्यक्रम के तहत सयंत्र एवं मशीनरी के आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना विकास के लिए रु. 57.30 करोड़ की राशि खर्च की है।

7.2 आपकी कंपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयात में कमी लाने के उद्देश्य से एटीजीएम, सैम और टॉरपीडो के विनिर्माण में देशी सामग्री का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। कॉंकूर्स-एम, इनवार, मिलान-2टी, आकाश, टॉल-एक्सपी और वरुणास्त्र जैसे उत्पादों में देशीकरण क्रमशः 96.3%, 78.6%, 71%, 96%, 91% और 86% तक हासिल कर लिया गया है।

8. अनुसंधान एवं विकास:

8.1 आपकी कंपनी इस बात को समझती है कि अनुसंधान और विकास (आर अण्ड डी) संगठन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्ष के दौरान, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन अण्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज़र, हाई स्पीड कैमरा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) डेवलपमेंट किट, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और लेजर सेफ्टी सेट-अप जैसी अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ स्थापित की गई हैं।

8.2 आपकी कंपनी ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादों की पहचान भी की है और वर्तमान में आर अण्ड डी प्रभाग निम्नलिखित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है :

ए) अमोघ-III टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र (ए टी जी एम):

यह तीसरी पीढ़ी की आई आई आर सीकर आधारित 'फायर अण्ड फारगेट' किस्म की टैंकरोधी मिसाइल है। मिसाइल का परीक्षण विकास विभिन्न चरणों में फील्ड फायरिंग परीक्षण के ज़रिये किया गया है। भारतीय थल सेना से परियोजना स्वीकृति का आदेश प्राप्त हुआ है और आपकी कंपनी परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार वैधता ट्रायल के लिए भारतीय सेना को दिये जाने वाले प्रोटोटाइप पर काम कर रही है।

बी) आपकी कंपनी अगली पीढ़ी के ए टी जी एम पर भी काम कर रही है जो अभी विकास के शुरुआती चरण में है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस ए टी जी एम का उल्लेखनीय विकास हो पाएगा।

8.3 निम्नलिखित तालिका आंतरिक स्तर पर आर अण्ड डी व्यय की हालिया प्रवृत्ति दर्शाती है :

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2020-21	2019-20	2018-19
बिक्री कारोबार (सकल)	1914	3105	3069
आर अण्ड डी व्यय	42.95	73.87	53.45
आर अण्ड डी व्यय का %	2.24	2.38	1.74

9. एम एस एम ई से खरीद :

9.1 आपकी कंपनी ने एक मजबूत खरीद प्रक्रिया अपना रखी है जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति (यथा संशोधित) के अनुरूप आपकी कंपनी ने एमएसएमई से अनिवार्य 25% से अधिक की खरीदी की है। वर्ष 2020-21 के लिए आपकी कंपनी ने अपनी 32% खरीद एमएसएमई से की है। इसके अलावा, आपकी कंपनी खरीद मूल्य की राशि पर 110% की बैंक गारंटी लेकर एमएसएमई को ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करती है। आपकी कंपनी परीक्षण सुविधाएँ देने के साथ-साथ नि:शुल्क निर्गम सामग्री (जहाँ कच्चे माल की लागत अधिक है) भी प्रदान करती है। यह ई एम डी / एस डी (ज्यादातर मामलों में) की छूट के अलावा है और उत्पादन के समय जिग्स, फिक्स्चर और गेज भी मुफ्त में दिये जाते हैं।

9.2 विक्रेता विकास :

आपकी कंपनी विशेष अभियान चलाकर और कुछ मामले व अवसरों में नि:शुल्क पंजीकरण प्रदान करके विक्रेता आधार बढ़ाने का प्रयास करती है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल तीन (03) विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। दि. 30 अक्तूबर, 2020 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एक विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किया गया। अन्य दो विक्रेता मिलाप दि. 24 मार्च 2021 और 31 मार्च 2021 को क्रमश: आज़ादी का अमृत महोत्सव और 'आउटसोर्सिंग के अवसर' पर मेसर्स ई ई पी सी इंडिया द्वारा आयोजित किए गए। आज की तारीख में आपकी कंपनी के पास 900 से अधिक पंजीकृत विक्रेता हैं।

भारत @75:आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत बी डी एल द्वारा एम एस एम ई अ.जा./अ.ज.जा./
उद्यमियों के लिए आयोजित विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम।

10. प्रदर्शनियाँ :

वर्ष 2020-21 के दौरान वरिष्ठ अधिकारी और निदेशकों ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया। आपकी कंपनी ने दि. 03 से 05 फरवरी, 2021 तक बेंगलुरू में आयोजित 'एयरो इंडिया' प्रदर्शनी में भाग लेकर अपने उत्पाद प्रदर्शित किये। प्रदर्शनी के दौरान कुछ एम ओ यू पर भी हस्ताक्षर किये गये।

एयरो इंडिया-2021 के दौरान बी डी एल पवेलियन में माननीय रक्षा मंत्री

एयरो इंडिया-2021 के दौरान बी डी एल पवेलियन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ

एयरो इंडिया-2021 के दौरान बी डी एल पवेलियन में थल सेनाध्यक्ष

- दि. 07 अगस्त, 2020 को उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक, डी आर डी ओ द्वारा 'सतहधारी प्रतिष्ठापन प्रौद्योगिकी' और 'उच्च निष्पादन संगणन सुवाधा' का उद्घाटन।

- दि. 10 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में 'सीकर निर्मिति केंद्र' का शिलान्यास करते हुए माननीय रक्षा मंत्री।

- दि. 10 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में 'वारहेड भवन' का शिलान्यास करते हुए माननीय रक्षा मंत्री।

एयरो इंडिया-2021 के दौरान बी डी एल पवेलियन में नौसेनाध्यक्ष

एयरो इंडिया-2021 के दौरान बी डी एल पवेलियन में वायु सेनाध्यक्ष

एयरो इंडिया-2021 के दौरान बी डी एल पवेलियन में सचिव (रक्षा उत्पादन), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार

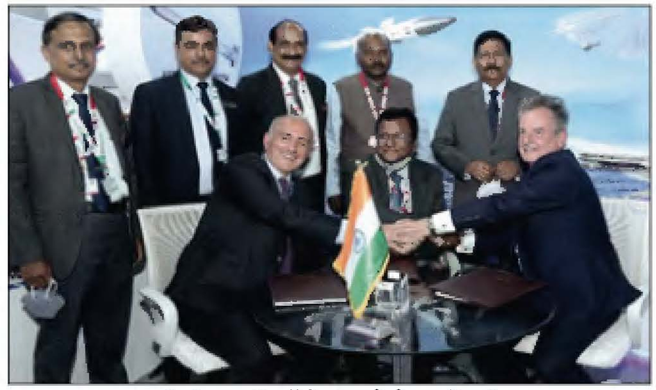

बी डी एल स्टॉल में थेल्स, यू के के पदाधिकारी

11. निर्यात :

भारतीय सशस्त्र बलों को हल्के भार वाले टॉरपिडो की नियमित आपूर्ति के अलावा आपकी कंपनी एक निजी चैनल पार्टनर के माध्यम से एक मित्र देश को भी इसका निर्यात कर रही है। मंत्रालय ने निर्यात के बहुत सारे अवसर प्रदान किये हैं और तदनुसार आपकी कंपनी ने अब तक चार निर्यात ऑर्डर प्राप्त किये हैं। प्राप्त चार निर्यात आदेशों में से आपकी कंपनी ने पहले ही वित्तीय 2019-20 में हल्के भार वाले टॉपरिडो -एक्सपी के पहले और दूसरे अनुबंध की आपूर्ति कर दी थी जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में हल्के भार वाले टॉरपिडो -एक्सपी के तीसरे और चौथे अनुबंध की आपूर्ति की गयी है। इनका कुल मूल्य 145 करोड़ रुपये है। आपकी कंपनी अपने निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विदेशी ग्राहकों के साथ लगातार बात कर रही है। ऑफसेट कार्यान्वयन भी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार आपकी कंपनी ऑफसेट से आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए यूरोप और रूस में एयरोस्पेस और रक्षा प्रमुखों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है। आपकी कंपनी ने अस्त्र प्रणालियों के निर्यात पर जोर दिया है। हाल ही में, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने भी नौ देशों को 'आकाश' अस्त्र-प्रणाली के निर्यात के लिए मंजूरी दी है। बीडीएल 'मेक इन इंडिया' के तहत हल्के भार वाले टॉरपीडो, भारी टॉरपीडो, सीएमडीएस, एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें जैसे कार्यक्रम निष्पादित कर रहा है जो भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के अलावा निर्यात बाजार की आवश्यकताएँ भी पूरा करते हैं।

12. आत्मनिर्भर भारत :

12.1 आपकी कंपनी आत्मनिर्भरता-प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी के देशीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। काँकूर्स-एम और इनवार मिसाइलों के मामले में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सीमित रहा लेकिन आपकी कंपनी ने अपनी पहल से क्रमशः 80% से 95% की देशी सामग्री हासिल की। डीआरडीओ के आईजीएमडीपी कार्यक्रम, जिसमें आपकी कंपनी ने प्रमुख उत्पादन एजेंसी होने के नाते देशीकरण अवधारणा को बल दिया और आपकी कंपनी ने सफलतापूर्वक विक्रेताओं की एक विस्तृत पारिस्थितिक प्रणाली स्थापित की जिसमें एम एस एम ई भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में, आपकी कंपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं और हथियार प्रणाली एकीकरण को छोड़कर अपनी सभी परियोजनाओं में 60% तक आउटसोर्सिंग कर रही है।

12.2 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किये गये स्पष्ट आह्वान के अनुसरण में बी डी एल ने दि. 7 से 14 अगस्त, 2020 तक 'आत्मनिर्भर भारत' सप्ताह मनाया। इस दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित पहल की गईं:

- दि. 13 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में बी डी एल द्वारा देशी तौर पर बनाये गये 'कांकूर्स मिसाइल परीक्षण उपकरण' (के एम टी ई) और 'कॉंकूर्स लॉंचर परीक्षण उपकरण' (के एल टी ई) उत्पादों का शुभारंभ करते हुए माननीय रक्षा मंत्री।

बी डी एल द्वारा देशी तौर पर बनाये गये उत्पादों का नई दिल्ली से शुभारंभ करते हुए रक्षा मंत्री। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ, महासचिव (रक्षा) और सचिव (रक्षा उत्पादन) और सी एम डी, बी डी एल कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), निदेशकगण मुख्य सतर्कता अधिकारी और बी डी एल के अन्य अधिकारीगण।

- दि. 14 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन आयोजित एक कार्यक्रम में बीडीएल द्वारा देशीकरण के लिए प्रस्तावित घटक, उप-घटकों के लिए माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' जारी किया गया।
- दि. 14 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन आयोजित एक कार्यक्रम में सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और अध्यक्ष, डी आर डी ओ ने 'उच्च तापमान कार्बन काम्पोजिट निर्माण सुविधा' की स्थापना के लिए आधारशिला रखी।

12.3 उपरोक्त सुविधाओं से बीडीएल को विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम होगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा दि. 11 फरवरी, 2019 को आयुध निर्माणी और सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में मेक-II प्रक्रिया लागू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर जारी की गयी थी। इस रूपरेखा का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, आयुध निर्माणी और सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों की खरीद नियमावली में मेक-II की विशेषताएँ शामिल करना है ताकि उन्हें नियमित रूप से आयात की जाने वाली वस्तुओं के देशीकरण की परियाजनाएँ लेने में सशक्त बनाया जा सके। तदनुसार, आपकी कंपनी ने बीडीएल उत्पादों और प्रक्रिया के घटक और पुर्जों के देशीकरण को शामिल करते हुए अपने आई एम एम मैनुअल में संशोधन किया है।

12.4 आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आपकी कंपनी ने अगले पाँच वर्ष के लिए देशीकरण योजना बनाते हुए 166 वस्तुओं के देशीकरण का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2020-21 के दौरान 72 वस्तुओं के देशीकरण लक्ष्य की तुलना में 79 वस्तुओं का देशीकरण किया गया और आयात का मूल्य घटाकर 144.71 करोड़ रुपये हो गया।

12.5 आपकी कंपनी 'अमोघ-III' नाम से तीसरी पीढ़ी के एटीजीएम का देशी तौर पर डिजाइन और विकास कर रही है। यह उत्पाद, रक्षा खरीद प्रक्रिया के भारतीय देशी रूप से अभिकल्पित, विकसित और निर्मित (भारतीय आईडीडीएम) श्रेणी के तहत मेक-II परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस उत्पाद के सफल हो जाने से भारत तीसरी पीढ़ी के एटीजीएम के निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा।

12.6 'सृजन' एक ऐसा 'वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को देशीकरण के लिए संभावित वस्तुओं की जानकारी प्रदान करता है। बी डी एल ने इस पोर्टल पर 265 वस्तुओं का विवरण अपलोड किया है। इन 265 वस्तुओं में बी डी एल द्वारा आयातित सभी वस्तुएँ शामिल हैं। इन वस्तुओं का देशीकरण पूरा हो जाने से देश के आयात में लगभग 930 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।

बीडीएल द्वारा आयात की जा रही वस्तुओं के देशीकरण के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को उपरोक्त अवसर प्रदान किए गए हैं। उपरोक्त के सफल देशीकरण से बीडीएल की खरीद इन घरेलू रक्षा उद्योग के माध्यम से की जाएगी। इससे घरेलू रक्षा उद्योग के विकास में मदद मिलेगी।

'बी डी एल – आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा' शीर्षक ई-बुक का विमोचन सचिव (रक्षा उत्पादन), रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली से किया गया। ई-बुक के विमोचन के अवसर पर कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सी एम डी, निदेशकगण, मुख्य सतर्कता अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बी डी एल हैदराबाद में।

13. निदेशक मंडल :

13.1 कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, नामित सरकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) हैं जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशकों की कार्य-अवधि और पारिश्रमिक भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड / सर्च कमेटी द्वारा तय किए जाते हैं। इस सरकारी सूचना में इन नियुक्तियों के विस्तृत नियम और शर्तों को भी इंगित किया जाता है जिसमें संबंधित कंपनी के नियमों की प्रयोज्यता का प्रावधान भी शामिल रहता है।

13.2 सरकारी निदेशक किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक / बैठक शुल्क के हकदार नहीं होते हैं। जबकि, स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक) बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क के हकदार होते हैं जो बोर्ड द्वारा सरकार के निर्देशों, सांविधिक अधिनियम, नियम और विनियम पर विचार कर अनुमोदित किया जाता है।

13.3 <u>**स्वतंत्र निदेशक (अर्थात् गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक)**</u>

एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम, 2015 की पूर्ति करते हुए भारत सरकार ने 13 सितंबर, 2017 की अपनी पत्र सं. एच-62011/2/2016-डी (बीडीएल) के माध्यम से तीन नये स्वतंत्र निदेशक श्री अजय नाथ, श्री के एस संपत और श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति को 13 सितंबर, 2017 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए, जो भी पहले हो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार, दि. 12 सितंबर, 2020 को इनका कार्य-काल पूरा हो गया था। निदेशक मंडल इनके कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा कंपनी को दिये गये योगदान को अभिलिखित करता है।

<u>**स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा पर कथन :**</u>

स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के तहत घोषणा की है कि वे इस अधिनियम की धारा 149 (6) के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

13.4 वर्ष 2020-21 के दौरान श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) के दि. 30 जून, 2020 को अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाने पर श्री एन श्रीनिवासुलू को दि. 01 जुलाई, 2020 से निदेशक (वित्त) और सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, भारत सरकार ने अपनी कार्यालय ज्ञापन संख्या 8 (32)/2019-डी (समन्वय/डीडीपी) दिनांक 02.02.2021 के तहत श्री अश्वनी कुमार के स्थान पर श्री चंद्रकर भारती को सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया। निदेशक मंडल श्री एस पिरमनायगम और श्री अश्वनी कुमार के कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा कंपनी को दिये गये अमूल्य योगदान को अभिलिखित करता है।

13.5 अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों के तहत श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन) और श्री एन श्रीनिवासुलू , निदेशक (वित्त) आने वाली वार्षिक आम सभा में चक्रीय आधार पर सेवानिवृत्त होकर खुद की पुन: नियुक्ति के लिए अर्ह्य होंगे।

13.6 <u>**निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :**</u>

वर्ष 2020-21 के दौरान दि. 29 जून, 2020; दि. 31 अगस्त, 2020; दि. 12 नवंबर, 2020; दि. 12 फरवरी, 2021 और दि. 12 मार्च, 2021 को निदेशक मंडल की कुल पाँच (05) बैठकें आयोजित की गई।

13.7 <u>**निष्पादन मूल्यांकन**</u>

बोर्ड / निदेशकों के मूल्यांकन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधान आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि सभी सरकारी कंपनियों को इसमें आवश्यक छूट प्राप्त है। इसके अलावा, दिनांक 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं.एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/ डीआईएल1/ ओडब्ल्यू/ पी/2018/1679/1 के तहत आपकी कंपनी को इसी तरह की छूट 'सेबी' के प्रावधान भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ{एलओडीआर}) विनियम, 2015 से भी प्राप्त है।

14. निदेशक उत्तरदायित्व संबंधी कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की यथासंशोधित धारा 134 (3) सी तथा 134 (5) के अनुसार निदेशकों का कथन है कि -

(ए) वार्षिक लेखा-नीति तैयार करने में सामग्री भेजने संबंधी स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

(बी) वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के मामलों में तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष संबंधी कंपनी के लाभ-हानि सत्य व स्पष्ट परिलक्षित हो सकें इस दृष्टि से चुनिंदा लेखा-नीति निरंतर बनाये रखी गई है तथा बनाये जाने वाले प्राक्कलन भी उचित व सही हैं।

(सी) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार लेखा-अभिलेखों के उचित तथा पर्याप्त रखरखाव में सावधानी बरती गई है ताकि कंपनी की आस्तियों को धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचाया जा सके।

(डी) वार्षिक लेखा वर्तमान और भविष्य संबंधी धारणाओं के हालात और आधार पर किये गये हैं।

(ई) कंपनी ने उचित वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ बनायी हैं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी हैं। और

(एफ) कि कंपनी ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और वे भी पर्याप्त और प्रभावी हैं।

15. महत्वपूर्ण और विशेष आदेश:

भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और विशेष आदेश नियामक या अदालत या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया।

16. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ :

31 मार्च, 2021 से लेकर इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली सामग्री परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं से संबंधित रिपोर्ट – शून्य।

17. मानव-शक्ति तथा अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिए पदों में आरक्षण :

17.1 कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन-जाति / अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पदों में आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेशों का अनुपालन कर रही है।

17.2 दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या चार कार्यकारी निदेशकों को मिलाकर 2812 रही। इनमें अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 36 है। कुल कार्मिकों में से 87 भूतपूर्व सैनिक, 550 अनुसूचित जाति वर्ग के; 211 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के तथा 789 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। कर्मचारी वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत क्रमश: 19.56% और 7.50% है।

17.3 दि. 31 मार्च, 2021 तक कुल 36 अस्थायी कर्मचारी हैं जिनमें से 6 अनुसूचित जाति वर्ग के और 2 अनुसूचित जन-जाति वर्ग के हैं।

17.4 दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या							
	कुल संख्या		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन-जाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020	31-03-2021	31-03-2020
ग्रुप-ए	794	833	151	155	82	82	160	164
ग्रुप-बी	71	72	16	17	4	4	22	22
ग्रुप-सी	1682	1762	316	324	107	108	514	523
ग्रुप-डी	225	242	61	64	16	17	84	92
अस्थायी	36	37	6	6	2	2	9	10
कुल	**2808***	**2946***	**550**	**566**	**211**	**213**	**789**	**811**

*चार कार्यकारी निदेशक छोड़कर।

17.5 वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति, जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की भर्ती निम्न प्रकार रही :

पदों का वर्गीकरण	कुल जारी रिक्तियाँ	कुल भर्ती	पदों का आरक्षण (कॉलम 2 में से)			वर्ष 2020-21 के दौरान की गई भर्ती		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
			अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.
ग्रुप-ए	शून्य							
ग्रुप-बी								
ग्रुप-सी								
ग्रुप-डी								
कुल								

18. महिला नियोजन :

रक्षा मंत्रालय की दि. 27 अगस्त, 1999 की पत्र संख्या 39 (6)/99/डी (बी अण्ड सी) में उद्धृत निर्देशानुसार महिला आयोग के वार्षिक विवरण 1995-96 की संख्या 51 के परिच्छेद (ii) (ए) की सिफारिशों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2021 तक महिला नियोजन की स्थिति निम्न प्रकार है :

I. कार्यपालक :

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
I	71	12	16.90
II	155	21	13.55
III	155	26	16.77
IV	191	23	12.04
V	83	10	12.05
VI	162	11	6.79
VII	32	-	-
VIII	13	1	7.69
IX	3	-	-
कार्यकारी निदेशक	3	-	-
सी एम डी	1	-	-
कुल	**869***	**104**	**11.97**

* इस रिपोर्ट में मुख्य सतर्कता अधिकारी शामिल नहीं किये गये हैं।

II. कार्यपालकेतर

ग्रेड	कर्मचारियों की कुल संख्या	महिलाएँ	प्रतिशत
वेज ग्रुप-0	-	-	-
वेज ग्रुप -1	4	-	-
वेज ग्रुप -2	102	14	13.73
वेज ग्रुप -3	72	14	19.44
वेज ग्रुप -4	227	25	11.01
वेज ग्रुप -5	292	30	10.27
वेज ग्रुप -6	135	27	20.00
वेज ग्रुप -7	215	28	13.02
वेज ग्रुप -8	28	4	14.29
वेज ग्रुप -9	120	6	5.00
वेज ग्रुप -10	15	-	-
वेज ग्रुप -11	55	2	3.64
वेज ग्रुप -12	642	48	7.48
कुल	**1907***	**198**	**10.38**

* अस्थाई कर्मचारियों को छोड़ कर।

19 दि. 31 मार्च, 2021 तक दिव्यांग कर्मचारी (पी डब्ल्यू डी) :

दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी में कुल 103 दिव्यांग कार्मिक कार्यरत रहे और दिव्यांग कर्मचारियों का कुल प्रतिशत 3.66% रहा।

	एच आई	एल डी	वी आई	कुल
ग्रुप-ए	6	13	5	24
ग्रुप-बी	0	0	0	0
ग्रुप-सी	17	43	8	68
ग्रुप-डी	4	4	3	11
कुल	**27**	**60**	**16**	**103**

एच आई – बधिर, एल डी – अपंग, वी आई – दृष्टिबाधित

20. मानव संसाधन विकास:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ज्ञानाधारित, विकासोन्मुख तथा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं। कंपनी की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यक्रम आंतरिक तथा बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित किये गये। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान प्रशिक्षित कुल कार्मिक (कार्यपालक बनाम कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी)			
विवरण	**प्रशिक्षित कार्यपालक**	**प्रशिक्षित कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारी**	**कुल**
बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम	145	1	146
आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	840	352	1192
कुल	985	353	1338
श्रम दिन	1424	362	1786
प्रशिक्षण के औसत श्रम दिन -2020-21	0.48	0.12	0.60
प्रशिक्षण के औसत श्रम दिन -2019-20	6.63	1.89	3.38

21. कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी के किसी भी कर्मचारी ने कंपनी (प्रबंधन कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया। साथ ही, दि. 5 जून, 2015 की निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और इस पर बने नियमों से छूट प्राप्त है।

22. विदेश यात्राएँ :

आपकी कंपनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान संव्यवहार यात्रा तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में विदेश यात्राओं पर रु. 15.93 लाख खर्च किये।

23. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण :

23.1 आपकी कंपनी ने सभी वर्ग के कर्मचारी अर्थात् पंजीकृत ट्रेड यूनियन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अधिकारी संघ जैसे विभिन्न एसोसिएशन के साथ लगातार समता व मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखे हैं। सभी अनिवार्य वर्ग की समितियों जैसे कार्यकारी समिति, संरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति और कल्याण समिति सहित अन्य प्रतिभागी फोरम ने कार्य-स्थल के सभी स्तरों पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दिया है।

23.2 सांविधिक कल्याण प्रावधानों का अनुपालन बारीकी से किया जा रहा है। कंपनी अपने कर्मचारी एवं उनके परिजनों की चिकित्सा आवश्यकताओं का ध्यान बीडीएल चिकित्सा नियमावली के अनुसार रख रही है। इसके अलावा डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने कार्यपालक एवं कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना तथा सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ संबंधी योजना बनाकर लागू की है।

23.3 वर्तमान महामारी की स्थिति में, मान्यता प्राप्त यूनियन और संघ कोविड प्रोटोकॉल का सख़्ती से पालन करते हुए उत्पादन गतिविधियों को बनाए रखने में प्रबंधन का पूरा सहयोग दे रहे हैं।

24. सुरक्षा :

24.1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) कंचनबाग तथा भानूर इकाई में सुरक्षा तथा अग्नि-शमन सेवाएँ प्रदान कर रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सी आई एस एफ ने बी डी एल की संपत्ति की सुरक्षा एवं संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। सी आई एस एफ ने अति संवेदनशील संगठन को सुरक्षित रखने के लिए सैनिकी व प्रौद्योगिकी के सहयोग से कोविड -19 महामारी की स्थिति में भी कड़े सुरक्षा उपाय अपनाये रखे हैं।

24.2 आई बी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए सयंत्र सुरक्षा परिषद बनाए रखी गयी है। कड़ी सुरक्षा के लिए नियमित रूप से प्रबंधन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा समीक्षा की जाती है।

24.3 सुरक्षा उपायों के अंतर्गत और सांविधिक शासी निकायों के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी कम्प्यूटरीकृत फोटो पहचान पत्र के अलावा मौजूदा महामारी कोविड -19 स्थिति से बचाव के लिए उपयुक्त संपर्क रहित चेहरा पहचान प्रणाली के साथ मौजूदा एक्सेस बायोमेट्रिक नियंत्रण प्रणाली के उन्नयन की प्रक्रिया में है ताकि किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए कंप्यूटरीकृत फोटो पहचान कार्ड के अतिरिक्त बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। कंपनी के अधिकाधिक परिसर क्षेत्र को सी सी टी वी निगरानी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से फैक्टरी परिसर में सी सी टी वी कैमेरा लगाये गये हैं। साथ ही, डोर फ्रेम डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज मशीन का भी उपयोग किया जा रहा है। सैनिक सुरक्षा मानदण्डों को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बैरिकेड, बूम बैरियर तथा मोर्चों को भी लगाया गया है।

24.4 आपकी कंपनी, सुरक्षा सप्ताह / अग्नि सप्ताह कार्यक्रम के अतिरिक्त सुरक्षा जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। कर्मचारियों को सुरक्षा खतरे, आपातकालीन व अग्नि दुर्घटना संबंधी सावधानियों से परिचित करवाया जाता है।

25. संरक्षा :

25.1 आपकी कंपनी कर्मचारियों की संरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करती है। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और संरक्षा का निरंतर ध्यान रखने के लिए निगम स्तर पर बनायी गयी दो समितियाँ – औद्योगिक संरक्षा समिति और विस्फोटक संरक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। औद्योगिक कामकाज फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप किया जाता है और सी एफ ई ई एस, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये एस टी ई सी (विस्फोटक भण्डारण एवं परिवहन समिति) विनियमों के अधीन विस्फोटक संरक्षा का कड़ा अनुपालन किया जाता है।

25.2 अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), नई दिल्ली द्वारा विस्फोटक सुरक्षा ऑडिट की जाती है और इस ऑडिट टीम की टिप्पणियों का अनुपालन किया गया है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष चिकित्सा जाँच की जाती है। योग्य चिकित्सा दल द्वारा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की भी समय-समय पर चिकित्सा जाँच की जाती है।

25.3 मार्च, 2021 के दौरान संरक्षा दिवस / सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर दि. 04 मार्च को सभी कर्मचारियों को संबंधित कार्य-स्थल पर संरक्षा टीम और विभागाध्यक्षों द्वारा संरक्षा शपथ दिलायी गयी।

25.4 संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग ने सभी स्नातक, डिप्लोमा, आई टी आई और व्यावसायिक प्रशिक्षुओं के लिए औद्योगिक संरक्षा, विस्फोटक संरक्षा और हानिकारक प्रक्रियाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम में कोविड संरक्षा, सड़क संरक्षा, कार्यशाला संरक्षा और वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, केमिकल लैब, एनडीटी (एक्स-रे और रेडियोग्राफी), विस्फोटक सुरक्षा- सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन, क्या करें और क्या न करें जैसी हानिकारक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गयी। सुरक्षा विभाग इस महामारी की स्थिति में दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में सभी भवन और विभागों की स्वच्छता बनाये रखने में सिविल और कल्याण विभागों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

25.5 संरक्षा इंजीनियरिंग विभाग फैक्टरी निरीक्षक, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TSPCB) और अग्नि, विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा केंद्र (सी एफ ई ई एस), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ उनके अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए लगातार संपर्क कर रहा है। साथ ही, अग्निशमन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है।

26. वार्षिक विवरणिका :

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान अनुसार कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष की वार्षिक विवरणिका का सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जिसे **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न किया गया है।

27. पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण:

27.1 बी डी एल की सभी इकाइयाँ– कंचनबाग इकाई, भानूर इकाई और विशाखापट्टणम इकाई आई एस ओ 14001 :2015 (ई एम एस) से पुन:अधिप्रमाणित हैं। सभी इकाइयों के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है और अंतराल अनुसार प्रमाणन निकाय द्वारा निगरानी ऑडिट भी किया जाता है। ठोस और हानिकारक व्यर्थ का निपटान प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है तथा परिवेशी वायु गुणता, डीजी सेट्स / वेंचुरी स्क्रबर्स की स्टैक गुणता,

मल-जल शुद्धीकरण सयंत्र एवं अशुद्ध जल शुद्धीकरण सयंत्र के पर्यावरणीय मानकों का परीक्षण निर्धारित अंतराल के अनुसार किया जाता है। अलग से पानी के मीटर लगाकर अपशिष्ट जल की मात्रा की निगरानी की जा रही है और सहमति की शर्तों के अनुसार बिजली की खपत की भी निगरानी की जा रही है।

27.2 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन :

बी डी एल की सभी इकाइयों में विश्व पर्यावरण दिवस-2020 बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 05 जून 2020 को सभी इकाइयों में भौतिक दूरी बनाए रखते हुए और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पौधे लगाए गए। 'जैव विविधता' विषय पर एक व्याख्यान भी आयोजित किया गया।

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दि. 05 जून, 2020 को भानूर इकाई में पौधारोपण कार्यक्रम का आरंभ किया। इस कार्यक्रम में अधिशासी निदेशकगण, महाप्रबंधक गण, वरिष्ठ कार्यपालक सहित कर्मचारियों ने भी भाग लिया।

28. गुणता :

वर्तमान में, कंचनबाग इकाई के आकाश, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रभाग, सी पी आई जी एम पी, भानूर इकाई और विशाखापट्टणम इकाइयाँ वांतरिक्ष गुणता प्रबंधन प्रणाली के लिए एएस 9100डी मानक से अधिप्रमाणित हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद स्थित निगम कार्यालय आईएसओ 9001:2015 (गुणता प्रबंधन प्रणाली) से अधिप्रमाणित है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग डी जी ए क्यू ए द्वारा ए एफ क्यू एम एस (फर्म और इसकी गुणता प्रबंधन प्रणाली के लिए अनुमोदन) से अधिप्रमाणित किया गया है।

मिलान प्रभाग के इलेक्ट्रॉनिक्स लैब और भानूर इकाई के सामग्री परीक्षण लैब को आई एस ओ / आई ई सी 17025:2005 (एनएबीएल) प्रमाणीकरण के लिए मान्यता दी गई है।

सभी आई एस ओ / ए एस अधिप्रमाणित प्रभागों की आंतरिक लेखापरीक्षा खुद के लेखापरीक्षकों द्वारा और निगरानी लेखापरीक्षा प्रमाणन अभिकरणों द्वारा की जाती है। इन सभी प्रभागों द्वारा विनिर्मित प्रमुख उत्पादों की ग्राहक संतुष्टि का आकलन किया जाता है। बी डी एल ग्राहकों के साथ बैठकें, प्रयोगकर्ताओं से संपर्क और गुणता समीक्षा बैठक आदि के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और जहाँ आवश्यक हो सुधार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

29. राजभाषा कार्यान्वयन :

29.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित 1967) और इनके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियमों का समुचित रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। सी एम डी एवं निदेशकगण की अध्यक्षता में प्रत्येक तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेजी जा रही हैं।

29.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राष्ट्रपति आदेशों के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात, कंपनी का वार्षिक विवरण, रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और विभिन्न प्रतिनिधि मंडल तथा संसदीय समितियों के लिए प्रस्तुति, कंपनी का परिचय आदि द्विभाषी रूप में तैयार कर प्रस्तुत किये गये।

29.3 दि. 01 से 14 सितंबर, 2020 तक निगम कार्यालय सहित सभी इकाइयों में हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कंचनबाग, भानूर तथा विशाखापट्टणम इकाइयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निगम कार्यालय

सहित कंचनबाग इकाई, भानूर इकाई और विशाखापट्टणम इकाई के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। दि. 14 सितंबर को सी एम डी की अध्यक्षता में केंद्रीकृत रूप में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर निदेशकगण, सभी इकाइयों के इकाई प्रधान और नई दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय के प्रधान सहित सभी उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा वर्ष के दौरान दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नक़द पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

29.4 संसदीय राजभाषा समिति को दिये गये आश्वासन और सी एम डी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इंटरनेट और इंट्रानेट पर हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से सभी अधिकारी और कर्मचारियों के नाम और पदनाम द्विभाषी रूप में तैयार कर उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा, दैनिक कामकाज में प्रयोग में आने वाली सामान्य टिप्पणियाँ हिंदी-अंग्रेजी में तैयार कर उपलब्ध करायी गयीं। साथ ही, इनकी प्रयोग-विधि की जानकारी भी दी गयी। दि. 19 और 25 फरवरी, 2021 को महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक स्तर के उच्चाधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला के माध्यम से दो अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

29.5 दि. 30 जून, 2020 को उप निदेशक (कार्यान्वयन), दक्षिण क्षेत्र, बेंगलुरू द्वारा उद्यम की विशाखापट्टणम इकाई में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन का ई-निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर प्राप्त रिपोर्ट में इकाई में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई। प्राप्त सुझावों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट विशाखापट्टणम इकाई के प्रधान के हस्ताक्षर से संबंधित प्राधिकारी को भेज दी गयी। इसी प्रकार दि. 18 जनवरी, 2021 को सहायक निदेशक, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पर प्राप्त रिपोर्ट में कार्यालय में हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई।

29.6 बी डी एल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। समिति में कुल 47 सदस्य कार्यालय हैं। वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 'ग' क्षेत्र में उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' (प्रथम स्थान) की घोषणा की गयी।

29.7 बीडीएल के राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का काम-काज किया जा रहा है। समिति के कुल 47 सदस्य कार्यालय हैं। समिति की अर्द्धवार्षिक बैठकें क्रमश: मई और अक्तूबर महीने में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष की पहली अर्द्धवार्षिक बैठक दि. 29 जुलाई, 2021 को संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान समिति की गृह-पत्रिका 'पथिक' के 17वें अंक का विमोचन किया गया। दूसरी अर्द्धवार्षिक बैठक दि. 22 अक्तूबर, 2021को आयोजित की गयी। बैठक के दौरान वर्ष 2019-20 के लिए राजभाषा शील्ड, ट्रॉफी, कप और उत्तम पत्र-पत्रिका पुरस्कारों की घोषणा की गयी। सी एम डी, बी डी एल और अध्यक्ष, नराकास कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने दोनों बैठकों की अध्यक्षता की।

29.8 दि. 29 नवंबर, 2020 को समिति के छोटे सदस्य कार्यालयों के लिए एक संयुक्त ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

29.9 समिति की 52वीं अर्द्धवार्षिक बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में दि. 23 फरवरी, 2021 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन अनुवाद सुविधा 'कंठस्थ' पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री मोहनचंद्र बहुगुणा, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग द्वारा नई दिल्ली से ऑनलाइन माध्यम से 'कंठस्थ' की विशेषताएँ और इसके प्रयोग पर प्रशिक्षण दिया गया।

29.10 दि. 05 मार्च, 2021 को नराकास के तत्वावधान में समिति के सदस्य कार्यालयों के नव-नियुक्त राजभाषा अधिकारी / नोडल हिंदी अधिकारी और राजभाषा कर्मियों के लिए 'राजभाषा अभिमुखीकरण' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

29.11 गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 'आत्मनिर्भर भारत सप्ताह' आदि अवसरों पर उद्यम के सी एम डी ने सभी को हिंदी में संबोधित किया। इसी प्रकार सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा और संविधान दिवस के अवसर पर भी शपथ हिंदी-अंग्रेज़ी में दिलायी गयी।

29.12 भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार कंपनी की वेबसाइट हिंदी में तैयार की गई है और समय-समय पर इसका अद्यतन किया जाता है। उद्यम के अधिकारी और कर्मचारियों ने नराकास (उपक्रम) के तत्वावधान में आयोजित अंतर-उपक्रम प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और कुल पाँच पुरस्कार प्राप्त किये।

29.13 हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देते हुए उद्यम के अधिकारी-कर्मचारियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से (1) हिंदी मिलाप (2) स्वतंत्र वार्ता (3) अनुवाद (4) साहित्य अमृत (5) आविष्कार (6) योजना (7) हिंदी रोज़गार समाचार (8) प्रतियोगिता दर्पण (9) मेरी सहेली (10) दक्षिण समाचार (11) गोलकोण्डा दर्पण (12) मिलिन्द पत्रिका (13) हंस आदि समाचार-पत्र और पत्र-पत्रिकाएँ नियमित रूप से मँगाये जाते हैं। इनके अलावा, इसी उद्देश्य की पूर्ति के क्रम में राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार हर वर्ष सभी विषयों से संबंधित हिंदी पुस्तकें भी खरीदी जाती हैं।

30. सतर्कता :

30.1 सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य निदानात्मक / पूर्व सक्रिय सतर्कता अपनाना है। सतर्कता विभाग द्वारा ई-रिवर्स ऑक्शन, भर्ती, विभागीय पदोन्नतियाँ, आरक्षण, संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों का रोटेशन, सिविल कार्य और सेवा संविदा जैसे विषयों के संबंध में कुल 21 प्रणालीगत सुधार संबंधी सुझाव दिये और, वर्ष के दौरान प्रबंधन ने इनमें से कई मदों पर कार्यान्वयन भी किया। इन प्रणाली परक सुझावों का संक्षिप्त विवरण कंपनी वेबसाइट http://bdl-india.in पर अपलोड किया गया है।

30.2 अपने निवारक सतर्कता दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, विभाग ने संगठन के अखंडता अभिविन्यास को मापने के उद्देश्य से अधिकारियों के लिए एक 'अखंडता सर्वेक्षण' किया। सर्वेक्षण में कुल 73 प्रतिशत अधिकारियों ने भाग लिया और प्राप्त निष्कर्षों को प्रबंधन को सूचित किया गया जो संप्रेषण के क्षेत्रों में सुधार, वाणिज्यिक निर्णय लेने और सद्भाव के कार्यस्थल आदि में सुधार दर्शाता है।

30.3 कंपनी में आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 'सतर्कता मॉड्यूल' को शामिल किया गया। दि. 23 दिसंबर, 2020 से दि. 06 जनवरी, 2021 के दौरान उद्योग और शिक्षा जगत के विषय विशेषज्ञों के सहयोग से 3 बैचों में 215 मिड-कैरियर अधिकारियों (प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक और उप महाप्रबंधक) के लिए 'निवारक सतर्कता' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

30.4 केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का एक अंग होने के नाते विभाग ने आयोग को विभिन्न रिपोर्टें प्रस्तुत कीं (उदा : मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक एवं सी टी ई टाइप)। साथ ही, रक्षा मंत्रालय एवं कंपनी के निदेशक मंडल को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। इनके अतिरिक्त विभाग ने भर्ती, पदोन्नति, आमेलन, स्थायीकरण, विदेशी दौरे, संवेदनशील क्षेत्रों में तैनीती इत्यादि मामलों में कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किये। विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की शिकायत निपटान नीति के अनुसार शिकायतों के निपटान को भी वरीयता दी है।

30.5 सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह का आयोजन करना सतर्कता विभाग का एक अविभाज्य कार्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव के अनुसार दि. 27 अक्तूबर से 02 नवंबर, 2020 तक उद्यम की सभी इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम और पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लाभों के बारे में कर्मचारी और नागरिकों के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस वर्ष की थीम "सतर्क भारत-समृद्ध भारत" को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। मौजूदा महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अधिकांश गतिविधियाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और कोविड-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजित की गई।

30.6 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020' की शुरुआत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) द्वारा दि. 27 अक्तूबर, 2020 को निगम कार्यालय में 'नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' दिलाने से हुई। इसके बाद मुख्य सतर्कता अधिकारी और अन्य निदेशकों द्वारा भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और मुख्य सतर्कता आयुक्त के संदेशों का वाचन किया गया। इस कार्यक्रम का कंपनी की सभी इकाइयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रसारण किया गया। साथ ही, कर्मचारियों के लाभ के लिए 'नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा' कंपनी इंट्रानेट पर भी दी गयी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान बीडीएल के कुल 2942 कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा शपथ ली।

30.7 सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 के अंतर्गत दि. 29 अक्तूबर, 2020 को विशाखापट्टणम इकाई में 30 कर्मचारी, विशेषकर नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता, सीडीए नियमावली, स्थायी आदेश, अवकाश नियम, खरीद-प्रक्रिया आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री एस वी कामेश्वर, महाप्रबंधक (वि.इ.) ने सतर्कता विभाग और निगम वाणिज्यिक विभाग में कार्यकाल के दौरान अपने अनुभव को साझा किया। अन्य सत्र सतर्कता, मानव संसाधन और आई एम एम विभाग के संकायों द्वारा लिये गये।

30.8 सतर्कता जागरूकता सप्तह-2020 के दौरान दैनिक जीवन में सतर्कता और इसके महत्व के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कर्मचारी, उनकी संतान और उनके पति / पत्नी के लिए भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर निबंध लेखन, भाषण, श्लोगन लेखन, पोस्टर/कोलाज मेकिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। चूँकि महिलाएँ समृद्ध राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए पहली बार कर्मचारियों की पत्नियों के लिए भी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई।

30.9 'सतर्क भारत – समृद्ध भारत' थीम को फैलाने तथा कर्मचारी और जनता को बड़े पैमाने पर जागरूक बनाने के उद्देश्य से कंपनी की इकाइयों में विशिष्ट स्थानों पर उक्त थीम पर बैनर प्रदर्शित किए गए। मुख्य सतर्कता आयोग की 'ई-अखंडता प्रतिज्ञा' लेने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने बीडीएल वेबसाइट पर मुख्य सकर्तता आयोग का एक लिंक दिया गया। सभी कर्मचारियों को संदेश के साथ छोटा-सा टेलीफोन संदेश भी भेजा गया कि 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020, 'ईमानदारी – एक जीवन-शैली' बनाने के बीडीएल के प्रयास में शामिल हों। सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए http://pledge.cvc.nic.in लिंक पर क्लिक करें। - सतर्कता विभाग, बीडीएल।"

30.10 दि. 30 अक्तूबर, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से एक विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें देश भर से 65 विक्रेताओं ने भाग लिया। बैठक का उद्घाटन निदेशक (उत्पादन) श्री पी राधाकृष्ण ने किया। निदेशक (उत्पादन) ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विक्रेता मिलाप आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री एन पी दिवाकर, निदेशक (तकनीकी) भी उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहे। इस अवसर पर विक्रेताओं को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने के बाद, मुख्य सकर्तता अधिकारी डॉ. उपेंदर वेन्नम ने अपने विचार रखते हुए कहा कि व्यवसाय को पारदर्शी तरीके से और उच्चतम अखंडता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्भरता को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बहु विक्रेता विकास पर भी जोर दिया। इस विक्रेता मिलाप कार्यक्रम के दौरान श्री जी एन सुदर्शन रेड्डी, अपर महाप्रबंधक (निगम वाणिज्यिक) द्वारा 'एकता समझौता' और 'स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षक' (आई ई एम) की भूमिका' पर एक ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 के दौरान वार्षिक सतर्कता न्यूज़लेटर 'चेतना' का विमोचन करते हुए
मुख्य अतिथि प्रो.एम श्रीधर आचार्युलु, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, भारत सरकार।

30.11 दि. 02 नवंबर 2020 को कंपनी के निगम कार्यालय में आयोजित एक समापन समारोह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन समाप्त हुआ। इस अवसर पर प्रो. माडभूषी श्रीधर आचार्युलु, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त को 'सतर्क भारत-समृद्ध भारत' विषय पर एक बीज व्याख्यान देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सी एम डी, निदेशकगण और मुख्य सतर्कता अधिकारी ने भाग लिया और बी डी एल की सभी इकाइयों के कर्मचारियों के लिए यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा वार्षिक सतर्कता न्यूज़लेटर 'चेतना' के प्रथम अंक का विमोचन किया गया। 'चेतना' में सतर्कता विंग द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रणालीगत सुधार संबंधी सुझाव, पुरस्कृत पोस्टर और श्लोगन, मुख्य सतर्कता आयोग के नवीनतम परिपत्र का सार-संक्षेप, पोस्ट-कोविड अनुबंध प्रबंधन पर लेख और सतर्कता जागरूकता सप्ताह की कुछ तस्वीरें (2012-2020) आदि शामिल हैं। यह न्यूज़लेटर कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट पर और नागरिकों के लाभ के लिए बी डी एल वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

30.12 निवारक सतर्कता की विशिष्टता बनाए रखते हुए कई कार्यशालाएँ / संगोष्ठियाँ / प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा विभिन्न सतर्कता जागरूकता पहल अपनायी गयीं।

31. नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास

31.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान और निगम मामले एवं डी पी ई दिशा-निर्देशानुसार जारी विभिन्न स्पष्टीकरण / संशोधन के साथ पठनीय कंपनी नियमावली, 2014 के क्रम में सी एस आर नीति के अनुसार कंपनी ने विभिन्न कार्यकलाप किये हैं। ये कार्यक्रम / गतिविधियाँ / परियोजनाएँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अनुरूप किये जाते हैं और इसे विधिवत रूप से सी एस आर नीति में शामिल किया गया है जो हमारे सभी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शक नियम भी हैं। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के मुताबिक नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति (नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट का संदर्भ लें) का गठन किया गया है। गठित समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली सी एस आर गतिविधियों / परियोजनाओं की जानकारी देते हुए निदेशक मंडल को सी एस आर नीति की सिफारिश की है।

31.2 सी एस आर एवं एस डी की गतिविधियों का अनुवीक्षण आवधिक तौर पर समिति द्वारा किया जाता है और सी एस आर एवं एस डी गतिविधियों से संबंधित वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक II** में संलग्न है।

31.3 आपकी कंपनी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक है। साथ ही, आपकी कंपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ चला रही है।

31.4 सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिक आहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि आयामों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा – स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

31.5 वर्ष 2020-21 के दौरान पिछले वर्षों की अग्रेनित राशि मिलाकर सी एस आर अण्ड एस डी व्यय का लक्ष्य रु. 1533.43 लाख है। लक्ष्य के मुताबिक आपकी कंपनी ने सी एस आर गतिविधियों पर 1540.70 लाख रुपये खर्च किये और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक 100 % लक्ष्य हासिल किया। कंपनी द्वारा संचालित सी एस आर गतिविधियों की जानकारी कंपनी वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर दी गई है।

32. लेखापरीक्षा समिति :

कंपनी में अच्छे नैगमिक अभिशासन के लिए एक लेखापरीक्षा समिति कार्यरत है। वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा कार्य के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान आठ बैठकें बुलाई गई। गठन का विवरण, विचारार्थ विषय इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये हैं।

33. संबंधित पार्टी लेन-देन :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं पाया गया जिससे कंपनी को किसी प्रकार की हित बाधा पहुँचती हो। अत: फॉर्म ए ओ सी -2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। सदस्य संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण के लिए लेखा संबंधी टिप्पणियों का संदर्भ ले सकते हैं। संबंधित पार्टी लेन-देन संबंधी नीति कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर अपलोड की गई है।

34. ऋण, गारंटी या निवेश संबंधी विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ऋण, गारंटी और निवेश संबंधी विवरण, वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिये गये हैं।

35. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :

वित्तीय औचित्य के मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी द्वारा हर प्रकार के आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। इनकी पर्याप्तता सुनिश्चित कर इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाह्य लेखापरीक्षक फर्म की भी नियुक्ति की गई है। आंतिरक लेखापरीक्षा फर्म तथा आपकी कंपनी के आंतिरक लेखापरीक्षा विभाग की विश्लेषण रिपोर्टें समीक्षा व सुझाव के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की समीक्षा कर तत्संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दी गई है। टिप्पणियों व लेखाओं में आवश्यक प्रकटीकरण किये गये हैं। सरकारी कंपनी होने के कारण आपकी कंपनी के लिए सरकारी लेखापरीक्षा भी आवश्यक है।

36. लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मेसर्स नटेशन अण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, हैदराबाद को वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। लेखापरीक्षकों ने लेखाओं की लेखापरीक्षा की और उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट वार्षिक विवरण के अंग के रूप में दी गयी है।

37. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त कंपनी के लेखा पर दी गई टिप्पणी सांविधिक लेखापरीक्षों की रिपोर्ट के बाद दी गई है।

38. लागत लेखापरीक्षक :

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मेसर्स नरसिम्ह मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक, हैदराबाद को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

39. साचिविक लेखापरीक्षा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधान तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स नरेंदर अण्ड असोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव, (पीसीएस पंजीकरण संख्या 5024) को नियुक्त किया है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न है।

40. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन :

सेक्यूरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (एस ई बी आई) लिस्टिंग विनियम तथा डी पी ई दिशा-निर्देशों की आवश्यकता अनुरूप सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इसे लेखापरीक्षा समिति एवं निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

41. धोखाधड़ी की लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग :

वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षक और न ही साचिविक लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(2) के तहत कंपनी के खिलाफ अपने अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी का ऐसे किसी मामले की सूचना लेखापरीक्षा समिति को नहीं दी है जिसका उल्लेख निदेशक मंडल की रिपोर्ट में करना आवश्यक है।

42. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सी पी एस ई) के लिए नैगमिक अभिशासन पर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न की गई है।

43. नैगमिक अभिशासन :

43.1 नैगमिक अभिशासन उत्तम प्रबंधन के निर्वहन, कानून के अनुपालन और नैतिक मूल्यों के पालन से जुड़ा है। ताकि, कंपनी के भागीदारों की मान वृद्धि हो और सामाजिक दायित्व का निर्वाह हो सके।

43.2 कंपनी में पेशेवर रुख तथा जवाबदेही तय करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था क़ायम है।

43.3 सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के संबंध में दि. 14 मई, 2010 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 18 (8) /2005-जीएम के तहत डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के तहत, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कंपनी में नैगमिक अभिशासन की स्थिति पर इसकी शर्तों के अनुपालन संबंधी प्रमाण-पत्र नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।

43.4 नैगमिक अभिशासन की त्रैमासिक एवं वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में स्टाक एक्सचेंज और रक्षा मंत्रालय को अग्रेषित की जा रही हैं। आपकी कंपनी ने डी पी ई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय से नैगमिक अभिशासन के लिए 'उत्कृष्ट' दर्जा प्राप्त किया है और वर्ष 2020-21 के लिए नैगमिक अभिशासन के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

44. आपदा प्रबंधन :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 21 के तहत कंपनी ने एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति के विवरण और समिति के विचारार्थ विषय, आपदा प्रबंधन नीति इत्यादि नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं।

45. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण :

कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की आवश्यकताओं के क्रम में कंपनी ने 'यौन उत्पीड़न विरोधी नीति' लागू कर रखी है। वर्ष 2020-21 के दौरान यौन-उत्पीड़न संबंधी किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

46. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन :

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अंतर्गत नागरिकों को दी जाने वाली जानकारी की सूचना कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है। इसमें कंपनी का सामान्य परिचय, क्रियाकलाप, अधिकारी / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम-विनियम, कंपनी द्वारा रखे जाने वाले मैनुअल और रिकॉर्ड, कंपनी के अधिकारियों की सूची, अधिकारी / कर्मचारियों के वेतनमान, सूचना प्राप्त करने तथा रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया आदि शामिल है। प्रश्न और अपील देखने के लिए कंपनी ने वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के एक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी को नियुक्त किया है। आगे, वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने कुल 84 आवेदन / प्रश्न प्राप्त किये जिनका निपटारा कर दिया गया।

47. विजिल मेकानिज़्म :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के साथ पठनीय कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियाँ) नियमावली, 2014 तथा सी पी एस ई के लिए डी पी ई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में निदेशक मंडल द्वारा विजिल ब्लोअर नीति (सचेतक नीति) / विजिल मेकानिज़्म का अनुमोदन दिया गया था जिसे कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है। इस नीति में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधा संपर्क करने की सुविधा दी गई है।

48. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट :

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूँजीकरण के आधार पर 500 सूचीबद्ध इकाइयों के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट ("बीआर रिपोर्ट") को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। आपकी कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के उपरांत, व्यापार और प्रशासन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बी आर रिपोर्ट के लिए एक व्यापक नीति का रूप तैयार किया है जिसमें रक्षा उपक्रम के रूप में बीडीएल कार्यरत है। वर्ष के लिए कंपनी की बी आर रिपोर्ट **अनुलग्नक VI** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

49. लाभांश वितरण नीति :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अनुसार, लाभांश वितरण नीति अपनायी गयी ताकि शेयरधारकों को लाभांश वितरित करने और / या लाभ को संव्यवहार लगाने के लिए मानदंड व परिस्थितियों का निर्धारण करने पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जा सके। यह नीति बीडीएल की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध है।

50. आभार-प्रदर्शन :

50.1 आपके निदेशकगण सभी सरकारी एजेंसी, विशेषकर रक्षा मंत्रालय, आयुध निर्माणियाँ, रक्षा उत्पादन विभाग, डी आर डी ओ प्रयोगशालाएँ, केंद्रीय सरकार के विभाग, आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार, भारत सरकार की गुणता आश्वासन एजेंसियाँ तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों से समय-समय पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

50.2 कंपनी, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक तथा लेखापरीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखापरीक्षक, बैंक तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिये गये सहयोग तथा सुझाव की प्रशंसा कंपनी-अभिलेखों में अभिलिखित करता है।

50.3 निदेशकगण, अपनी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कंपनी को प्रगति-पथ पर ले जाने तथा इस विकास को आने वाले वर्षों में बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों की प्रशंसा अपने अभिलेखों में अभिलिखित करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
तिथि : 21 जून, 2021

अनुलग्नक-I

फॉर्म संख्या एम जी टी – 9
वार्षिक विवरण का सार
(दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति)
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I. पंजीकण और अन्य विवरण :

i)	निगम पहचान संख्या (सी आई एन)	:	L24292TG1970GOI001353
ii)	पंजीकरण तिथि	:	दि. 16 जुलाई, 1970
iii)	कंपनी का नाम	:	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	:	मिनीरत्न श्रेणी - 1
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता	:	कंचनबाग, हैदराबाद - 500058. दूरभाष : +91 40 24344979
vi)	निगम कार्यालय और संपर्क विवरण	:	प्लाट नं.38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आईसीआईसीआई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद – 500032. दूरभाष : +91 40 23456145 फैक्स : +91 40 23456107
vii)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है?	:	हाँ
viii)	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि हो तो	:	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 'सेबी' पंजीकृत संख्या आईएनआर000002532, 4ई /2 झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055, भारत दूरभाष : +91 11 42541234 फेक्सीमाइल : +91 11 41543474

II. कंपनी की प्रमुख संव्यवहार गतिविधियाँ :

कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली संव्यवहार गतिविधियों का उल्लेख करें :

क्र.सं.	मूल उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का 10 %
1.	अस्त्र विनिर्माता	29271	86.40%

III. स्वामित्व, अधीनस्थ व सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सी आई एन / जी एल एन	स्वामित्व / अधीनस्थ / सहयोगी	शेयर का %	लागू धारा
		-शून्य-			

IV. शेयर धारण पद्धति
(कुल ईक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)
i) श्रेणीवार शेयरधारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रचारक									
1) भारतीय									
ए) वैयक्तिक / एच यू एफ ए (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) केंद्र सरकार	160829297	-	160829297	87.75%	137325527	-	137325527	74.93%	12.82%
सी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल ए (1)	160829297	-	160829297	87.75%	137325527	-	137325527	74.93%	12.82%

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के अंत तक धारित शेयरों की संख्या (प्रति शेयर @ 10/- रुपये अंकित मूल्य)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का
	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिकत:	कुल	कुल शेयरों का %	
2) विदेशी									
ए) विदेशी – वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) अन्य – वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) निगम संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) कोई अन्य									
उप-कुल ए (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रचारक के कुल शेयर ए = ए(1) + ए (2)	160829297	-	160829297	87.75%	137325527	-	137325527	74.93%	12.82%
बी. सार्वजनिक शेयर धारण									
1. संस्थाएँ									
ए) म्यूचुअल फण्ड	6601768	-	6601768	3.6%	11229133		11229133	6.13%	2.53%
बी) बैंक / वित्तीय संस्थाएँ	1826099	-	1826099	1%	134965	-	134965	0.07%	0.93%
सी) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) वेंचर पूँजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) बीमा कंपनी	5267174	-	5267174	2.87%	20758731	-	20758731	11.33%	8.46%
जी) एफ आई आई एस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एच) विदेशी वेंचर पूँजी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (निर्दिष्ट करें) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	64500	-	64500	0.04 %	505205	-	505205	0.28%	0.24%
उप-कुल (बी) (1)	13759541	-	13759541	7.51%	32628034	-	32628034	17.81%	10.30%
2. गैर-संस्थाएँ									
ए) निगम संस्थाएँ									
(i) भारतीय	418067	-	418067	0.23%	788300	-	788300	0.43%	0.20%
(i) समुद्रपारीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) वैयक्तिक i) वैयक्तिक रु. 1 लाख रुपये तक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	6894053	88	6894141	3.76%	9894497	2188	9896685	5.39%	1.63%
ii) रु. 1 लाख रुपये से अधिक की सामान्य शेयर पूँजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	624543	-	624543	0.34%	1439916	-	1439916	0.79%	0.45%
सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)									
न्यास	2205	-	2205	0.00%	12940	-	12940	0.00%	0.00%
एच यू एफ	408819	-	408819	0.22%	453352	-	453352	0.25%	0.03%
एन आर आई	262348	-	262348	0.14%	499051	-	499051	0.27%	0.013%
कर्मचारी	32854	-	32854	0.02%	24404	-	24404	0.01%	0.01%
समाशोधन सदस्य	48935	-	48935	0.03%	212041	-	212041	0.12%	0.09%
आर बी आई के साथ पंजीकृत एन बी एफ सी	500	-	500	0.00%	-	-	-	-	-
विदेश	-	-	-	-	1000	-	1000	-	-
उप-कुल (बी) (2)	8692324	88	8692412	4.47%	13325501	2188	13327689	7.26%	2.79%
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता बी = बी (1) + बी (2)	22451865	88	22451953	12.25%	45953535	2188	45955723	25.07%	12.82%
सी. जी डी आर और ए डी आर के अभिरक्षक द्वारा लिये गये शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए+बी+सी)	183281162	88	183281250	100%	183281162	2188	183281250	100%	-

ii) प्रचारकों की शेयरधारिता

शेयरधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित कुल शेयर (01 अप्रैल, 2020)			वर्ष के अंत तक धारित कुल शेयर (31 मार्च, 2021)		
	शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से बंधित / भारित शेयर का %	शेयरों की संख्या (प्रति 10/- रुपये के अंकित मूल्य)	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से बंधित / भारित शेयर का %
भारत के राष्ट्रपति	160829297	87.75%	-	137325527	74.93%	-

iii) प्रचारक शेयरधारकों में बदलाव (यदि बदलाव नहीं तो कृपया निर्दिष्ट करें)

क्र.सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में कुल शेयरधारण		तारीख	शेयरधारण में वृद्धि / अपवृद्धि	कारण	वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	160829297	87.75%	01/04/2020	-	-	160829297	87.75%
				08/09/2020 & 09/09/2020	(23503770)	ऑफर ऑफ सेल / मेकानिज़्म के माध्यम से अपने स्टेक के 12.82 का विनिवेश किया गया।	(23503770)	(12.82%)
				31/03/2021	-	-	137325527	74.93%

iv) दस उच्च शेयरधारकों की शेयरधारण स्थिति (निदेशक, प्रचारक तथा जी डी आर और धारकों के अतिरिक्त)

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**भारतीय जीवन बीमा निगम**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**4089614**	**2.23%**	**4089614**	**2.23%**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/09/2020	15151515	8.27%	19241129	10.50%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	12/03/2021	(20240)	0.01%	19220889	10.49%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	19/03/2021	(411763)	0.22%	18809126	10.26%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	26/03/2021	(64287)	0.03%	18744839	10.23%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**18744839**	**10.23%**	**18744839**	**10.23%**
2	**एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एच डी एफ सी फ्लैक्सी कैपिटल फण्ड**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**4155100**	**2.27%**	**4155100**	**2.27%**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	30/06/2020	35000	0.02%	4190100	2.29%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	10/07/2020	175000	0.09%	4365100	2.38%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/07/2020	110100	0.06%	4475200	2.44%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	07/08/2020	150000	0.08%	4625200	2.52%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	30/10/2020	100000	0.05%	4725200	2.57%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	20/11/2020	50000	0.03%	4775200	2.60%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	27/11/2020	104000	0.06%	4879200	2.66%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	04/12/2020	50000	0.03%	4929200	2.69%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/12/2020	515000	0.28%	5444200	2.97%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	18/12/2020	134700	0.07%	5578900	3.04%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	25/12/2020	79400	0.04%	5658300	3.08%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/12/2020	65000	0.04%	5723300	3.12%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	08/01/2021	654000	0.36%	6377300	3.48%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	22/01/2021	145218	0.08%	6522518	3.56%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	29/01/2021	242341	0.13%	6764859	3.69%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**6764859**	**3.69%**	**6764859**	**3.69%**

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
3	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अकाउंट एच डी एफ सी बैलंसड एडवांटेज फण्ड					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**792100**	**0.43%**	**792100**	**0.43%**
	वर्ष के दौरान बेचे गये	03/07/2020	(210200)	0.11%	581900	0.32%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	10/07/2020	(394200)	0.22%	187700	0.10%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	17/07/2020	(187700)	0.10%	-	-
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	14/08/2020	180000	0.10%	180000	0.10%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/09/2020	1000000	0.55%	1180000	0.65%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	05/02/2021	73555	0.04%	1253555	0.69%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	12/02/2021	484065	0.26%	1737620	0.95%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	19/02/2021	37000	0.02%	1774620	0.97%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	26/02/2021	306000	0.17%	2080620	1.14%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	05/03/2021	319054	0.17%	2399674	1.31%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	12/03/2021	49083	0.03%	2448757	1.34%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	19/03/2021	257000	0.14%	2705757	1.48%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	26/03/2021	37200	0.02%	2742957	1.50%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**2742957**	**1.50%**	**2742957**	**1.50%**
4	श्रीकांता देवी राधाकृष्णन दामानी					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**-**	**-**	**-**	**-**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	09/10/2020	738868	0.40%	738868	0.40%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	16/10/2020	106132	0.06%	845000	0.46%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	23/10/2020	35000	0.02%	880000	0.48%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	06/11/2020	11783	0.01%	891783	0.49%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**891783**	**0.49%**	**891783**	**0.49%**
5	एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – अकाउंट एच डी एफ सी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फण्ड					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**812241**	**0.44%**	**812241**	**0.44%**
	वर्ष के दौरान बेचे गये	10/07/2020	(116115)	0.06%	696126	0.38%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	14/08/2020	(89000)	0.05%	607126	0.33%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	28/08/2020	(36000)	0.02%	571126	0.31%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	30/10/2020	97000	0.05%	668126	0.36%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	20/11/2020	100000	0.05%	768126	0.41%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**768126**	**0.41%**	**768126**	**0.41%**
6	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**434426**	**0.23%**	**434426**	**0.23%**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/09/2020	300000	0.17%	734426	0.40%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**734426**	**0.40%**	**734426**	**0.40%**
7	दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**173765**	**0.09%**	**173765**	**0.09%**
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	11/09/2020	25911	0.02%	199676	0.11%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	18/09/2020	42206	0.02%	241882	0.13%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	21/09/2020	34183	0.02%	276065	0.15%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	25/09/2020	47079	0.03%	323144	0.18%

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	तारीख	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	30/09/2020	36500	0.02%	359644	0.20%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	02/10/2020	20000	0.01%	379644	0.21%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	18/12/2020	45188	0.02%	424832	0.23%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	25/12/2020	38063	0.02%	462895	0.25%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	31/12/2020	10962	0.01%	473857	0.26%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	01/01/2021	18400	0.01%	492257	0.27%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	08/01/2021	7387	0.00%	499644	0.27%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	05/02/2021	25002	0.02%	524646	0.29%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	12/02/2021	36200	0.02%	560846	0.31%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	19/02/2021	33059	0.01 %	593905	0.32%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	26/02/2021	64863	0.04%	658768	0.36%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	05/03/2021	18650	0.01%	677418	0.37%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**677418**	**0.37%**	**677418**	**0.37%**
8	**एच डी एफ सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / अकाउंट एच डी एफ सी हाउसिंग आपर्चुनिटीस फण्ड – 1140 डी नवंबर 2017 (1)**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**840233**	**0.45%**	**840233**	**0.45%**
	वर्ष के दौरान बेचे गये	20/11/2020	(100000)	0.05%	740233	0.40%
	वर्ष के दौरान बेचे गये	18/12/2020	(100000)	0.05%	640233	0.35%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**640233**	**0.35%**	**640233**	**0.35%**
9	**जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	**521322**	**0.28%**	**521322**	**0.28%**
	वर्ष के दौरान खरीदे / बेचे गये	-	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**521322**	**0.28%**	**521322**	**0.28%**
10	**अबू दाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी – एल जी एल आई एन वी**					
	वर्ष के आरंभ में	**01/04/2020**	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	19/03/2021	271283	0.15%	271283	0.15%
	वर्ष के दौरान खरीदे गये	26/03/2021	12890	0.01%	284173	0.16%
	वर्ष के अंत में	**31/03/2021**	**284173**	**0.16%**	**284173**	**0.16%**

v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरधारण :

प्रत्येक उच्च 10 शेयरधारकों के लिए	वर्ष के आरंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के आरंभ में	**शून्य**			
वृद्धि / अपवृद्धि का कारण स्पष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रचारकों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि / अपवृद्धि (उदा. आबंटन / अंतरण / बोनस स्वेट ईक्विटी आदि)				
वर्ष की समाप्ति पर (या वर्ष के दौरान अलग हो जाने की स्थिति में अधिवर्षिता की तारीख)				

V) ऋणग्रस्तता

बकाया ऋण / भुगतान के लिए बकाया नहीं ऐसा प्रोद्भूत ब्याज मिलाकर कंपनी की ऋणग्रस्तता

	निक्षेप के अतिरिक्त लिये गये सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देना शेष पर दिया नहीं iii) प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन ● जोड़ ● कमी		शून्य		
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देना शेष पर दिया नहीं iii) प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं				
कुल (i + ii + iii)				

VI) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक (श्री / श्रीमती)					कुल
	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ (दि. 30.06.2020 तक)	एन पी दिवाकर निदेशक (तकनीकी)	पी राधाकृष्ण निदेशक (उत्पादन)	एन श्रीनिवासुलु निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ (दि. 01.07.2020 से)	
सकल वेतन						
ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	3805795	814374	3125975	2875153	2050560	12671857
बी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17 (2) अनुसार अनुलाभ	881522	188328	724246	665950	475200	2935246
सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन का लाभ	-		-	-	-	-
- स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
- स्वेट ईक्विटी	-	-	-	-	-	-
- कमीशन	-	-	-	-	-	-
- लाभ के रूप में %	-	-	-	-	-	-
- अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
डी) अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
- सेवानिवृत्ति लाभ	791692	1938146	1708375	1779703	1932468	8150384
कुल (ए)	**5479009**	**2940848**	**5558596**	**5320806**	**4458228**	**23757487**

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशक के नाम (श्री / श्रीमती)			कुल राशि
		अजय नाथ	के एस संपत	लता नरसिम्ह मूर्ति	
1.	स्वतंत्रनिदेशक ● निदेशक मंडल बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, निर्दिष्ट करें	100000	100000	100000	300000
	कुल (1)	100000	100000	100000	300000

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशक के नाम (श्री / श्रीमती)			कुल राशि
		अजय नाथ	के एस संपत	लता नरसिम्ह मूर्ति	
2.	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक ● निदेशक मंडल बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, निर्दिष्ट करें	शून्य			
3	कुल (2)	शून्य			
	कुल (बी) = (1+2)	300000			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ए + बी)	300000			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (ए + बी)	दि. 05.06.2015 की 463 (ई) संख्यक निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त।			

सी. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
		श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव
1.	सकल वेतन ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार वेतन	1947361
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान 17 (2) अनुसार अनुलाभ	-
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन का लाभ	-
2.	स्टॉक विकल्प	-
3.	स्वेट ईक्विटी	-
4.	लाभ के % के रूप में कमीशन	-
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें - सेवानिवृत्ति लाभ	260426
	कुल	**2207787**
टिप्पणी : निदेशक (वित्त) कंपनी के सी एफ ओ भी हैं। इसलिए कोई अलग प्रकटीकरण नहीं किया गया है।		

VII) अपराध पर जुर्माना / दंड / निपटान :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना / दंड / निपटान शुल्क के विवरण	प्राधिकरण [आर डी / एन सी एल टी / अदालत]	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
जुर्माना	**शून्य**				
दंड					
समझौता / राजी					
बी. निदेशक					
जुर्माना	**शून्य**				
दंड					
समझौता / राजी					
सी. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	**शून्य**				
दंड					
समझौता / राजी					

अनुलग्नक-II

नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व व सातत्यता संबंधी वार्षिक विवरण

1. कंपनी की सी एस आर नीति का संक्षिप्त परिचय

बी डी एल, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को लेकर बहुत जागरूक है। आपकी कंपनी ने आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के पिछड़े / अविकसित प्रांतों में विभिन्न पहल / गतिविधियों के माध्यम से नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियाँ चलाने का प्रयास किया है। बी डी एल, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने तत्काल तीन पिछले वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ की 2% राशि खर्च करता आ रहा है। सी एस आर के अंतर्गत स्वास्थ्य संरक्षण, पौष्टिक आहार, शिक्षा एवं साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत् आजीविका, स्वच्छता, शुद्ध पेय-जल आदि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने अपने नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गाँवों को अपनाकर मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं यथा – स्वास्थ्य, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही है।

सी एस आर के तहत बीडीएल की कुछ प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं :

- तेलंगाना के सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य स्वच्छता प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम।
- स्वच्छता और स्वच्छ भारत।
- शिक्षा का प्रचार (सरकारी स्कूलों में दो खाने वाले डेस्क का वितरण)।
- कोविड-19 महामारी की स्थिति में तेलंगाना राज्य सरकार को कोल्ड चेन उपकरण देकर राष्ट्र को सहयोग।
- सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोज।
- तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम जिले में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट के माध्यम से उम्रदराज लोगों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण।
- आर ओ जल शुद्धीकरण सयंत्रों की स्थापना के द्वारा सुरक्षित पेय जल।
- सरकारी आई टी आई को अपनाना।
- बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास।

सी एस आर गतिविधियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर उपलब्ध है।

2. सी एस आर एवं एस डी समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकत्व की प्रकृति	निदेशक के कार्यकाल के दौरान संपन्न सी एस आर समिति की बैठकें	वर्ष के दौरान भाग सी एस आर समिति की बैठकों में उपस्थिति
1	श्री अजय नाथ	अध्यक्ष –स्वतंत्र निदेशक	दो	दो
2	श्री के एस संपत	सदस्य – स्वतंत्र निदेशक	दो	दो
3	श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति	सदस्य – स्वतंत्र निदेशक	दो	दो
4	श्री एन पी दिवाकर	सदस्य – निदेशक (तकनीकी)	दो	दो
5	श्री एस पिरमनायगम (दि. 30 जून, 2020 तक)	सदस्य – निदेशक (वित्त)	एक	एक
6	श्री एन श्रीनिवासुलू (दि. 01 जुलाई, 2020 से नियुक्त)	सदस्य – निदेशक (वित्त)	एक	दो

टिप्पणी : स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण सी एस आर एवं एस डी समिति 13.09.2020 से निलंबित कर दी गयी। निदेशक मंडल में सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल वर्ष के दौरान पूरा हो गया और भारत सरकार की ओर से ये रिक्तियाँ अभी भरी जानी हैं।

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सी एस आर समिति की संरचना, सी एस आर नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर परियोजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई है : वेबसाइट : http://www.bdl-india.in

4. कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में की गई सी एस आर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें) :

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक की गयी सी एस आर परियोजनाओं से संबंधित प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टें कंपनी की वेबसाइट http://www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी हैं।

5. कंपनी (नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि का विवरण दें, यदि कोई हो : शून्य

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : रु. 72921.42 लाख

7. (ए) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% : रु. 1458.43 लाख

(बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : रु. 75 लाख (अंडरग्राउंड गार्बेज बिन्स परियोजना के रद्द होने के कारण जी एच एम सी से वापस प्राप्त राशि)

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन राशि, यदि हो तो : शून्य

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सी एस आर देयता (7ए+7बी+7सी) : रु. 1533.43 लाख

8. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई / खर्च नहीं की गई सी एस आर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी कुल राशि (रुपये में)	खर्च नहीं की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार खर्च नहीं की गई सी एस आर लेखा में अंतरित कुल राशि		धारा 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत किसी निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
रु. 1540.704 लाख	शून्य				

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चालू सी एस आर गतिविधियों पर खर्च की गयी राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से मद सं.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का क्षेत्र		परियोजना की समयावधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रुपये लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गयी राशि(रुपये लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना से संबंधित खर्च नहीं की गई सी एस आर लेखा में अंतरित राशि (रुपये में)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – सीधे (हाँ / नहीं)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी एस आर पंजीकरण संख्या
1.	ड्रेन शुद्धीकरण सयंत्र (1.5 एन एल डी एस टी पी) का संस्थापन	मद सं. (iv)	हाँ	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश		2 साल	200	180	शून्य	नहीं	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसड टेक्नोलॉजी (आई जी आई ए टी)	-
2.	विजयानगरम (समाज कल्याण छात्रावास भवन) में विकासात्मक गतिविधियाँ	मद सं. (ii)	हाँ	विजयानगरम, आंध्र प्रदेश		2 साल	200	80	शून्य	नहीं	जिलाधीश, विजयानगरम जिला	-
3	राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण	मद सं. (i) &(ii)	हाँ	राजन्ना सिरिसिल्ला जिला, तेलंगाना		2 साल	200	100	शून्य	नहीं	जिलाधीश, राजन्ना सिरिसिल्ला जिला	-
4	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आंकॉलॉजी तथा रीजनल कैंसर सेंटर (तीसरा तल और लिफ्ट) में कारवां सराय का निर्माण	मद सं. (i)	हाँ	हैदराबाद, तेलंगाना		2 साल	150	100	शून्य	नहीं	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आंकॉलॉजी तथा रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद	-
5	सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम (डिजिटल लर्निंग)	मद सं. (ii)	हाँ	विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश		2 साल	200	100	शून्य	नहीं	जिलाधीश, विशाखापट्टणम	-
6	सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम (डिजिटल लर्निंग)	मद सं. (ii)	हाँ	विजयानगरम, आंध्र प्रदेश		2 साल	200	100	शून्य	नहीं	जिलाधीश, विजयानगरम	-
7	स्कूल भवन का निर्माण	मद सं. (ii)	हाँ	भानूर, मेदक जिला, तेलंगाना		3 साल	268	95.34075	शून्य	हाँ	सीधे	-
8	सरकारी स्कूलों को दो खाने वाले डेस्क का वितरण	मद सं. (ii)	हाँ	तेलंगाना राज्य के सरकारी स्कूल		2 साल	200	100	शून्य	नहीं	केंद्रीय कारावास विभाग, चंचलगुड़ा, तेलंगाना	-
9	डी आई ए टी, पुणे को अनुसंधान के लिए सहयोग	मद सं. (ix)	नहीं	पुणे, महाराष्ट्र		3 साल	93	33	शून्य	नहीं	डी आई ए टी, पुणे को अनुसंधान के लिए सहयोग	-
10	जनजातीय आवास प्रांत जी बी तांडा, वरंगल जिला, तेलंगाना में विकासात्मक गतिविधियाँ	मद सं. (x)	हाँ	वरंगल जिला, तेलंगाना		3 साल	30	1.82395	शून्य	हाँ	सीधे	-
	कुल						1741.00	890.1647				

सी) वित्तीय वर्ष के लिये चालू परियोजनाओं से इतर गतिविधियों पर खर्च की गयी सी एस आर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची में से मद सं.	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का क्षेत्र		परियोजना पर खर्च की गयी राशि (रुपये लाख में)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – सीधे (हाँ / नहीं)	परियोजना कार्यान्वयन का माध्यम – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सी एस आर पंजीकरण संख्या
1.	डी आर डी ओ और टाटा ट्रस्ट द्वारा बनाये गये विशेष कोविड-19 अस्पताल के निर्माण में सहयोग	मद सं. (i)	नहीं	दिल्ली		200	नहीं	डी आर डी ओ	-
2.	ट्री-गार्ड लगवाना	मद सं. (iv)	हाँ	राजन्ना सिरिसिल्ला जिला तेलंगाना		7	नहीं	जिलाधीश, राजन्ना सिरिसिल्ला, जिला	-
3.	सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए दो क्लास रूम का निर्माण	मद सं. (ii)	नहीं	मेघालय		16	नहीं	सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट मेघालय	-
4	जन-आंदोलन अभियान – चार आकांक्षी जिले – विजयानगरम, विशाखापट्टणम, कोत्तागुड़ेम और जयशंकर भूपालपल्ली जिलों में कोविड जागरूकता कार्यक्रम	मद सं. (i)	हाँ	आंध्र प्रदेश के विजयानगरम, विशाखापट्टणम और तेलंगाना के कोत्तागुड़ेम और जयशंकर भूपालपल्ली जिला		25	नहीं	संबंधित जिलों के जिलाधीश	-
5	तेलंगाना राज्य सरकार को कोल्ड चेन इक्विपमेंट (96 डीप फ्रीजर-छोटे)	मद सं. (i)	हाँ	हैदराबाद, तेलंगाना		60.15168	हाँ	सीधे	-
6	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आंकॉलॉजी अण्ड रीजनल कैंसर सेंटर के कैंसर मरीज़ों को पौष्टिकाहार सप्लिमेंट पाउडर का वितरण	मद सं. (i)	हाँ	हैदराबाद, तेलंगाना		2.7	नहीं	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आंकॉलॉजी तथा रीजनल कैंसर सेंटर, हैदराबाद	-
7	बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद सं. (ii)	हाँ	विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश		4.9984	नहीं	इंडो-जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसड टेक्नोलॉजी (आई जी आई ए टी)	-
8	बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम	मद सं. (ii)	हाँ	हैदराबाद तेलंगाना		70.80	नहीं	सी आई पी ई टी, हैदराबाद	-
9	जानवरों के लिए डिजिटल सी आर युक्त एक्स-रे मशीन	मद सं. (iv)	हाँ	विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश		1.5	नहीं	इंदिरा गांधी प्राणि उपवन	-
10	मोबाइल मेडिकेयर यूनिट (एम एम यू) के माध्यम से उम्रदराज लोगों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण।	मद सं. (i)	हाँ	चौटुप्पल, नलगोंड़ा		16.28384	नहीं	हेल्पेज इंडिया	CSR00000901
11	सशस्त्र सेना झंड़ा दिवस निधि	मद सं. (vi)	नहीं	दिल्ली		50.00	हाँ	सीधे	-
12	बालवाड़ी स्कूल के लिए अवसंरचना सुविधाएँ तथा उपकरण	मद सं. (ii)	हाँ	विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश		13.6583	हाँ	सीधे	-
13	पटानचेरु और विशाखापट्टणम के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोज	मद सं. (i)	हाँ	मेदक, तेलंगाना और विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेश		1.8559	नहीं	दि अक्षयपात्र फाउण्डेशन	CSR00000286
14	मिलिटरी माधवरम गाँव को अपनाना	मद सं. (x)	हाँ	पश्चिम गोवदावरी आंध्र प्रदेश		0.73989	हाँ	सीधे	-
15	टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर (आई डी ई एक्स – डी आई ओ) के लिए सहयोग	मद सं. (ix)	हाँ	हैदराबाद, तेलंगाना		63.6	हाँ	सीधे	-
16	आई टी आई को अपनाना (सरकारी आई टी आई)	मद सं. (ii)	हाँ	पुराना शहर, हैदराबाद तेलंगाना		75.00	नहीं	निदेशक (रोजगार एवं प्रशिक्षण)	
	कुल					**609.288**			

डी) प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : रु. 39.04494 लाख

ई) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गयी राशि, यदि लागू हो तो : रु. 2.2066 लाख

एफ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी कुल राशि (8बी+8सी+8डी+8ई) : 1540.704 लाख

जी) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि हो तो

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	1458.43 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी कुल राशि	1540.704 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गयी अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	82.274 लाख
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सी एस आर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष यदि कोई हो तो	75.00 लाख
(v)	आने वाले वित्तीय वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	7.274 लाख

9. ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में खर्च न की गयी सी एस आर राशि : शून्य

बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आई डी	परियोजना का नाम	परियोजना आरंभ होने का वित्तीय वर्ष	परियोजना की समयावधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपये लाख में)	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में इस परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक खर्च की गयी संचित राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / चालू
1	सीएसआर/ बीडीएल/001	विजयानगरम (समाज कल्याण छात्रावास भवन निर्माण व अन्य) में विकासात्मक गतिविधियाँ	2019-20	तीन साल	200	80	180	जारी
2	सीएसआर/ बीडीएल/002	ड्रेन शुद्धीकरण सयंत्र (1.5 एन एल डी एस टी पी) का संस्थापन	2020-21	दो साल	200	180	180	जारी
3	सीएसआर/ बीडीएल/003	भानूर गाँव, मेदक जिला, तेलंगाना में स्कूल भवन का निर्माण	2019-20	तीन साल	268	95.34075	98.36075	जारी
4	सीएसआर/ बीडीएल/004	राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालयों का निर्माण	2020-21	दो साल	200	100	100	जारी
5	सीएसआर/ बीडीएल/005	एम एन जे इंस्टीट्यूट ऑफ आंकॉलॉजी तथा रीजनल कैंसर सेंटर (तीसरा तल और लिफ्ट) में कारवां सराय का निर्माण	2020-21	दो साल	150	100	100	जारी
6	सीएसआर/ बीडीएल/006	विशाखापट्टणम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम	2020-21	दो साल	200	100	100	जारी
7	सीएसआर/बीडीए ल/007	विजयानगरम जिले के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम	2020-21	दो साल	200	100	100	जारी
8	सीएसआर/ बीडीएल/008	केंद्रीय कारावास के माध्यम से आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों को दो खाने वाले डेस्क का वितरण	2020-21	दो साल	200	100	100	जारी
9	सीएसआर/ बीडीएल/009	डी आई ए टी, पुणे को अनुसंधान के लिए सहयोग	2020-21	तीन साल	93	33	33	जारी
10	सीएसआर/ बीडीएल/010	जनजातीय आवास प्रांत जी बी तांडा, वरंगल जिला, तेलंगाना में विकासात्मक गतिविधियाँ	2019-20	तीन साल	30	1.82395	13.11395	काम पूरा हो चुका है। बिल प्राप्त होने पर भुगतान किया जाना शेष
		कुल			1741	890.1647	1004.475	

10. पूँजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सी एस आर राशि से बनाई या अर्जित संपत्ति का विवरण दें :

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	पूँजीगत संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण की तिथि	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान की गई राशि (रुपये लाख में)	पूँजीगत संपत्ति के निर्माण / अधिग्रहण पर खर्च की गयी सी एस आर राशि	जिस इकाई या सामाजिक प्राधिकरण या लाभार्थी के नाम पूँजगत संपत्ति का पंजीकरण किया गया हो, इसका विवरण, पता आदि	निर्मित / अधिगृहीत पूँजीगत संपत्ति का विवरण	पूँजीगत संपत्ति का पता और स्थान
1	जनजातीय आवास प्रांत जी बी तांडा, वरंगल जिला, तेलंगाना में विकासात्मक गतिविधियाँ	27.01.2020	1.82	13.11395	ग्राम पंचायत, गुम्मालाबंडा तांड़ा, कोडाकंड्ला मंडल, जनगाँव जिला, तेलंगाना	आर ओ जल सयंत्र का संस्थापन	गुम्मालाबंडा तांड़ा, कोडाकंड्ला मंडल, जनगाँव जिला, तेलंगाना
2	सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट, मेघालय (दो क्लास रूम का निर्माण)	13.02.2021	16	16	सरस्वती एजुकेशनल वेल्फेर ट्रस्ट, मेघालय	दो क्लास रूम के निर्माण के लिए सहयोग	कोंगोंग ऑफ वापुंग विलेज, ईस्ट जेंटिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मेघालय राज्य
3	तेलंगाना राज्य सरकार को दिये गये 96 डीप फ्रीज़र	18.02.2021	60.15168	60.15168	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त, हैदराबाद, तेलंगाना-500095.	96 डीप फ्रीज़र (कोल्ड चेन उपकरण)	कोल्ड चेन अफसर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद तेलंगाना-500095
4	इंदिरा गांधी प्राणी उपवन, विशाखापट्टणम को दिया गया एक्स-रे मशीन	01.03.2021	1.5	15	इंदिरा गांधी प्राणी उपवन, ओल्ड डायरी रोड, एन एच 5 रोड, विशाखापट्टणम-530040.	जानवरों के लिए एक्स-रे मशीन	इंदिरा गांधी प्राणी उपवन, ओल्ड डायरी रोड, एन एच 5 रोड, विशाखापट्टणम-530040.
5	बालवाड़ी स्कूल, विशाखापट्टणम के लिए अवसंरचना सुविधाएँ तथा उपकरण	16.03.2021	13.6583	13.6583	नेवी वाइव्स वेल्फेर असोसिएशन पूर्वी क्षेत्र (एन डब्ल्यू डब्ल्यू ए – ई आर), एन डब्ल्यू डब्ल्यू ए केंद्र, नेवल पार्क, सिंधिया जंक्शन, विशाखापट्टणम-530014	साउंड सिस्टम, स्क्रीन, प्रोजेक्टर, कुर्सियाँ आदि	बालवाड़ी स्कूल, एन डब्ल्यू डब्ल्यू ए केंद्र, नेवल पार्क सिंधिया जंक्शन विशाखापट्टणम- 530014.

11. धारा 135 (5) के अनुसार यदि कंपनी औसत निवल लाभ की दो प्रतिशत राशि खर्च करने में विफल रही है, तो इसके कारण बताएँ :
लागू नहीं

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

टिप्पणी :
निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण सी एस आर एवं एस डी समिति 13.09.2020 से निलंबित कर दी गयी। निदेशक मंडल में सभी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल वर्ष के दौरान पूरा हो गया और भारत सरकार की ओर से ये रिक्तियाँ अभी भरी जानी हैं।

अनुलग्नक-III

NARENDER & ASSOCIATES
Company Secretaries
403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

फॉर्म संख्या एमआर -3
साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट*
दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियमावली
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड (आगे 'कंपनी' नाम से अभिहित) द्वारा अच्छे नैगमिक परिपाटी के अनुपालन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरह से की गई कि हमें नैगमिक परिपाटियाँ / सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बहियाँ, कागज़ात, कार्यवृत्त संबंधी पुस्तिकाएँ, फार्म, फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गये अन्य अभिलेखों की मेरे द्वारा की गई जाँच और साचिविक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारी, एजेंट और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर हम अभिलिखित करते हैं कि हमारी राय में दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वितीय वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्यत: नीचे सूचीबद्ध संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी में आवश्यकतानुरूप निदेशक मंडल की उचित प्रक्रियाएँ और अनुपालन पद्धति उचित तरीके से तथा रिपोर्टिंग के अधीन किए गए अनुसार मौजूद है :

हमने, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-बही, कागज़ात, कार्यवृत्त-पुस्तिकाओं, फाइल किये गये रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की परीक्षा की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बने नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एस सी आर ए') और इसके अंतर्गत बने नियम;

(iii) निक्षेपागार (डिपॉजिटरीज) अधिनियम, 1996 और विनियमन और इसके अंतर्गत बने उप-नियम;

NARENDER & ASSOCIATES CS FCS No. 4898 CP No. 5024 COMPANY SECRETARIES

** अनूदित पाठ*

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज़ प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक उधार के अंतर्गत बने नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज अण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1992 (एस ई बी आई अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश : -

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का ठोस अधिग्रहण और टेकओवर);

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ जारी करना); समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999 [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]

(एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008; समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।

(जी) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से चर्चा से संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जारी करने रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993.

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (ईक्विटी शेयर की डी-लिस्टिंग); समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।

(आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूतियों की वापस-खरीद); [समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जिससे कि इन विनियमों के प्रावधान लागू होते हों।]

NARENDER & ASSOCIATES CS FCS No. 4898 CP No. 5024 COMPANY SECRETARIES

अनूदित पाठ

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए 2010 में जारी नैगमिक अभिशासन पर दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है :

(i) निदेशक मंडल और सामान्य बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानदंड।

(ii) कंपनी द्वारा बी एस ई लिमिटेड (बी एस ई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) के साथ किये गये और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियम, 2015 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के साथ पढ़े जाने वाले लिस्टिंग करार।

(iii) हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के संबंध में कंपनी के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन आता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधान, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि का अनुपालन किया है।

हम, आगे अभिलिखित करते हैं कि

(i) कंपनी ने निम्न विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़कर उक्त अधिनियमों के सभी प्रावधान, विनियम और इसके तहत जारी परिपत्र / दिशानिद्रेशों का अनुपालन किया है :

क्र.सं.	अनुपालन आवश्यकता (निर्दिष्ट उपबंध सहित विनियम / परिपत्र / दिशानिर्देश)	विचलन	पेशेवर कंपनी सचिव की टिप्पणी / अभ्युक्ति यदि कोई हो तो
1	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 17 (1) और अधिनियम की धारा 149 : महिला निदेशक की नियुक्ति में विफलता सहित निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित	कंपनी ने बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होने सहित स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल में	* 31 मार्च, 2021 तक कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और अधिनियम की धारा 149 के विनियम 17 (1) (ए) और (बी) के तहत आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रही है।

NARENDER & ASSOCIATES
CS
FCS No. 4898
CP No. 5024
COMPANY SECRETARIES

अनूदित पाठ

	अपेक्षाओं का अनुपालन न करना।	दि. 13 सितंबर, 2020 से स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।	
2	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 17 (2 ए) : निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन न करना।	दि. 13 सितंबर, 2020 से कंपनी के निदेशक मंडल स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण उसके बाद आयोजित निदेशक मंडल बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति नहीं थी।	* दि. 31 मार्च, 2021 को कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (2 ए) के तहत निदेशक मंडल की बैठक के कोरम से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रही है जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की भागीदारी आवश्यक है।
3	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 18 (1) और अधिनियम की धारा 177 : लेखापरीक्षा समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।	दि. 13 सितंबर, 2020 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण लेखापरीक्षा समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. 31 मार्च, 2021 को कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) और लेखा परीक्षा समिति के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 177 के तहत आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रही है जिसमें अधिकतम (यानी, कम से कम दो तिहाई) सदस्य (यानी दो तिहाई) स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।
4	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 19 (1) / 19 (2) और अधिनियम की धारा 178 (1) : नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।	दि. 13 सितंबर, 2020 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. 31 मार्च, 2021 को कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19 (1) /19 (2) और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 178 (1) के तहत आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रही है जिसमें कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होंगे।

NARENDER & ASSOCIATES
CS
FCS No. 4898
CP No. 5024
COMPANY SECRETARIES

** अनूदित पाठ*

5	सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 का विनियम 20 (2) / 19 (ए) और अधिनियम की धारा 178 (5) : हितधारक संबंध समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।	दि. 13 सितंबर, 2020 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण हितधारक संबंध समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. मार्च, 2021 को कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20(2) / 20 (2ए) के तहत आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रही है, जो हितधारक संबंध समिति के गठन से संबंधित है, जहाँ कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सदस्य होंगे।
6	अधिनियम की धारा 135 : नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन संबंधी अनुपालन न करना।	दि. 13 सितंबर, 2020 से कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जिसके कारण नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति को निलंबित कर दिया गया है।	* दि. 31 मार्च, 2021 को कंपनी नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 135 के तहत आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रही है, जहाँ कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सदस्य होंगे।
7	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 (6) : एक स्वतंत्र निदेशक जो सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे देता है या हटा दिया जाता है, उसे यथाशीघ्र एक नये स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह नयी नियुक्ति निदेशक मंडल की अगली बैठक से पहले या रिक्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर जो भी बाद में आए, की जानी है।	निदेशक मंडल में सभी स्वतंत्र निदेशकों के पद दि. 13 सितंबर, 2020 से रिक्त हैं। दि. 31 मार्च, 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई नियुक्ति या प्रतिस्थापन नहीं था।	* किसी भी स्वतंत्र निदेशक को न हटाया गया और न ही किसी ने त्यागपत्र दिया। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-काल की समाप्ति के कारण ये पद रिक्त हैं। यद्यपि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 (6) के तहत निर्धारित समय सीमा के अनुसार तीन महीने के भीतर स्वतंत्र निदेशकों के पद भरे नहीं गये।

NARENDER & ASSOCIATES
CS
FCS No. 4898
CP No. 5024
COMPANY SECRETARIES

** अनूदित पाठ*

*** टिप्पणी :** कंपनी भारत सरकार का उद्यम होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति का अधिकार और पारिश्रमिक, मूल्यांकन आदि सहित ऐसी नियुक्तियों के नियम और शर्तें भारत सरकार के पास हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सार्वजनिक उद्यम विभाग में प्रक्रियाधीन है और कंपनी अपने प्रशासनिक मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) के साथ इस मामले के बारे में लगातार बातचीत कर रही है। कंपनी के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज ने भी लगाए गए जुर्माने पर छूट दी है।

ii. वर्ष के दौरान निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों के लिए उचित सूचनाएँ अग्रिम रूप से दी गई थीं; ऐसी सूचनाएँ कार्य-सूची की मदों पर विस्तृत नोट्स और संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त के मसौदा के साथ थीं; कंपनी ने एक योजनाबद्ध प्रणाली अपना रखी है कि बैठक से पूर्व निदेशकगण कार्य-सूची की मदों से संबंधी आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें और बैठक में उनकी प्रतिभागिता सार्थक हो सके।

iii. निर्णय अधिकतर बहुमत से लिये जाते हैं और किसी सदस्य की कोई असहमति हो तो कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चयन के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं।

कृते – नरेंदर अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिव

जी नरेंदर
प्रोप्राइटर
एफ सी एस 4898; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 10.06.2021
यू डी आई एन : F004898C000440333

यह रिपोर्ट 'अनुलग्न-ए' के रूप में संलग्न किये गये इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

NARENDER & ASSOCIATES CS FCS No. 4898 CP No. 5024 COMPANY SECRETARIES

** अनूदित पाठ*

NARENDER & ASSOCIATES
Company Secretaries
403, Naina Residency, Srinivasa Nagar (East), Ameerpet, Hyderabad - 500 038
Off: 040-40159831, 23730801, E-mail: narenderg99@gmail.com

* सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

इस पत्र को इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाए :

1. साचिविक रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक रिकॉर्ड व अनुपालन पर अपनी राय देना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो साचिविक रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए यह जाँच परीक्षा आधार पर सत्यापन किया गया था कि साचिविक रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनायी गयीं प्रक्रियाओं और प्रथाओं ने अपनी राय देने के लिए हमें उचित आधार प्रदान किया।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा-बहियों की सटीकता व उचितता की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ आवश्यकता पड़ी, हमने कानून, नियम और विनियम तथा घटनाओं के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व माँगा है।

5. नैगमिक एवं अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानदंड़ों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी यह जाँच परीक्षा आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

6. पर्यावरण संबंधी विभिन्न कानून, श्रम कानून तथा अन्य कानून संबंधी प्रावधान, नियम, विनियम तथा मानकों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। प्रबंधन ने उपर्युक्त सभी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की है।

7. यह साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी के मामलों के प्रति प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के प्रति कोई आश्वासन है।

कृते – नरेंदर अण्ड असोसिएट्स
कंपनी सचिव

NARENDER & ASSOCIATES CS FCS No. 4898 CP No. 5024 COMPANY SECRETARIES

जी नरेंदर
प्रोप्राइटर
एफ सी एस नं. 4898; सी पी नं. 5024

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 10.06.2021

** अनूदित पाठ*

अनुलग्नक-IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

दूरंदेशी कथन :

इस प्रबंधन चर्चा में, कंपनी की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण और प्रचालन परिणामों के संबंध में कही गई बातें कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षाएँ या भविष्यवाणी, प्रतिभूति कानून और विनियमों के अर्थ के तहत दूरंदेशी प्रतीत हो सकती हैं। दूरंदेशी कथन कुछ पूर्वानुमान और संभावित भावी घटनाओं को ध्यान में रखकर किये गये हैं। कंपनी इस बात का दावा नहीं करती कि ये पूर्वानुमान और संभावनाएँ सटीक और वास्तविकता में बदलेंगे। साथ ही, कंपनी इन दूरंदेशी कथनों की जानकारी, घटनाओं और किसी आधार पर इनमें होने वाले परिवर्तन में सार्वजनिक रूप से संशोधन, आशोधन या परिशोधन का उत्तरदायित्व नहीं रखती। वास्तविक परिणाम वस्तुगत रूप से इन कथनों में व्यक्त परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालन को प्रभावित करने वाले कारकों में रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण संबंधी सरकार की नीति, सरकारी विनियमों में बदलाव, कर-कानून, देश के भीतर होने वाले आर्थिक विकास और कुछ ऐसे वैश्विक परिवर्तनकारी कारक शामिल हैं।

1. भारत डायनामिक्स लिमिटेड : परिचय

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल) की स्थापना दि. 16 जुलाई, 1970 को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में की गयी थी। बी डी एल का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है।

समय के गुजरने के साथ-साथ बी डी एल ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जलास्त्र, वायुवाहित उपकरण और संबद्ध रक्षा उपकरण बनाकर सुपुर्द करने वाले विश्व के कुछ चुनिंदा उद्यमों में अपनी जगह बनायी है। साथ ही, बी डी एल बनाकर दिये गये अपने रक्षा उपकरणों के कार्य-काल विस्तार के साथ-साथ सशस्त्र सेनाओं के पास उपलब्ध पुरानी मिसाइलों के पुनर्सज्जीकरण / कार्य-काल विस्तार का कार्य भी करता है। संचलित अस्त्र–प्रणाली विनिर्माता की अपनी मूलभूत भूमिका अदा करते हुए ही बी डी एल ने आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमताएँ भी विकसित की हैं जिनमें प्रमुखत: डिजाइन और इंजीनियरिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' निर्माण के लिए किए गए आह्वान के अनुसरण में बी डी एल रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगदान देने अथक प्रयास कर रहा है। कंपनी 'मेक इन इंडिया' अभियान को और आगे ले जाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन के लिए प्रयासरत है। खासकर, नयी मिसाइलें और अंतर्जलास्त्र की क्षमतावान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओ ई एम) के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है।

बी डी एल ने अपने कुछ उत्पाद मित्र देशों को निर्यात कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कदम रख दिये हैं। बीडीएल ने प्राप्त टॉरपीडो के निर्यात आदेश का काम पूरा कर दिया है और अन्य निर्यात योग्य उत्पादों के लिए कार्य-आदेश प्राप्त करने प्रयास जारी हैं।

1.1 भारतीय रक्षा उद्योग

भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित नई नीतियों के फलस्वरूप भारतीय रक्षा बाजार बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। तीनों सेनाओं की विभिन्न अधुनिकीकरण योजनाएँ चल रही हैं। इससे भारत की अगले 7-8 वर्ष में सेना के आधुनिकीकरण पर 130 बिलियन डालर खर्च करने की योजना है जिसके जरिये भारत सरकार रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करना चाहती है। भारत में डी आर डी ओ की लगभग 7.3 बिलियन डालर की परियोजनाएँ चल रही हैं। सरकार ने देशी उत्पादन को गति प्रदान करने रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदार के लिये इसे खोल दिया है। ऐसा कर दिये जाने से विदेशी मूल उपकरण विनिर्माता भारतीय कंपनियों के साथ रणनीतिक साझेदारी कर यहाँ काम करने का मार्ग खुल गया है।

रक्षा सार्वजनिक उपक्रम और निजी रक्षा उद्यमियों के मिलाप से एक रक्षा निर्यात रणनीति तैयार की गयी है जिसका उद्देश्य देश से बाहर व्यवसाय के अवसर तलाशना है।

भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 2016 से 2020 के बीच 3.9% की संचित वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के साथ माँग में तेजी आने से इसमें और वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2019 में समग्र उत्पादन क्षेत्र में कमी आई जबकि अनुसंधान और विकास प्रयासों के फलस्वरूप कई प्रमुख उत्पाद बनाये जाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन मूल्य में वृद्धि देखने में आई है। वर्ष 2015-20 के दौरान भारत का रक्षा निर्यात 35 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा। पिछले दो वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में अच्छी वृद्धि देखने में आई। वर्ष 2019–20 में भारत से रक्षा निर्यात के लगभग 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने की उम्मीद की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020 में भारत का रक्षा आयात मूल्य लगभग 463 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा और वित्तीय वर्ष 2021 में इसके 469.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।

2020-21 के लिए भारत का रक्षा बजट 4,71,378 करोड़ रुपये (67.4 बिलियन अमेरिकी डालर) रहा, जो वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान (बीई) से 9.37% अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने अधिक रक्षा बजट प्रदान किया पर संसाधनों की आवश्यकता के मुकाबले आबंटन 2018-19 में 30% से कम होकर 2019-20 में 25% रह गया।

राजकोषीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल रक्षा बजट 478196 करोड़ रुपये है जो 2020-21 के बजट में निर्धारित 471378 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक है। हालाँकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पूँजीगत व्यय के अंतर्गत निर्धारित 1,35,060.72 करोड़ रुपये पिछले वर्ष 2020-21 के मुकाबले 18.75% की वृद्धि को दर्शाते हैं जो सैन्य सीमा पर तनाव को देखते हुए हार्डवेयर को आधुनिकीकृत करने के प्रयासों को दर्शाता है। पिछले 15 वर्षों में रक्षा के पूँजीगत परिव्यय में यह अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है।

अक्तूबर 2020 में भारत और यू ए ई संयुक्त उत्पादन और आपसी व्यापार के माध्यम से अपने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस कदम से देशी रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलने और अगले पाँच वर्षों में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद है। पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा विवादों के कारण भारत में रक्षा उपकरणों की माँग बढ़ रही है। अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने और रक्षा खरीद के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा नीति समर्थन पहल के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की गई हैं।

1.2 देशीकरण

सरकार ने उद्योग में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से मार्च, 2019 में रक्षा क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले घटक और पुर्जों के देशीकरण के लिए एक नीति की घोषणा की है। इसके तहत रक्षा उपकरण और प्लेटफार्म के लिये आयातित घटक (मिश्र और विशेष धातुओं सहित) और सब-असेंबली का देशीकरण कर भारत में बनाया जा सके।

'आत्मनिर्भर भारत' लक्ष्य प्राप्त करने में रक्षा अनुसंधान और विकास (आर अण्ड डी) में स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री ने दि. 20 अक्तूबर, 2020 को 'रक्षा अनुसंधान 114 विकास संगठन (डी आर डी ओ) खरीद मैनुअल का नया संस्करण जारी किया। सेनाओं के लिए रक्षा उपकरण बनाने एक रक्षा पार्क सहित नये बुनियादी ढाँचे स्थापित करने की भी योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य एम एस एम ई को बढ़ावा देना और रक्षा निर्माण में 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देना है।

रक्षा उपकरणों के देशी विकास को प्रोत्साहित करने और भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित नीतियाँ / योजनाएँ शुरू की गईं:

- भारत सरकार 2025 के बाद से 101 से अधिक रक्षा वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। इन 101 रक्षा उत्पादों को आयात के लिए नकारात्मक सूची में डाल कर देशी निर्माण को प्रोत्साहित किया गया और इन उत्पादों के आयात को बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 तक 108 वस्तुओं के आयात पर भी प्रतिबंध की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5-7 वर्षों (2025-2027) में देशी उद्योग के लिए 4 लाख करोड़ (यूएस $ 57.2 बिलियन) रुपये के मूल्य के संभावित अनुबंध का अनुमान रखा है।

- रक्षा उपकरणों के देशी डिजाइन और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आई डी डी एम (देशी तौर पर अभिकल्पित, विकसित और निर्मित) को प्राथमिकता देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया को संशोधित किया गया था। इससे भारत आने वाले समय में आयात को कम / समाप्त करने और मित्र देशों को निर्यात करने में सक्षम होगा।

- जहाँ कहीं भी आयात आवश्यक हैं, आयात के प्रतिशत को सीमित रखते हुए एक विशेष मामले के रूप में अनुमति देने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया को संशोधित किया गया।

- सार्वजनिक रक्षा उपक्रम / आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा आयात की जा रही वस्तुओं की सूची रक्षा मंत्रालय के 'सृजन' पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। इस पोर्टल को इसीलिए बनाया गया है ताकि विक्रेता इन आयातित वस्तुओं की आवश्यकताएँ देखकर इन वस्तुओं के देशीकरण में सहायता कर सकें और इस तरह इसके आयात को कम कर सकें।

- रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दिये जाने से आई पी और प्रौद्योगिकी की रक्षा के लिए वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माता की प्राथमिक चिंता का समाधान होता है। स्वचालित अनुमोदन प्रक्रिया से अनुमोदनों की प्रक्रियापरक देरी में कमी आयी है। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश गृह मंत्रालय की मंजूरी और रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अधीन है। विदेशी मूल उपकरण विनिमतिओं से विशेष रूप से प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्रों से एफ डी आई में वृद्धि की उम्मीद है।

- रक्षा मंत्रालय की नई रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक 175000 करोड़ रुपये (25 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का कारोबार हासिल करना है, जिसमें वांतरिक्ष और रक्षा संबंधी सेवाओं में 35000 करोड़ रुपये (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निर्यात शामिल है।

- भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के लिए एक नई नीति की घोषणा की है। आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) का निगमीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान इस नीति की प्रमुख घोषणाएँ हैं। सामरिक क्षेत्रों में कम से कम एक और अधिकतम चार सार्वजनिक उपक्रमों को रखा जाएगा।

- भारत सरकार ने 27 मिलियन अमरीकी डालर (200 करोड़ रुपये) तक के अनुबंधों के लिए वैश्विक निविदाओं पर रोक लगाकर घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए नीतियाँ पेश की हैं। 200 करोड़ रुपये (लगभग 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक के मूल्य की खरीद घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित की जा रही हैं।
- विदेशी रक्षा मूल उपकरण विनिर्माता के साथ पूँजी खरीद अनुबंधों में ऑफसेट नीति, रक्षा अनुबंधों के लिए न्यूनतम 30% की अनिवार्य ऑफसेट की आवश्यकता को निर्धारित करती है। न्यूनतम अनुबंध मूल्य पर ऑफसेट अनिवार्यता को 300 करोड़ रुपये से संशोधित कर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऑफसेट दिशा-निर्देशों को भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स (IOPs) और ऑफसेट घटकों में बदलाव की अनुमति देकर लचीला बनाया गया है, यहाँ तक कि हस्ताक्षरित अनुबंधों में भी।

आत्मानिर्भर भारत निर्माण की दिशा में अपना योगदान देते हुए बी डी एल द्वारा इस दिशा में कई पहल की गई हैं, जिनमें शामिल हैं :

- सतहधारी प्रतिष्ठापन सुविध और उच्च निष्पादन संगणन सुविधाओं का उद्धाटन।
- 'सीकर' निर्मिति केंद्र और 'वारहेड' उत्पादन सुविधा' और जटिल वस्तुओं के लिए उच्च तापमान कार्बन कांपोजिट विनिर्माण सुविधा के लिए आधार शिला रखना।

उपरोक्त के अलावा, बीडीएल ने कंपनी द्वारा आयात किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के घटक और सब-असेंबलियों का देशीकरण भी शुरू कर दिया है। देशीकरण कार्यक्रम के तहत 267 वस्तुओं के देशीकरण की योजना बनाई जा रही है जिससे देश के आयात में लगभग 930 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय का देशीकरण पोर्टल 'SRIJAN' एक 'वन स्टॉप शॉप' ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को उन वस्तुओं को लेने के लिए सुविधा प्रदान करता है जिन्हें देशीकरण के लिए लिया जा सकता है। देशीकरण के लिए नियोजित 267 वस्तुओं की सूची इस पोर्टल में अपलोड की गयी है। बीडीएल को 97 वस्तुओं के बारे में प्रतिक्रिया मिली है। कंपनी पहले ही 'एन सी एन सी' आधार पर 35 वस्तुओं के देशीकरण के लिए स्वीकृत आदेश दे चुकी है।

एम एस एम ई, स्टार्ट-अप को समर्थन देने के साथ-साथ व्यवसाय के अवसर बढ़ाने के लिए बी डी एल स्टार्ट-अप कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन भी कर रहा है और इन कंपनियों को सभी आवश्यक तकनीकी सहायता भी दी जा रही है।

(स्रोत : www.mod.gov.in; प्रेस सूचना ब्यूरो; www.idsa.in; बीडीएल की वेबसाइट और अन्य दस्तावेज)

2. बी डी एल के संव्यवहार / कारोबार की समीक्षा

कंपनी एक ऐसे वातावरण में काम कर रही है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में बढ़ती जटिलता और भारत व विश्व स्तर पर जारी आर्थिक चुनौतियाँ दोनों शामिल हैं। इस वातावरण में बीडीएल के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण आयाम है कार्य संपादन, स्तर और बेहतर गुणता के साथ भारतीय सेना को उत्पाद की सुपुर्दगी की पूर्वानुमेयता पर ध्यान केंद्रित करना। बी डी एल ने भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखा है और अपने कर्मचारियों पर भी ताकि कंपनी के पास अपनी क्षमता को सीमित किए बिना सफल होने के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल हो।

2.1 बी डी एल के उत्पाद

एस ए एम (सैम)	ए टी जी एम	टॉरपिडो	लाँचर	प्रतिमारक	परीक्षण उपकरण
आकाश अस्त्र प्रणाली मध्यम दूरी के सैम 'अस्त्र' हथियार प्रणाली	मिलान-2टी, काँकूर्स-एम इनवार	हल्के भार वाले टॉरपिडो भारी टॉरपिडो	कांकूर्स-एम और मिलान-2टी ए टी जी एम के लिए लाँचर	प्रतिमारक अवसर्जन प्रणालियाँ और अंतर्जलास्त्र डिकॉय	ए टी जी एम और सैम की कार्यकारिता की देखभाल के लिए उपकरण

2.2 विनिर्माण सुविधाएँ

कंपनी की तीन विनिर्माण इकाइयाँ हैदराबाद, भानूर और विशाखपट्टणम में स्थित हैं। सभी विनिर्माण सुविधाएँ आई एस ओ 14001 : 2005 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई एम एस) प्रमाणन प्राप्त हैं। सभी उत्पादन प्रभाग वांतरिक्ष गुणता प्रबंधन प्रणाली के लिए ए एस 9100 डी प्रमाणन प्राप्त हैं। हैदराबाद स्थित निगम कार्यालय आई एस ओ 9011: 2015 (गुणता प्रबंधन प्रणाली) से अधिप्रमाणित है। कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाग वांतरिक्ष गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए) की ओर से ए एफ क्यू एम एस (फर्म तथा इसकी गुणता प्रबंधन प्रणाली का अनुमोदन) से अधिप्रमाणित है जबकि मिलान प्रभाग की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला और भानूर इकाई की सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला आई एस ओ / आई ई सी 17025 / 2005 (एन ए बी एल) अधिप्रमाणन प्राप्त हैं।

कंपनी इब्राहीमपट्टणम (हैदराबाद के पास) और महाराष्ट्र के अमरावती में दो अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने में लगी है जिसे क्रमशः जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) एवं अत्यंत लघु दूरी वायु रक्षा मिसाइल (VSHORADM) के विनिर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है।

2.3 कार्य आदेश

01 अप्रैल 2021 तक हमारे पास रु. 8386 करोड़ के कार्य-आदेश हैं।

2.4 वित्तीय निष्पादन

i) **वित्तीय रूप में कंपनी के निष्पादन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :**

क्र.सं.	विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
		2020-21	2019-20	
i)	बिक्री / परिचालन से प्राप्त राजस्व	1914	3105*	(38.36)
ii)	उत्पादन मूल्य	2043	2601*	(21.45)
iii)	कर पूर्व लाभ	341	742	(54.04)
iv)	कराधान के बाद लाभ	258	535	(51.78)
v)	मूल्यवर्द्धन	1073	1587*	(32.39)
vi)	प्रति शेयर अर्जन # (रुपये में)	14.06	29.18	(51.82)

ई पी एस की गणना अन्य व्यापक आय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की गई है।

* आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्समूहन किया गया है।

टिप्पणी – कार्यनिष्पादन में वृद्धि / अपवृद्धि के कारण

कोविड -19 महामारी और इस कारण लगे लॉकडाउन ने मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभ को प्रभावित करते हुए बड़ी रुकावटें खड़ी कीं। अत: इस अवधि के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की तुलना पिछली अवधि या पिछले वर्षों के साथ नहीं की जा सकती।

ii) **निम्नलिखित डॉटा कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है :**

विवरण	रुपये करोड़ में		वृद्धि / (अपवृद्धि) का %
	2020-21	2019-20	
सकल निरुद्ध (पी पी ई)	1070	1011	5.84
संचित मूल्यह्रास	327	258	26.74
निवल निरुद्ध	743	753	(1.33)
कार्यगत पूँजी	2378	2260	5.22
नियोजित पूँजी	3293	3192	3.16
निवल मालियत	2685	2607	2.99

टिप्पणियाँ- कंपनी की वित्तीय स्थिति में बढ़ोत्तरी / कमी के कारण

- कोविड -19 महामारी और इस कारण लगे लॉकडाउन ने मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभ को प्रभावित करते हुए बड़ी रुकावटें खड़ी कीं। अत: इस अवधि के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की तुलना पिछली अवधि या पिछले वर्षों के साथ नहीं की जा सकती।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सकल निरुद्ध में रु. 59 करोड़ की वृद्धि के बावजूद निवल निरुद्ध में रु. 10 करोड़ की कमी आयी जो प्रमुखत: आस्तियों के मूल्यह्रास के कारण है।

- कार्यशील पूँजी में 118 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका कारण है –

  - चालू आस्तियों में रु.324.93 करोड़ की वृद्धि, जो प्रमुखत: सामग्री-सूची में रु.540.49 करोड़ की वृद्धि के कारण है, जिसे कोविड महामारी के कारण बिक्री में परिवर्तित नहीं किया जा सका और ट्रेड प्राप्यताओं (बिल किये गये और नहीं किये गये) में रु.1225.23 करोड़ की कमी हुई। ट्रेड प्राप्यताओं में कमी मुख्य रूप से संग्रहण की वजह से है।
  - नकद और बैंक शेष में रु.897.46 करोड़ की वृद्धिकी कर वजह मुख्यत: ट्रेड प्राप्यताओं की वसूली है।
  - अन्य चालू आस्तियों में 112.61 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यत: सामग्री की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं को किये गये अग्रिम भुगतान के कारण है।
  - चालू देयताओं में रुपये 206.31 करोड़ की वृद्धि मुख्यत: रु. 397.11 करोड़ की ट्रेड देयताओं में वृद्धि के कारण है और प्रावधानों के उपयोग व वापसी के कारण प्रावधान में रु. 96.26 करोड़ की कमी।
  - अन्य मौजूदा देनदारियों में मुख्यत: संविदात्मक दायित्व के निर्वहन के कारण 71.12 करोड़ रुपये की कमी।

iii) **प्रमुख वित्तीय अनुपात :**

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी को विस्तृत विवरण के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक परिवर्तन) का विवरण देना भी आवश्यक है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	परिवर्तन (%में)	25% या उससे अधिक के परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
देनदार टर्नओवर अनुपात (गुना)	0.92	1.37	(32.85%)	नीचे की टिप्पणी 1 देखें।
सामग्री-सूची टर्नओवर अनुपात (गुना)	1.70	2.46	(30.89%)	नीचे की टिप्पणी 2 देखें।
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	136	228	(40.35%)	नीचे की टिप्पणी 3 देखें।
चालू अनुपात (गुना)	1.94	1.98	(2.02%)	लागू नहीं
ऋण ईक्विटी अनुपात (गुना)	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	12.87	21.08	(38.95%)	नीचे की टिप्पणी 4 देखें।
निवल लाभ मार्जिन (%)	13.47	17.23	(21.82%)	लागू नहीं
निवल मालियत पर रिटर्न (%)	9.74	21.94	(55.61%)	नीचे की टिप्पणी 5 देखें।

टिप्पणियाँ:

कोविड -19 महामारी और इस कारण लगे लॉकडाउन ने मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभ को प्रभावित करते हुए बड़ी रुकावटें खड़ी कीं। अत: इस अवधि के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की तुलना पिछली अवधि या पिछले वर्षों के साथ नहीं की जा सकती।

1. दि. 31 मार्च 2021 तक ट्रेड प्राप्यताओं की राशि रु. 323 करोड़ रुपये रही थी जो पिछले वर्ष की तुलना में रु. 15 करोड़ कम है।
2. टर्नओवर में कमी के कारण।
3. ब्याज में ओवरड्राफ्ट पर ब्याज, एमएसएमई ब्याज शामिल है।

4. परिचालन लाभ में वृद्धि के कारण ओ पी एम में कमी आई जो उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन का परिणाम है, यानी ट्रेडिंग गतिविधि से अधिक विनिर्माण (ग्राउंड सपोर्ट)।

5. लाभप्रदाता में कमी के कारण।

iv) संव्यवहार की प्रकृति और प्रकटीकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सेगमेंट रिपोर्टिंग संबंधित भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है और जहाँ भी आवश्यक हो निगम मामले मंत्रालय (एम सी ए) द्वारा छूट दी जा रही है। हालाँकि, इस तरह के गैर-प्रकटीकरण का कंपनी लेखा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

2.5 कंपनी के उद्देश्य :

- संचलित प्रक्षेपास्त्र, अंतर्जल संचलित अस्त्र प्रौद्योगिकी व उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और स्वावलंबी बनना।
- वर्तमान उत्पादन क्षमताओं का अधिकाधिक प्रयोग करना।
- विश्व बाजार में एक मुख्य प्रतिस्पर्द्धी बनना और मित्र देशों को अपने उत्पादों का निर्यात करना।

2.6 अवसर और खतरे

अवसर

- रक्षा उपकरणों के विनिर्माण में कई वर्षों की बीडीएल की विशेषज्ञता और प्रोन्नत सुविधाएँ इसे भारत और विदेशी बाजार में कंपनी के विस्तार की संभावना प्रदान करती है।
- बीडीएल का अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारी वर्ग है जिसे रक्षा उपकरण विनिर्माण में कई वर्षों का विस्तृत अनुभव प्राप्त है।
- "मेक इन इंडिया" नीति के तहत रक्षा देशीकरण के बढ़ावे से बीडीएल को और अधिक अवसर प्राप्ति की संभावना बढ़ी।
- बी डी एल के पास तकनीकी रूप से योग्य विक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता उपलब्ध हैं जो समय पर सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
- प्राथमिकत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार बी डी एल का ग्राहक है। भारत सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए और अधिक बजट आबंटित कर रही है।
- निर्यात बाजार के खुल जाने और भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र पाने में सुगमता से कंपनी ने हाल ही में निर्यात आदेशों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है और अन्य देशों से और भी अधिक माँग की पूछताछ की जा रही है।

खतरे

- आर्थिक गतिविधियों में मंदी और भारत सरकार के रक्षा बजट में कमी बी डी एल के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
- एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय पर अधिक निर्भरता।
- आदेश रद्द किये जाने से कार्यादेश एवं भविष्य के राजस्व में कमी आ सकती है।

2.7 प्रमुख कार्यनीतियाँ

बीडीएल की कार्यनीति के तहत क्षमताओं का विस्तार कर कंपनी की बाजार में स्थिति दृढ़ करना, देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसरों का लाभ उठाना और देशीकरण पर अधिक बल देते हुए कंपनी के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि करना है।

अपने रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाएगा :

2.7.1 इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार : कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना जारी रखेगी। इब्राहीमपट्टणम और अमरावती में बन रही हमारी विनिर्माण सुविधाएँ हमारे ग्राहकों की बढ़ती माँग को पूरा करने में कंपनी को सक्षम बनाएँगी। इन दो विनिर्माण सुविधाओं में क्रमशः सैम (नई पीढ़ी के सैम सहित) और विश्रॉड (वी एस एच ओ आर ए डी) मिसाइल का विनिर्माण किया जाएगा। साथ ही, बी डी एल सीकर निर्मिति केंद्र और वारहेड उत्पादन सुविधा स्थापित करने जा रहा है।

2.7.2 स्वचालीकरण (ऑटोमेशन) : बीडीएल, इंडस्ट्री 4.0, रोबोटिक्स संचालित कार्यशालाएँ, नवीनतम सतहधारी प्रतिष्ठापन उपकरण संयोजन लाइनें जैसी उत्कृष्ट विनिर्माण प्रौद्योगिकी व प्रक्रियाओं का लगातार उन्नयन करता आ रहा है और ए एस 9100, 'जीरो डिफेक्ट' जैसी उच्चतम गुणता आश्वासन पद्धतियाँ अपनाकर अपने उत्पादों में उच्च गुणता मानक बनाये रखता आ रहा है। इन प्रयासों के चलते उत्पादन लागत में कमी, उत्पादकता मानदंडों के बेंचमार्किंग और प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण और आयातित प्रौद्योगिकी पर निर्भरता में कमी जैसे परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रयास यही है कि जहाँ भी उत्पादकता बढ़ाने की संभावना हो, अपनी उत्पादन प्रणालियों को स्वचालित किया जाए।

2.7.3 अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना : कंपनी का मानना है कि परिवर्तित सरकारी नीति के तहत रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को अनुमति देने से हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बीडीएल अपनी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ाते हुए अपने ग्राहकों के लिए नवोन्मेषी उत्पाद विकसित करना चाहती है। पिछले कुछ वर्षों से बी डी एल के अनुसंधान एवं विकास व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कंपनी का यह भी मानना है कि नए उत्पादों के विकास से हम विविध प्रकार के उत्पाद दे पायेंगे जिससे सीमित उत्पाद निर्भरता में कमी आएगी। इस दिशा में अगस्त, 2020 के दौरान मनाये गये आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के दौरान बी डी एल ने कॉंकूर्स मिसाइल परीक्षण उपकरण और कांकूर्स लॉंचर परीक्षण उपकरण नाम से दो नये उत्पाद बनाकर दिये हैं। माननीय रक्षा मंत्री ने दि. 13 अगस्त, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित एक समारोह में इन उत्पादों का शुभारंभ किया है। कंपनी ने मिसाइल विकास समूह (एम डी जी) की भी स्थापना की है ताकि मिसाइल का अभिकल्पन और विकास किया जा सके। बी डी एल कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है। अनुभव और उद्योग संबंधी ज्ञान के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए उद्योग एवं अकादमिक प्रतिभा के बीच सामंजस्य बनाये रखा जा रहा है।

2.7.4 प्रक्रियाओं में सुधार : हम अपने परिचालन की उत्पादकता और क्षमता में सुधार एवं मितव्ययता लाने के उद्देश्य से प्रक्रियागत सुधार पर भी ध्यान दे रहे हैं।

2.7.5 नई पीढ़ी के अस्त्र : बी डी एल अपने अनुभव का लाभ उठा कर नई पीढ़ी के सैम, एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और भारी टॉरपिडो जैसे नए उत्पाद विकसित करना चाहता है जिससे हमारे राजस्व में और वृद्धि आएगी। बी डी एल, डी आर डी ओ के साथ अगली पीढ़ी के एटीजीएम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और सैम विकसित करने में संयुक्त विकास भागीदार-सह-उत्पादन एजेंसी भी है। बी डी एल ने नये उत्पादों के विकास एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ कई अनुबंध ज्ञापन प्रलेख और गैर प्रकटीकरण समझौते भी किये हैं।

2.7.6 निर्यात : बी डी एल प्रमुखत: भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारत सरकार के प्रोत्साहन से बीडीएल सक्रिय रूप से निर्यात की संभावनाएँ तलाशने में लगा है। सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा दी गई अनापत्ति से बी डी एल नौ देशों को आकाश अस्त्र प्रणाली के निर्यात के लिए तैयार है। बी डी एल को पहले ही कुछ देशों से 'आकाश' के लिए निर्यात लीड मिल चुकी है। इसलिए बी डी एल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार है। बी डी एल के पास अपने उत्पादों की घरेलू और निर्यात माँग पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सुविधाएँ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने कारोबार के विस्तार के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बीडीएल अपने उत्पादों के निर्यात के लिए संभावित विदेशी ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क कर रहा है।

3. जोख़िम और चिंताएँ :

विभिन्न किस्म के जोख़िम और इनसे निपटान की योजना में शामिल है उद्योग से संबंधित जोख़िम, बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, विपणन के लिए समय, बाजार खंडों में गिरावट या मंदी और उत्पाद एवं उत्पाद आगत कीमत, लागत नियंत्रण की निवेश कीमत, लागत नियंत्रण और परिवर्तित माँग का जोखिम। साथ ही, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आईटी, आर अण्ड डी, बौद्धिक संपदा और डिजिटलीकरण / स्मार्ट उद्योग जैसी नई तकनीकी माँगों से संबंधित जोखिमों पर भी ध्यान देते हुए उचित सुधार के साथ सक्रिय रूप से इनका निपटान और प्रबंधन किया गया तथा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा रही है।

3.1 संव्यवहार जोख़िम: कंपनी मुख्य रूप से एक ही ग्राहक अर्थात रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बल पर निर्भर है। भारतीय रक्षा बजट में गिरावट या पुनर्वितरण, उनके आदेश में घटाव, संविदाओं की समाप्ति या निविदा परियोजनाओं में विफलता और भविष्य में रक्षा मंत्रालय या भारतीय सशस्त्र बलों की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों में विचलन से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, विकास संभावनाओं और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हम सम स्तरीय अवसर प्रदत्त निजी क्षेत्र का भी अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारे व्यापार और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करने में मुश्किल होती है।

निपटान : अपनी व्यवसाय अर्जित समृद्ध विशेषज्ञता के आधार पर कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को सँभालने और निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक आधार के विस्तार के लिए बीडीएल, भारत सरकार के प्रोत्साहन से सक्रिय रूप से निर्यात बाजारों में प्रवेश के अवसर तलाश रहा है।

3.2 नीति जोख़िम: कंपनी रक्षा मंत्रालय के कई खरीदी नियम एवं विनियम तथा सरकारी नियम और अन्य नियम एवं विनियमों से आबद्ध है। यदि हम लागू नियमों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो हमारे व्यवसाय और हमारी प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे उत्पादों के वर्तमान और भविष्य के निर्यात पर प्रतिबंध हमारे व्यापार, संचालन के परिणामों और वित्तीय स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

निपटान : कंपनी, भारत सरकार की नीतियों के अनुसार सभी नियम और विनियमों का पालन कर रही है और साथ ही, नियमावली में होने वाले संभावित परिवर्तनों के बारे में भी समय रहते हुए आवश्यक सावधानियाँ बरत रही है।

3.3 **परिचालन और श्रम जोखिम:** कंपनी का प्रचालन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्थित तीन इकाइयों पर आधारित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित हमारी किसी भी इकाई में प्रचालन में हानि या बंद होने से हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों पर दृष्टव्य / भौतिकत: वस्तुगत रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कुछ कार्यबल का प्रतिनिधित्व श्रमिक यूनियन करती है, अतः लंबे समय तक कार्य रुकने की स्थिति में इससे हमारे व्यापार को नुकसान पहुँच सकता है।

निपटान : कंपनी हमेशा सभी कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखती है और इस तरह से इस संबंध में किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं है।

3.4 **आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता जोख़िम:** कंपनी उप संयोजन / घटक, एकल स्रोत आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के लिए कई प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माताओं पर निर्भर है। इनमें से किसी के कार्यनिष्पादन की विफलता से हमारा प्रचालन वस्तुगत रूप से प्रभावित हो सकता है।

निपटान : कंपनी लगातार अपने विक्रेता आधार का विस्तार कर रही है और किसी के विफल कार्यनिष्पादन पर परिसमापन क्षति (एल डी) उपबंध के तहत पर्याप्त सुरक्षा बरती गई है। बी डी एल जहाँ अपने कार्यक्रमों में एकल विक्रेता हैं, वहाँ बहु-विक्रेता आधार विकसित कर रहा है ताकि विक्रेताओं पर निर्भरता कम हो और अपने कार्यक्रम निरंतर चल सकें।

3.5 **प्रौद्योगिकी जोख़िम:** हम उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों का विनिर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं। नए उत्पाद और प्रौद्योगिकी के प्रवेश में जोखिम शामिल होता है तथा प्राथमिक रूप से अनुमानित लाभ का स्तर या इसकी समय पर वसूली नहीं की जा सकती।

निपटान : कंपनी ने अपना खुद का अनुसंधान एवं विकास विभाग स्थापित कर लिया है और प्रौद्योगिकी जोखिमों का सामना करने के लिए आर अण्ड डी में अपना निवेश बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी कई परियोजनाओं के विकास में डी आर डी ओ के साथ मिलकर काम कर रही है।

4. भविष्य-दृष्टि

बी डी एल, डी आर डी ओ के साथ मिलकर अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने और संयुक्त विकास कार्यक्रम जारी रखना चाहता है। आपकी कंपनी विदेशी मूल विनिर्माणकर्ता (OEMs) के साथ विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की भी तलाश में लगी है और इस दिशा में आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विदेशी मूल विनिर्माणकर्ताओं के साथ कुछ समझौते ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किये हैं। बी डी एल का मानना है कि नए उत्पादों का विकास हमें अपने उत्पादों में विविधता लाने के साथ-साथ उत्पाद निर्भरता को कम करने में सक्षम बनायेगा। हमने मिसाइल के अभिकल्पन एवं विकास के उद्देश्य से मिसाइल विकास समूह की भी स्थापना की है। साथ ही, हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्पाद बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

आकाश अस्त्र प्रणाली के निर्यात की मंजूरी के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा से बी डी एल ने निर्यात आदेश प्राप्त करने लिए अपने प्रयास शुरू कर दिये हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 'आकाश' की निर्यात क्षमता और माँग को देखते हुए बी डी एल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों सहित विभिन्न मंचों पर इस उत्पाद का प्रचार कर रहा है और आकाश अस्त्र प्रणाली के लिए निर्यात लीड प्राप्त कर रहा है। बीडीएल पहले से ही एक मित्र देश को टॉरपिडो की आपूर्ति कर चुका है। अब, भारत सरकार द्वारा दी गई निर्यात अनापत्ति से बी डी एल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए तैयार है। आपकी कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा निर्यात माँग को पूरा करने के लिए आश्वस्त है, क्योंकि आपकी कंपनी के पास पर्याप्त सुस्थापित उत्पादन सुविधाएँ मौजूद हैं।

बी डी एल अपने ग्लोबल आउटरीच के हिस्से के रूप में 'मेक इन इंडिया' अभियान को और आगे ले जाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम, 'व्यापार करने में आसानी' और हाल ही में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल ने विदेशी ओ ई एम के लिए भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए बीडीएल जैसी भारतीय कंपनियों के साथ गठजोड़ करने के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। इस संदर्भ में, बीडीएल ने हाल ही में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम के निर्माण के लिए भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने थेल्स, यूके के साथ एक 'टीमिंग समझौते' पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता बी डी एल को भारतीय सशस्त्र बलों को स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम पेश करने के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत सिस्टम के डिजाइन और विकास का अवसर भी प्रदान करेगा। इस समझौते के माध्यम से, बीडीएल स्टार स्ट्रीक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा, जो यूके सशस्त्र बलों सहित मौजूदा और भविष्य के स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस ग्राहकों को सिस्टम के निर्यात का अवसर प्रदान करेगा। यह समझौता यूके और भारत के बीच औद्योगिक सहयोग के अवसर का भी प्रतिनिधित्व करता है और दोनों देशों के उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग और सह-विकास की सुविधा प्रदान करेगा।

रक्षा क्षेत्र में 'आत्म निर्भरता' को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में, भारत सरकार ने आयातों की एक निषिद्ध सूची बनाई है। आयातों की निषिद्ध सूचियों के बन जाने से भारतीय उद्योग के लिए काफी अवसर खुलेंगे। इससे कार्य-आदेशों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है।

बी डी एल की पहचान 'आकाश' और हवा से हवा में मार करने वाली 'अस्त्र' मिसाइल के लिए उत्पादन एजेंसी के रूप में की गई है। ये दोनों मिसाइल डीआरडीओ द्वारा देशी रूप से अभिकल्पित और विकसित किये गये हैं और बीडीएल द्वारा बनाये जा रहे हैं। इसके अलावा, भारत में तीसरी पीढ़ी के एटीजीएम की तैयारी के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा बीडीएल को परियोजना स्वीकृति आदेश भी जारी किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की दिशा में एक और कदम है।

'आत्मनिर्भर भारत' के एक हिस्से के रूप में, बीडीएल ने अगले पाँच वर्षों के लिए देशीकरण योजना बनाई है और 166 वस्तुओं के देशीकरण का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2020-21 के दौरान 72 वस्तुओं के देशीकरण के लक्ष्य के मुकाबले 79 वस्तुओं का देशीकरण पूरा किया गया और आयात का मूल्य 144.71 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया।

पूंजी अधिग्रहण की 'खरीदें और बनाएं' श्रेणी के तहत, विदेशी विक्रेता को वस्तुओं के देशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को भारतीय उत्पादन एजेंसी को हस्तांतरित करना आवश्यक है। विदेशी ओ ई एम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अपनी पसंद की भारतीय उत्पादन एजेंसी का चयन कर सकता है। बी डी एल विदेशी ओ ई एम के साथ विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की खोज कर रहा है और इस संबंध में वर्ष के दौरान बीडीएल ने विदेशी ओ ई एम के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापन किए

- अंतर्जलास्त्र विनिर्माण के लिए नेवल ग्रुप, फ्राँस और भारत के नेवल ग्रुप के बीच और रेफेल उन्नत रक्षा प्रणाली लिमिटेड (नेवल प्रभाग) के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख किया गया।
- एल अण्ड टी एम बी डी एल मिसाइल सिस्टम लिमिटेड के साथ अनुबंध ज्ञापन,एल अण्ड टी और एम बी डी ए का एक संयुक्त उद्यम जिसके तहत दोनों कंपनियों ने पाँचवीं पीढ़ी के टैंकरोधी संचलित प्रक्षेपास्त्र के साथ-साथ भविष्य के एस आर एस ए एम कार्यक्रम के लिए सहयोग करने का निर्णय लिया है।
- भारत में देशी तौर पर स्टार स्ट्रीक मिसाइल के विनिर्माण के लिए थेल्स, यू के के साथ टीमिंग करार।
- भारत में प्रणोदक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए रोलेक्स, फ्राँस के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख।
- विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के संयुक्त विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण (टी ओ टी) और संयुक्त विनिर्माण सहित भारत में मौज़ूद मिसाइलों की ऑप्टिकल साइट के साथ-साथ मरम्मत, पुनर्सज्जीकरण और इनके कार्यकाल विस्तार के लिए STE "SPETS TECHNO EXPORT" के साथ अनुबंध ज्ञापन प्रलेख।

वर्तमान में, बी डी एल के पास दि. 01 अप्रैल 2021 तक रु. 8386 करोड़ रुपये के कार्य-आदेश हैं जो आने वाले वर्ष में उत्पादन लाइनों को व्यस्त रखेंगे।

5. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ तथा उनकी पर्याप्तता :

आपकी कंपनी ने अपने आकार व संव्यवहार-प्रकृति को देखते हुए वित्तीय औचित्य के सभी मानदंडों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के आंतरिक नियंत्रण तथा प्रणालियों की व्यवस्था की है। व्यावसायिक व पेशेवर कार्मिकों से युक्त आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभाविता की निरंतर मॉनिटरिंग की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य है – लेखापरीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल के समक्ष संगठन के आपदा प्रबंधन, नियंत्रण तथा अभिशासन प्रक्रियाओं की पर्याप्तता व प्रभाविता संबंधी स्वतंत्र, सोद्देश्य व उचित भाव सहित प्रस्तुत करना। आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र को निदेशक मंडल के लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने तथा इस पर रिपोर्ट देने के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति बनी हुई है। ये लेखापरीक्षा फर्म, आंतरिक रूप से सहयोग देने वाले लेखापरीक्षा विभाग के अतिरिक्त हैं। आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग तथा आंतरिक लेखा फर्म की रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।

ए) लागत में कमी की पहल : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लागत में समीक्षा / कमी कार्यक्रम के तहत देशीकरण प्रयास, प्रक्रिया में परिवर्तन, वैकल्पिक उपकरणों का विकास, स्क्रैप निपटान, ऊर्जा और ईंधन, परिवहन, सामग्री परीक्षण, प्रूफ फायरिंग व्यय, सामग्री हैंडलिंग और वाहनों का किराया, प्रचार-प्रसार आदि के माध्यम से रु. 66 करोड़ रुपये की राशि बचायी गयी है।

बी) मितव्ययता : व्यय प्रबंधन, मितव्ययता तथा व्यय के युक्तीकरण संबंधी वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के क्रम में और कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान यात्रा व्यय, विज्ञापन तथा प्रचार-व्यय, नये वाहनों की खरीद, संगोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन, विनोदी कार्यक्रम इत्यादि क्षेत्रों में रोजकोषीय विवेक तथा मितव्ययता नीति अपनायी है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है। कच्चा माल, निर्माणाधीन तथा अतिरिक्त पुर्जों की सामग्री-सूची इष्टतम स्तर पर रखी जाती है। ऊर्जा की खपत, चल एवं अचल ऊपरी-व्यय तथा आकस्मिक व्यय की निरंतर समीक्षा कर, इसे न्यूनतम रखा गया है।

6. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध, नियोजित कर्मचारियों का विकास :

6.1 दि. 31 मार्च, 2021 तक बी डी एल की मानव-शक्ति निम्नवत है :

	कार्यपालकेतर	कार्यपालक	कुल
पुरुष	1709	765	2474
स्त्री	198	104	302
कुल	**1907***	**869***	**2776***
पिछले वर्ष	2004*	909*	3001*

*अस्थायी कर्मचारियों को छोड़ कर।

बी डी एल में कार्यपालक एवं कार्यपालेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए एक सुयोजित प्रशिक्षण व विकासात्मक कार्यक्रम मौजूद हैं। कंपनी PCMM (पीपल कैपबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल) स्तर 2 रेटिंग से प्रमाणित की गई है। यह उन कार्यबल प्रथाओं को लागू करने के लिए एक परिपक्वता फ्रेम वर्क है जो लगातार कार्यबल क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी लाभ और रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत में सुधार करते हैं। पीसीएमएम का कार्यान्वयन आपकी कंपनी को प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की संभावना प्रदान करेगा। आपकी कंपनी मानव संसाधन प्रॉसेस के लिए पीसीएमएम स्तर प्रमाणन लागू करने वाला पहला रक्षा उपक्रम है।

आपकी कंपनी ने 'गैप एनालिसिस' के माध्यम से कंपनी की उत्तराधिकार योजना नीति व अन्य मानदंड अनुसार उत्तराधिकार नियोजन प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया है, प्रत्येक महत्वपूर्ण भूमिका की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाओं की पहचान करने और मुख्य बेंच ताकत की पहचान करने, कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणालियों के आधार पर उत्तराधिकारियों की तैयारी सूचकांक बनायी है। उत्तराधिकारियों को बनाते समय मूल्यांकन विकास केंद्र द्वारा दी गयी जानकारी को भी ध्यान में रखा गया। उत्तराधिकार योजना के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पदों की रिक्तियों को आंतरिक प्रतिभा 'पूल' के साथ नियमित रूप से भरा जाता है और यदि आंतरिक प्रतिभा 'पूल' में उपलब्ध न हो तो बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है।

6.2 औद्योगिक संबंध :

वर्ष के दौरान समता एवं मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने में सभी वर्ग के कर्मचारी यथा – मान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के संघ तथा अधिकारी संघ का लगातार सहयोग व समर्थन बना हुआ है। कार्य समिति, संरक्षा समिति, कल्याण समिति जैसी सांविधिक व गैर-सांविधिक समितियाँ सभी स्तरों पर कार्य-स्थल पर अनुशासन बनाए रखने में सहयोग दे रही हैं।

7. पर्यावरणीय उपाय :

आपकी कंपनी क्लीनर टेक्नोलॉजी तथा पुन:चक्रण, पुन:प्रयोग और कमी लाने की अवधारणाओं के माध्यम से पर्यावरण को हरा-भरा बना कर उत्तम प्रथाओं को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हुए स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए सभी पहलुओं में योगदान देती आ रही है। अशुद्ध जल को शुद्ध करने का सयंत्र, मल-जल शुद्धीकरण सयंत्र का परिचालन किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण गतिविधियाँ जैसे कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण, हानिकारक व्यर्थ और धातु स्क्रैप का निपटान, पौधे लगाना और लैंडस्केपिंग, उपचारित अपशिष्ट जल और घरेलू जल का उपयोग करना। कंपनी नियमित अंतराल पर आईएसओ 14001 कोर समिति की बैठक, आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा बैठक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की स्थिति की समीक्षा कर रही है। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सभी तीनों इकाइयों में वार्षिक निगरानी ऑडिट किए जा रहे हैं।

8. विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी अंतिम रूपी उत्पादों के संयोजन में देशी सामग्री को बढ़ाकर मूल उपकरण विनिर्माता (ओ ई एम) से घटक और उप-प्रणालियों के आयात को कम करके विदेशी मुद्रा संरक्षण का लगातार प्रयास कर रही है।

अनुलग्नक-V

नैगमिक अभिशासन पर रिपोर्ट

1. नैगमिक अभिशासन संबंधी कंपनी की विचारधारा :

कंपनी की नैगमिक अभिशासन संबंधी विचारधारा है कि अपने सभी कार्यों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, उचित बातों का प्रकटीकरण किया जाए, कानून का अनुपालन, नैतिक मूल्यों के पालन सहित सभी स्वामित्वाधिकारों के हितों का ध्यान रखा जाए। कंपनी में नैगमिक अभिशासन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए एक मूल्य आधारित ढांचा है।

कंपनी अपने व्यावसायिक उपागम के साथ नैगमिक अभिशासन वचनों का लिखित एवं व्यावहारिक रूप में यथावत् पालन कर रही है। कंपनी के हमारे प्रदर्शन, वित्तीय, व्यावसायिक लेन-देन, नेतृत्व और शासन के बारे में जानकारी का समय पर और सटीक प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए हमने पिछले कुछ वर्षों में दिशानिर्देश और उत्तम पद्धतियाँ अपनायी हैं।

कंपनी की गतिविधियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) आदि कई बाह्य एजेंसियों द्वारा नज़र रखी जाती है। निदेशक मंडल हमारी नैगमिक अभिशासन पद्धतियों के मूल में है और यह देखता है कि प्रबंधन हमारे सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों का ध्यान कैसे रखा जाता है और उनकी रक्षा करता है।

आपकी कंपनी एस ई बी आई (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 (आगे से 'लिस्टिंग विनियम' के रूप में संदर्भित) तथा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए नैगमिक अभिशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (आग से 'डी पी ई दिशा-निर्देश' के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित नैगमिक अभिशासन मानदंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

2. निदेशक मंडल :

ए) निदेशकों का गठन और श्रेणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी एक 'सरकारी कंपनी' है। दि. 31 मार्च, 2021 तक इसकी कुल प्रदत्त पूँजी का 74.93% भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की अध्यक्षता में निदेशक मंडल सर्वोच्च निकाय है जो कंपनी के कामकाज की देखरेख करता है। शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निदेशक मंडल दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीतिक सोच प्रदान करता है।

दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक) हैं।

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति / कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निदेशक एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं हैं।

बी) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों का विवरण निम्नवत है :

ए)	कार्यकारी / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)	पदनाम
1)	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2)	श्री एस पिरमनायगम ^	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
3)	श्री एन पी दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)
4)	श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)
5)	श्री एन श्रीनिवासुलू ^	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
बी)	**अंशकालिक सरकारी निदेशक (कार्यपालकेतर अस्वतंत्र)**	
1)	श्री अश्विनी कुमार महाजन, अपर वित्त सलाहकार एवं संयुक्त सचिव #	सरकार द्वारा नामित निदेशक
2)	श्री चंद्रकर भारती, आई ए एस संयुक्त सचिव (एयरो) #	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3)	श्री एम एस आर प्रसाद, महा निदेशक (एमएसएस) एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सी)	**अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक -स्वतंत्र)**	
1)	श्री अजय नाथ *	स्वतंत्र निदेशक
2)	श्री के एस संपत *	स्वतंत्र निदेशक
3)	श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति *	स्वतंत्र निदेशक

^ दि. 20 मार्च, 2020 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. DDP-M0001 (11)/03/2019-D (BDL) के अनुसार दि. 30 जून, 2020 से श्री एस पिरमनायगम की अधिवर्षिता प्राप्ति के फलस्वरूप दि. 01 जुलाई, 2020 से श्री एन श्रीनिवासुलू ने कंपनी के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया।

02 फरवरी, 2021 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. 8 (32) / 2019-डी (समन्वय/डीडीपी) के अनुसार श्री अश्वनी कुमार महाजन के स्थान पर श्री चंद्रकर भारती को दि. 02 फरवरी, 2021 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

* दि. 13 सितंबर, 2017 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. एच-62011/2/2016-डी (बीडीएल) के अनुसरण में दि. 12 सितंबर, 2020 को कार्यकाल की समाप्ति पर दि. 13 सितंबर, 2020 से कार्यकाल नहीं रहा।

टिप्पणी : दि. 31 मार्च 2021 को एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के छ: पद रिक्त हैं। सभी रिक्तियों के बारे में सरकार को समय पर अधिसूचित कर दिया गया। इन रिक्तियों को भरने का मामला प्रशासनिक मंत्रालय/सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में विचाराधीन है।

सी) निदेशक मंडल की बैठकें एवं उनमें उपस्थिति; निदेशक की सदस्यता या अध्यक्षता में गठित अन्य बोर्ड या बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक मंडल सदस्य अथवा अध्यक्ष हों।

वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की कुल पाँच(05) बैठकें हुईं। इन बैठकों के दौरान सेबी विनियम और कंपनी अधिनियम के अनुसार किन्हीं दो बैठकों के बीच समय-सीमा के अधिकतम अंतर का अनुपालन किया गया है। निदेशक मंडल की बैठकें – दि. 29 जून, 2020; 31 दि. अगस्त, 2020; दि. 12 नवंबर, 2020;दि. 12 फरवरी, 2021 और दि. 12 मार्च, 2021 को संपन्न हुईं। निदेशक मंडल की हर तीन महीने में कम से कम एक बैठक होती है और वर्ष के दौरान ऐसी चार बैठकें होनी आवश्यक हैं। निदेशक मंडल की सूचना एवं निर्णय के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2020-21 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकें, वार्षिक आम-सभा में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनकी अन्य निदेशक सदस्यता / समिति सदस्यता का विवरण इस प्रकार है –

निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठक		दि. 28 सितंबर, 2020 को हुई विगत ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशकत्व में हुई बैठकें	ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों के नाम जहाँ निदेशक बोर्ड-सदस्य हैं		सभी कंपनियों को मिलाकर समितियों में सदस्यता	
	निदेशकों के कार्यकाल में हुई निदेशक-मंडल की बैठकें	कुल बैठकों में प्रतिभाग			सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशकत्व की श्रेणी	अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
कार्यकारी निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक (कार्यपालक)								
कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष	-	-
श्री एस पिरमनायगम निदेशक (वित्त) और सीएफओ (दि. 1 जुलाई, 2020 से कार्यकाल समाप्त)	1	1	लागू नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ	-	1
श्री एन पी दिवाकर निदेशक (तकनीकी)	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	2
श्री पी राधाकृष्ण निदेशक (उत्पादन)	5	5	हाँ	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक	-	-
श्री एन श्रीनिवासुलु निदेशक (वित्त) और सीएफओ (दि. 1 जुलाई, 2020 से)	4	4	नहीं	शून्य	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	कार्यपालक निदेशक एवं सीएफओ	-	1
अंशकालिक सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र)								
श्री अश्वनी कुमार महाजन (दि. 02 फरवरी, 2021 से कार्यकाल समाप्त)	3	3	**नहीं**	1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
					गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अण्ड इंजीनियर्स लि.	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक		
श्री एम एस आर प्रसाद	5	5	**नहीं**	1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
श्री चंद्रकर भारती (दि. 02 फरवरी, 2021 से नियुक्त)	2	2	लागू नहीं	1	भारत डायनामिक्स	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	-
					हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक		
अंशकालिक गैर-सरकारील निदेशक (गैर-कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक)								
श्री अजय नाथ (दि. 13 सितंबर, 2020 से कार्यकाल समाप्त)	2	2	लागू नहीं	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	1
श्री के एस संपत (दि. 13 सितंबर, 2020 से कार्यकाल समाप्त)	2	2	लागू नहीं	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	2	-
श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति (दि. 13 सितंबर, 2020 से कार्यकाल समाप्त)	2	2	लागू नहीं	-	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	-	1

टिप्पणी :

(1) कंपनी के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का वर्ष के दौरान कंपनी के साथ किसी प्रकार के आर्थिक लेन-देन का संबंध नहीं रहा। निदेशक मंडल के सदस्य न एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखते हैं और न ही एक दूसरे से संबंधित हैं।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों के निदेशक के रूप में सदस्यता को छोड़ कर।

(3) एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 26 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता / सदस्यता और शेयरधारकों के संबंध में समिति की सभी कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या की गणना के लिए माना जाता है। कोई भी निदेशक कार्यरत सभी कंपनियों को मिलाकर दस से अधिक समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। कंपनी का कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है और कंपनी का कोई भी स्वतंत्र निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है। कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंध निदेशक तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।

(4) कंपनी के कोई भी निदेशक, कंपनी में शेयर और / या कन्वर्टबल इंस्ट्रुमेंट (परिवर्तनीय साधन) नहीं रखते हैं।

(5) आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के अनुसार दि. 31 मार्च, 2021 तक स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्रता के संबंध में घोषणाएँ प्राप्त की हैं और स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) नियमों में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं और किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र नहीं दिया है।

डी) निदेशक मंडल कौशल / विशेषज्ञता / दक्षता :

केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, दक्षताएँ, कार्य-काल और पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित किये जाते हैं। कंपनी से संबंधित व्यवसाय (व्यवसायों) और क्षेत्र (क्षेत्रों) के संदर्भ में आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और तदनुसार कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन सरकार की अपनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। पदधारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, परिचालन, तकनीकी, मानव संसाधन और विपणन की आवश्यकता के अनुसार हैं। कार्यकारी निदेशकों की भर्ती के समय, उम्मीदवारों का जॉब डिस्क्रिप्शन, वांछित योग्यताएँ और अनुभव, रिक्तियों की घोषणा और उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजा जाता है।

निदेशक मंडल में निम्नलिखित कौशल / विशेषज्ञताएँ / दक्षताएँ पहचानी गयी जो अपने संव्यवहार क्षेत्र में प्रभावी कार्य के लिए सूचीबद्ध विनियम के तहत आवश्यक हैं और जो दि. 31 मार्च, 2021 तक निदेशक मंडल में वास्तव में उपलब्ध भी हैं :

अपने संव्यवहार और क्षेत्र में निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गये कौशल / विशेषज्ञताएँ/ दक्षताएँ	ऐसे कौशल/ विशेषज्ञता / दक्षता रखने वाले निदेशकों का नाम
ज्ञान - कंपनी के संव्यवहार, नीतियाँ और कार्य-संस्कृति (इसकी भविष्य-दृष्टि, मिशन, मूल्य, लक्ष्य, वर्तमान रणनीतिपरक योजना, शासन की संरचना, प्रमुख जोख़िम और अवसर भी शामिल) को समझना और कंपनी के परिचालन क्षेत्र से संबंधित उद्योगों की जानकारी।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री चंद्रकर भारती श्री एम एस आर प्रसाद श्री एन श्रीनिवासुलू श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण
व्यवहारपरक कौशल - टीम सदस्य के रूप में अच्छी तरह से काम करने तथा प्रमुख हिस्सेदारों के साथ चर्चा करने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की क्षमताएँ और गुण।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री चंद्रकर भारती श्री एम एस आर प्रसाद श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण श्री एन श्रीनिवासुलू
रणनीतिक सोच व निर्णय लेने की क्षमता।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री चंद्रकर भारती श्री एम एस आर प्रसाद श्री एन श्रीनिवासुलू श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण
वित्तीय कौशल	श्री एन श्रीनिवासुलू
तकनीकी / व्यावसायिक कौशल तथा संव्यवहार की वर्तमान अवधारणाओं में सहयोग देने के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान, जैसे – तकनीकी परिचालन और उत्पादन, प्रॉसेसिंग, गुणता आदि संबंधी ज्ञान।	कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) श्री एम एस आर प्रसाद श्री एन पी दिवाकर श्री पी राधाकृष्ण

ई) कानून के अनुपालन की समीक्षा :

कंपनी में सभी उचित प्रणालियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से निदेशक मंडल, कंपनी द्वारा बनायी गयी और साथ ही गैर-अनुपालन संबंधी घटनाओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम पर कंपनी में लागू सभी कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समयवार समीक्षा की जा सके। निदेशक मंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी पर लागू कानून संबंधी अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की। अनुपालन में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान किसी भी नियामक या अदालत या ट्रिब्यूनल ने कंपनी की वर्तमान स्थिति या भविष्य के परिचालन चिंतनीय किसी प्रकार का प्रमुख या भौतिक आदेश पारित नहीं किया।

एफ) निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण :

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 25 (7), डीपीई दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 3.7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के संदर्भ में, 'निदेशक मंडल सदस्यों के लिए परिचय / प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नीति' तैयार की गई और इसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ। उक्त नीति की शर्तों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशक मंडल के सभी सदस्यों को उनकी भूमिका, अधिकार, उत्तरदायित्व, उद्योग की प्रकृति, कंपनी का संव्यवहार मॉडल, प्रक्रियाएँ व पद्धतियों पर परिचय कार्यक्रम कराया जाता है और आवश्यक दस्तावेज व रिपोर्टें भी उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि निदेशक कंपनी से संबंधित आवश्यक जानकारी रख सकें। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल के सदस्य समय-समय पर नैगमिक अभिशासन तथा निदेशक मंडल संबंधी अन्य विषयों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत है और यह विवरण www.bdl-india.in/investors पर देख सकते हैं।

जी) पेशेवर कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र

मेसर्स पुट्टपर्ती जगन्नाथम एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव ने लिस्टिंग विनियमों के तहत प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें पुष्टि की गई है कि दि. 31 मार्च, 2021 तक सेबी / निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

3. निदेशक मंडल की अनिवार्य समितियाँ :

ए. लेखापरीक्षा समिति:

लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 177, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 18 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप दि. 12 सितंबर, 2020 तक सक्रिय रही और फिर निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 13 सितंबर 2020 से समिति को निलंबित कर दिया गया। दि. 12 सितंबर, 2020 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कुल तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे।

वर्ष के दौरान दि. 29 जून, 2020; 06 अगस्त, 2020 और दि. 31 अगस्त, 2020 को लेखापरीक्षा समिति की कुल तीन (03) बैठकें हुई। उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री के एस संपत, अध्यक्ष *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
2	श्री एन पी दिवाकर, सदस्य	कार्यपालक निदेशक	3	3
3	श्री अजय नाथ, सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3
4	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	3	3

* दि. 13 सितंबर, 2020 से निदेशक के रूप में कार्य-काल समाप्त।

कार्यकारी निदेशकों (सी एम डी के अलावा) को स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जाता है और सांविधिक लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य करने वाली बाहरी सनदी लेखाकार फर्म के प्रतिनिधि निमंत्रण प्राप्त होने पर भाग ले सकते हैं। कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 12 सितंबर 2020 को पूरा हो गया है। अत: इन्होंने दि. 28 सितंबर 2020 को आयोजित कंपनी की 50वीं वार्षिक आम सभा में भाग नहीं लिया।

विचारार्थ विषय :

लेखापरीक्षा समिति समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (सरकारी कंपनियों को प्राप्त छूट छोड़ कर), सूचीबद्ध विनियम (सेबी द्वारा कंपनी को प्राप्त छूट छोड़ कर), डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के तहत उल्लिखित विचारार्थ विषय का अनुपालन करती है। लेखापरीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी का वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में चूकवश होने वाली कमियों तथा इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन।
- लेखापरीक्षकों के मानदेय के निर्धारण के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम 2015 की अनुसूची II भाग 'सी' में उल्लिखित विशेष संदर्भ के साथ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा प्रबंधन के साथ करना।
- निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्यनिष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावधर्मिता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना।
- अनुमोदन या संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन।
- अंतर-निगमीय ऋण और निवेश की संवीक्षा।
- जहाँ आवश्यकता हो, कंपनी की वचनबद्धताओं या परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण करना।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोख़िम प्रबंधन का मूल्यांकन।

- आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति / निष्कासन और आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ परामर्श कर लेखापरीक्षा का दायरा निर्धारित करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारियों की संख्या और विभागीय प्रमुख की वरीयता, रिपोर्टिंग संरचना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षक और / अथवा लेखापरीक्षकों से प्राप्त किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा कर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या वस्तुगत प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के संबंध में आंतरिक जाँच की समीक्षा कर तत्संबंधी जानकारी निदेशक मंडल को देना।
- सांविधिक, आंतरिक और सरकारी लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों की समीक्षा कर उनके आधार पर सिफारिशें प्रदान करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- लेखापरीक्षा से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति एवं परिधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों से चर्चा करना अथवा लेखापरीक्षा उपरांत किसी चिंतनीय बात की जानकारी प्राप्त करने चर्चा करना।
- जमाकर्ता, डिबेंचर धारक, शेयरधारकों (घोषित लाभांश और लेनदारों के भुगतान के मामले में) के भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की पड़ताल करना।
- विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म के काम-काज की समीक्षा करना।
- संसद के सार्वजनिक उपक्रम समिति (सी ओ पी यू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- एकल स्रोत से खरीद के मामलों की समीक्षा करना।
- रु. 100 करोड़ की सबसिडरी या संपत्ति के आकार के 10% से अधिक के कंपनी निवेश पर / से प्राप्त ऋण / अग्रिम की उपयोगिता की समीक्षा करना।

बी. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 178(1) (सरकारी कंपनियों को प्राप्त छूट छोड़ कर), लिस्टिंग विनियमों के विनियम 19 (सेबी द्वारा कंपनी को प्राप्त छूट छोड़ कर) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप दि. 12 सितंबर 2020 तक सक्रिय रही और फिर निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 13 सितंबर 2020 से समिति को निलंबित कर दिया गया। दि. 12 सितंबर, 2020 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कुल तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे।

वर्ष के दौरान दि. 29 जून, 2020 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई। उक्त बैठक में सदस्यों की संरचना, इसमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति अध्यक्ष *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
2	श्री अश्वनी कुमार महाजन सदस्य #	गैर-कार्यपालक अस्वतंत्र निदेशक	1	-
3	श्री अजय नाथ, सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1
4	श्री के एस संपत, सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	1	1

* दि. 13 सितंबर, 2020 से निदेशक के रूप में कार्य-काल समाप्त।

विचारार्थ विषय :

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :

- उपलब्ध मानदंडों के अनुसार जिन व्यक्तियों को उच्च प्रबंधक (अर्थात् अधिशासी निदेशक) पद पर नियुक्त किया जा सकता है, उनकी पहचान कर निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति या निष्कासन की सिफारिश करना।
- प्रबंधन को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना।

- वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल के सदस्य न होने की स्थिति में सी ई ओ / प्रबंधक सहित सी ई ओ / प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक से एक स्तर नीचे के प्रबंधन सदस्य) को देय सभी प्रकार के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- वार्षिक बोनस / कार्यनिष्पादन वेतन / परवर्ती वेतन पूल का निर्धारण कर, सभी कार्यपालकों में इसके वितरण संबंधी नीति निर्धारित करना।
- कार्यपालकों के लिए अनुलाभ और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएँ बनाना और इनका संशोधन।
- कार्यपालक अथवा कार्यपालकेतर वर्ग संबंधी जिनके लिए भी हो, प्रतिपूर्ति संबंधी नई योजना बनाना।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और समय-समय पर किसी भी अन्य कानून और उनके संशोधन के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपी गई भूमिका अदा करना।

पारिश्रमिक नीति / सभी निदेशकों को देय पारिश्रमिक के विवरण :

ए. केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, इनका कार्यकाल तथा इन्हें देय पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा जारी पत्र में उनकी नियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तें, कार्यकाल, मूल वेतन, वेतनमान, महँगाई भत्ता आदि की विस्तृत जानकारी होती है तथा इसमें यह भी सूचित किया जाता है कि जो शर्तें इस पत्र में नहीं दी गई हैं वहाँ कंपनी से संबद्ध नियमावली लागू होगी।

बी. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति आरंभिक तौर पर नियुक्ति तिथि से पाँच वर्ष तक अथवा उनकी अधिवर्षिता तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या इनमें से पहले आने वाली अवधि तक की जाती है। आयु, कार्य-निष्पादन तथा अन्य निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्ति आरंभिक अवधि से अगले पाँच वर्ष के लिए अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक, इनमें से पहले आने वाली तिथि तक सेवाकाल बढ़ाया जा सकता है। अंशकालिक सरकारी निदेशक सामान्यत: प्रशासनिक मंत्रालय से होते हैं तथा उनका सेवाकाल कंपनी के निदेशक-मंडल में नियुक्ति से लेकर उस मंत्रालय में बने रहने तक होता है। अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति तीन वर्ष तक या इस संबंध में अगले आदेश प्राप्त होने तक या पहले आने वाली अवधि तक की जाती है।

सी. वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण इस प्रकार है :-

(रुपये में)

निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन	अनुलाभ	प्रावकाश नक़दीकरण	भविष्य निधि और इंक्रिमेंटल ग्रैच्युटी / अवकाश/ पेंशन – कार्यपालक योजना / पी एस एम बी –II में कंपनी का योगदान	प्रोत्साहन	कुल
कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)	सी एम डी	3805795	881522	-	684609	107083	5479009
श्री एस पिरमनायगम (दि. 30.06.2020 से कार्यकाल समाप्त)	निदेशक (वित्त)	814374	188328	1309658	159029	469459	2940848
श्री एन श्रीनिवासुलू (दि. 01.07.2020 से नियुक्त)	निदेशक (वित्त)	2050560	475200	568320	909890	454258	4458228
श्री एन पी दिवाकर	निदेशक (तकनीकी)	3125975	724246	223092	761400	723883	5558596
श्री पी राधाकृष्ण	निदेशक (उत्पादन)	2875153	665950	401182	893640	484881	5320806

डी. अंशकालिक सरकारी निदेशकों (सरकारी नामित) को डी पी ई दिशानिर्देशानुसार किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तथा उन्हें निदेशक मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

ई. निदेशक मंडल ने दि. 22 नवंबर, 2013 को संपन्न अपनी बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए देय प्रति बैठक का प्रतिभागिता शुल्क बढ़ाकर रु. 20,000/- कर दिया है और बोर्ड स्तर की समितियों में भाग लेने के लिए देय प्रतिभागिता शुल्क रु. 10,000/- ही रखा है। वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को देय प्रतिभागिता शुल्क की समीक्षा की गई है और यह दि. 16 दिसंबर, 2019 की डी पी ई की कार्यालय ज्ञापन सं. 9 (23)/2014-एम जी एम टी के अनुपालन में है। स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किये गये पारिश्रमिक संबंधी विवरण के लिए वार्षिक विवरण का सार देखें।

एफ. स्टॉक विकल्प :- कंपनी में निदेशक मंडल / शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किसी प्रकार की स्टॉक विकल्प योजनाएँ / स्कीम मौजूद नहीं हैं।

जी. निदेशक मंडल के सदस्यों के मूल्यांकन संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) और लिस्टिंग विनियम 17 एवं 19 के प्रावधान आपके कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि इस संबंध में सभी सरकारी कंपनियों को छूट प्राप्त है। आगे, दि. 17 जनवरी, 2018 की पत्र सं. एस ई बी आई/एच ओ/ सी एफ डी / डी आई एल 1/ ओ डब्ल्यू / पी/2018/1679/1 के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ] के प्रावधानों के तहत आपकी कंपनी को इसी प्रकार की छूट मंजूर की गई है।

एच. निगम मामले मंत्रालय ने भी सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति तैयार करने से छूट दी है।

सी. हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (सरकारी कंपनियों को प्राप्त छूट छोड़ कर) और एस ई बी आई (एलओडीआर) विनियम 2015 के नियम 20 (सेबी द्वारा कंपनी को प्राप्त छूट छोड़ कर) और डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुरूप दि. 12 सितंबर, 2020 तक सक्रिय है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व न होने के कारण दि. 13 सितंबर 2020 से समिति को निलंबित कर दिया गया। स्वतंत्र निदेशकों के न होने के चलते वर्ष के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

विचारार्थ विषय :

- सूचीबद्ध इकाई के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार कर इनका समाधान करना। इनमें शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना और घोषित लाभांश प्राप्त न होना, नये / प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र जारी करना, आम बैठक आदि शामिल है।
- शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
- दावा न किये गये लाभांश को कम करने के लिए कंपनी द्वारा की गई पहल की समीक्षा करना और कंपनी की ओर से शेयरधारकों को लाभांश वारंट / वार्षिक विवरण / सूचनाएँ समय पर प्राप्त हों, इसका सुनिश्चयन कर इसकी समीक्षा करना।

कंपनी ने श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव को कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इनका संपर्क-सूत्र है :

श्री एन नागराजा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032
दूरभाष : 040-23456145, ई-मेल : investors@bdl-india.in

कंपनी तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर शिकायतों का जवाब देने का प्रयास करती है। लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 46 (2) (जे अण्ड के) के अनुसार उक्त ई-मेल आई डी तथा अन्य संबंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दिये गये हैं। आगे, एस ई बी आई शिकायत निवारण प्रणाली (एस सी ओ आर ई एस) पर दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए कंपनी का शेयर ट्रांसफर एजेंट मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लि. प्राधिकृत है।

सूचीबद्ध विनियमों के विनियम 13 (4) के अनुसार, बी एस ई और एन एस ई को दिये गये निवेशक शिकायतों पर त्रैमासिक विवरण निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल निवेशक शिकायतें और उनके निवारण की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष के आरंभ में लंबित कुल शिकायतों की संख्या	0
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या:	33
वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतों की संख्या:	33
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या:	0

डी. सी एस आर एवं सतत् विकास समिति :

सी एस आर एवं सतत् विकास समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुरूप दि. 12 सितंबर, 2020 तक सक्रिय है। निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दि. 13 सितंबर 2020 से समिति को निलंबित कर दिया गया।

वर्ष के दौरान दि. 29 जून, 2020 और दि. 31 अगस्त, 2020 को सी एस आर एवं सतत् विकास समिति की दो (02) बैठकें हुई। उक्त बैठकों में सदस्यों की संरचना, इनमें उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री अजय नाथ अध्यक्ष *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
2	श्री के एस संपत सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
3	श्रीमती लता नरसिम्हा मूर्ति सदस्य *	गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक	2	2
4	श्री एस पिरमनायगम सदस्य ^	कार्यपालक निदेशक	1	1
5	श्री एन पी दिवाकर सदस्य	कार्यपालक निदेशक	2	2
6	श्री एन श्रीनिवासुलू सदस्य #	कार्यपालक निदेशक	1	1

* दि. 13 सितंबर, 2020 से निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नहीं रहे। ^ दि. 01 जुलाई, 2020 से निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नहीं रहे। # दि. 01 जुलाई, 2020 से निदेशक मंडल में नियुक्त।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

विचारार्थ विषय :

- निदेशक मंडल को नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत् विकास संबंधी नीति की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास के लिए कार्य-योजना की सिफारिश करना तथा शीघ्र, मध्यम और दीर्घावधि में आरंभ की जाने वाली परियोजनाएँ तय करना।
- वार्षिक सी एस आर एवं सतत् विकास योजना तथा बजट की सिफारिश करना।
- सी एस आर एवं सतत् विकास नीति, योजना तथा बजट की आवधिक समीक्षा करना।

ई. जोख़िम प्रबंधन समिति :

सेबी (एस ओ डी आर) विनियमों में संशोधनों के आधार पर वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने दि. 31 अक्तूबर, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और सूची विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान दि. 28 दिसंबर, 2020 और दि. 26 मार्च, 2021 को इस समिति की दो (02) बैठकें हुई। वर्ष के दौरान रहे इस समिति के गठन और इसकी बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	श्रेणी / वर्ग	संबंधित सदस्य के कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	कुल बैठकों में उपस्थिति
1	श्री एन पी दिवाकर अध्यक्ष *	कार्यपालक निदेशक	2	2
2	श्री पी राधाकृष्ण सदस्य	कार्यपालक निदेशक	2	2
3	श्री एन श्रीनिवासुलू सदस्य *	कार्यपालक निदेशक	2	2

* दि. 01 जुलाई, 2020 से नियुक्त
निगम जोख़िम समिति के अध्यक्ष और मुख्य जोख़िम प्रबंधक भी इस समिति के सदस्य हैं और तदनुसार बैठकों में भाग लेते हैं।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव हैं।

विचारार्थ विषय :

- जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की गुणवत्ता, अखंडता और प्रभावशीलता की समीक्षा और आकलन करने के लिए विशेष रूप से कंपनी द्वारा उठाए गए साइबर सुरक्षा उपाय और यह सुनिश्चित करना कि जोखिम नीतियों और रणनीतियों को प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी चालू और नई व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और रिवार्ड के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उचित उपाय कर रही है।
- जोख़िम रणनीतियों, नीतियों, रूपरेखा, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में निदेशक मंडल की सहायता करना।
- कंपनी के भीतर जोख़िम प्रबंधन कार्य की प्रकृति, भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार की समीक्षा व मूल्यांकन करना और जोख़िम प्रबंधन कार्य के क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी ने जोख़िम की पहचान करने के लिए तथा मान्यताओं के एक बोर्ड सेट के खिलाफ संभावित प्रभाव को मापने के लिए एक प्रभावी चालू प्रक्रिया को लागू किया है और फिर इन जोख़िमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए व इन जोख़िमों का सामना करने की कंपनी की क्षमता व सहिष्णुता का निर्धारण करने के लिए।
- अतिरिक्त जोख़िमों की पहचान करने के लिए, यदि कोई हो और जोख़िम स्वीकृति सहित जोखिम न्यूनीकरण योजनाएं तय करें।

4. निदेशक मंडल की अन-अनिवार्य समितियाँ :

निदेशक मंडल की गैर-अनिवार्य समितियाँ इस प्रकार हैं :

ए. खरीद समिति :

निदेशक मंडल द्वारा सी एम डी के अधिकारों से परे नई परियोजनाओं (आर अण्ड डी परियोजनाओं सहित) की मंजूरी एवं समीक्षा के लिए दि. 29 जुलाई, 2011 को समिति गठित की गई थी जो प्रत्येक ऐसे मामले में अधिकतम रु. 25 करोड़ की मंजूरी दे सकती है और सी एम डी के अधिकारों से परे किंतु बोर्ड के अधिकारों के अधीन खरीद प्रस्ताव भी अनुमोदित कर सकती है।

खरीद समिति निम्नलिखित सीमाओं के भीतर क्रय आदेश देने / संविदा करने की मंजूरी / समीक्षा का अधिकार रखती है -

आधार	पूँजी की प्रकृति	राजस्व की प्रकृति
एकल निविदा / नामांकन एवं उचित संदर्भ	रु. 30 करोड़ तक	रु. 30 करोड़ तक
एकल निविदा मामलों से अलग	रु. 60 करोड़ तक	रु. 60 करोड़ तक
एकल निविदा से अलग (वर्क्स)	रु. 100 करोड़ तक	रु. 100 करोड़ तक

कंपनी ने इस समिति का पुनर्गठन किया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य कार्यकारी निदेशक सदस्य हैं। वर्ष के दौरान दि. 27 मई, 2020; दि. 06 जुलाई, 2020; दि. 28 अगस्त, 2020, दि. 07 अक्तूबर, 2020; दि. 05 नवंबर, 2020; दि. 15 जनवरी, 2021 और दि. 12 मार्च, 2021 को इस समिति की सात (07) बैठकें हुई।

बी) शेयर प्रमाण पत्र समिति

प्रतिलिपि प्रमाण पत्र जारी करने, डीमैटरियलाइजेशन और डीमैट अनुरोधों पर शेयर प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार कर अनुमोदन करने के लिए पदेन सदस्यों के रूप में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अध्यक्ष के रूप में और निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (उत्पादन) को सदस्य के रूप शामिल करते हुए शेयर प्रमाण-पत्र समिति का गठन किया गया है।

सी) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

सभी तीनों स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल दि. 12 सितंबर 2020 को पूरा हो गया। इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नहीं हुई।

कंपनी सचिव, बोर्ड स्तर की सभी समितियों के सचिव हैं।

5. आम सभाएँ :

कंपनी की सभी आम सभाएँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संपन्न हुई। विगत तीन वर्षों के दौरान संपन्न ऐसी बैठकों के विवरण इस प्रकार है –

वा.आ.स. की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	बैठक का समय	बैठक का स्थान	लिये गये कुल मुख्य संकल्प
50	2019-20	28 सितंबर, 2020	15:00 बजे	निगम कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से	शून्य
49	2018-19	27 सितंबर, 2019	15:30 बजे	होटल शेरटन, नानकरामगुड़ा	2
48	2017-18	27 सितंबर, 2018	15:00 बजे	होटल शेरटन, नानकरामगुड़ा	शून्य

ए) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार का विशेष संकल्प प्राप्त नहीं हुआ।

बी) पोस्टल बैलट का काम करने वाला व्यक्ति : लागू नहीं।

सी) पोस्टल बैलट के माध्यम से विशेष संकल्प आयोजित करने का प्रस्ताव : वर्तमान में, पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डी) पोस्टल बैलट की पद्धति : लागू नहीं।

6. संप्रेषण के माध्यम :

अपने शेयरधारक, निदेशक तथा अन्य भागीदारों के साथ कंपनी संप्रेषण के सभी माध्यम अपनाती है जिसमें पत्राचार और कंपनी की वेबसाइट (www.bdl-india.com) के साथ-साथ अन्य माध्यम शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है। इसमें कंपनी के उत्पाद, प्रबंधन की भविष्य-दृष्टि, मिशन, मानव संसाधन, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व और सातत्यता, निविदाओं का विवरण, ई-खरीद, सतर्कता, आर टी आई और अन्य अद्यतन जानकारी सहित समाचार शामिल रहे हैं। 'निवेशक' शीर्षक के अंतर्गत, शेयरधारक / निवेशकों की निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली, निवेशक / विश्लेषक को दी गई प्रस्तुतियाँ, कंपनी के कोड एवं नीतियाँ, वित्तीय परिणाम, शेयर ट्रांसफर एजेंट के संपर्क विवरण सहित शेयरहोल्डिंग पैटर्न और कंपनी से संबंधित अन्य गतिविधियाँ व सूचनाएँ दी जाती हैं।

कंपनी, सूचीकरण विनियमों की अनुसूची III के भाग 'ए' के साथ पठित विनियम 30 के तहत प्रकटन के लिए आवश्यक सभी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटित करती है। इसमें कंपनी के प्रदर्शन / संचालन या अन्य मूल्य संवेदनशील जानकारी को प्रभावित करने वाली सामग्री संबंधी जानकारी शामिल है। आधिकारिक मीडिया विज्ञप्तियाँ और संस्थागत निवेशकों / विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं।

सूचीयन विनियम के अनुसार, कंपनी के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के तुरंत बाद एन एस ई और बी एस ई को ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। साथ ही, कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.com पर भी दे दिये जाते हैं। इसके अलावा, कंपनी के वित्तीय परिणाम पूरे भारत में या लगभग पूरे भारत से प्रकाशित राष्ट्रीय स्तर के अंग्रेज़ी समाचार-पत्र और क्षेत्रीय भाषा के रूप में तेलुगु समाचार पत्र में और राजभाषा के नाते हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं।

7. सामान्य शेयरधारक संबंधी जानकारी

ए. वर्ष 2020-21 के लिए 51वीं आम सभा 27 सितंबर, 2021 को दोपहर 15.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी।

बी. कंपनी का वित्तीय वर्ष दि. 01 अप्रैल से आरंभ होता है और दि. 31 मार्च को समाप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 संबंधी परिणाम की घोषणा का अस्थाई कैलेंडर इस प्रकार है :

30.06.2021 को समाप्त तिमाही के लिए	14.08.2021 या उससे पहले
30.09.2021 को समाप्त तिमाही के लिए	14.11.2021 या उससे पहले
31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए	14.02.2022 या उससे पहले
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	30.05.2022 या उससे पहले
52वीं वार्षिक आम सभा	30.09.2022 या उससे पहले

सी. सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका दि. 21 सितंबर, 2021 से दि. 27 सितंबर, 2021 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

डी. लाभांश का भुगतान, घोषणा के 30 दिन के भीतर किया जाएगा।

ई. कंपनी के ईक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं :

दि बी एस ई लिमिटेड ('बीएसई') पी जे टावर्स, 26वाँ तल, **दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001**	**नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई')** एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए दोनों शेयर बाजारों को सूची शुल्क का भुगतान कर दिया है।

एफ. संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी के ईक्विटी शेयरों का आबंटित स्टॉक कोड और कंपनी के ईक्विटी शेयर व्यापार के लिए जमाकर्ताओं द्वारा दी गई आई एस आई एन नंबर का विवरण इस प्रकार है :

स्टॉक एक्सचेंज	**स्टॉक कोड**
बी एस ई	541143
एन एस ई	बीडीएल
आई आई आई एन	INE171Z01018
एम सी ए सी आई एन	L24292TG1970GOI001353

जी. **शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का समाधान**

कंपनी, नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एसडी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सी डी एस एल) के साथ निवेशित पूंजी, कुल जारी तथा सूचीबद्ध पूँजी का समाधान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक पेशेवर कंपनी सचिव से शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का समाधान प्राप्त करती है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पुष्टि करती है कि कुल जारी / भुगतान पूँजी भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के उपलब्ध डीमेटीरियलाइजड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट बीएसई और एनएसई को अग्रेषित की जाती है जहाँ ये शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी छ: माह के अंतराल पर पेशेवर कंपनी सचिव से एक अनुपालन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त करती है जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि हस्तांतरण संबंधी अनुरोध हर तरह से संसाधित किये गये हैं और हस्तांतरण पृष्ठांकन सहित शेयर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर कंपनी द्वारा जारी कर दिये गये हैं। अनुपालन संबंधी यह प्रमाण पत्र बीएसई और एनएसई को अग्रेषित किया जाता है जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दोनों जमाकर्ता यथा – एन एस डी एल और सी डी एस एल को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है।

एच. **बाजार मूल्य डॉटा**

बी एस ई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन एस ई) में कंपनी के शेयर के उच्च / न्यून बाजार मूल्य इस प्रकार हैं :

i) वर्ष 2020-21 के दौरान के दौरान बी एस ई सेंसेक्स की तुलना में बी एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

बीएसई

महीना	बीएसई सेंसेक्स बंद	एस अण्ड पी बी एस ई 500 बंद (सेक्टोरल इंडेक्स)	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (रुपये लाख में)
			उच्च रुपये	न्यूनतम रुपये	बंद रुपये		
अप्रैल, 2020	33717.62	12721.00	248.00	180.05	216.85	108253	241.39
मई, 2020	32424.10	12414.85	250.90	207.00	234.90	305354	709.91
जून, 2020	34915.80	13438.14	355.70	227.10	333.45	735961	2231.02
जुलाई, 2020	37606.89	14346.18	454.25	310.55	384.15	4108458	16341.27
अगस्त, 2020	38628.29	14890.06	481.25	380.00	396.60	1642692	7195.12
सितंबर, 2020	38067.93	14851.00	408.85	280.70	314.65	1673355	5485.78
अक्तूबर, 2020	39614.07	15215.01	334.70	288.00	289.30	301565	931.09
नवंबर, 2020	44149.72	16995.01	331.90	285.00	327.65	427386	1324.10
दिसंबर, 2020	47751.33	18300.10	356.25	297.50	339.10	752902	2523.81
जनवरी, 2021	46285.77	17975.30	365.00	324.15	330.95	672724	2331.91
फरवरी, 2021	49099.99	19371.25	379.80	330.60	350.80	1002520	3536.25
मार्च, 2021	49509.15	19601.95	391.00	330.35	332.60	740599	2677.75

वर्ष 2020-21 के दौरान बी एस ई सेंसेक्स बंद होने की स्थिति के साथ बी एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत की गयी है :

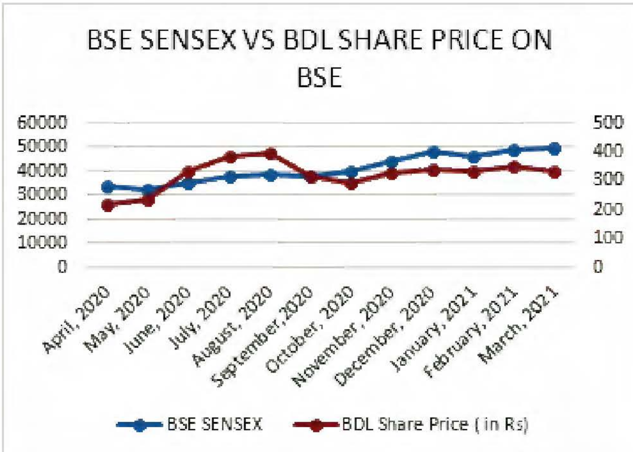

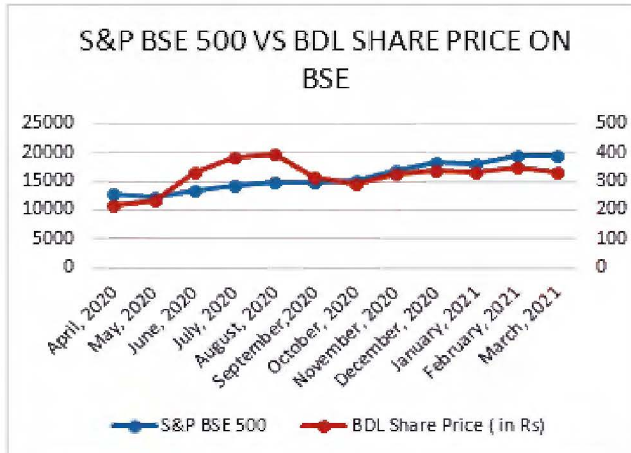

ii) वर्ष 2020-21 के दौरान एन एस ई सेंसेक्स की तुलना में एन एस ई पर बी डी एल शेयर का मूल्य इस प्रकार है :

एनएसई

महीना	एन एस ई निफ्टी बंद	निफ्टी इन्फ्रा बंद (सेक्टोरल इंडेक्स)	बीडीएल शेयर मूल्य			कुल शेयर जिन का कारोबार किया गया	टर्नओवर (रुपये लाख में)
			उच्च रुपये	उच्च रुपये	उच्च रुपये		
अप्रैल, 2020	9859.90	2753.15	248.40	180.15	216.30	1396607	3116.36
मई, 2020	9580.30	2845.15	252.00	207.10	235.00	4985191	11609.26
जून, 2020	10302.10	3032.35	357.00	224.00	333.25	12143800	37303.76
जुलाई, 2020	11073.45	3153.40	455.00	311.00	384.85	58429463	233222.52
अगस्त, 2020	11387.50	3163.50	481.70	380.60	396.00	27659025	120980.60
सितंबर, 2020	11247.55	3080.95	408.50	280.40	314.75	21595236	69954.76
अक्तूबर, 2020	11642.40	3129.65	333.40	288.00	289.40	5592645	17280.76
नवंबर, 2020	12968.95	3424.75	331.65	285.50	327.70	6610946	20662.07
दिसंबर, 2020	13981.75	3650.95	356.00	297.10	340.35	7971758	26906.39
जनवरी, 2021	13634.60	3671.85	365.90	323.95	331.00	10076931	35063.68
फरवरी, 2021	14529.15	4110.35	380.00	330.50	350.30	12236690	43268.94
मार्च, 2021	14690.70	4087.80	391.05	330.01	332.55	9979740	36305.14

वर्ष 2020-21 के दौरान एन एस ई निफ्टी बंद होने की स्थिति के साथ एन एस ई निफ्टी और निफ्टी-पी एस ई पर कंपनी के शेयर मूल्य के बंद होने के कोटेशन की तुलनात्मक प्रस्तुति निम्न ग्राफ के रूप में प्रस्तुत की जाती है :

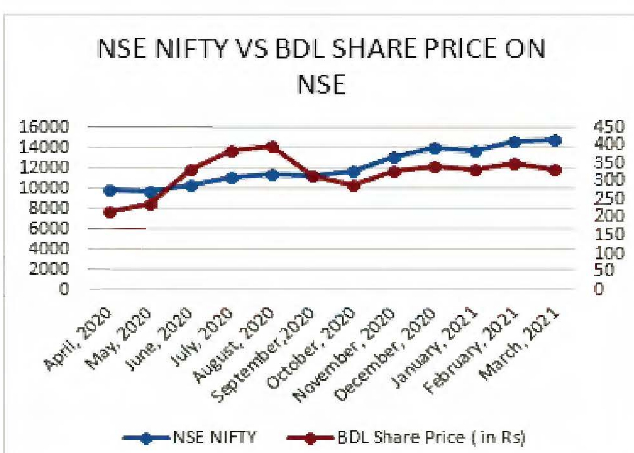

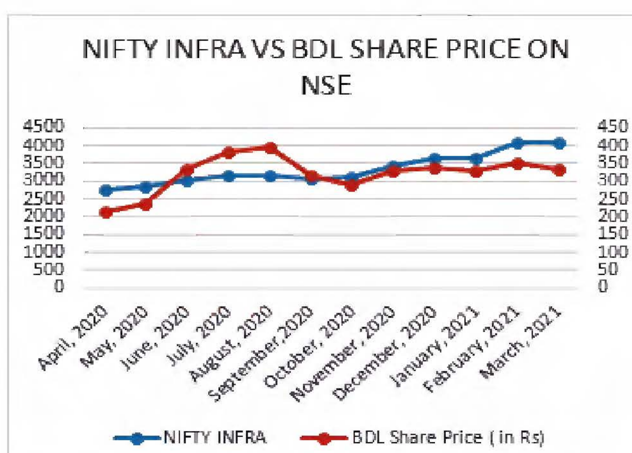

आई. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

एस ई बी आई के साथ पंजीकृत श्रेणी 1 के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, दिल्ली हमारी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं। लाभांश संबंधी सभी समस्याएँ, शिकायत सहित डीमेटीरियलाइजेशन / रीमेटीरियलाइजेशन अनुरोध और तत्संबंधी मामलों सहित शेयर हस्तांतरण / ट्रांसमिशन / स्प्लिट / समेकन / प्रमाण-पत्र की अनुलिपि जारी करने / पते में परिवर्तन संबंधी अनुरोध भेजने के लिए आर टी ए का पता इस प्रकार है :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
सेबी पंजीकरण सं. INR000002532
4ई/2 झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
दूरभाष : +91 11 42541234; फेकस्माइल : +91 11 41543474
ई-मेल : rta@alankit.com वेबसाइट : www.alankit.com

जे. शेयर ट्रांसफर प्रणाली

इलेक्ट्रॉनिक रूप में हस्तांतरित शेयर के संदर्भ में, ब्रोकर द्वारा खरीद / बिक्री के लेन-देन की पुष्टि के बाद, शेयरधारक को इस लेन-देन संबंधी लेखा के विकलन / जमा का अनुरोध करते हुए अपने संबंधित डिपाजिटरी प्रतिभागी (डी पी) से सपंर्क करना चाहिए। कंपनी या एस टी ए के साथ अलग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

यशासंशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों को दि. 01 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के संचरण या अंतरण के लिए प्राप्त अनुरोध न होने तक केवल अभौतिकीकृत रूप में अंतरित किया जा सकता है। हालाँकि, शेयरधारकों को भौतिक रूप में शेयर रखने से रोक नहीं है। भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को डीमेटीरियलाइज्ड फार्म में बदलें।

के. दि. 31 मार्च, 2021 तक शेयरधारण का वितरण

श्रेणी	कुल शेयरधारक	%	कुल शेयर	%	भौतिक रूप में		डीमैट	
					कुल शेयरधारक	कुल शेयर	कुल शेयरधारक	कुल शेयर
1 - 500	128829	98.19	7860405	4.29	2	88	128828	7860317
501-1000	1492	1.14	1160757	0.63	0	0	1492	1160757
1001-2000	495	0.38	742910	0.41	0	0	495	742910
2001-3000	156	0.12	401872	0.22	1	2100	155	399772
3001-4000	44	0.03	158520	0.09	0	0	44	158520
4001-5000	47	0.04	224280	0.12	0	0	47	224280
5001-10000	82	0.06	592442	0.32	0	0	82	592442
10001और उससे अधिक	64	0.05	172140064	93.92	0	0	64	172140064
कुल	**131209**	**100.00**	**183281250**	**100.00**	**3**	**2188**	**131207**	**183279062**

एल. शेयर का डीमेटीरियलाइजेशन और परिसमापन

कंपनी के शेयर दोनों ही डिपाजिटरियों यथा – नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्वीसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) में दिये गये हैं। दि. 31 मार्च, 2021 तक इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक रूप में उपलब्ध शेयरों की संख्या इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	कुल शेयर	%
1	एन एस डी एल	177602928	96.9
2	सी डी एस एल	5676134	3.1
3	भौतिक रूप में	2188	0
	कुल	**183281250**	**100**

कंपनी के शेयर बहुत चलनिधि गत हैं और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सक्रिय रूप से इसका कारोबार हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए टर्नओवर का डाटा इस प्रकार है:

विवरण	बीएसई	एनएसई	कुल
कारोबार किये गये शेयर	12471769	178678032	**191149801**
मूल्य (रुपये लाख में)	45529.40	655674.24	**701203.64**

एम. बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंट

कोई भी बकाया जी डी आर / ए डी आर / वारंटी या अन्य परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।

एन. पण्य मूल्य / विदेशी विनिमय जोख़िम तथा हेड्जिंग गतिविधियाँ :

इस संबंध में आवश्यक जानकारी का प्रकटन वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में किया गया है।

ओ. **सयंत्र के स्थान**

<table>
<tr><td colspan="2" align="center">भारत डायनामिक्स लिमिटेड
कंचनबाग, हैदराबाद-500058
दूरभाष : (040)-24587002
फैक्स : (040)-24347513</td></tr>
<tr><td>भारत डायनामिक्स लिमिटेड
भानूर, पटानचेरु मंडल
संगारेड्डी जिला
हैदराबाद-502305
दूरभाष: (040)-23469551
फैक्स : (040)-23469552</td><td>भारत डायनामिक्स लिमिटेड
"जी" ब्लॉक, ए पी आई आई सी – आई ए एल ए
वी एस ई जेड पोस्ट
विशाखापट्टणम-530049
दूरभाष : (0891)- 2821500
फैक्स : (0891)- 2821502</td></tr>
</table>

पी. **पत्राचार का पता / निगम कार्यालय**

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
सी आई एन : L24292TG1970GOI001353
निगम कार्यालय, प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500 032
दूरभाष : (040) 23456123 फैक्स : (040) 23456110
ई-मेल : investors@bdl-india.in
वेबसाइट : www.bdl-india.in

क्यू. **क्रेडिट रेटिंग**

कंपनी ने रु. 410 करोड़ की राशि के लिए लघु अवधि बैंक सुविधाओं के लिए मेसर्स सी आर आई एस आई एल से 'A1+' (पुन:अभिपुष्ट) रेटिंग प्राप्त की है।

8. अन्य प्रकटीकरण :

ए. दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त या सहयोगी कंपनी नहीं है। सार नीति कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/policies-codes पर उपलब्ध है।

बी. वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के निदेशकों के साथ ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया जिससे मोटे तौर पर कंपनी के हित से टकराव की आशंका हो। निदेशक मंडल के सदस्य पारिश्रमिक लेने के अतिरिक्त (जहाँ लागू हो) कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तु, धन संबंध या लेन-देन नहीं रखते हैं जिससे निदेशक मंडल में निदेशकों द्वारा फैसला लेने की स्वतंत्रता प्रभावित हो।

सी. कंपनी ने किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है जिससे बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध हो सकता है। यद्यपि, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में लेखे की टिप्पणी संख्या 39 (9) में किया गया है। कंपनी ने लिस्टिंग की विनियम सं. 46 (2) (जी) के अनुसार कंपनी और संबंधित पार्टियों के बीच होने वाले लेन-देन को नियमित करने के लिए 'पार्टी संबंधी लेन-देन नीति' तैयार की है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर उपलब्ध करायी गयी है।

डी. वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशकों (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति नहीं की और निदेशक मंडल की संरचना (विनियम 17), निदेशक मंडल की बैठकों के कोरम (विनियम 17 ए) से संबंधित प्रावधान, लेखा परीक्षा समिति (विनिमय 18) से संबंधित प्रावधान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (विनियम 19) से संबंधित प्रावधान, हितधारक संबंध समिति (विनियम 20) से संबंधित प्रावधान का अनुपालन नहीं किया।। तदनुसार, दि. 22 जनवरी, 2020 की 'सेबी' की परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/12 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज (यानी बीएसई और एनएसई) ने दि. 30 जून 2020; दि. 30 सितंबर, 2020 दि. 31 दिसंबर, 2020 और दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जिसका कंपनी ने अनुपालन नहीं किया है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश या कैपिटल मार्केट संबंधी किसी विषय को लेकर स्टॉक एक्सेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा विगत तीन वर्ष के दौरान कंपनी पर न कोई जुर्माना लगा है और नही कोई आक्षेप लगाया गया है।

ई. विज़िल ब्लोअर मेकानिज़्म / विजिल मेकानिज़्म :

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन के दिशा-निर्देश 2010 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 का अनुपालन किया गया है। कंपनी की विज़िल ब्लोअर नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि कोई भी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिल सकता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति या उसके अध्यक्ष से मिलने से मना नहीं किया गया।

एफ. संव्यवहार की प्रकृति एवं प्रकटन की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वर्ग रिपोर्टिंग से संबद्ध भारतीय लेखा मानक 108 को छोड़कर अनुप्रयोज्य सभी लेखा मानदंडों का अनुपालन किया गया है। तथापि ऐसी अनुप्रयोज्यता का प्रकटीकरण न करने पर कंपनी के लेखाओं पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है। लेखाओं की अंगभूत टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन किया जा रहा है।

जी. वर्ष 2020-21 के दौरान, निदेशक मंडल ने अनिवार्यत: बनायी गयी समितियों की सभी सिफारिशों को स्वीकार किया है।

एच. व्यय की ऐसी कोई भी मद लेखा-बही के खर्चे में नहीं दिखायी गयी जो संव्यवहार संबंधी नहीं थी।

आई. निदेशक मंडल तथा उच्च प्रबंधन के व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए कंपनी ने किसी प्रकार का व्यय नहीं किया है।

जे. प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय के विवरण वित्तीय व्यय के सदृश्य कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दिखाए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	2020-21	2019-20
1	कुल व्यय (सामग्री के अलावा)	826.32	932.72*
2	प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	9.93	15.78
3	(1) पर (2) का प्रतिशत	1.20%	1.69%

* आँकड़ों का पुनर्वर्गीकरण और पुनर्समूहन किया गया है।

के. **राष्ट्रपति के आदेश और दिशानिर्देश :**

कंपनी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में जारी राष्ट्रपति के निर्देश तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन करती आ रही है। इस विषय से जुड़े अधिकारियों को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से तत्संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

बी डी एल ने दि. 01 जनवरी, 2017 से अधिकारियों के वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में जारी राष्ट्रपति निर्देश लागू किये हैं।

एल. कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक और नेटवर्क फर्म नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं को समेकित आधार पर सभी सेवाओं के लिए भुगतान की गई कुल शुल्क का विवरण इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

विवरण	2020-21	2019-20
लेखापरीक्षा शुल्क	10.00	10.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.25	0.70
अन्य सेवाएँ	4.50	2.70
कुल	**15.75**	**13.40**

एम. इसके व्यवसाय से संबंधित प्रत्यक्षत: किये गये उसके आनुषंगिक व्यय, जो कर्मचारी / पूर्व कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत किये गये खर्च के अलावा अन्य कोई मद खाते की पुस्तकों में डेबिट नहीं किए गए।

एन. भुगतान नहीं किये गये और दावा नहीं किए गए लाभांश विवरण : कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ('आई ई पी एफ') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पढ़ा गया विवरण, भुगतान नहीं किये गये और दावा नहीं किये गये लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का पिछले सात साल की जानकारी कंपनी की वेबसाइट https://bdl-india.in/ पर उपलब्ध है। इसके अलावा, पिछले वर्षों से कोई दावा न किया गया लाभांश दि. 31 मार्च, 2021 तक IEPF में अंतरित नहीं किया जाना है। दि. 31 मार्च 2021 को दावा न किए गए लाभांश का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	शेयरधारकों की कुल संख्या	(रुपये में)
अंतिम लाभांश 2017-18	1052	378372.87
अंतरिम लाभांश 2018-19	965	253848.00
अंतरिम लाभांश 2018-19	938	86482.62
अंतरिम लाभांश 2019-20	1512	498193.75
अंतरिम लाभांश 2019-20	1041	148689.30
कुल	**5508**	**1365586.54**

ओ. डीमैट उचंत खाते / दावा न किए गए उचंत खाते संबंधी विवरण : दि. 31 मार्च, 2021 तक डीमैट उचंत खाते/दावा न किए गए उचंत खाते में कोई शेयर बकाया नहीं है।

पी. कंपनी ने सूचीकरण विनियमों के विनियम 32(7ए) में निर्दिष्ट के अनुसार अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों की नियुक्ति के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

9. कार्य-स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

वर्ष के आरंभ में कुल शिकायतें	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	शून्य
वर्ष के दौरान निपटान की गयी शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

10. अन-अनुपालन का विवरण :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशक मंडल में पर्याप्त स्वतंत्र निदेशकों (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति नहीं की और निदेशक मंडल की संरचना (विनियम 17), निदेशक मंडल की बैठकों की कोरम (विनियम 17 ए) से संबंधित प्रावधान, लेखापरीक्षा समिति (विनिमय 18) से संबंधित प्रावधान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (विनियम 19) से संबंधित प्रावधान, हितधारक संबंध समिति (विनियम 20) से संबंधित प्रावधान का अनुपालन नहीं किया।। तदनुसार, दि. 22 जनवरी, 2020 की 'सेबी' की परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/12 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज (यानी बीएसई और एनएसई) ने दि. 30 जून 2020; दि. 30 सितंबर, 2020 दि. 31 दिसंबर, 2020 और दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए कंपनी पर जुर्माना लगाया है। हालाँकि, कंपनी ने सूचित किया है कि रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति और पारिश्रमिक, मूल्यांकन आदि सहित उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें, भारत सरकार के अधीन होते हैं। इस तरह जुर्माने नहीं लगाने चाहिए। तदनुसार बीएसई और एनएसई को उत्तर भेजा गया और कोई जुर्माना नहीं लगाया गया।

11. अधिदेशी प्रावधानों का अनुपालन :

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 में गैर-अनिवार्य सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति इस प्रकार है:

- कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक) का पद है और कोई कार्यपालकेतर अध्यक्ष नहीं हैं।
- कंपनी के वित्तीय विवरण का प्रकटन, लेखा राय में बिना किसी परिवर्तन के किया गया है।
- शेयरधारकों के साथ संप्रेषण की प्रभावी प्रक्रिया मौजूद है। इसकी पद्धति 'संप्रेषण के माध्यम' शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट की गयी है।
- अपर महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) प्रशासनिक तौर पर निदेशक (वित्त) एवं सी एफ ओ को रिपोर्ट करते हैं और ये लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किये जाते हैं।

12. इनसाइडर ट्रेडिंग (अंदरूनी कारोबार) रोकने तथा उचित प्रकटीकरण के लिए संहिता :

एस ई बी आई (इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी ने कंपनी सुरक्षा संबंधी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा पारदर्शी / योजनाबद्ध प्रकटीकरण / निवेशक / जनता को सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए आचरण संहिता तथा प्रकटीकरण पद्धति अपनायी है। इस संहिता के अंतर्गत परिभाषित संबंधित व्यक्ति को ट्रेडिंग विंडो के दौरान निर्धारित सीमाओं से आगे सुरक्षा संबंधी डील करते समय सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होती है। इस संहिता के अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आवधिक प्रकटीकरण भी ज़रूरी है। आचरण संहिता और उचित प्रकटीकरण पद्धति कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in पर दी गई है। इस कोड में एस ई बी ई (अंदरूनी व्यापार रोकथाम) संशोधन विनियम, 2018 के अनुसार संशोधन किया गया है जो दि. 01 अप्रैल, 2019 से लागू है।

नीति यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि अंदरूनी सूत्र कंपनी की ऐसी मूल्य संवेदनशील जानकारी जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, प्रकट कर कोई लाभ प्राप्त न करें या कोई लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य की सहायता न करें।

13. अनुपालन

कंपनी ने निदेशक मंडल के लिए कोरम सहित निदेशक मंडल की संरचना, विभिन्न समितियों की बैठकें और गठन को छोड़कर लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियम 46 के उप-विनियम (2) के विनियम 17 से 27 और खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है। कंपनी नैगमिक अभिशासन पर स्टॉक एक्सचेंजों और सरकार को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती रही है। जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक है, कंपनी द्वारा नैगमिक अभिशासन की शर्तों के अनुपालन में लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17 (8) के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी अनुपालन प्रमाण पत्र दि. 21 जुलाई, 2021 को संपन्न निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

15. निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आचरण संहिता

डी पी ई द्वारा सी पी एस ई के नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश 2010 के सुझाव तथा एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (5) के अधीन कंपनी ने अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए संव्यवहार नीति एवं आचरण संहिता अपना रखी है। यह आचरण संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2020-21 के दौरान आचरण संहिता के अनुपालन का वचन-पत्र दिया है। इस संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा निम्नवत है :

16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और लागू कानून, नियम और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल की ओर से तथा निदेशक मंडल के लिए,

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र, (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी आई एन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 21 जून, 2021

PUTTAPARTHI JAGANNATHAM & CO.
COMPANY SECRETARIES

नैगमिक अभिशासन संबंधी प्रमाण-पत्र *

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) द्वारा दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नैगमिक अभिशासन के अनुपालन का परीक्षण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्ध विनियम) के संबंधित प्रावधान, सूचीबद्ध विनियम के विनियम 15 (2) में संदर्भित अनुसार एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी पी ई) द्वारा जारी नैगमिक अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देश के अनुसार किया है।

नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा यह परीक्षण नैगमिक अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है। यह न तो कंपनी की लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी विचाराभिव्यक्ति।

हमारी राय व हमें प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के पचास प्रतिशत की आवश्यकता संबंधी विनियम 17 छोड़कर उपर्युक्त लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित नैगमिक अभिशासन संबंधी सभी नियमों का अनुपालन किया है। इसी क्रम में विनियम 25 (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद भरे नहीं जाने से सेबी (एल ओ डी आर) विनियम के विनियम 17 (2 ए) के तहत निदेशक मंडल का कोरम और बैठकें, विनियम 18 के तहत लेखापरीक्षा समिति का गठन, विनियम 19 के तहत नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन, विनियम 20 के तहत हितधारक संबंध समिति का गठन के अनुपालन नहीं किया गया।

Puttaparthi Jagannatham & Co. Company Secretaries ★Hyderabad★

***अनूदित पाठ**

315, Bhanu Enclave, Sundar Nagar, ESI, Hyderabad - 500 038, Telangana.
Tel : 040-23701964/ 23701374/ Mobile: 99852 82222
Email: pjandcofirm@gmail.com, csnavjyoth@gmail.com, Website: www.pjandco.info

हम आगे यह भी व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा संचालित कंपनी की गतिविधियाँ इसकी भावी व्यवहार्यता न ही किसी दक्षता या प्रभावधर्मिता के प्रति कोई आश्वासन देती है।

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 04.06.2021

कृते – पुट्टपर्ति जगन्नाथम अण्ड कंपनी
कंपनी सचिवगण

Puttaparthi Jagannatham & Co. Company Secretaries Hyderabad

सीएस नवज्योत पुट्टपर्ति
भागीदार
भागीदार सं. F 9896, सी पी नं. 16041
यू डी आई एन : F009896c000422979

** अनूदित पाठ*

PUTTAPARTHI JAGANNATHAM & CO.
COMPANY SECRETARIES

निदेशकों की गैर-निरर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र*

एस ई बी आई (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा 'सी' उपबंध (10) (i) के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्य
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हैदराबाद।

हमने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के सूची V के पैरा C के उप खण्ड 10 (i) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 34 (3) के अनुपालन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, CIN L24292TG1970GOI001353, और जिसका पंजीकृत कार्यालय कंचनबाग, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित है और जिसका निगम कार्यालय प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, तेलंगाना, हैदराबाद में स्थित (आगे से 'कंपनी' के नाम से अभिहित किया जाएगा।) के निदेशकों से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए दी गयी संबंधित पंजियाँ, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और रजिस्टर, रिकॉर्ड और प्रकटीकरण की जाँच की है।

हमारी राय और हमें प्राप्त अधिकतम जानकारी तथा यथावश्यक कंपनी रिकॉर्ड (www.mca.gov.in पोर्टल में दिये गये डायरेक्टर्स आईडेंटिफिकेशन नंबर (डी आई एन) सहित) की जाँच और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के निदेशक मंडल के किसी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड /निगम मामले मंत्रालय या किसी प्राधिकरण द्वारा अपनी नियुक्ति या कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहने से विवर्जित या निरर्ह नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / इनके बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जाँच के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही कंपनी मामलों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है।

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 04.06.2021

कृते – पुट्टपर्ति जगन्नाथम अण्ड कंपनी
कंपनी सचिवगण

Puttaparthi Jagannatham & Co. Company Secretaries *Hyderabad*

सीएस नवज्योत पुट्टपर्ति
भागीदार
भागीदार सं. F 9896, सी पी नं. 16041
यू डी आई एन : F009896c000422968

***अनूदित पाठ**

315, Bhanu Enclave, Sundar Nagar, ESI, Hyderabad - 500 038, Telangana.
Tel : 040-23701964/ 23701374/ Mobile: 99852 82222
Email: pjandcofirm@gmail.com, csnavjyoth@gmail.com, Website: www.pjandco.info

अनुलग्नक-VI

संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड 'ए' : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी की नैगमिक पहचान संख्या (सी आई एन)	L24292TG1970GOI001353
2	कंपनी का नाम	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	कंचनबाग, हैदराबाद-500058.
4	पता	प्लाट नं.38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद - 500032 टेलिफोन: 040 - 23456145 फैक्स: 040 - 23456107
5	वेबसाइट	www.bdl-india.in
6	ई-मेल आईडी	investors@bdl-india.in
7	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष	2020-21
8	क्षेत्र जिसमें कंपनी शामिल है (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार)	अस्त्र प्रणाली का विनिर्माण (25200)
9	कंपनी तीन प्रमुख उत्पाद / सेवाएँ बताएँ जो कंपनी बनाती / प्रदान करती है (तुलन-पत्र में उल्लिखित अनुसार)	मिसाइल और संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण
10	कुल स्थान जहाँ कंपनी का संव्यवहार कार्य होता हो	4
	ए. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों के विवरण दें)	शून्य
	बी. देश में स्थानों की संख्या	4
11	कंपनी द्वारा संचालित बाजार - स्थानीय / राज्य स्तरीय / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय

खण्ड 'बी' : कंपनी के वित्तीय विवरण

1	प्रदत्त पूँजी (भारतीय रुपये)	1832812500
2	कुल टर्नओवर (भारतीय रुपय)	1914 करोड़
3	कुल कराधान बाद लाभ (भारतीय रुपये)	258 करोड़
4	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पर कुल व्यय (भारतीय रुपये)	15.40 करोड़
5	उपर्युक्त मद सं. 4 के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर व्यय किया गया हो, उसकी सूची	बी डी एल की सी एस आर गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में संपन्न की जाती हैं: • शिक्षा और कौशल विकास • ग्रामीण विकास • खेल-कूद और स्वच्छ भारत परियोजनाएँ • पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी पहल

खण्ड 'सी' : अन्य विवरण

1	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी / कंपनियाँ हैं?	नहीं
2	सहायक कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व की पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या बताएँ।	लागू नहीं
3	क्या कोई ऐसी इकाई / इकाइयाँ (उदाहरण : आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) हैं जिनके साथ कंपनी संव्यवहार करती हो और वे संस्था / संस्थाएँ कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व पहल में भाग लेते हैं? यदि हाँ तो ऐसी इकाई / इकाइयों का प्रतिशत बताएँ। [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]	नहीं

खण्ड 'डी' : संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी जानकारी

1	संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण (ए) संव्यवहार उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण डी आई एन नंबर नाम पदनाम (बी) संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान के विवरण डी आई एन नंबर (यदि लागू हो तो) नाम पदनाम दूरभाष सं. ई-मेल आई डी	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सातत्यता संबंधी संव्यवहार उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों का अनुवीक्षण निदेशक मंडल की नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सातत्यता विकास (सी एस आर अण्ड एस डी) समिति द्वारा किया जाता है। सी एस आर अण्ड एस डी समिति के गठन का विवरण नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी के सर्वांगीण संव्यवहार का उत्तरदायित्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का है जो संबंधित समूह प्रधान द्वारा इनका कार्यान्वयन करवाते हैं : बी डी एल के सी एम डी का विवरण इस प्रकार है : डी आई एन : 08367035 नाम : कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) पदनाम : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दूरभाष : 040-23456123 ई-मेल : cmdbdl@bdl-india.in निदेशक मंडल द्वारा किसी भी निदेशक को संव्यवहार उत्तरदायित्व के प्रधान की जिम्मेदारियाँ नहीं दी गई हैं।

2. सिद्धान्तवार (एन वी जी अनुसार) संव्यवहार विकास नीति / नीतियाँ

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा-निर्देशा (एन वी जी) में दर्शाये गये नौ (9) सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :

सिद्धान्त-1	संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।
सिद्धान्त-2	संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने प्रयोग-काल में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।
सिद्धान्त-3	संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
सिद्धान्त-4	व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित समूह के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
सिद्धान्त-5	संव्यवहार में मानवाधिकारों का सम्मान और इसका बढ़ावा होना चाहिए।
सिद्धान्त-6	संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसके पुन:स्थापन के प्रयास होना चाहिए।
सिद्धान्त-7	सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।
सिद्धान्त-8	समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।
सिद्धान्त-9	संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।

ए) अनुपालन का विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर दें।)

सं.	प्रश्न	पी-1	पी-2	पी-3	पी-4	पी-5	पी-6	पी-7	पी-8	पी-9
1	क्या आपकी कंपनी में संव्यवहार उत्तरदायित्व के लिए कोई नीति / नीतियाँ लागू हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है?	हाँ। आंतरिक तौर पर गहन परामर्श कर, कंपनी के सभी प्रकार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए नीति तैयार की गयी है। कंपनी संबंधी विभिन्न नीतियाँ सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों / संचालन के क्षेत्र में बतायी गयी सभी कार्यपद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुपालन करती है।								
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुरूप है ?	हाँ। बी डी एल में विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न लागू कानून / दिशानिर्देश / नियमों आदि के अनुरूप हैं और समय-समय पर इनका अद्यतन किया जाता है। नीतियाँ तैयार करते समय उद्योग प्रथाओं, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों का ध्यान रखा जाता है।								
4	क्या निदेशक मंडल द्वारा इस नीति को अनुमोदन प्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या प्रबंध निदेशक / मालिक / सी ई ओ / बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	विभिन्न लागू कानून / विधियों / नियमों / दिशानिर्देशों आदि के तहत सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत बोर्ड या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाता है।								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी के पास निदेशक मंडल / निदेशक/ अधिकारी की कोई निर्दिष्ट समिति है?	वार्षिक विवरण का अंग नैगमिक अभिशासन रिपोर्ट में दिये गये अनुसार विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।								
6	नीति ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएँ।	नीतियाँ कंपनी वेबसाइट www.bdl-india.in/investors पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को सूचित की गई है?	हाँ। कंपनी की नीतियाँ और परिचालन प्रणाली कंपनी की वेबसाइट और इंट्रानेट पर उपलब्ध हैं। गुणता, स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण नीतियाँ कंपनी परिसर में सभी प्रमुख जगहों पर प्रदर्शित की गयी हैं।								
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए कोई आंतरिक व्यवस्था मौजूद है?	हाँ। कंपनी के माल और सेवाओं को सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए सुव्यवस्थित आंतरिक बुनियादी ढाँचे, मानव-शक्ति समूह, दस्तावेजीकृत मानक परिचालन पद्धति तथा अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी स्थापित है।								
9	क्या नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए कंपनी में नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ।								
10	क्या कंपनी ने इस नीति की कार्यात्मकता का आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया है?	कंपनी, नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखाकार लेखापरीक्षा, लागत लेखापरीक्षा, साचिविक लेखापरीक्षा, गुणता लेखापरीक्षा, संरक्षा लेखापरीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखापरीक्षा आदि विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अधीन है। ये लेखापरीक्षाएँ विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।								

(बी) यदि क्र.सं. 1 के प्रश्न का उत्तर किसी सिद्धांत के प्रति 'नहीं' हो तो इसका कारण बताएँ। लागू नहीं।

3. संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी अभिशासन

(ए)	(ए) कंपनी के संव्यवहार उत्तरदायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या सी आई ओ की बारंबारिता बताएँ।	कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन दैनिक आधार पर संव्यवहार उत्तरदायित्व कार्यनिष्पादन की समीक्षा करता है। इसके द्वारा गठित बोर्ड / समितियाँ वार्षिक रूप से इसकी समीक्षा करती हैं।
(बी)	(बी) क्या कंपनी संव्यवहार उत्तरदायित्व या सातत्यता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? यह लिंक देखने के लिए कौन-सा हाइपरलिंक है? कितने अंतराल से यह प्रकाशित किया जाता है?	हाँ। कंपनी, अपने वार्षिक विवरण के अंग के रूप में संव्यवहार उत्तरदायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट http://www.bdl-india.in/investors पर देखी जा सकती है।

खण्ड-ई :सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : संव्यवहार नैतिक मूल्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ खुद-ब-खुद स्व-संचालित और अभिशासित होना चाहिए।		
1	क्या नैतिक मूल्य, घूसकोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी तक ही सीमित है? हाँ / नहीं। क्या यह ग्रुप / संयुक्त / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य पर भी लागू है?	हाँ। कंपनी में 'एकता समझौता' लागू है जिस पर बिडर द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं ताकि समय-समय पर जारी होने वाली रु. 2 करोड़ के ऊपर के उच्च मूल्य वाली निविदाओं के संबंध में कोई सवाल हो तो उठाये जा सकें। इस 'एकता समझौता' के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए उच्च प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। इस समझौते में विशेषत: संभावित विक्रेताओं / बोली लगाने वाले और बी डी एल, दोनों पक्षों के कार्मिक / अधिकारियों के बीच संविदा के किसी भी पहलू / चरण में किसी भी भ्रष्ट प्रथा न अपनाए इस दृष्टि से एकता समझौते में विचार किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर बोली लगाने वालों को अयोग्य कर दिया जाता है और भावी व्यापार लेन-देन से बहिष्कृत कर दिया जाता है।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा इनमें से कितनों का संतोषजनक रूप से हल निकाला गया?	कंपनी में ग्राहक संतुष्टि के स्तर में वृद्धि लाने निरंतर प्रयास जारी हैं। तदनुसार, उत्पाद सहयोग संबंधी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कई पहल की गई हैं। इसके लिए कंपनी की सभी इकाइयों में उत्पाद सहयोग अनुवीक्षण समूह बनाये गये हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 से कंपनी के पास 11 ग्राहक शिकायतें लंबित हैं। आगे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 18 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 29 में से 24 शिकायतों (82.76%) का संतोषजनक रूप से हल कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक 5 शिकायतें (17.246%) लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को और एस ई बी आई स्कोर्स प्लेटफार्म, एन एस ई, ई एस ई तथा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का प्राथमिकता आधार पर निपटान कर दिया गया।

सिद्धांत 2 : संव्यवहार में ऐसा माल और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने प्रयोग-काल में सातत्यता प्रदान करने में सहायक हों।		
1	आपके ऐसे तीन उत्पाद या सेवाओं की सूची दें जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंता, जोख़िम होता हो।	कंपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए विभिन्न प्रकार के मिसाइल व संबद्ध रक्षा उपकरण बनाने के संव्यवहार में लगी हुई है।
2	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए इस्तेमाल किये गये संसाधनों से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल इत्यादि) :	कंपनी सातत्यता पद्धतियों के माध्यम से आर्थिक विकास प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता से अवगत है। इसे उचित टेक्नोलॉजी अपनाने, खरीद व आउटसोर्सिंग में पारदर्शिता और सातत्य विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से हासिल करने का प्रस्ताव है। कंपनी ने ग्रिड युक्त सौर ऊर्जा संयंत्र, पारंपरिक डिसचार्ज लैंप के स्थान पर एल ई डी से बिजली जैसे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण मानकों का कार्यान्वयन किया है। कंपनी ने मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से भानूर इकाई में 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो सितंबर, 2017 से परिचालन में आ गया है। इसी तरह कंपनी ने इब्राहीमपट्टणम इकाई में मेसर्स सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एक और 5 मेगावाट ग्रिड युक्त सोलार पॉवर प्लांट बनाया है जो अप्रैल, 2019 से चालू हो गया है। बी डी एल ने वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण के तहत निम्नलिखित पहल की हैं : - सोलार प्लांट के चलते 1.82 करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत हुई ए) 0.98 बिजली फैक्टर बनाये रखा जा रहा है। बी) वेंचुरी स्क्रबर में ऊर्जा मीटर लगाये गये।
3	क्या कंपनी में संवहनीय स्रोतीकरण (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएँ उपलब्ध हैं?	कंपनी टिकाऊ सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन संबंधी अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणित विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेताएँ, विनिर्माता के विभिन्न प्राधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराने की क्षमता तथा अन्य आवश्यकताएँ शामिल होती हैं। निर्धारित समय के भीतर सामग्री की आपूर्ति, किसी विक्रेता को दिये गये कार्य आदेशों के वार्षिक मूल्यांकन से औसत कार्यनिष्पादन का निर्धारण कार्य किया जाता है।

4	क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपासी क्षेत्र भी शामिल हों?	रक्षा क्षेत्र का उद्यम होने के नाते माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम से खरीद-नीति लागू नहीं है। यद्यपि कंपनी स्थानीय और लघु उत्पादक और सेवा प्रदाताओं से खरीदने / सेवाएँ लेने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसरण में आपकी कंपनी ने एम एस एम ई से 25% की अनिवार्य खरीद प्रतिशत पार किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कंपनी ने एम एस एम ई से 32% प्रतिशत की खरीद की है। आपकी कंपनी विशेष अभियान के आयोजन तथा कुछ मामले और संदर्भों में नि:शुल्क पंजीकरण से अपना विक्रेता-समूह को बढ़ाना चाहती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आपकी कुल 3 विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयोजित किये गये। दि. 30.10.2020 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर ऑनलाइन विक्रेता मिलाप कार्यक्रम आयजित किया गया। अन्य दो विक्रेता मिलाप क्रमश: दि. 24.3.2021 और 31.03.2021 को 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' और मेसर्स ई ई पी सी इंडिया द्वारा आयोजित आउटसोर्सिंग आपर्चुनिटीज़ कार्यक्रमों के अवसर पर आयोजित किये गये। आज की तारीख तक आपकी कंपनी के पास 900 से अधिक पंजीकृत विक्रेता मौजूद हैं।
5	क्या कंपनी में उत्पाद / अपशिष्ट के पुन:चक्रण के लिए कोई मेकानिज़्म है?	बी डी एल में अपशिष्ट को प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से पुन:चक्रण के लिए भेजने की व्यवस्था मौजूद है : ए) मेटल स्क्रैप, वुडेन स्क्रैप, खराब हो चुके बैरल, डीजल जेनेरेटर सेट, यू पी एस, एअर कंप्रेसर, स्प्लिट ए सी जैसे मेटल स्क्रैप को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रॉसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है। बी) अपशिष्ट ऑयल, आर ओ रिजेक्ट, पुराने हो गये रासायन तथा अन्य पदार्थ का निपटान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। सी) ई-अपशिष्ट को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रोसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है। डी) लेड एसिड बैटरियों को आवश्यकतानुरूप वापस-खरीद के आधार पर प्राधिकृत पुन:चक्रक / डीलर को दे दिया जाता है। ई) मेर्क्यूरी ट्यूब लाइटों को बेच दिया जाता है और पुन:चक्रण के माध्यम से प्रॉसेस / मार्केट में वापस कर दिया जाता है।

सिद्धांत 3 : संव्यवहार कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।		
1	दि. 31.03.2021 तक कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या	2776
2	अस्थायी / संविदागत / कैजुअल आधार पर नियुक्त कुल कर्मचारियों की संख्या	120
3	स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या	302
4	स्थायी अपंग कर्मचारियों की संख्या	103
5	कर्मचारी (असोसिएशन) संघ	बी डी एल में प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त नौ (09) संघ हैं।
6	आपके अस्थायी कर्मचारियों के कितने प्रतिशत कर्मचारी मान्यता प्राप्त असोसिएशन के सदस्य हैं?	97%
7	वित्तीय वर्ष के अंत में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों में प्राप्त कुल शिकायतों की संख्या	शून्य
8	पिछले वर्ष के दौरान संरक्षा और कौशल उन्नयन विषयों पर कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण :	(see table below)

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार विवरण)

विवरण	अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.	अनारक्षित	कुल
जे ओ टी एन ए	महामारी के कारण आयोजित नहीं किया गया।				
जे ओ टी एन ए से इतर	264	113	396	565	1338

सिद्धांत 4 : व्यवसाय को हितों का सम्मान करना चाहिए और सभी हितधारक, विशेषकर वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।		
1	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक / बाह्य हितधारकों को जोड़ा है? हाँ / नहीं	हाँ
2	उपर्युक्त में से कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिये पर स्थित हितधारकों की पहचान की है?	बी डी एल की सी एस आर परियोजनाओं का उद्देश्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के वंचित, कमजोर और हाशिये स्थित समुदायों को लाभ पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त बी डी एल में सुनिश्चित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन हो। बी डी एल, यह भी प्रयास करता है कि परियोजनाएँ जिन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों उनके जीवन स्तर में वृद्धि हो। कंपनी ने रोजगार की दृष्टि से (i) अ.जा / अ.ज.जा (ii) दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान वंचित, कमजोर और हाशिये के व्यक्तियों के रूप में की है।
3	क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिये वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है ?	बीडीएल ने अपनी सी एस आर योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएँ कार्यान्वित करने पर बल दिया है जिनसे प्रमुखत: वंचित, कमजोर और हाशिये के हितधारकों को लाभ मिलता है। इसमें शिक्षा, स्वच्छता और कौशल विकास, स्वास्थ्य संरक्षण पहल, पेयजल आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। कंपनी, अ.जा./अ.ज.जा/ अ.पि.व. तथा अपंग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार के सभी विनियमों का पालन करती है।
सिद्धांत 5 : संव्यवहार मानवाधिकारों का सम्मान और इसको बढ़ावा दें।		
1	क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी तक सीमित है या फिर समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एन जी ओ / अन्य भी इसके दायरे में आते हैं?	कंपनी की कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह इत्यादि नहीं है। कंपनी की मानव संसाधन संबंधी नीतियों में कर्मचारी और अपने संव्यवहार के परिचालन से संबद्ध अन्य सभी के मानवाधिकार संबंधी सभी बातें शामिल हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मानवाधिकार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी, महिला कर्मचारियों का आदर करने और इनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने और ऐसी शिकायतों के निवारण और समाधान के लिए एक नीति क़ायम की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
2	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत को हल किया गया?	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
सिद्धांत 6 : संव्यवहार में पर्यावरण का सम्मान, इसका संरक्षण करते हुए इसके पुन:स्थापन के प्रयास होने चाहिए।		
1	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी तक व्याप्त है या इसके समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एन जी ओ/अन्य पर भी हैं?	कंपनी के रूप में यह पूरी तरह से व्याप्त है। बीडीएल का कोई सहायक / संयुक्त उद्यम / समूह आदि नहीं है।
2	जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए क्या कंपनी की कोई रणनीति / पहल है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपेज इत्यादि का हाइपरलिंक दें।	बी डी एल की तीनों इकाइयाँ – कंचनबाग, भानूर और विशाखापट्टणम आई एस ओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निदान बी डी एल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा, बाह्य लेखापरीक्षा तथा कोर समिति की बैठकें और प्रबंधन समीक्षा बैठक जैसे विभिन्न चरणों में किया जा रहा है।
3	क्या कंपनी संभावित पर्यावरण जोख़िम की पहचान कर इनका मूल्यांकन करती है? हाँ / नहीं।	हाँ
4	क्या कंपनी की क्लीन डेवेलपमेंट मेकानिज़्म से संबंधित कोई परियोजना है? यदि है तो लगभग 50 शब्दों में तत्संबंधी जानकारी दें। साथ ही, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट फाइल की गई?	बी डी एल द्वारा क्लीन डेवेलपमेंट मेकानिज्म से संबंधित किसी परियोजना को अपनाया नहीं गया है। लेकिन, इस मानदंड के अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में वेंट्यूरी स्क्रबर का इस्तेमाल कर उत्सर्जन कम किया जा रहा है। बी डी एल ने सी पी सी बी प्रतिमानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन में डीजल जनरेटर लगवाये हैं। साथ ही, बी डी एल में मल-जल शुद्धीकरण सयंत्र और बहि:स्राव शुद्धीकरण सयंत्र लगाकर शुद्ध किये गये जल का कंपनी परिसर में उपयोग किया जा रहा है।
5	क्या कंपनी ने क्लीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा प्रभाविता, नवीकरण ऊर्जा इत्यादि के संबंध में कोई अन्य पहल की है? हाँ / नहीं। यदि हाँ, तो वेबपृष्ठ आदि से संबंधित हाइपरलिंक दें।	सी एन सी मशीन, फ्लोफार्मिंग मशीन, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन, इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग और वेव सोल्डरिंग मशीन लगवाकर साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी लागू की गयी है। बी डी एल ने ऊर्जा संरक्षण के तहत निम्नलिखित पहल की हैं : - 0.98 बिजली फैक्टर बनाये रखा जा रहा है। - वेंट्यूरी स्क्रबर में ऊर्जा मीटर लगवाये गये।
6	रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा होने वाले उत्सर्जन / अपशिष्ट सी पी सी बी / एस पी सी बी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर हैं?	हाँ
7	सी पी सी बी / एस पी सी बी से प्राप्त 'कारण बताओ' / कानूनी नोटिस की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित (यानी संतुष्टि की सीमा तक हल नहीं किये गये) हैं।	शून्य

सिद्धांत 7 : सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किया गया संव्यवहार जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।		
1	क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या संघ की सदस्य है? यदि हाँ, केवल उन प्रमुख संघों का नाम दें जिनके साथ आपका व्यवसायी संबंध हैं :	ए) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) बी) सोसाइटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजिस्ट्स (सॉडेट) सी) हैदराबाद प्रबंधन असोसिएशन डी) स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज़
2	क्या आपने सार्वजनिक उन्नयन या सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के माध्यम से वकालत / दलबंदी की है?	नहीं।

सिद्धांत 8 : समावेशी और न्यायसंगत विकास समर्थित संव्यवहार होना चाहिए।		
1	क्या सिद्धांत 8 संबंधी नीति के अनुसरण में कंपनी के कोई निर्धारित कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएँ हैं?	जैसा कि उपर्युक्त खण्डों में बताया गया है कि बीडीएल की विभिन्न सी एस आर परियोजनाएँ उन राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास में लगी हैं जहाँ कंपनी की इकाइयाँ स्थित हैं। इसके अलावा बीडीएल के विक्रेता विकास कार्यक्रम समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।
2	क्या ये कार्यक्रम / परियोजनाएँ आंतरिक टीम / स्वयं के फाउण्डेशन / बाहरी एन जी ओ / सरकारी संरचना / किसी अन्य संगठन द्वारा संपन्न किये जाते हैं।	बीडीएल मौजूदा परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न एन जी ओ, फाउण्डेशन, सरकारी एजेंसियाँ तथा अन्य व्यावसायिक एजेंसियों के साथ सहयोग से काम करता है।
3	सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का कितना प्रत्यक्ष योगदान है?	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी ने सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर रु. 15.40 करोड़ की राशि खर्च की है। कंपनी द्वारा की जा रही सी एस आर गतिविधियों से संबंधित जानकारी के लिए कृपया इस वार्षिक विवरण के अनुलग्नक-II के रूप में प्रस्तुत की गई सी एस आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट देखें।
4	क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये जिनसे कि आपकी यह सामुदायिक विकास पहल समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनायी गयी है।	हाँ। बी डी एल, अपनी अधिकतम परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन करता है।

सिद्धांत 9 : संव्यवहार में अपने ग्राहक और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना और उनका मान रखना चाहिए।		
1	वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ग्राहक शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत कितना लंबित है?	पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 से कंपनी के पास 11 ग्राहक शिकायतें लंबित हैं। आगे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 18 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। कुल 29 में से 24 शिकायतों (82.76%) का संतोषजनक रूप से हल कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक 5 शिकायतें (17.246%) लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी को और एस ई बी आई स्कोर्स प्लेटफार्म, एन एस ई, ई एस ई तथा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से कुल 33 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का प्राथमिकत आधार पर निपटान कर दिया गया।
2	क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार और उससे परे उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है?	कंपनी अस्त्र प्रणाली विनिर्माण के संव्यवहार से जुड़ी है। अत: यह लागू नहीं। उत्पाद संबंधी जानकारी संवेदनशील और वर्गीकृत है। अत: उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित नहीं की जाती है।
3	क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा मामला दर्ज किया गया है जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है?	नहीं।
4	क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान कार्यक्रम किया है?	नहीं। यद्यपि बी डी एल हमेशा नियमित अंतराल से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कर ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है।

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट *

सेवा में,
सदस्य-गण,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड,

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हम यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अनुलग्नक -'ए' और 'बी' के साथ जारी कर रहे हैं। अनुलग्नक-'ए' में विवादित कर माँग के तहत भुगतान की गई राशि / निक्षेपित के विवरण शामिल करते हुए और अनुलग्नक-'बी' में उपयुक्त स्थानों पर 'वित्तीय विवरणिकाओं' के संबंध में 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रण' के स्थान पर 'आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' से प्रतिस्थापित करते हुए यह संशोधित रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। यह संशोधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप है। यह रिपोर्ट दि. 21.6.2021 की हमारी रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

राय

हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की एकमेव भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिकाओं के अंतर्गत दि. 31 मार्च, 2021 तक के तुलन-पत्र, लाभ हानि लेखा (अन्य व्यापक आय सहित), इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणिका एवं नक़द-प्राप्ति विवरण तथा विवरणात्मक सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों (आगे से एकमेव भारतीय वित्तीय लेखा मानक वित्तीय विवरणिका कही जाएगी।) के सार की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ, 31 मार्च, 2021 तक की कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन, उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति के विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत आवश्यक सूचना जिस रूप में दी जानी आवश्यक हो तथा भारत में स्वीकार्य लेखा-सिद्धांतों के अनुरूप सत्य व स्पष्ट दिखाई देती हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (ऑडिट) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। आगे, लेखापरीक्षा मानदण्डों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का विवरण इस रिपोर्ट के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व वाले खण्ड में दिया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो उन आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकमेव वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St, Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Tanjore, Trichy, Kochi, Bangalore, Hydrabad, Chennai.

लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें

लेखापरीक्षा संबंधी मुख्य मदें (के ए एम) वे मदें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रहे। इन मदों को एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं (वक्तव्यों) के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मदों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा संबंधी प्रमुख मदें	लेखापरीक्षा से निकाला गया हल
राजस्व की पहचान : बिक्री और सेवा ठेके : कंपनी के प्रमुख उत्पादों में रक्षा उपकरण शामिल हैं जहाँ ग्राहक की ओर से या द्वारा निरीक्षण के बाद बिक्री को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार, इस तरह के निरीक्षण के बाद और जब ग्राहक माल पर अधिकार प्राप्त कर लेता है तो राजस्व को मान्यता दी जाती है। हमने राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि- ए. कंपनी और उसके बाहरी हितधारक राजस्व पर एक प्रमुख निष्पादन संकेतक के रूप में नज़र रखते हैं। बी. यह नियंत्रण/अधिकार के अंतरण से पहले राजस्व को अतिरंजित या मान्यता देने के लिए एक प्रोत्साहन बना सकता है। सी. कुछ मामलों में राजस्व को मान्यता दी गई है लेकिन बिक्री अनुबंध में संशोधन के बिना माल कंपनी के अधीन ही है। इस प्रकार राजस्व की मान्यता लेखापरीक्षा का एक प्रमुख मद है। संदर्भ : टिप्पणी सं. 30, 38 (20) और लेखा-नीतियों की मद सं. 3 देखें।	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** 1. हमने लागू लेखा मानकों के साथ तुलना करके राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया। 2. हमने कुछ चुने हुए लेन-देन पर राजस्व मान्यता के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और प्रासंगिक प्रमुख नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। 3. हमने अंतर्निहित दस्तावेजों का परीक्षण करके वर्ष के दौरान दर्ज किए गए राजस्व लेन-देन के नमूनों का चयन करके वास्तविक परीक्षण किया। 4. हमने वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि के करीब दर्ज किए गए राजस्व लेन-देन का परीक्षण अंतर्निहित दस्तावेजों को सत्यापित करते हुए किया ताकि निर्धारित किया जा सके कि उचित वित्तीय अवधि में राजस्व का पुनर्गठन किया गया था या नहीं। 5. हमने उचित साक्ष्यों की पुष्टि करके सेवा अनुबंधों (जॉबवर्क और मरम्मत व ओवरहाल) के संबंध में पूर्ण या आनुपातिक मान्यता निर्धारित करने में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का परीक्षण किया। 6. बिल नहीं किये गये राजस्व की मान्यता को अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में 'मील के पत्थर की उपलब्धियों' के साथ मान्य किया गया। 7. अनुबंधों और प्रभावी सुपुर्दगी तिथियों के संदर्भ में परिसमापन क्षतियों की वसूली को मान्य किया गया।
सामग्री-सूचियाँ: सामग्री-सूचियों की लेखापरीक्षा में शामिल हैं : ए. भौतिक सत्यापन बी. तीसरे पक्ष के पास उपलब्ध सामग्री की पुष्टि सी. मूल्यांकन	**प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं :** 1. सिस्टम और आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि रिकॉर्डिंग के समय, दर्ज की गई मात्रा और दर्ज की गई वस्तु

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St, Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

डी. अतिरेक-मान्यता और उत्क्रमण कंपनी के पास उपलब्ध माल कस्टम मेड, संवेदनशील और उच्च मूल्य के हैं। कार्य-आदेशों के निष्पादन के लिये गये लंबे समय को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग अवधि भी अधिक है। इस प्रकार लेखापरीक्षा प्रक्रिया और एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले में सामग्री-सूची पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कृपया टिप्पणी संख्या 10 और लेखा नीति संख्या 7 देखें।	के संबंध में कोई रिकॉर्डिंग दोष नहीं है। 2. प्रबंधन टीमों की भौतिक सत्यापन रिपोर्टों द्वारा समर्थित सूची की भौतिक उपलब्धता को मान्य करने के लिए लागू लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ। 3. वर्ष के अंत में होल्डिंग को मान्य करने के लिए कुछ सामग्री-सूचियों के लिए 'रोल बैक' और 'रोल ओवर' के सिद्धांत लागू किये गये। 4. तीसरे पक्ष की ओर से की गयी पुष्टि देखी गयी और इसका कंपनी के रिकॉर्ड से मिलान किया गया। सामग्री-सूचियों के मूल्यों से भिन्नताएँ कम हो जाती हैं। 5. प्रणाली द्वारा मूल्यांकन पद्धति की नमूना जाँच सूची के भौतिक भाग के लिए मैन्युअल सत्यापन के माध्यम से की गई थी। 6. वास्तविक उपरिव्ययों को मालसूची मूल्यों पर लोड करने की पद्धति को मान्य किया गया और इनके लागत सिद्धांतों के अनुरूप होने की पुष्टि की गई। 7. सामग्री की अनावश्यकता को पहचानने की नीति (लेखा नीति संख्या 7.4) और प्रबंधन की ऐसी नीति के ओवरराइड का परीक्षण उपयुक्त साक्ष्य के साथ किया गया ताकि यह पुष्टि हो सके कि ऐसी नीतियाँ और साथ ही ओवरराइड उचित हैं और उद्योग की स्थितियों के अनुरूप हैं।
ग्राहक शेष : प्राप्य ट्रेड, प्राप्य दावे और प्राप्त अग्रिम कंपनी का प्रमुख ग्राहक सरकार है। प्राप्य और अग्रिम तुलन-पत्र का दोनों ओर से एक बड़ा हिस्सा है। बिक्री अनुबंधों की लंबी अवधि होती है। इस समय चूक से दोनों ओर अनुबंध की शर्तों की विभिन्न व्याख्याएँ हो सकती हैं, राजस्व की उचित मान्यता और प्राप्य / देय राशि की प्रस्तुति प्रभावित हो सकती है। कंपनी अपने शेष को मान्य करने के लिए तीसरे पक्ष की पुष्टि प्राप्त नहीं कर सकती है।	प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल हैं : ए. हमने उचित अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त बिक्री, सेवा अनुबंध और अन्य दावों को मान्य किया। बी. मान्यता प्राप्त राजस्व और किए गए दावों के लिए अग्रिमों का समायोजन अभिलेखों के साथ मान्य किया गया। सी. कंपनी अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी भी प्राप्य की हानि को नहीं गिनती है। संबंधित संप्रेषण और प्रबंधन के बिना किसी हानि के उचित

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St. Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

इसलिए शेष राशि के सत्यापन की प्रक्रिया, दावों की विभिन्न श्रेणियों की पहचान करना और उचित समायोजन और अग्रिमों का प्रतिधारण इसलिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा का मामला माना जाता है।	मूल्यांकन के संदर्भ में लंबे समय से लंबित प्राप्य और दावों की पुष्टि की गई थी। डी. प्राप्तियों और अग्रिमों का लघु अवधि और दीर्घावधि में वर्गीकरण उचित प्रबंधन धारणा और पिछले प्रदर्शन के संदर्भ में मान्य किया गया था।

विषयों का महत्व

हम नीचे निर्दिष्ट एकमेव वित्तीय विवरणों की नोट संख्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

लघु अवधि में बंद परियोजनाओं के संबंध में प्रबंधन की मूल्यांकन स्थिति और इसके प्रभाव से संबंधित टिप्पणी सं. 38 (7)

कोविड-19 महामारी के प्रभाव से संबंधित टिप्पणी सं. 38 (22)

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

एकमेव वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी के वार्षिक विवरण में दी गई जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं और इस पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना कि क्या यह अन्य जानकारी एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के साथ वास्तविक (भौतिक) रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है कि वास्तविक (भौतिक) रूप से गलत प्रकट किया गया हो।

अगर, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के विषयों के अनुपालन में भारत में स्वीकार्य लेखा मानदंड तथा अधिनियम की धारा 133 के तहत संबद्ध नियमावली के साथ पठित निर्धारित भारतीय लेखा मानदंड (भा.ले.मा.) के अनुरूप कंपनी की सही व पारदर्शी वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और अन्य व्यापक आय सहित, कंपनी की ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति प्रतिबिंबित करने वाली वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करवाए।

इस उत्तरदायित्व में, कंपनी की परिसंपत्तियों का परिरक्षण, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की पहचान कर उनका निवारण करने, उचित लेखा-नीतियों का चयन व अनुप्रयोग, उचित व विवेकशील निर्णय, वास्तविक एवं पारदर्शी तथा धोखाधड़ी से या गलती के कारण होने वाले वास्तविक अकथनों से मुक्त तथा सही एवं पारदर्शी

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरण की तैयारी व प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी शामिल होता है।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाएँ तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कारोबार जारी रखने में कंपनी के चलने की क्षमता का मूल्यांकन करते हुए वर्तमान स्थितियों में कंपनी के आगे बढ़ने से संबंधित लागू प्रकटीकरण करने और जब तक कंपनी को परिसमाप्त कर देने या परिचालन बंद कर देने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो, तब तक लेखांकन की यह चलायमान पद्धतिअपनाएँ। निदेशक मंडल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया पर ध्यान दें।

एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकमेव वित्तीय विवरण सर्वांगीण रूप में भौतिकत: गलतफहमी से मुक्त रहे भले ही धोखाधड़ी हुई हो या त्रुटि के कारण, एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा मानक के अनुसार की गयी लेखापरीक्षा हमेशा किसी सामग्री की गलत मौजूदगी का पता लगाएगा। अकथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे उचित रूप से इन एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

लेखा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवराना संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि :

- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की सामग्री के गलत विवरण के जोख़िमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण ही क्यों न हुई हो, उन जोख़िमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले अकथन से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की ताक पर रखना शामिल हो सकता है।

- परिस्थिति अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा संबंधी प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालनीय प्रभावशीलता है।

- इस्तेमाल की गई लेखा-नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।

G.NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

- एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी में लेखांकन की चालू व्यवसाय अवधारणा आधार पर प्रबंधन की प्रयुक्ति की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई सामग्री अनिश्चितता उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है जो चालू व्यवसाय अवधारणा के रूप में जारी रहता है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इनकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें राय भी संशोधित करनी पड़ती है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी की चालू व्यवसाय की अवधारणा बनी रह सकती है।

- घोषणा सहित एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और वित्तीय विवरणिकाएँ अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं पर दृष्टिपात करना जिन्हें साफ-सुथरे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

भौतिकत्व एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं में अशुद्ध विवरण बड़ा आधार होता है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। (i) हमारे लेखापरीक्षा-कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए अशुद्ध विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ अभिशासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो।

अभिशासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा के मद हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मदों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मद के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के संचार के जनहित लाभों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करने के दुष्परिणामों की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी आदेश (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), 2016 (आदेश) की आवश्यकतानुसार, जहाँ तक लागू हो, परिच्छेद 3 तथा 4 में इस विषय पर निर्दिष्ट हमारा विवरण अनुलग्नक-'ए' में संलग्न है।

G. NATESAN & CO.
FRN:002424S
7/1, Fourth St,
Abhiramapuram,
Chennai -18.
Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुरूप टिप्पणी इस प्रकार है कि -

ए) हमारी अन्यतम जानकारी और विश्वास अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी स्पष्टीकरण व सूचनाएँ माँगी और प्राप्त की गई हैं।

बी) हमारी राय में बही खातों के परीक्षण से विदित होता है कि कंपनी ने लेखा-बही विधि अनुरूप रखे हैं।

सी) इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा व ईक्विटी परिवर्तन विवरणिका एवं नक़द प्राप्ति विवरण लेखा-पुस्तकों के अनुरूप हैं।

डी) हमारी राय में इस रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाली एकमेव भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाएँ अधिनियम की धारा 133 के लेखा मानक तथा इनके तहत बने नियमों के अनुरूप रखे गये हैं।

ई) निगम मामले मंत्रालय द्वारा जारी दि. 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी एसआर 463(ई) के अधीन निदेशकों की अनर्हता से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होगा।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों पर परिचालनीय प्रभाविता के संबंध में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक 'बी' का अवलोकन करें।

जी) धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक-'सी' में प्रस्तुत करते हैं।

एच) कंपनी अधिनियम (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 11 के अनुपालन में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य विषय के संबंध में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार -

i) कंपनी ने अपनी भा.ले.मा. वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 38 (6) के तहत अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।

ii) कंपनी ने, व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा पर यदि कोई हो तो, सामग्री नुकसान के लेखा मानक या अनुप्रयोज्य विधि के आवश्यकतानुरूप प्रावधान रखा है।

iii) कंपनी द्वारा 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' में किसी भी प्रकार की राशि के अंतरण की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.08.2021

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

G. NATESAN & CO.
FRN:002424S
7/1, Fourth St
Abhiramapuram,
Chennai -18.
Chartered Accountants

सी ए के मुरली
भागीदार
सदस्यता सं. 024842
यू डी आई एन : 21024842AAAADG7192

** अनूदित पाठ*

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ए *

भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गयी "अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैरा-1 का संदर्भ लें।

हम, विवादित कर माँग के तहत भुगतान की गई राशि / निक्षेपित के विवरण शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का संशोधित अनंलग्नक -'ए' जारी कर रहे हैं। यह संशोधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप है। यह रिपोर्ट दि. 21.6.2021 की हमारी रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

1) ए) कंपनी ने आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है जिसमें पूरे विवरणों के साथ-साथ मात्रात्मक विवरण व स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति भी दर्शायी गयी है।

बी) कंपनी में नियमित रूप से स्थायी परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन की विधि कायम है जिससे पाँच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से सभी स्थायी परिसंपत्तियों का सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परिसंपत्तियों का भौतिकतः सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में सामग्री संबंधी कोई विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई। हमारे विचार से यह आवधिक सत्यापन कंपनी के विस्तार एवं संव्यवहार की प्रकृति को देखते हुए ठीक है।

सी) हमारे विचार में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के अभिलेख देखने पर पाया गया कि स्थायी परिसंपत्तियों के अधिकार विलेख / आस्तियों के प्रयोग के अधिकार संबंधी पट्टा विलेख कंपनी के नाम से है जबकि निम्न संपत्तियों के संदर्भ में अधिकार विलेख / पट्टा विलेख प्राप्त होना शेष है:

परिसंपत्ति की प्रकृति	रु. लाखों में	कारण
कंचनबाग स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि (0.97 लाख की निवेश संपत्ति सहित)	29.39	राज्य सरकार द्वारा यह भूमि मुफ्त में दी गई। अधिकार विलेख जारी नहीं किया गया।
इब्राहिमपट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	6,136.90	टी एस आई आई सी के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया गया और बिक्री करार द्वारा इसका साक्षांकन किया गया। कंपनी ने टी एस आई आई सी से बिक्री विलेख कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है।
विशाखापट्टणम स्थित पूर्णस्वामित्व भूमि	376.13	ए पी आई आई सी द्वारा अधिकार विलेख कार्यान्वित किया जाना है।
विशाखापट्टणम में पट्टे पर भूमि - आस्तियों के प्रयोग का अधिकार	-	पट्टा विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

G. NATESAN & CO., FRN:002424S 7/1, Fourth St, Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Tanjore, Trichy, Kochi, Bangalore, Hydrabad, Chennai.

2) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उप-संविदाकार एवं तीसरी पार्टी के पास उपलब्ध सामग्री छोड़कर सामग्री सूची का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में ये सत्यापन पर्याप्त अंतराल में किये गये हैं। कंपनी ने सामग्री सूची का उचित रखरखाव किया है। ऐसे वास्तविक परीक्षण के दौरान भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक तथा अभिलेखों में उल्लिखित स्टॉक में पायी गयी विसंगतियाँ भौतिक नही हैं।

3) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली किसी भी कंपनी, फर्म, लिमिटेड देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को प्रतिभूत / अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(iii) (a), (b) और (c) कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

4) हमारी राय तथा हमें दी गई सूचना एवं विवरण के अनुसार कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने तथा गारंटी व प्रतिभूति देने संबंधी मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। तदुनसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

5) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। अतः निक्षेप स्वीकार किए जाने संबंधी कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा यथासंशोधित कंपनी नियमावली (निक्षेप स्वीकार करना), 2014 कंपनी पर लागू नहीं होंगी।

6) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण अनुसार केंद्र सरकार ने निर्दिष्ट किया है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना है। हमने संबंधित अभिलेखों की विस्तृत समीक्षा की है तथा हमारी राय में मूलतः कंपनी ने तत्संबंधी सभी आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव किया है।

7) सांविधिक शुल्क के संबंध में हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए) कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा आय-कर, वस्तु एवं सेवा-कर (जी एस टी), बिक्री-कर, सेवा-कर, मूल्यवर्द्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, 'सेस' एवं अन्य सांविधिक समाग्री शुल्क सहित अविवादित सांविधिक शुल्क उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किये जा रहे हैं।

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

बी) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा दि. 31 मार्च, 2021 तक निम्नलिखित को छोड़ कर किसी भी प्रकार की अविवादित भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, वस्तु एवं सेवा-कर (जी एस टी), बिक्री-कर, सेवा-कर, मूल्यवर्द्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, 'सेस' एवं अन्य सांविधिक समाग्री शुल्क देय तारीख से लेकर छ: महीने से अधिक अवधि तक का भुगतान के लिए शेष नहीं है :

(रुपये लाख में)

संविधि	शुल्क की प्रकृति	राशि	देय राशि की समयावधि	बकाया तारीख	भुगतान की तारीख
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.81	2008-09 और 2009-10	कई तारीखें	भुगतान नहीं किया गया।
आयकर अधिनियम, 1961	टी डी एस चूक, देर से भुगतान करने पर ब्याज़	1.26	वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2020-21	कई तारीखें	भुगतान नहीं किया गया।

सी) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार देय विवादित कर का विवरण इस प्रकार है :

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	संविधि	शुल्क की प्रकृति	विवादित राशि (रुपये लाख में)	देय राशि की समयावधि	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,550.83	2011-12	हैदरबाद उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
2	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	5,024.27	2012-13	हैदरबाद उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
3	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	4,266.81	2013-14	हैदरबाद उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
4	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम	केंद्रीय बिक्री कर	6,468.12	2014-15	हैदरबाद उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है।
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2,355.50	2012-13 से 2014-15	अपील सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद के पास लंबित है।
6	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1,883.80	2015-16 से 2017-18	अपील सी ई टी एस टी ए टी, हैदराबाद के पास लंबित है।
7	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	94.36	2018-19	दि. 29.04.2021 को अपील नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास फाइल की गयी।
	कुल		**25,643.69**		

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St, Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

टिप्पणी : कंपनी ने मद सं. 1, 5 और 6 में उल्लिखित विवादित राशियों के लिए रु. क्रमशः 693.85 लाख, 88.33 लाख और 128.43 लाख रुपये की राशि पूर्व-जमा कर के रूप में जमा कर दी है। कंपनी ने मद 5 के तहत रु. 1,089.42 लाख की राशि का भुगतान विरोधत: किया है।

8) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। साथ ही, कंपनी के नाम सरकार या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण या उधार बाकी नहीं है। कंपनी ने डिबेंचर जारी नहीं किया है।

9) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से (ऋण इंस्ट्रुमेंट सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से धन प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

10) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को या कंपनी द्वारा इसके अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से किसी प्रकार की धोखाधड़ी देखने में नहीं आयी है और न ही इसकी सूचना दी गई है।

11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 का प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होता है।

12) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम की धारा 406 में निर्धारित अनुसार 'निधि' (एन आई डी एच आई) कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

13) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर हमारी राय है कि जहाँ लागू हो, संबंधित पार्टियों से हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में है तथा लागू लेखा-मानक के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं में सभी विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

14) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा बही एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयर का अधिमान्य आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णत: व अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होगा।

15) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशक या संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का गैर-नक़द लेन-देन नहीं किया है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

अनूदित पाठ

16) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुच्छेद 45-1ए के तहत कंपनी द्वारा पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.08.2021

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

सी ए के मुरली
भागीदार
सदस्यता सं. 024842
यू डी आई एन : 21024842AAAADG7192

** अनूदित पाठ*

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – बी *

*भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गयी **"अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट"** के पैरा-2 (एफ) का संदर्भ लें।*

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खण्ड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमारे द्वारा की गई कंपनी की एकमेव वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा सहित हमने 31 मार्च, 2021 तक की भारत डायनामिक्स लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

प्रबंधन का दायित्व :

कंपनी के प्रबंधन का यह दायित्व होता है कि भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था तैयार कर इसे बनाए रखें। इन दायित्वों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने तथा कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा, कंपनी की नीतियों के अनुवर्तन के साथ-साथ संव्यवहार के व्यवस्थित एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट :

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" (निर्देश टिप्पणी) तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानक के अनुसार की गई है। इस प्रकार की मानक एवं निर्देशन टिप्पणी में यह अपेक्षित होता है कि हम लेखापरीक्षा नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप करें तथा इसकी योजना एवं कार्यनिष्पादन से उचित आश्वासन कायम कर सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में इसकी प्रभाविता के उचित आश्वसन प्राप्त होते हैं।

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St, Abiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Kochi, Trichy, Tanjore, Bangalore, Hyderabad, Salem, Odisha & Ranipet

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उसकी प्रभाविता संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, वास्तविक कमियाँ होने के जोख़िम निर्धारित करना तथा निर्धारित जोख़िम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का परीक्षण एवं उसके अभिकल्पन एवं प्रभाविता का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे द्वारा प्रकट की जाने वाली लेखापरीक्षा राय के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा-साक्ष्य पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा नियम के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए तैयार की गई वित्तीय विवरणिका तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में आश्वासन कायम रखने के लिए बनायी गयी है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित से संबंधित नीति एवं प्रक्रिया शामिल हैं 1) अभिलेखों का अनुरक्षण जो कंपनी की परिसंपत्तियों की लेन-देन एवं प्रकृति का यथार्थ, उचित एवं विश्वसनीय विवरण दर्शाता है; 2) उचित आश्वसान देना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी के लिए आवश्यक लेन-देन रिकार्ड किए गए हैं तथा कंपनी के आय एवं व्यय प्रबंधन के प्राधिकरण एवं कंपनी के निर्देशानुसार किए गए हैं। 3) वित्तीय विवरणिकाओं को प्रभावित कर सकने वाली कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान का निवारण एवं समय पर जानकारी दे सकने वाले उचित आश्वासन।

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाएँ

वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सहज सीमाओं के कारण नियंत्रण के संबंध में बेइमानी या प्रबंधन द्वारा अधिकार दुरुपयोग के साथ-साथ धोखाधड़ी या गलती के कारण वास्तविक अकथन हो सकते हैं और पता भी नहीं चलते हैं। भविष्य में वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन दर्शाने से यह जोख़िम हो सकता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो जाए या नीति एवं पद्धतियों के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St. Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

** अनूदित पाठ*

विषयों का महत्व :

ए. कंपनी के सभी लेन-देन आई टी सिस्टम के माध्यम से ही किये जाते हैं। कंपनी ने अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं के लिए सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नहीं करवायी है।

बी. कंपनी में सितंबर, 2020 से निदेशक मंडल में लेखापरीक्षा समिति मौजूद नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राय :

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार वास्तविक दृष्टि से कंपनी की वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा भारतीय सनदी लेखाकार द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निर्देश टिप्पणी" में सूचित नियंत्रण के लिए आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा निर्मित वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर दि. 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय विवरणिकाओं के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से परिचालित है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.08.2021

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

G. NATESAN & CO. FRN:002424S 7/1, Fourth St Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

सी ए के मुरली
भागीदार
सदस्यता सं. 024842
यू डी आई एन : 21024842AAAADG7192

** अनूदित पाठ*

G. NATESAN & Co.,
Chartered Accountants

Head Office :
7/1, Fourth Street,
Abiramapuram,
Chennai - 600 018.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-सी *

*भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सदस्यों को दी गयी **"अन्य विधि एवं विनियमन आवश्यकताओं पर रिपोर्ट"** के पैरा-2 (जी) का संदर्भ लें।*

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उप खण्ड 5 के अंतर्गत निदेशों पर रिपोर्ट

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड की लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखाकार के निदेशों पर रिपोर्ट इस प्रकार है :

निदेश	रिपोर्ट	प्रभाव
क्या कंपनी के पास लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि है तो, आई टी प्रणाली से इतर लेखा संबंधी लेखन के लेखा की अखण्डता पर प्रभाव और साथ ही वित्तीय खर्च की जानकारी दें।	हमें प्राप्त अन्यतम जानकारी व दिये गये स्पष्टीकरण तथा लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में लेखा संबंधी सभी लेन-देन आई टी प्रणाली के माध्यम से करने के लिए कंपनी में आवश्यक प्रणाली मौजूद है। वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय लेन-देन का लेखांकन आई टी प्रणाली से इतर माध्यम से नहीं किया गया।	शून्य
कंपनी द्वारा पुन:भुगतान न किये जाने की स्थिति में क्या कोई मौजूदा उधार / ऋण / ब्याज की पद्धति में परिवर्तन किया गया या ऋणदाता द्वारा अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने आया है? यदि है तो तत्संबंधी वित्तीय प्रभाव स्पष्ट करें।	लेखा-बहियों की जाँच के अनुसार हमारी राय में वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के उधार / ऋण / ब्याज का कंपनी द्वारा पुन:भुगतान न किये जने की स्थिति में ऋणदाता द्वारा इसकी पद्धति में परिवर्तन नहीं किया गया और इसे अधित्याग / बट्टे खाते में डालने का मामला सामने आया।	शून्य

G. NATESAN & CO. ★ FRN:002424S 7/1, Fourth St, Abiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants ★

**अनूदित पाठ*

Ph : 2499 5430, 2499 1385, 94430 70401, 94431 28378
email : jkmuralica@gmail.com
Branches : Kumbakonam, Kochi, Trichy, Tanjore, Bangalore, Hyderabad, Salem, Odisha & Ranipet

निर्धारित योजनाओं के लिए केंद्र / राज्य एजेंसियों से प्राप्त प्राप्य निधियों को निबंधन एवं शर्तों के अनुसार इस्तेमाल किया गया / लेखित किया गया? विचलन के मामलों का विवरण दें?	कंपनी की लेखा-बही तथा रिकॉर्ड की जाँच के आधार पर हमारी राय में कंपनी ने सरकारी एजेंसियों से निर्दिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग निबंधन एवं शर्तों के अनुसार ही किया है।	शून्य

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 11.08.2021

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
एफ आर एन 002424एस

G. NATESAN & CO., FRN:002424S 7/1, Fourth St Abhiramapuram, Chennai -18. Chartered Accountants

सी ए के मुरली
भागीदार
सदस्यता सं. 024842
यू डी आई एन : 21024842AAAADG7192

** अनूदित पाठ*

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं./No. Insp / BDL Accs 20-21/2021-22/117

स्पीड पोस्ट द्वारा
गोपनीय

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक / DATE. 17 अगस्त 2021

सेवा मे,
श्री सिद्धार्थ मिश्रा (सेवानिवृत्त),
अध्यक्ष & प्रबंध निदेशक,
मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट ऑफिस,प्लॉट सं. 38-39,
टीएसएफसी बिल्डिंग, फ़िनानसियल डिस्ट्रिक्ट,
नानक्रमगुडा, हैदराबाद - 500032.

महोदय,

विषयः कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियॉ।

मै 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के मेसर्स - भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओ पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षंक का "शून्य टिपण्णी प्रमाण पत्र" अग्रेषित करता हूँ।

कृपया सुनिश्चित करे कि टिप्पणिया

1. बिना कोई संशोधन किये पूर्ण रूप से छापी जाये।
2. सूचि में उचित संकेत के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आगे रखा जाये।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत आवश्यकतानुसार वार्षिक आम बैठक में रखा जाये ।

कृपया पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

(अरुण कुमार वी.एम.)
उप निदेशक (प्रशासन)

संलग्नः यथोपरि

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bengaluru - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स /Fax : 080-2226 2491

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

By Speed Post
Confidential

सं./No. Insp/BDL Accs 2020-21/2021-22/ 117

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 17.08.2021

To
Cmde Siddharth Mishra (Retd),
Chairman and Managing Director,
M/s. Bharat Dynamics Limited,
Corporate Office, Plot No.38-39,
TSFC Building, Financial District,
Nanakramguda, Hyderabad – 500 032.

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143 (6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **M/s. Bharat Dynamics Limited**, **Hyderabad** for the year ended 31 March 2021.

I forward here with **Nil Comments Certificate** of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of **M/s. Bharat Dynamics Limited**, **Hyderabad** for the year ended 31 March 2021.

It may please be ensured that the comments are:

(i) Printed in toto without any editing;

(ii) Placed before the AGM as required under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013; and

(iii) Placed next to the statutory auditors' report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

(Arun Kumar V.M.)
Deputy Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bengaluru - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
फैक्स /Fax : 080-2226 2491
Email : mabbangalore@cag.gov.in

*** दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के लेखाओं पर कंपनी अधिनियम 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ :**

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय अभिलेखन रूपरेखा के अनुपालन में दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व उद्यम के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व है कि वह इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत पेशेवर निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुपालन में की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय दें। यह उनके द्वारा 11 अगस्त, 2021 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुरूप किया गया है जो दि. 21 जून, 2021 की उनकी पूर्व रिपोर्ट को अधिक्रमित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 143 (6) (ए) के अंतर्गत भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षा के कार्य-पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई जो प्राथमिकत: सांविधिक लेखापरीक्षा की पड़ताल और उद्यम के कार्मिकों तथा कुछ चुने हुए लेखा-अभिलेखों की परीक्षा तक सीमित है।

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम 143 (6) (बी) के अधीन लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट या पूरक लेखापरीक्षा पर और कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीखक की ओर से

(संतोष कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखापरीक्षा

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 17 अगस्त, 2021

** अनूदित पाठ*

भारतीय लेखा मानक
वित्तीय विवरणिका - 31 मार्च, 2021

निगम संबंधी सूचना

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालयाधीन सार्वजनिक उद्यम भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना सन् 1970 में हैदराबाद में की गई थी। मिसाइल तथा संबद्ध रक्षा उपकरणों का विनिर्माण उद्यम का कार्य-क्षेत्र है। कंपनी द्वारा अपना अधिकतर माल तथा सेवाएँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं तथा भारत सरकार को दी जाती हैं।

विषय-सूची

भारतीय लेखा मानक विवरणिकाओं में शामिल हैं –

(ए) तुलन-पत्र

(बी) लाभ-हानि लेखा

(सी) ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(डी) नक़द-प्राप्ति विवरण

(ई) महत्वपूर्ण लेखानीतियाँ तथा अन्य विवरणात्मक सूचना के सार-संक्षेप सहित टिप्पणियाँ

(एफ) पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित तुलनात्मक जानकारी

रिपोर्टिंग संस्था :

भारत डायनामिक्सन लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) भारत में स्थापित व स्थित और शेयर द्वारा सीमित एक सूचीबद्ध कंपनी है।

पंजीकृत कार्यालय :

कंचनबाग, हैदराबाद-500058

निगम कार्यालय :

प्लॉट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद-500032

31 मार्च 2021 को समाप्त तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
आस्तियाँ			
(1) गैर-चालू आस्तियाँ			
(ए) संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	1	74,273.11	75,305.16
(बी) निर्माणाधीन कार्यगत पूँजी	2	2,149.86	4,205.85
(सी) निवेशित संपत्ति	3	0.97	0.97
(डी) आस्तियों के उपयोग का अधिकार	4	3,975.04	4,151.45
(ई) अमूर्त आस्तियाँ	5	13,249.79	13,779.20
(एफ) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) निवेश	6	452.26	390.43
(ii) ऋण	7	251.96	300.35
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	8	4,404.11	4,676.89
(जी) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	29A	4,773.25	5,424.97
(एच) अन्य गैर-चालू आस्तियाँ	9	2,745.55	2,884.57
कुल गैर-चालू आस्तियाँ		**106,275.90**	**111,119.84**
(2) चालू आस्तियाँ			
(ए) सामग्री-सूची	10	139,701.00	85,651.77
(बी) वित्तीय आस्तियाँ			
(i) प्राप्य ट्रेड	11	32,269.27	33,836.80
(ii) नक़द एवं नक़द तुल्य	12	45,691.67	29,749.47
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक में शेष	13	110,403.80	36,600.00
(iv) ऋण	14	196.87	236.96
(v) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	15	121,594.31	242,550.43
(सी) चालू कर आस्तियाँ	29B	4,223.26	3,645.39
(डी) अन्य चालू आस्तियाँ	16	35,819.53	25,135.45
कुल चालू आस्तियाँ		**489,899.71**	**457,406.27**
कुल आस्तियाँ		**596,175.61**	**568,526.11**
ईक्विटी एवं देयताएँ			
ईक्विटी			
(ए) ईक्विटी शेयर पूँजी	17	18,328.12	18,328.12
(बी) अन्य ईक्विटी	18	250,146.60	242,354.85
कुल ईक्विटी		**268,474.72**	**260,682.97**
(1) गैर-चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) पट्टा देयताएँ	19	652.71	771.19
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	4,325.39	4,540.38
(बी) प्रावधान	21	2,906.82	29.13
(सी) अन्य गैर-चालू देयताएँ	22	67,718.87	71,036.09
कुल गैर-चालू देयताएँ		**75,603.79**	**76,376.79**
(2) चालू देयताएँ			
(ए) वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	23	-	216.63
(ii) ट्रेड अदायगी			
(ए) माइक्रो तथा लघु उद्यमों को बकाया कुल राशि;	24	2,937.69	1,380.62
(बी) माइक्रो तथा लघु उद्यमों के अलावा अन्य ऋणदाता / लेनदार को बकाया कुल राशि	24	71,322.42	33,167.91
(iii) पट्टा देयताएँ	25	118.48	106.10
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	26	14,417.85	16,554.62
(बी) अन्य चालू देयताएँ	27	140,302.58	147,415.56
(सी) प्रावधान	28	22,998.08	32,624.91
(डी) चालू कर देयताएँ, निवल	29B	-	-
कुल चालू देयताएँ		**252,097.10**	**231,466.35**
कुल देयताएँ		**327,700.89**	**307,843.14**
कुल ईक्विटी एवं देयताएँ		**596,175.61**	**568,526.11**

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।
कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 002424S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
	आय			
I	परिचालन से प्राप्त राजस्व	30	191,375.95	310,487.20
II	अन्य आय	31	9,461.36	8,805.03
III	**कुल आय (I + II)**		**200,837.31**	**319,292.23**
IV	**व्यय**			
	खपत सामग्री की लागत	32	97,008.31	101,408.85
	तैयार माल तथा निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन	33	(12,890.75)	50,366.33
	कर्मचारी लाभ पर व्यय	34	50,108.86	53,403.07
	वित्त लागत	35	391.28	465.57
	मूल्यह्रास एवं परिशोध व्यय	36	9,453.84	9,643.84
	अन्य खर्च	37	22,677.66	29,759.17
	कुल व्यय (IV)		**166,749.20**	**245,046.83**
V	असामान्य मदें तथा कर (III-IV) से पूर्व लाभ / (हानि)		34,088.11	74,245.40
VI	असामान्य मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**34,088.11**	**74,245.40**
VIII	**कर व्यय**			
	(1) चालू कर	29C	7,204.37	19,002.93
	(2) आस्थगित कर	29C	1,107.22	1,752.39
	कुल कर व्यय		**8,311.59**	**20,755.32**
IX	**वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)**		**25,776.52**	**53,490.08**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	सामग्री जो बाद में लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जा सकती।			
	(ए) निर्धारित लाभ योजनाओं की पुनर्गणना	38(3)	(1,809.83)	(2,889.22)
	(बी) लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत न होने वाले मदों से संबंधित आयकर	29C	455.50	727.16
	कुल अन्य व्यापक आय		**(1,354.33)**	**(2,162.06)**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)**		**24,422.19**	**51,328.02**
XII	**प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन**			
	मूल तथा विलयित ई पी एस (रुपयों में)	38(2)	14.06	29.18

प्रमुख लेखा नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं के अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 002424S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण

ए. ईक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2019 तक प्रदत्त एवं जारी पूँजी	18,328.12
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	
31 मार्च, 2020 को शेष	18,328.12
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	
31 मार्च, 2021 को शेष	**18,328.12**

बी. अन्य ईक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2019 को शेष	183,135.54	-	25,390.94	**208,526.48**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	53,490.08	53,490.08
भारतीय लेखा मानक 115 अपनाने पर समायोजन			-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	(2,162.06)	(2,162.06)
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(3,689.95)	(3,689.95)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	40,000.00	-	-	40,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(40,000.00)	(40,000.00)
अवधि के दौरान वापस खरीद पर जोड़	-	-	-	-
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-
मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-
वापस-खरीद शेयर पर कर	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	(11,455.08)	(11,455.08)
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(2,354.62)	(2,354.62)
31 मार्च, 2020 को शेष	**223,135.54**	**-**	**19,219.31**	**242,354.85**

विवरण	प्रारक्षित एवं अधिशिष्ट निधि			
	सामान्य प्रारक्षण	पूँजी शोधन प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन	कुल
1 अप्रैल, 2020 को शेष	223,135.54	-	19,219.31	**242,354.85**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	25,776.52	25,776.52
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का निवल)	-	-	(1,354.33)	(1,354.33)
अंतिम लाभांश एवं उस पर कर	-	-	(4,673.67)	(4,673.67)
पूँजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-	-	-
लाभ-हानि लेखा से अंतरण	25,000.00	-	-	25,000.00
सामान्य प्रारक्षण निधि में अंतरण	-	-	(25,000.00)	(25,000.00)
अवधि के दौरान वापस खरीद पर जोड़	-	-	-	-
बट्टे खाते में लिखी गयी वापस-खरीद प्रीमियम	-	-	-	-
मूल्यह्रास का समायोजन	-	-	-	-
सीएसआर प्रावधान समायोजन	-	-	323.07	323.07
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश पर कर	-	-	(12,279.84)	(12,279.84)
प्रस्तावित अंतिम लाभांश पर कर (पिछले वर्ष)	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को शेष	**248,135.54**	**-**	**2,011.06**	**250,146.60**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 002424S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नक़द प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021		31 मार्च, 2020	
ए. परिचालनीय कार्यकलापों से नक़द प्रवाह				
असामान्य सामग्री तथा कर पूर्व लाभ		34,088.11		74,245.40
समायोजन :				
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	9,453.84		9,643.84	
वित्त लागत	391.28		465.57	
ब्याज से आय	(5,628.86)		(5,393.40)	
स्थायी अस्तियों, सयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर आय	(10.29)		0.62	
ग्राहक से उपलब्ध आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	(1,344.62)		(1,306.84)	
व्यय के लिए प्रावधान	1,095.00		2,101.92	
दीर्घावधि तक आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं / प्रावधानों को बट्टे खाते में डाला गया	(821.25)		(844.91)	
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के निवेश पर उचित मूल्य का समायोजन	(200.62)		(161.28)	
लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री पर लाभ	-		-	
कार्यगत पूँजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनीय लाभ		**37,022.59**		**78,750.92**
कार्यगत पूँजी में परिवर्तन				
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन				
प्राप्य ट्रेड	1,567.53		18,755.71	
ऋण	88.48		6.54	
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	120,639.70		(97,834.77)	
सामग्री-सूची	(54,408.86)		79,770.06	
अन्य आस्तियाँ	(10,684.08)		1,875.43	
परिचालनीय आस्तियों में (वृद्धि) / अपवृद्धि के लिए समायोजन				
देय ट्रेड	39,711.58		(17,397.19)	
अन्य वित्तीय देयताएँ	(2,253.13)		4,160.10	
अन्य देयताएँ	(8,803.83)		5,144.26	
प्रावधान	(8,296.44)		(5,444.51)	
परिचालनों से प्रजनित नक़द		**114,583.54**		**67,786.55**
निवल आयकर प्रदत्त		(7,782.24)		(17,364.41)
असामान्य मदों से पहले निवल नक़द प्रवाह		106,801.30		50,422.14
असामान्य मदें		-		-
परिचालनीय गतिविधियों में से / उपभोक्त निवल नक़द (ए)		**106,801.30**		**50,422.14**
बी. निवेश गतिविधियों से नक़द-प्रवाह				
आस्तियाँ, सयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त आस्तियों की खरीद	(5,660.91)		(5,688.84)	
बैंक जमा	(73,803.80)		(1,165.40)	
आस्तियाँ, सयंत्र, उपकरण एवं अमूर्त आस्तियों की बिक्री से प्राप्ति	11.21		0.36	
वर्ष के दौरान म्युचुअल फण्ड में शोधन / (निवेश)	-		-	
लाभ-हानि माध्यम से उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
प्राप्त ब्याज	6,075.10		3,536.25	
निवेश गतिविधियों में / उपभोक्त निवल नक़द (बी)		**(73,378.39)**		**(3,317.63)**
सी. वित्तीय गतिविधियों से नक़द-प्राप्ति				
ईक्विटी शेयर की जारी से प्राप्ति	-		-	
वित्त लागत	(252.26)		(326.55)	
शेयरों की वापस-खरीद	(106.10)		(94.72)	
शेयरों की वापस-खरीद पर कर	-		-	
प्रदत्त लाभांश और इस पर कर	(16,905.72)		(18,665.92)	
वित्तीय गतिविधियों मे / उपभोक्त निवल नक़द (सी)		**(17,264.08)**		**(19,087.19)**
नक़द एवं नक़द तुल्य में निवल वृद्धि / (अपवृद्धि) (ए+बी+सी)		**16,158.83**		**28,017.32**
वर्ष के आरंभ में नक़द एवं नक़द तुल्य		**29,532.84**		**1,515.52**
वर्ष के अंत में नक़द एवं नक़द तुल्य (निम्न नोट (i) का संदर्भ लें)		**45,691.67**		**29,532.84**
टिप्पणी (i):				
नक़द एवं नक़द तुल्य में शामिल हैं :				
चालू खाते में		398.66		248.69
जमा खाते में		45,290.93		29,500.00
नक़द राशि		2.08		0.78
बैंक ओवरड्राफ्ट		-		(216.63)
		45,691.67		**29,532.84**

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या. 002424S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

एन श्रीनिवासुलू
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21 जून, 2021

लेखा नीतियाँ

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

1.1 भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन :

वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानकों के सभी वस्तुगत पहलुओं का अनुपालन किया जाता है, जो समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 (अधिनियम) [कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015] और इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचित किए जाते हैं।

1.2 लागत की परम्परागत परिपाटी:

वित्तीय विवरण लागत की परम्परागत परिपाटी के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:

उचित मूल्य पर मापित कतिपय वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ (व्युत्पन्नी लिखतों सहित) तथा आकस्मिक प्रतिफल।

निर्धारित लाभ योजनाएँ – योजना आस्तियों का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

1.3 प्राक्कलनों का प्रयोग:

भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा-सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्राक्कलन और आस्ति-देयताओं की सूचित राशियों को प्रभावित करने वाली धारणाओं, वित्तीय विवरण तैयार करने की तारीख को आकस्मिक आस्ति-देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान आय-व्यय की सूचित राशियों के लिए यथावश्यक प्रबन्धन अपेक्षित होता है। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

प्राक्कलनों और आधारभूत धारणाओं की समीक्षा अग्रगामी आधार पर की जाती है। लेखा प्राक्कलनों में संशोधनों को मान्यता उसी अवधि के लिए दी जाती है, जिस अवधि में प्राक्कलन का संशोधन किया जाता है।

2. **विदेशी मुद्रा का मूल्यान्तरण**

2.1 कामकाजी मुद्रा और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

कम्पनी के वित्तीय विवरण में सम्मिलित मदों का मापन प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के आधार पर किया जाता है, जिसमें कम्पनी का परिचालन किया जाता है ('कामकाजी मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय रुपया भारत डायनामिक्स की कामकाजी मुद्रा है और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा भी।

2.2 लेन-देन और शेष राशियाँ

i. विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन का कामकाजी मुद्रा में मूल्यान्तरण लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। ऐसे लेन-देनों के निपटारे, मौद्रिक आस्तियों के मूल्यान्तरण और वर्ष के अन्त में मौजूद विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गांकित मौद्रिक आस्ति-देयताओं के मूल्यान्तरण के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की संप्राप्तियों और घाटों को लाभ-हानि की मान्यता दी जाती है।

ii. विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापित मौद्रिकेतर मदों का मूल्यान्तरण उचित मूल्य-निर्धारण की तारीख को विद्यमान विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। उचित मूल्य पर हासिल आस्ति-देयताओं सम्बन्धी मूल्यान्तरण के अन्तर को उचित मूल्य की धन-प्राप्ति या घाटे के रूप में सूचित किया जाता है।

iii. तत्कालीन सोवियत रूस से प्राप्त आपूर्तियों/सेवाओं पर ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों (और भारतीय सेना तथा आयुध निर्माणियों से प्राप्य राशियों) के लिए देयता, ब्याज सहित आस्थगित अदायगियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिसूचित विनिमय दर पर भारत सरकार और रूस सरकार के बीच नयाचार व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है। विनिमय दर में कमोबेशी के कारण सम्भावित अन्तर का लेखा-जोखा राजस्व के हवाले किया जाता है।

3. **राजस्व की मान्यता**

ए. ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

(i) कंपनी द्वारा जब (या जैसे) कार्यनिष्पादन पूरा करने पर राजस्व लिया जाता है।

(ii) समय के साथ कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि

ए) जहाँ समय के साथ माल या सेवाओं के नियंत्रण का हस्तांतरण होता है, उस कार्यनिष्पादन दायित्व की पूर्णता की तुलना में प्रगति को मापकर निम्न मानदंडों में से किसी एक के पूरा होने पर राजस्व को लिया जाता है :

- कंपनी का कार्यनिष्पादन ग्राहक को कंपनी के काम के साथ-साथ लाभ और उपभोग करने का अधिकार देता है।

- कंपनी का कार्यनिष्पादन कोई आस्ति बनाता है या उसमें वृद्धि करना है जिसे ग्राहक उसे संपत्ति के रूप में नियंत्रित करता है।
- कंपनी का कार्यनिष्पादन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के लिये कोई आस्ति नहीं तैयार करता है और कंपनी को किसी तारीख तक पूर्ण निष्पादन के लिए उचित लाभ सहित भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।

बी) एक कार्यनिष्पादन दायित्व की संतुष्टि में हुई प्रगति का आकलन रिपोर्टिंग तिथि तक संविदा पूरा करने के लिए अनुमानित लागत के मुकाबले किये गये खर्च की वास्तविक लागत के आधार पर किया जाता है। यदि निष्पादन दायित्व के परिणाम का अनुमान विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता है और जहाँ यह संभावना है कि लागतों की वसूली की जाएगी, तो किये गये खर्च को राजस्व के रूप में लिया जाता है।

सी) ए एम सी अनुबंधों के मामले में, जहाँ खर्च / बीते समय के आधार पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि देखी जाती है वहाँ आउटपुट विधि का उपयोग करके राजस्व लिया जाता है।

(iii) किसी एक समय में निष्पादन दायित्व की पूर्णता

ए) उन मामलों में जहाँ नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ नहीं होता है, कंपनी उन मामलों में राजस्व की पहचान निष्पादन दायित्व पूरा होने वाले क्षण करती है।

बी) ग्राहक द्वारा आस्तियों का नियंत्रण प्राप्त करने पर निष्पादन दायित्व पूरा माना जाता है। नियंत्रण हस्तांतरण में निम्नलिखित सूचक होते हैं :

- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व को स्थानांतरित कर दिया हो।
- ग्राहक के पास आस्ति का कानूनी हक हो।
- ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार कर लिया हो।
- जब कंपनी के पास आस्ति के भुगतान का वर्तमान में अधिकार हो।
- ग्राहक के पास आस्ति के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोख़िम और रिवार्ड हों। अनुबंधों में शामिल शर्तों के आधार पर इन महत्वपूर्ण जोख़िमों और रिवार्ड स्वामित्व के हस्तांतरण का मूल्यांकन किया जाता है।

कार्यस्थलीय संविदा : कार्यस्थलीय संविदा की स्थिति में आय को मान्यता तब दी जाती है, जब संविदा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का विनियोजन पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि अपेक्षित हो, बिना शर्त कर दिया जाए।

निःशुल्क रेल संविदा: निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में बिक्री को मान्यता तब दी जाती है, जब पेशगी निरीक्षण और स्वीकरण के बाद, यदि संविदा में शर्त रखी गई हो, ग्राहक को पहुँचाने के लिए वस्तुएँ वाहक को सौंप दी जाएँ। निःशुल्क रेल संविदा की स्थिति में गन्तव्य संविदा आय को मान्यता तब दी जाती है, जब वस्तुएँ लेखाअवधि के भीतर गन्तव्य पर पहुँच जाएँ।

बिल और होल्ड बिक्री:

बिल और होल्ड बिक्री को तब मान्यता दी जाती है जब निम्न सभी मानदंड पूरे होते हों :

- बिल और होल्ड बिक्री के काफी आधार मौजूद हों।
- जब उत्पाद को ग्राहक के उत्पाद रूप में अलग से पहचाना जाता हो।
- वर्तमान में जब उत्पाद ग्राहक को भौतिक रूप से हस्तांतरण के लिए तैयार हो।
- कंपनी के पास उत्पाद का उपयोग करने या इसे किसी अन्य ग्राहक को देने की क्षमता नहीं हो।

(iv) मापन

ए) राजस्व को उस लेनदेन मूल्य की राशि से पहचाना जाता है जिसे निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

लेन-देन की कीमत उस विचार की राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि और अनुमानित परिसमापन क्षति के निवल को छोड़कर किसी ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।

विनिमय दर में अंतर और किसी भी अन्य अतिरिक्त विचार को अनुबंध की शर्तों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

बी) मानक वारंटी शर्तों के तहत खराब / सामान को बदलने या मरम्मत करने के लिए दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त है और लेन-देन की कीमत के तहत समायोजित नहीं किया जाता है क्योंकि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से से खरीदने का विकल्प नहीं है।

सी) ऐसे मामलों में जहाँ अनुबंधों में कई निष्पादन दायित्व शामिल होते हैं, कंपनी प्रत्येक स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आबंटित करती है।

पुंज संविदा - जिस पुंज संविदा में संस्थापना और समादेशन या किसी अन्य पहचानने योग्य घटक के लिए शर्तें न रखी गई हों, उस स्थिति में कम्पनी लेन-देन के अलग से पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) के लिए मान्यता के मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

बहुविध घटक – जहाँ संस्थापन और समादेशन या अलग से पहचाने जाने वाले किसी अन्य घटक की शर्त रखी गयी हो तथा उसके मूल्य पर अलग से सहमति बन गई हो, उन मामलों में लेन-देन के अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन और समादेशन इत्यादि) पर कंपनी मान्यता का मानक लागू करती है और आय का आबंटन उन अलग-अलग घटकों को उनके अपने एकमेव बिक्री मूल्य के आधार पर करती है।

डी) अगर एकमेव बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है तो कंपनी, एकमेव बिक्री मूल्य का अनुमान लगाती है।

(v) महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक

रक्षा संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्राप्त अग्रिमों को महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक का निर्धारण करने के लिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य अनुबंधित पक्षों के हितों की रक्षा करना है।

अन्य अनुबंधों के संबंध में, महत्वपूर्ण वित्तपोषित घटक की समीक्षा प्रत्येक मामले के लिए अलग से की जाती है।

vi) ग्राहकों से वित्तपोषित आस्तियाँ:

ग्राहकों से मुफ्त में प्राप्त आस्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। उनके अनुरूपी आय को आस्ति की कालावधि पर मूल्यह्रास के अनुपात में मान्यता दी जाएगी।

बी. अन्य आय

अन्य आय की मान्यता इस प्रकार की जाती है :

i) ब्याज की आमदनी:

किसी भी वित्तीय आस्ति से ब्याज की आमदनी को मान्यता तब दी जाती है, जब यह सम्भावना हो कि आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और आमदनी की रकम का विश्वसनीय मापन किया जा सके। ब्याज की आमदनी अवधि के आधार पर बकाया मूलधन के सन्दर्भ में और लागू होने वाले ब्याज की प्रभावी दर से उपार्जित होती है। यह वह दर है, जो प्राक्कलित भावी नक़द प्राप्तियों में वित्तीय आस्ति के प्रत्याशित जीवन-काल से लेकर उस आस्ति की प्रारम्भिक मान्यता पर हासिल निवल राशि तक सटीक कटौती कर देती है।

ii) लाभांश:

लाभांश की आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

4. सरकारी अनुदान :

4.1 सरकारी अनुदानों को मान्यता उनके उचित मूल्य पर वहाँ दी जाती है, जहाँ युक्तिसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त हो जाएगा और कम्पनी लगाई गई सभी शर्तों का अनुपालन करेगी।

4.2 आमदनी से सम्बन्धित सरकारी अनुदान आस्थगित रखे जाते हैं। उन अनुदानों से जिन लागतों की क्षतिपूर्ति अभिप्रेत है, उनसे मेल के लिए आवश्यक अवधि के बाद ही लाभ-हानि में मान्यता दी जाती है और अन्य आमदनी में प्रस्तुत किया जाता है।

4.3 ह्रासमान इतर आस्तियों से सम्बन्धित अनुदानों के लिए भी कतिपय बाध्यताएँ पूरी करनी अपेक्षित हो सकती हैं। उन्हें उस पूरी अवधि के बाद लाभ-हानि में मान्यता तभी दी जाएगी, जो उन्हें पूरा करने की लागत वहन करती है।

4.4 सरकार से प्राप्त सब्सिडी या अन्य मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण लिए प्राप्त अनुदान आस्थगित आय मानी जाती है। यदि अनुदान / सब्सिडी पूर्ण हो, तो मूल्यह्रास से संबंधित राशि, संपत्ति के जीवन-काल पर आय के रूप में मानी जाती है। अनुदान/सब्सिडी यदि पुनर्भुगतान जैसी किसी शर्त के साथ हो तो आय अनुदान/सब्सिडी की शर्तों के अनुसार मानी जाती है।

5. आय कर

5.1 आय कर का खर्च या किसी अवधि के लिए जमा, चालू अवधि की कर योग्य आय पर देय कर है। वह जमा-खर्च आय कर की लागू दरों पर आधारित होता है और आस्थगित कर आस्ति-देयताओं में परिवर्तनों से समायोजित हो जाता है। इन आस्ति-देयताओं के लिए अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त कर के घाटों को जिम्मेदार माना जाता है।

5.2 चालू कर :

जिन देशों में कम्पनी का परिचालन किया जा रहा है और कर योग्य आमदनी कमायी जा रही है, चालू आय कर के प्रभार का हिसाब-किताब वहाँ बने-बनाए कर के कानूनों पर या रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में वास्तव में बनाए जाने वाले कानूनों पर आधारित होता है। जिन परिस्थितियों के बीच लागू होने वाले कर विनियमन का निर्वचन किया जाना होता है, प्रबन्धन उनमें कर विवरणियों में अपनाए गए दृष्टिकोण का नियतकालिक रूप से मूल्यांकन करता है।

5.3 आस्थगित कर:

i) प्रावधान आस्थगित आय कर की सम्पूर्ण राशि के लिए किया जाता है। इसके लिए आस्ति-देयताओं और उन पर हासिल राशियों के बीच उत्पन्न अस्थायी अन्तरों पर वित्तीय विवरणों में देयता विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, कर की आस्थगित देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती, यदि वे सुनाम की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हों। आस्थगित आय कर भी हिसाब में नहीं लिया जाता, यदि वह किसी लेन-देन में आस्ति-देयता की प्रारम्भिक मान्यता से उत्पन्न हो। इसमें व्यापार का वह संयोजन सम्मिलित नहीं है, जो लेन-देन के समय न तो लेखागत लाभ को प्रभावित करे और न कर योग्य लाभ (कर-हानि) को। आस्थगित आय कर का निर्धारण कर की तय दर या रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में वास्तव में तय की जाने वाली दर और उन दरों (और कानूनों) की सहायता से किया जाता है, जिनका लागू किया जाना सम्बन्धित आय कर से जुड़ी आस्तियाँ उगाहते समय या आस्थगित आय कर देयता के निपटारे के समय प्रत्याशित हो।

ii) सभी घटाने योग्य अस्थायी अन्तरों और अप्रयुक्त घाटों पर आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता तभी दी जाती है, यदि यह सम्भावना हो कि उन अस्थायी अन्तरों और घाटों का उपयोग करने के लिए कर योग्य भावी राशियाँ उपलब्ध होंगी। कराधान के प्रयोजन के लिए आस्थगित कर आस्ति को मान्यता उपलब्ध भूमि पर भी दी जाती है, क्योंकि इससे अस्थायी अन्तर उत्पन्न होता है।

iii)आस्थगित आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब चालू आस्ति-देयताओं को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जब आस्थगित कर की राशि एक ही कर प्राधिकारी से सम्बन्धित हो। चालू कर आस्ति-देयताएँ तब बराबर हो जाती हैं, जब वस्तु को उन्हें बराबर करने का विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और उसका अभिप्राय या तो निवल आधार पर निपटारे का हो या देयता को साथ-साथ उगाह लेने का।

iv) अन्य व्यापक आमदनी या सीधे सम्पत्ति मूल्य में मान्यता प्राप्त मदों से सम्बन्धित कर की सीमा तक को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। इस स्थिति में कर को मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आमदनी या सीधे ईक्विटी मूल्य में भी दी जाती है।

6. पट्टे

6.1 कंपनी एक पट्टेदाता के रूप में :

तीसरी पार्टी के साथ अनुबंध, जो कंपनी को एक आस्ति के संबंध में उपयोग का अधिकार देता है, को भारतीय लेखा मानक – 116 के प्रावधानों के अनुसार हिसाब दिया जाता है बशर्ते कि पट्टे मानदंड मानक में निर्दिष्ट के अनुसार मिलते हैं।

अल्पावधि पट्टे (बारह महीने या उससे कम की अवधि) और कम मूल्य की आस्तियों के संबंध में पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि या अन्य व्यवस्थित आधार पर सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में लागू किया जाता है।

आरंभ तिथि पर, "उपयोग के अधिकार" का मूल्य बकाया पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अनुमानित लागत, यदि कोई हो, को नष्ट करने और अंतर्निहित आस्ति को हटाने के लिए रखा जाता है।

पट्टे के लिए देयता बकाया पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि के लिए बनाई गई है। बाद के माप, यदि कोई हो, लागत मॉडल का उपयोग करके बनाया गया है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान देयता और वित्त लागत के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त लागत पट्टा अवधि पर लाभ और हानि के बयान के लिए प्रभारित की जाती है ताकि प्रत्येक अवधि के लिए देयता के शेष पर ब्याज की निरंतर आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

आस्ति के उपयोग का अधिकार संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल से कम और एक सीधी रेखा के आधार पर पट्टे की अवधि से अधिक है।

पट्टे के भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, यदि वह दर निर्धारित की जा सकती है, या कंपनी की वृद्धिशील उधार दर। यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधन, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

6.2 एक पट्टाधारक के रूप में कंपनी:

भारतीय लेखा मानक 116 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड के आधार पर पट्टे को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ए) वित्त पट्टा :

प्रारंभ तिथि में, "पट्टे में शुद्ध निवेश" के बराबर राशि प्राप्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है। "पट्टे में शुद्ध निवेश" के मूल्य को मापने के लिए निहित ब्याज दर का उपयोग किया जाता है।

प्रत्येक पट्टा भुगतान प्राप्त किए गए और वित्त आय के बीच आवंटित किया जाता है। वित्त अवधि को पट्टा अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है ताकि पट्टे में शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाया जा सके।

भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय उपकरण के अनुसार आस्ति का परीक्षण वि-मान्यता और हानि की आवश्यकताओं के लिए किया गया है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

बी) परिचालन पट्टे :

यदि आवश्यक हो, तो कंपनी परिचालन पट्टों से पट्टा भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर या अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में पहचानती है।

यदि किसी मानक में निर्दिष्ट मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो पट्टा संशोधनों, यदि कोई हो, को अलग पट्टे के रूप में देखा जाता है।

किसी पट्टे को आरंभ की तिथि पर ही वित्त पट्टा या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7. सामग्री-सूची

7.1 माल-सूचियों का मूल्यांकन लागत से नीचे और निवल उगाही योग्य मूल्य पर किया जाता है। कच्चे माल, पुर्ज़ों और भण्डारों की लागत वास्तविक भारित औसत लागत सूत्र की सहायता से निर्धारित की जाती है तथा पारगमन में कच्चे माल, पुर्ज़ों और भण्डारों की जब की तब। विक्रेय स्टॉक और चालू काम के मामले में लागत में सम्मिलित होते हैं सामग्री, श्रम और उत्पादन सम्बन्धी ऊपरी खर्च।

7.2 लेखन सामग्री, वर्दियाँ, कल्याणकारी कार्यों में खपने योग्य सामान, चिकित्सा और कैण्टीन भण्डार के खर्च उनकी प्राप्ति के समय ही आय में से घटा दिए जाते हैं।

7.3 बेशी/मरम्मत अयोग्य/बेकार घोषित कच्चा माल, पुरज़े, निर्माण सामग्री, खुले औज़ार और भण्डार तथा फ़ालतू पुरज़े आय में प्रभारित किए जाते हैं।

7.4 कच्चे माल, पुरज़ों और पाँच वर्ष से अधिक से पड़ी हुई निर्माण सामग्री की अन्तिम सूची के बारे में निरर्थकता के लिए प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पन्न/विशिष्ट परियोजनाओं और अन्य बेशी/उबार भण्डार में स्थानान्तरण की प्रतीक्षा में पड़ी बेकार सामग्री के बारे में ऐसी सूची की निरर्थकता के लिए, जहाँ आवश्यक हो, पर्याप्त प्रावधान किया जाता है।

8. वित्तीय लिखतें

8.1 वित्तीय आस्तियाँ : सभी वित्तीय आस्तियों को व्यापार की तारीख को मान्यता तब दी जाती है, जब किसी वित्तीय आस्ति की खरीद ऐसी संविदा के अधीन हो जिसकी शर्त के अनुसार वित्तीय आस्ति की सुपुर्दगी सम्बन्धित बाज़ार से तय समय-सीमा के भीतर की जानी हो। वित्तीय आस्तियों का मापन प्रारम्भ में लेन-देन की लागत जोड़कर उचित मूल्य पर किया जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से प्रारम्भ ही में 'उचित मूल्य पर' रूप में वर्गीकृत वित्तीय आस्तियाँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों का मापन बाद में उनकी समग्रता में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर किया जाता है।

i) वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण

कम्पनी अपनी वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण निम्नलिखित मापन कोटियों में करती है:

- जिनका मापन बाद में उचित मूल्य पर किया जाना है (अन्य व्यापक आमदनी या लाभ या हानि के माध्यम से), और
- जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

यह वर्गीकरण वित्तीय आस्तियों के प्रबन्धन के लिए संस्था के कारोबारी मॉडल और नकदी प्रवाह की संविदागत शर्तों पर निर्भर है।

उचित मूल्य पर मापित आस्तियों के लिए नफ़ा-नुकसान, लाभ या हानि में दर्ज किए जाएँगे या अन्य व्यापक आमदनी में। ऋण लिखतों में निवेश के लिए यह

उस कारोबारी मॉडल पर निर्भर होगा, जिसमें निवेश धरा है। शेयर लिखतों में निवेश इस बात पर निर्भर होगा कि क्या कम्पनी ने अन्य व्यापक आमदनी के माध्यम से शेयरों में निवेश के लिए प्रारम्भिक मान्यता के समय निर्विकल्पी संवरण कर लिया है। कम्पनी ऋण निवेश का वर्गीकरण केवल तब और तभी करती है, जब उन आस्तियों के प्रबन्धन के लिए उसका कारोबारी मॉडल बदलता है।

ii) मापन

प्रारम्भिक मान्यता के समय कम्पनी किसी भी वित्तीय आस्ति का मापन उचित मूल्य पर उस वित्तीय आस्ति पर सीधे आरोप्य लेन-देन की लागत जोड़कर करती है। जो वित्तीय आस्ति उचित मूल्य पर न हो, उसका मापन लाभ या हानि के माध्यम से करती है। उचित मूल्य पर हासिल वित्तीय आस्ति की लेन-देन की लागतें लाभ या हानि के माध्यम से लाभ या हानि में डाली जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों सहित अंत:स्थापित व्युत्पन्नियों को उनकी सर्वांगीणता में देखते समय यह देखा जाता है कि क्या उनका नक़द-प्रवाह मूलधन और ब्याज का एकल भुगतान है या नहीं।

ए) ऋण लिखतें

ऋण लिखतों का बाद में मापन आस्ति के प्रबन्ध और आस्ति के नक़द प्रवाह के अभिलक्षणों के लिए कम्पनी के कारोबारी मॉडल पर निर्भर है। कम्पनी अपनी ऋण लिखतों का वर्गीकरण इस प्रकार करती है :

(ए)(i) परिशोधित लागत: संविदागत नक़द प्रवाहों के संग्रहण के लिए धारित आस्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है, जहाँ वे नक़द प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज का प्रतिनिधित्व करते हों। बाद में परिशोधित लागत पर मापित और पेशबन्दी सम्बन्ध का भाग न बनने वाले ऋण निवेश पर नफ़ा-नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता तब दी जाती है, जब उस आस्ति की मान्यता समाप्त या कम कर दी जाए। इन वित्तीय आस्तियों से ब्याज की आय को ब्याज की प्रभावी दर की विधि की सहायता से वित्त आय में सम्मिलित किया जाता है।

(ए)(ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफ वी ओ सी आई) :

ऐसी संपत्तियाँ जो संविदात्मक नक़द-प्रवाह के लिए रोक रखी गई हों और वित्तीय संपत्ति की बिक्री की जानी हो, तथा जहाँ संपत्ति नक़द-प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज हो, ऐसी आय को व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। वाहक राशि में चलन को ओ सी आई के माध्यम से लिया जाता है। इसमें क्षति लाभ या नुकसान की राशि, ब्याज राजस्व और विदेशी विनिमय में लाभ-हानि को शामिल नहीं किया जाता। इसे लाभ-हानि में लिया जाता है। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है ('डी-रिकग्नाइज़') तो पूर्व में ओ सी आई में लिया गया संचित लाभ या हानि ईक्विटी से लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाता है और अन्य लाभ / (हानि) के रूप में इसकी पहचान की जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति के प्रयोग से हुए अन्य आय में शामिल किया जाता है।

(ए)(iii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य :

परिशोधन लागत या एफ वी ओ सी आई मानदंडों को पूरा न करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर लिया जाता है और बचाव व्यवस्था का हिस्सा न हो, इसकी पहचान लाभ या हानि में की जाती है और जिस कालावधि के दौरान यह आया हो उस अवधि के लिए उसमें अन्य लाभ / (हानि) के साथ लाभ-हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। । इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

बी) ईक्विटी लिखतें:

(बी)(i) कम्पनी सभी ईक्विटी निवेशों का बाद में उचित मूल्य पर मापन करती है। जहाँ कम्पनी प्रबन्धन ने ईक्विटी निवेशों पर उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान को अन्य व्यापक आमदनी में दर्शाना चुन लिया हो, वहाँ उचित मूल्य नफ़ा-नुकसान का बाद में लाभ या हानि में कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांशों को लाभ या हानि में अन्य आमदनी के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ कम्पनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।

(बी)(ii)लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि विवरण में अन्य नफ़ा/(नुकसान) में मान्यता दी जाती है। शेयर निवेशों पर क्षतिजन्य हानियों (और क्षतिजन्य हानियों का निराकरण) का एफ़ वी ओ सी आई पर मापन उचित मूल्य में अन्य परिवर्तनों से अलग सूचित नहीं किया जाता।

(iii) वित्तीय आस्तियों की क्षति

परिशोधित लागत और एफ़ वी ओ सी आई ऋण लिखतों पर हासिल अपनी आस्तियों से जुड़े प्रत्याशित जमा नुकसानों का मूल्यांकन कम्पनी अग्रदर्शी आधार पर करती है। लागू किया जाने वाला क्षति रीतिविधान इस पर निर्भर है कि क्या जमा जोख़िम में उल्लेखनीय

वृद्धि हुई है।

व्यापारिक धन-प्राप्तियों के लिए कम्पनी सरलीकृत रुख अपनाती है। यह भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय लिखतों से अनुमत है। इसमें प्राप्य राशियों की प्रारम्भिक मान्यता से प्रत्याशित आजीवन हानियों को मान्यता देना अपेक्षित है।

सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कम्पनियों से प्राप्य कालातीत देय राशियों को सामान्यतः ऐसी वित्तीय आस्तियों की जमा जोख़िम में बढ़ोतरी नहीं माना जाता।

(iv) वित्तीय आस्तियों की मान्यता समाप्त करना

किसी वित्तीय आस्ति की मान्यता तभी समाप्त की जाती है,

- जब कम्पनी ने वित्तीय आस्ति से नक़द प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तान्तरित कर दिए हों या
- जब वित्तीय आस्ति के नक़द प्रवाह प्राप्त करने के संविदागत अधिकार अपने हाथ में रखे तो हों, लेकिन नक़द प्रवाह एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को अदा करने की बाध्यता मान ली हो।

जहाँ वस्तु ने किसी आस्ति का हस्तान्तरण कर दिया हो, वहाँ कम्पनी यह आँकती है कि उसने वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोख़िमें और प्रतिफल पूरी तरह हस्तान्तरित कर तो दिए हैं। ऐसे मामलों में वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है।

जहाँ वस्तु ने न तो वित्तीय आस्ति हस्तान्तरित की हो न ही वित्तीय आस्ति के स्वामित्व की तमाम जोख़िमें और प्रतिफल पूरी तरह अपने हाथ में रख रखे हों, वहाँ ऐसी वित्तीय आस्ति की मान्यता समाप्त कर दी जाती है, यदि कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में न रख छोड़ा हो। जहाँ कम्पनी ने वित्तीय आस्ति का नियन्त्रण अपने हाथ में रख छोड़ा हो, वहाँ आस्ति की मान्यता वित्तीय आस्ति में आगे चलती रहने वाली संबद्धता की सीमा तक जारी रहती है।

v) प्राप्य व्यापारिक धनराशियाँ

व्यापारिक प्राप्तियाँ साधारण कारोबार के दौरान बेची गई वस्तुओं या निष्पादित सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशियाँ हैं। यदि इन राशियों की उगाही रिपोर्टिंग की तारीख (या कारोबार के सामान्य परिचालन चक्र में, यदि अवधि लम्बी हो) से बारह मास या उससे कम में प्रत्याशित हो, तो उनका वर्गीकरण चालू आस्तियों के रूप में किया जाता है, अन्यथा चालू आस्तियों से इतर आस्तियों के रूप में।

प्राप्य व्यापारिक धनराशियों का मापन उनके लेन-देन के मूल्य पर किया जाता है, यदि भारतीय लेखा मानक 18 (या जब संस्था व्यावहारिक उपाय अपनाए) के अनुसार उसमें उल्लेखनीय वित्तीय घटक न हो या संविदा में मूल्य-समायोजन अन्तःस्थापित न हो।

प्रत्याशित जीवन-काल में जमा में हानि के लिए हानि में छूट को प्रारम्भिक मान्यता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

8.2 कम्पनी से जारी वित्तीय देयताएँ और ईक्विटी लिखतें

वर्गीकरण

ऋण और ईक्विटी लिखतों का वर्गीकरण संविदागत व्यवस्था की विषयवस्तु के अनुसार या तो वित्तीय देयताओं के रूप में किया जाता है या फिर ईक्विटी के रूप में।

i) ईक्विटी लिखतें

ईक्विटी लिखत ऐसी संविदा है, जो किसी संस्था की समस्त देयताएँ घटाने के बाद उसकी आस्तियों में अवशिष्ट ब्याज का साक्ष्य दे। कम्पनी से जारी ईक्विटी लिखतों को प्राप्त आय-राशियों के आधार पर निर्गम की सीधी लागतें घटाकर मान्यता दी जाती है।

ii) वित्तीय देयताएँ

उधारियों सहित वित्तीय देयताओं का मापन प्रारम्भ में उचित मूल्य पर लेन-देन की लागतें घटाकर किया जाता है।

वित्तीय देयताओं का मापन बाद में प्रभावी ब्याज की विधि की सहायता से ब्याज के व्यय को प्रभावी लब्धि के आधार पर मान्यता देकर परिशोधित लागत पर किया जाता है।

प्रभावी ब्याज की विधि वित्तीय देयता की परिशोधित लागत की गणना और सम्पूर्ण सम्बन्धित अवधि पर ब्याज-व्यय के आवंटन की विधि है। ब्याज की प्रभावी दर वह है, जो प्रारम्भिक मान्यता पर निवल हासिल राशि में से वित्तीय देयता के प्रत्याशित जीवन-काल के माध्यम से प्राक्कलित भावी नक़द भुगतानों की सटीक कटौती करे, या (जहाँ उपयुक्त हो) कमतर अवधि के लिए ऐसा करे।

iii) व्यापार और अन्य देय राशियाँ

ये राशियाँ कम्पनी को प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धी देयताओं की सूचक हैं। व्यापार और अन्य देय चालू देयताओं के रूप में दर्शाए जाते हैं, यदि भुगतान

रिपोर्टिंग-अवधि के बारह मास के भीतर देय हो, अन्यथा चालू देयताओं से इतर रूप में दर्शायी जाती हैं। उन्हें प्रारम्भ में उनके अपने उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में उनका मापन परिशोधित लागत पर ब्याज की प्रभावी दर की विधि के आधार पर किया जाता है।

iv) व्युत्पन्नियाँ

जिस तारीख को व्युत्पन्नी संविदा की जाती है, व्युत्पन्नियों को उचित मूल्य पर मान्यता उसी दिन दी जाती है। उनका पुनर्मापन बाद में उनके अपने उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग-अवधि के अन्त में किया जाता है। जिन व्युत्पन्नियों को पेशबन्दी के रूप में अभिहित नहीं किया गया है, उनका हिसाब लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया और उन्हें अन्य नफ़ों / (नुकसानों) में सम्मिलित किया जाता है।

ए) अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ

किसी परपोषी संविदा में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आस्ति हैं। उन्हें अलग नहीं किया जाता। यह निश्चय करते समय कि उनके नक़द प्रवाह मात्र मूलधन और ब्याज की अदायगियाँ ही हैं, अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों युक्त वित्तीय आस्तियों पर उनकी समग्रता में विचार किया जाता है।

अन्य सभी परपोषी संविदाओं में अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों को अलग किया जाता है, यदि आर्थिक अभिलक्षण और अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियों की जोख़िमें आर्थिक अभिलक्षणों और परपोषी संविदा की जोख़िमों से घनिष्ठता से सम्बद्ध न हों। उनका मापन लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है। परपोषी संविदा से घनिष्ठता से जुड़ी व्युत्पन्नियों को अलगाया नहीं जाता।

बी) अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियाँ

अन्तःस्थापित विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नियों को परपोषी संविदा से अलगाया नहीं जाता, यदि उनका आपसी सम्बन्ध घनिष्ठ हो। यदि परपोषी संविदा को लाभ न पहुँचे, तो ऐसी अन्तःस्थापित व्युत्पन्नियाँ परपोषी संविदा से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। इनमें कोई विकल्प-विशेषता नहीं होती और निम्नलिखित में से किसी मुद्रा में भुगतान अपेक्षित होता है :

- संविदा से सम्बद्ध किसी पार्टी की कामकाजी मुद्रा
- जिस मुद्रा में अधिग्रहीत वस्तु या प्रदत्त सेवा का मूल्य दुनिया भर में वाणिज्य लेन-देन में नेमी तौर पर तय हो।
- जिस आर्थिक वातावरण में लेन-देन होता हो (अर्थात् अपेक्षाकृत द्रव और स्थिर मुद्रा), उसमें वित्तीय से इतर मदों की खरीद-बिक्री के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त मुद्रा।

उपर्युक्त मानक पर खरा न उतरने वाली विदेशी मुद्रा अन्तः-स्थापित व्युत्पन्नियाँ अलगा दी जाती हैं और लाभ-हानि के माध्यम से व्युत्पन्नी का हिसाब उचित मूल्य पर कर दिया जाता है।

8.3 वित्तीय लिखतों को बराबर करना

वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ बराबर कर दी जाती हैं और निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शायी जाती है, जब मान्यता प्राप्त राशियों को बराबर करने के लिए विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और निवल आधार पर निपटाने या आस्ति को उगाहकर देयता को साथ-साथ निपटाने का इरादा हो। विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार भावी घटनाओं पर आकस्मिक न हो और कारोबार के सामान्य दौर में चूक, कम्पनी के दिवालियापन या प्रतिस्थानी होने की स्थिति में प्रवर्तनीय हो।

9. नक़द और नक़द सममूल्य:

नक़द प्रवाह विवरण में प्रस्तुतीकरण के प्रयोजन से नक़द और नक़द सममूल्यों में सम्मिलित होते हैं हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थाओं में माँग पर धरी जमाराशियां, मूल रूप से तीन मास या उससे कम परिपक्वता अवधि के अन्य अल्पावधि एवं अत्यधिक द्रव निवेश, जो ज्ञात नक़द राशियों में सुलभ संपरिवर्तनीय हों और जिन पर मूल्य-परिवर्तन की जोख़िम न के समान हो तथा बैंक ओवरड्राफ़्ट।

तुलन-पत्र में बैंक ओवरड्राफ़्ट चालू देयताओं में उधारियों के भीतर दर्शाए जाते हैं।

10. उचित मूल्य पर मापन

10.1 कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में कतिपय वित्तीय लिखतों, जैसे व्युत्पन्नियाँ और अन्य मदें, का मापन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर करती है।

10.2 जिन समस्त आस्ति-देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया हो या जिन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो, उनका वर्गीकरण उचित मूल्य क्रमपरम्परा के भीतर निम्नतम स्तर के निवेश के आधार पर किया जाता है। ऐसा वर्गीकरण समग्रतः उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण होता है:

स्तर-1 — सक्रिय बाज़ारों में समरूपी आस्ति-देयताओं के लिए कथित मूल्य (असमायोजित)।

स्तर-2 — स्तर-1 के भीतर सम्मिलित कथित मूल्यों से अन्य निवेश, जो प्रत्यक्षतः (अर्थात् मूल्य रूप में) या परोक्षतः (अर्थात् मूल्यों से निकाले हुए) आस्ति या देयता के लिए संप्रेक्षणीय हों।

स्तर-3 — आस्ति-देयताओं के लिए निवेश, जो बाज़ार के संप्रेक्षणीय डाटा पर आधारित न हों (असंप्रेक्षणीय निवेश)।

10.3 उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए कम्पनी ने प्रकृति, अभिलक्षण, आस्ति की जोख़िमों और उचित मूल्य क्रम परम्परा के स्तर पर आस्ति-देयताओं के वर्ग निश्चित कर दिए हैं।

11. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर

11.1 मापन

i. भूमि को कम्पनी के खर्च पर पूँजी में परिणत किया जाता है। समतल बनाने, साफ करने और श्रेणीकरण जैसे भूमि के विकास-कार्यों को भवन-निर्माण की लागत के साथ-साथ भवन-निर्माण के लिए प्रयुक्त भूमि के अनुपात में पूँजी में परिणत किया जाता है और विकास के शेष खर्च को पूँजी में भूमि की लागत के साथ-साथ परिणत किया जाता है। भू-दृश्य के प्रयोजन या निर्माण-कार्य से असंबद्ध किसी अन्य प्रयोजन के लिए किए गए विकास-खर्च को भूमि की लागत माना जाता है।

ii. सम्पत्ति, संयन्त्र और उपस्कर की अन्य सभी मदें परम्परागत लागत में दिखाई जाती हैं। इनमें से ह्रास घटा दिया जाता है। परम्परागत लागत में सम्मिलित होते हैं मदों के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य खर्च।

iii. बाद की सभी लागतें आस्ति की हासिल रकम में सम्मिलित की जाती हैं और उसे अलग आस्ति के रूप में यथा उपयुक्त मान्यता केवल तभी दी जाती है, जब यह सम्भव हो कि मद से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। अलग आस्ति के रूप में हिसाब में ली गई घटक की हासिल रकम की मान्यता उसकी स्थानापन्नता की स्थिति में समाप्त कर दी जाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मरम्मत और रख-रखाव पर किए गए अन्य सभी खर्च लाभ-हानि के हवाले किए जाते हैं।

iv. जहाँ आस्ति के किसी भाग की लागत आस्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण हो और उस भाग का उपयोगी जीवन-काल शेष आस्ति की जीवन-अवधि से भिन्न हो, उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन-काल अलग से निश्चित किया जाता है और उस महत्वपूर्ण भाग के प्राक्कलित सम्पूर्ण उपयोगी जीवन-काल पर ह्रास सरल रेखा विधि से काटा जाता है।

11.2 ह्रास की विधि, प्राक्कलित उपयोगी जीवन-काल और अवशिष्ट मूल्य

i. अवशिष्ट मूल्य घटाकर लागत के आवंटन के लिए सम्पूर्ण प्राक्कलित जीवन-काल पर ह्रास की गणना सरल रेखा विधि से की जाती है।

ii. निश्चित किए गए जीवन-काल कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्दिष्ट जीवन-कालों के समान हों।

iii. आस्ति के अवशिष्ट मूल्य और उपयोगी जीवन-काल की समीक्षा की जाती है। उन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में समायोजित किया जाता है, यदि उपयुक्त हो।

11.3 निपटान

निपटान पर नफ़ा-नुकसानों का निश्चय निवल विक्रय आगम राशियों की तुलना हासिल राशि से करके किया जाता है। इन्हें लाभ-हानि में सम्मिलित किया जाता है।

12. अमूर्त आस्तियाँ

12.1 लाइसेंस

अलग से लिये गये लाइन्सेस परंपरागत लागत पर दिखाये जाते हैं। इनकी उपयोगिता अवधि सीमित होती है। बाद में संचित परिशोधन और क्षतिजनित नुकसान घटा कर इन्हें लागत पर हासिल किया जाता है।

12.2 कंप्यूटर साफ्टवेयर

ए) आंतरिक प्रयोग के लिए लिये गये और भविष्य में महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामदायी साफ्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा न हो) की लागत को लेखा-बही में अमूर्त हिस्से में माना जाता है, जब वह प्रयोग के लिए तैयार हो। जो अमूर्त आस्तियाँ तुलन-पत्र की तारीख को अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार न हों, उनका वर्गीकरण 'विकासाधीन अमूर्त आस्तियाँ' के रूप में किया जाता है।

बी) साफ्टवेयर प्रोग्रामों के रखरखाव पर आने वाले खर्च को किया गया व्यय माना जाता है।

सी) कंपनी के नियंत्रणाधीन पहचाने जाने योग्य अनन्य साफ्टवेयर उत्पाद के अभिकल्प और परीक्षण पर सीधे आरोप्य विकास की लागतों को निम्नलिखित मानकों पर खरा उतरने पर अमूर्त आस्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है :

- साफ्टवेयर को पूरा करना तकनीकी रूप से संभाव्य हो, जिससे वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।
- प्रबंधन साफ्टवेयर को पूरा करके प्रयोग करना या बेचना चाहता हो।

- साफ्टवेयर के प्रयोग और बेचने की योग्यता हो।
- यह दिखाया जा सके कि साफ्टवेयर भविष्य में आर्थिक रूप से लाभदायक कैसे हो सकता है।
- साफ्टवेयर का पूरी तरह विकास करने, प्रयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय और अन्य संसाधन उपलब्ध हों, और
- साफ्टवेयर के विकास-काल में उस पर आने वाले खर्च का विश्वसनीय मापन किया जा सके।

डी) साफ्टवेयर के भाग के रूप में पूँजी के तौर पर परिणत सीधे आरोप्य लागतों में कर्मचारियों पर लागत और संबंधित ऊपरी खर्च का उपयुक्त भाग भी सम्मिलित है।

ई) पूँजी के रूप में परिणत विकासगत लागतों को अमूर्त आस्तियों के तौर पर दर्ज किया जाता है और आस्ति का परिशोधन उस बिंदु से किया जाता है, जिस पर वह प्रयोग के लिए उपलब्ध हो।

12.3 अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान खर्च और विकास खर्च को किये गये खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है, जो उक्त 12.2 (ग) के मानकों पर खरे नहीं उतरते। पहले खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त विकास लागत को परवर्ती अवधि में आस्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती।

कंपनी से वित्तपोषित परियोजना(ओं) के असमय समापन/ परित्याग की स्थिति में, असमय समापन / परित्याग के चरण तक किए गए खर्च को असमय समापन/परित्याग के वर्ष की आय में से प्रभारित किया जाता है।

12.4 परिशोधन की विधि और अवधियाँ

सीमित जीवन-काल युक्त अमूर्त आस्तियों का परिशोधन कंपनी सरल रेखा विधि से निम्नलिखित पूरी अवधियों के लिए करती है : **अनुज्ञप्तउपयोगी काल**कंप्यूटर के साफ्टवेयर का उत्पादन3 वर्ष

13. संपत्ति निवेश :

जो संपत्ति दीर्घावधि तक किराया देने के लिए या पूँजीगत वृद्धि या दोनों दृष्टियों से रखी गई हो और कंपनी जिस पर काबिज़ न हो, ऐसी संपत्ति का वर्गीकरण संपत्ति में निवेश माना जाएगा। संपत्ति में में निवेश का प्रारंभिक मापन उसकी लागत पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन की लागत और उधारी की लागत, जहाँ लागू हो, सम्मिलित है। आस्ति पर हासिल राशि पर परवर्ती खर्च पूँजी के रूप में तभी परिणत किया जाता है, जब संभावना यह हो कि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ समूह का रुख करेंगे और मद की लागत का विश्वसनीय मापन किया जा सके। सभी प्रकार की मरम्मत और रखरखाव की लागत आने पर खर्च में दिखायी जाती है। जब संपत्ति में निवेश के किसी भाग का प्रतिस्थापन किया जाए, तो प्रतिस्थापित भाग पर हासिल राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

14. बिक्री के लिए रखी और परिचालन रोकी गई चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ (या निपटान समूह):

14.1 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों (या निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों के रूप में किया जाता है, यदि उन पर हासिल मूल्य प्रमुखत: बिक्री के लेन-देन से उगाहा जाए, न कि सतत उपयोग से और बिक्री की प्रबल संभावना दिखाई दे। इनका मापन इन पर हासिल मूल्य और उचित मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों, कर्मचारियों के लाभों से बनने वाली आस्तियों, वित्तीय आस्तियों और बीमा संविदाओं के अंतर्गत संविदागत अधिकारों जैसी जिन आस्तियों को उस अपेक्षा से विशिष्ट छूट प्राप्त है, उन्हें छोड़कर इसमें से बिक्री पर आई लागत घटा दी जाती है।

14.2 किसी आस्ति (या निपटान समूह) के लिए प्रारंभिक या परवर्ती बही मूल्य, उचित मूल्य से कम हो जाने पर बिक्री की लागत घटाकर क्षतिजन्य हानि की मान्यता दी जाती है। किसी आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री पर लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में किसी भी परवर्ती बढ़ोतरी को नफ़े की मान्यता दी जाती है, लेकिन पीछे मान्य किसी संचयी क्षतिजन्य घाटे से ऊपर नहीं। चालू आस्ति से इतर आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख तक पीछे अमान्य नफ़ा नुकसान को मान्यता समाप्त करने की तारीख को मान्यता दी जाती है।

14.3 चालू आस्तियों से इतर आस्तियों पर (इनमें निपटान समूह की भाग रूप आस्तियां भी सम्मिलित हैं) ह्रास नहीं काटा जाता या उनका परिशोधन नहीं किया जाता, जबकि उनका वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी आस्तियों के रूप में किया जाए। बिक्री के लिए रखे रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताओं पर आरोप्य ब्याज़ और अन्य खर्च मान्यता प्राप्त बने रहेंगे।

14.4 विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत चालू आस्तियों से इतर आस्तियाँ और विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की आस्तियाँ तुलन-पत्र में अन्य आस्तियों से अलग दर्शायी जाती हैं। विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देयताएँ तुलन-पत्र में अन्य देयताओं से अलग दर्शायी जाती हैं।

14.5 बंद परिचालन किसी बिकी हुई या विक्रयार्थ रूप में वर्गीकृत वस्तु का घटक होता है और जो किसी अलग प्रमुख कारोबार या परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाता है। वह ऐसे कारोबार या परिचालन-क्षेत्र के निपटारे के लिए एकमात्र समन्वित योजना का भाग होता है या अनन्यत: फिर से बेचने की दृष्टि से ली गई समानुषंगी। बंद परिचालन के परिणाम लाभ-हानि विवरण में अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

15 आस्तियों की क्षति :

15.1 अमूर्त आस्तियाँ जिनके उपयोग की अवधि अनिश्चित होती है उनका परिशोधन नहीं किया जाता बल्कि इनका क्षति की दृष्टि से सालाना परीक्षण किया जाता है या क्षति की संभावना अथवा परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए साल में एक से ज्यादा बार भी किया जा सकता है। अन्य आस्तियों का क्षति की दृष्टि से परीक्षण, परिस्थितियों में ऐसे बदलाव के संकेत या घटनाक्रम पर किया जाता है जब आस्ति का वहन मूल्य वसूल नहीं हो सकता हो। ऐसी आस्ति का वाहित मूल्य वसूली जाने वाली राशि से अधिक होने पर क्षति से हानि माना जाता है।

15.2 किसी आस्ति का वसूल किया जा सकने वाला मूल्य निपटान की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और उपयोगगत मूल्य से अधिक होता है। क्षति के मूल्यांकन के लिए आस्तियों को न्यूनतम स्तर पर समूहित किया जाता है जिनकी नकदी आगत को पहचाना जा सके और जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह (नक़द उत्पन्न इकाइयाँ) से आने वाली नकदी आगत से बहुत हद तक अलग होता है। ख्याति को छोड़कर क्षति हुई गैर-वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक रिपोर्टावधि के अंत में क्षति से संभावित व्युत्क्रमण के लिए समीक्षा की जाती है।

16. प्रावधान, आकस्मिक आस्तियाँ और आकस्मिक देयताएँ

16.1 कंपनी पर वर्तमान में कानूनी अथवा पूर्व घटनाओं के परिणाम के तौर पर निर्माणकारी बाध्यता होने पर तथा ऐसी बाध्यता निपटान में संसाधनों के खर्च होने पर, ऐसी राशि के वास्तविकत: आकलन किये जा सकने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। भविष्य में प्रचालन से होने वाली हानि के लिए प्रावधान मान्य नहीं किये जाते हैं।

16.2 जहाँ समान प्रकार की एकाधिक बाध्यताएँ हों वहाँ भी संभावित होता है कि इनके निपटान में बहिर्वाह होगा। इस तरह की बाध्यताओं की पहचान उनकी श्रेणी अनुसार कर समायोजन एक साथ किया जाता है। इसी श्रेणी में किसी एक मद के शामिल होने, भले ही वह छोटा क्यूँ न हो, यदि बहिर्वाह की संभावना हो तो इसका भी प्रावधान किया जाता है।

16.3 वर्तमान बाध्याताओं के समायोजन के लिए प्रावधानों का मापन रिपोर्टाधीन अवधि के अंत में प्रबंधन के सर्वोत्तम प्राक्कलन और वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने जिस छूट की दर पर लिया जाता है वह कर-पूर्व दर होती है जो समय के महत्वानुसार पैसे और देयता संबंधी विशिष्ट देयता के बाजारी मूल्यांकन को दर्शाता है। समय बीतने की वजह से प्रावधानों में हुई वृद्धि को ब्याज खर्च के रूप में लिया जाता है।

16.4 वारंटी : जहाँ भी लागू हो बेचे गए सामान पर वारंटी बिक्री पूरी होने और तदनुरूप वारंटी का प्रावधान किये जाने पर लागू होती है। वारंटी की अवधि, शर्तें संबंधित संविदा में ऐसी बिक्री के प्रावधान करते समय तय किये जाते हैं।

16.5 दुर्वह संविदा : जब किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अनुमानित लाभ संविदा को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत से भी कम हो तो ऐसी स्थिति में दुर्वह संविदाओं को पहचानने के लिए प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को संविदा को छोड़ देने के अनुमानित न्यूनतम लागत और संविदा को जारी करने के संभावित निवल लागत के आधार पर मापा जाता है। किसी भी प्रकार प्रावधान बनाने से पूर्व कंपनी, उस संविदा से संबद्ध आस्तियों के परिसमापन क्षति की पहचान करती है।

17. कर्मचारी लाभ

17.1 अल्प-कालीन बाध्यताएँ : कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली संबंधित सेवाओं की मजदूरी और वेतन सहित अन्य मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक देयताएँ जिन्हें इनके द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि के बाद के 12 महीनों में पूर्णत: समायोजित किया जाना अपेक्षित हो, रिपोर्टाधीन अवधि तक कर्मचारियों की सेवाओं के अंतर्गत ली जाती हैं और जिनका मापन देयताओं के समायोजन पर अपेक्षित देय राशि पर किया जाता है। ये देयताएँ तुलन-पत्र में चालू कर्मचारी लाभ देयता के रूप में दर्शाये जाते हैं।

17.2 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ देयताएँ

अर्जित अवकाश संबंधी देयता कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की अवधि समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजित नहीं हो पाती है। अत: इसका मापन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं के प्रति अपेक्षित भविष्य के भुगतान को वर्तमान दर पर मानकर परियोजित इकाई क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। लाभ का बट्टा रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर बाजार आधारित उपज पर किया जाता है जिसकी शर्तें संबंधित बाध्यता की शर्तों के लगभग समान होती हैं।

इन देयताओं को तुलन-पत्र में चालू देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है यदि संगठन रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद 12 महीनों में समायोजन आस्थगन करने का बिना शर्त अधिकार न रखता हो, चाहे वास्तविक समायोजन जब भी होना अपेक्षित हो।

17.3 रोजगार-उपरांत बाध्यताएँ :

कंपनी द्वारा निम्न रोजगार-उपरान्त बाध्याताएँ चलायी जाती हैं :

(ए) परिभाषित लाभ योजना जैसे उपदान और भविष्य निधि अधिनियम के तहत भविष्य निधि अंशदान।

(बी) परिभाषित योजना जैसे सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना (एं)।

ए) परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित योजनाएँ संबंधी देयता अथवा आस्ति की तुलन-पत्र में पहचान योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम रिपोर्टाधीन अवधि पर की जाती है। ऐसी परिभाषित लाभ बाध्यताएँ बीमांकिक तरीके से परियोजित इकाई उधार पद्धति का प्रयोग कर की जाती हैं।

परिभाषित लाभ की बाध्यता का वर्तमान मूल्य भारतीय रुपय के मूल्य वर्ग में किया जाता है जिसका निर्धारण रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति पर सरकारी बॉण्ड पर संबंधित बाध्यता की लगभग समान शर्तों पर मिलने वाले बाजार से उपज के मुताबिक प्राक्कलित भविष्य नक़द बहिर्भाव को भुनाकर किया जाता है।

निवल ब्याज की लागत की गणना परिभाषित लाभ बाध्यता और योजना आस्तियों के वास्तविक मूल्य के निवल शेष पर बट्टा-दर लागू कर की जाती है। यह लागत लाभ-हानि विवरणिका के अंतर्गत कर्मचारी लाभ खर्च में मिली होती है।

अनुभवी समायोजन और बीमांकिक की धारणाओं में बदलाव से प्राप्त अभिलाभ और हानि का पुन:मापन ऐसा होने की अवधि में, सीधे अन्य व्यापक आय में किया जाता है।

योजना में संशोधन अथवा कटौती से जन्य परिभाषित लाभ देयता के बदलावों को तुरंत पूर्व सेवा लागत के तौर पर लाभ-हानि में लिया जाता है।

बी) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी स्थानीय विनियम द्वारा स्थापित ट्रस्ट और स्थानीय विनियमों के तहत सार्वजनिक रूप से शासित फण्ड में अशंदान देती है। यह अंशदान दे दिये जाने के बाद कंपनी की और कोई अदायगी की बाध्यता नहीं बनती। ये अंशदान परिभाषित अंशदान योजना के रूप में लेखांकित किये जाते हैं और जब ये देना शेष रहते हैं तो कर्मचारी लाभ खर्च के रूप में लिये जाते हैं। पूर्वअदा अंशदान के उतने भाग को आस्ति माना जाता है जितने पर नक़द वापसी या जितनी भविष्य में देय राशि कम की जाती है।

कंपनी द्वारा दिया गया अंशदान / कंपनी द्वारा सेवा-निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा योजना (आर ई एम आई) / पश्च अधिवर्षिता चिकित्सा लाभ (पी एस एम बी), मृत्यु राहत कोष (डी आर एफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई एस आई) और पेन्शन योजना के लिए देय अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

17.4 सेवा-समापन लाभ

समाप्ति लाभ किसी कर्मचारी को सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले कंपनी द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर देने पर या ऐसे मिलने वाले लाभ के बदले कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से अतिरेक पर दिया जाता है। सेवा-समापन लाभ को कंपनी निम्न तिथियों के पहले लेती है : (ए) जब कंपनी ऐसे लाभ के प्रस्ताव को और अधिक वापस नहीं ले सकती; और (बी) जब संस्था ऐसी लागत को पुनर्निर्माण के लिए मानती हो और जो भारतीय लेखा मानक 37 के दायरे में आती हो तथा जिसमें सेवा-समाप्ति लाभ शामिल रहते हों। स्वेच्छा अतिरेक को बढ़ावा दिये जाने के प्रस्ताव दिये जाने की स्थिति में सेवा-समाप्ति लाभ कर्मचारियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली अपेक्षित संख्या के आधार पर मापा जाता है। सेवा-समाप्ति लाभ के रिपोर्टाधीन समाप्ति की अवधि से 12 महीनों से अधिक बकाया रहने पर वर्तमान मूल्य पर बट्टागत किये जाते हैं।

स्वेच्छा सेवा-निवृत्ति के अंतर्गत कर्मचारियों को की गई प्रतिपूर्ति को उनके सेवा-निवृत्ति साल में लाभ-हानि विवरणिका में प्रभारित किया जाता है।

18. दी गई ईक्विटी

ईक्विटी शेयर को ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नये शेयर जारी करने की वजह से या विकल्प से हो सकने वाली वृद्धिशील लागत को ईक्विटी में घटाव के रूप में, आगम पर कर के निवल के रूप में दिखाया जाता है।

19. लाभांश

समुचित रूप से प्राधिकृत, न कि संस्था के विवेकाधिकार से की जाने वाली किसी लाभांश राशि की घोषणा का रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में परन्तु रिपोर्टाधीन अवधि की समाप्ति के बाद न दिये जाने पर प्रावधान किया जाता है।

20. प्रति शेयर अर्जन

20.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

प्रति शेयर अर्जन की गणना भाग कर की जाती है:

प्रति शेयर मूल आय की गणना कंपनी के मालिकों को वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से लाभांश को विभाजित करके की जाती है, वर्ष के दौरान जारी ईक्विटी शेयरों में बोनस तत्वों के लिए समायोजित किया जाता है और ट्रेजरी शेयरों को छोड़कर।

20.2 कम किया गया प्रति शेयर अर्जन

कम किया गया प्रति शेयर अर्जन, प्रति शेयर मूल अर्जन निर्धारित करने में प्रयुक्त आँकड़ों को निम्न का समायोजित खाते में लेने के लिए प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण में प्रयुक्त आँकड़े निम्न को हिसाब में लेने समायोजित करता है :

- ब्याज पर पड़ने वाला आयकर प्रभाव और कम किये जाने वाले संभावित ईक्विटी शेयरों से जुड़ी अन्य वित्तपोषण लागत, और
- भारित औसत संख्या के अतिरिक्त ईक्विटी शेयरों जिनके कम किये जाने वाले सभी संभावित ईक्विटी शेयरों के परिवर्तन से बकाया है मान लिये जाने पर।

नोट 1 से 38 और लेखा-नीति लेखाओं के अंगभूत भाग हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते – जी नटेशन अण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 002424S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली भागीदार (सदस्यता सं. 024842)	**एन श्रीनिवासुलू** निदेशक (वित्त) डी आई एन 08744682	**कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डी आई एन : 08367035
स्थान : हैदराबाद तारीख : 21.06.2021	स्थान : हैदराबाद तारीख : 21.06.2021	**एन नागराजा** कंपनी सचिव (सदस्यता सं. ए19015)

टिप्पणियाँ
वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1 : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण

(रु लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च 2020 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,770.87	1.60	-	**8,772.47**	-	-	-	-	**8,772.47**
भवन	30,786.51	609.34	-	**31,395.85**	3,009.91	1,353.12	-	**4,363.03**	**27,032.82**
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,129.00	166.81	-	**1,295.81**	947.02	167.15	-	**1,114.17**	**181.64**
सड़कें तथा नालियाँ	1,226.12	440.07	-	**1,666.19**	455.46	143.04	-	**598.50**	**1,067.69**
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	173.56	10.64	-	**184.20**	20.33	7.23	-	**27.56**	**156.64**
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण #	45,990.43	1,958.16	(19.75)	**47,928.84**	10,429.88	3,391.10	(5.60)	**13,815.38**	**34,113.46**
फर्नीचर तथा उपकरण *	3,328.33	490.19	(4.38)	**3,814.14**	1,768.12	489.49	(3.36)	**2,254.25**	**1,559.89**
परिवहन वाहन	585.45	76.56	-	**662.01**	289.74	72.06	-	**361.80**	**300.21**
विशेष औजार एवं उपकरण	5,357.95	4.45	(0.10)	**5,362.30**	2,510.16	731.90	(0.10)	**3,241.96**	**2,120.34**
कुल	**97,348.22**	**3,757.82**	**(24.23)**	**101,081.81**	**19,430.62**	**6,355.09**	**(9.06)**	**25,776.65**	**75,305.16**

(रु लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2020 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च 2021 तक की स्थिति
पूर्ण स्वामित्व पर भूमि	8,772.47	28.19	-	**8,800.66**	-	-	-	-	**8,800.66**
भवन	31,395.85	684.82	-	**32,080.67**	4,363.03	1,384.62	-	**5,747.65**	**26,333.02**
फेंसिंग और चहारदीवारी	1,295.81	15.73	-	**1,311.54**	1,114.17	43.97	-	**1,158.14**	**153.40**
सड़कें तथा नालियाँ	1,666.19	12.64	-	**1,678.83**	598.50	168.20	-	**766.70**	**912.13**
जल आपूर्ति संस्थापनाएँ	184.20	3.64	-	**187.84**	27.56	7.99	-	**35.55**	**152.29**
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण #	47,928.84	4,399.79	(70.09)	**52,258.54**	13,815.38	3,830.23	(1.34)	**17,644.27**	**34,614.27**
फर्नीचर तथा उपकरण *	3,814.14	763.71	(0.72)	**4,577.13**	2,254.25	615.21	(0.71)	**2,868.75**	**1,708.38**
परिवहन वाहन	662.01	23.00	-	**685.01**	361.80	73.81	-	**435.61**	**249.40**
विशेष औजार एवं उपकरण	5,362.30	11.17	-	**5,373.47**	3,241.96	781.95	-	**4,023.91**	**1,349.56**
कुल	**101,081.81**	**5,942.69**	**(70.81)**	**106,953.69**	**25,776.65**	**6,905.98**	**(2.05)**	**32,680.58**	**74,273.11**

टिप्पणियाँ

पूर्ण स्वामित्व पर प्राप्त भूमि :

(ए) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में सम्मिलित है:

(i) 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत कंचनबाग स्थित 2 एकड़ 8 गुण्टा ज़मीन (31 मार्च, 2020 को 2 एकड़ 8 गुण्टा ज़मीन) शामिल है जो भारत सरकार के संगठन को अनुमत अधिग्रहण आधार पर दी हई है जिस पर उनका स्वामित्व है।

(ii) कंचनबाग स्थित 146 एकड़ 32 गुण्टा की ज़मीन राज्य सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई (31 मार्च, 2020 तक 146 एकड़ 32 गुण्टा, मूल्य 28.42 लाख) जिसका मूल्य 28.42 लाख है। इस भूमि पर हकनामा / स्वामित्व अभी प्राप्त होना शेष है।

(बी) कंपनी के लिए राज्य सरकार से अधिग्रहीत करमनघाट स्थित 82 एकड़ 31 गुंटा ज़मीन जिसके लिए कंपनी द्वारा 21.66 लाख का (31 मार्च, 2020 तक 21.66 लाख) भुगतान किया गया है और इस राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(सी) विशाखापट्टणम स्थित 10 एकड़ 13 गुंटा ज़मीन (31 मार्च, 2020 तक 10 एकड़ 13 गुंटा) का हकनामा / स्वामित्व प्राप्त होना शेष है जिसके लिए भुगतान की गई 376.13 लाख (31 मार्च, 2020 तक 376.13 लाख) राशि का पूँजीकरण किया गया है।

(डी) इब्राहीमपट्टणम, रंगारेड्डी स्थित स्वामित्व में ली जा चुकी 632 एकड़ 16.50 गुण्टा ज़मीन के लिए अंतरण लिखत रसीद प्राप्ति के लेबित रहने के संबंध में इसे भुगतान की गई अनुमानित कीमत के आधार पर पूँजीकृत किया गया है। कुछ शर्तों के अधीन क्रय करार पर रु. 6136.90 लाख (31 मार्च, 2020 को रु. 5831.28 लाख) का भुगतान कर पूर्ण स्वामित्वाधिकार पर ज़मीन ली गई है।

भवन :

(ए) 31 मार्च 2021 तक कंपनी की माल्कियत से संबंध नहीं रखने वाली भूमि पर निर्मित इमारतों का मूल्य रु. 111.00 लाख (31 मार्च, 2020 को रु. 111.00 लाख) सम्मिलित है।

(i) विभिन्न श्रेणियों की आस्तियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार) की अनुमोदित प्रयोक्ता-अवधि इस प्रकार है :

आस्ति	प्रयोक्ता अवधि
भवन	30 / 60
फेंसिंग और चहारदीवारी	5
सड़कें तथा नालियाँ	10
जल-आपूर्ति संस्थापनाएँ	30
सयंत्र, मशीनरी तथा उपकरण	10/ 12/ 15
फर्नीचर तथा उपकरण	3 / 5 / 10
परिवहन वाहन	8 / 10

(ii) मूल्यह्रास की गणना-पद्धति के लिए लेखा-नीति 11 का संदर्भ लें : संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण

(iii) नुकसान का जायज़ा लेखानीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

टिप्पणी 2 : पूँजीगत निर्माणाधीन कार्य

(रु लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
सिविल	1,390.48	961.45
सयंत्र एवं मशीनरी	740.70	3,216.86
अन्य	18.68	27.54
कुल	**2,149.86**	**4,205.85**

टिप्पणियाँ :

(i) पूँजीगत प्रतिबद्धता के लिए टिप्पणी 38 (6) तथा अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं से संबंधित विवरण के लिए 38 (7) का संदर्भ लें।

टिप्पणी 3 : निवेश संपत्ति

(रु लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2020 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
भूमि (किराये पर)	0.97	-	-	0.97	-	-	-	-	0.97

(i) निवेशित संपत्तियों पर लाभ या हानि मानी गयी राशि

विवरण	31, मार्च 2021	31, मार्च 2020
किराया आय	-	-
मूल्यह्रास से पूर्व निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-
मूल्यह्रास	-	-
निवेशित संपत्तियों से लाभ	-	-

(ii) संविदात्मक बाध्यताएँ

कंपनी को संपत्ति में निवेश, निर्माण या बेचने या इसकी किसी मरम्मत की संविदात्मक बाध्यता प्राप्त नहीं है।

(iii) पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्थाएँ

पट्टे की व्यवस्था दीर्घावधि तक चलने वाले पट्टे के अंतर्गत कंचनबाग में 5 एकड़ और 1 गुण्टा भूमि सालाना किराये पर भारत सरकार को दी गई है। इस तरह के पट्टे पर किराया सालाना रु. 1 प्रति एकड़ है। पट्टे की यह व्यवस्था 31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2021 में भी यही रही।

(iv) उचित मूल्य

विवरण	31, मार्च 2021	31, मार्च 2020
निवेशित संपत्तियाँ	1459.26	1459.26

उल्लेखनीय निर्णय :

जैसे कि भूमि भारतीय नौसेना को दी गई है और यह भारत सरकार का संगठन कंपनी परिसर में ही है और कंपनी के लिए किसी अन्य को भूमि देना संभव नहीं होगा, पंजीकरण विभाग ने इस भूमि के मूल्य को उचित मूल्य माना है। इस विभाग के अनुसार इस भूमि का उचित मूल्य रु. 0.06 लाख प्रति वर्ग गज है।

(v) नुकसान का जायज़ा लेखानीति 15 के अनुसार लिया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं हैं।

टिप्पणी 4 : आस्तियों के उपयोग का अधिकार

(रु लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च 2020 तक की स्थिति
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	**3,477.17**	148.20	37.05	-	**185.25**	**3,291.92**
पट्टे पर प्राप्त भवन	998.91	-	-	**998.91**	-	139.37	-	**139.37**	**859.53**
कुल	**4,476.07**	-	-	**4,476.07**	**148.20**	**176.42**	-	**324.62**	**4,151.45**

(रु लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2020 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च 2021 तक की स्थिति
पट्टे पर प्राप्त भूमि	3,477.17	-	-	**3,477.17**	185.25	37.05	-	**222.30**	**3,254.87**
पट्टे पर प्राप्त भवन	998.91	-	-	**998.91**	139.37	139.37	-	**278.74**	**720.17**
कुल	**4,476.08**	-	-	**4,476.08**	**324.62**	**176.42**	-	**501.04**	**3,975.04**

पट्टे पर भूमि :

(ए) विशाखापट्टणम में 3 एकड़ 25 गंटा (31 मार्च, 2019 को 3 एकड़ 25 गंटा) की जमीन भारत सरकार से प्रति एकड़ रु. 1 किराये से पट्टे पर ली गयी थी।

(बी) अमरावती में 553 एकड़ 34 गुण्टा की ज़मीन (31 मार्च, 2019 को 553 एकड़ 34 गुण्टा) दि. 7.2.2014 को संलग्न शर्तों सहित पट्टे पर ली गयी थी जिसके लिए प्रीमियम के रूप में रु. 3922.37 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। इनमें से प्रमुख शर्त है कि समयावधि जब तक न बढ़ाये, आबंटन की तारीख से 60 माह के भीतर फैक्टरी न बनने और काम पूरा न होने की स्थिति में पट्टा करार रद्द कर दिया जाता है। साथ ही, पट्टाकर्ता मुआवज़े में बिना कोई राशि दिये सभी निर्माण के साथ पट्टाधारित भूमि को अपना सकता है। वर्तमान में निवेश की यह अवधि 5.4.2019 तक बढ़ा दी गयी है। जिस परियोजना के लिए इस भूमि का अधग्रहण किया गया है, वह फिलहाल रक्षा मंत्रालय के साथ अंतिम चरण पर है। कंपनी, निवेश की कालावधि बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

पट्टे पर भवन :

53,284 वर्ग फुट का निगम कार्यालय भवन ए पी एस एफ सी से 01.06.2016 से 10 वर्षों के अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया है. कंपनी ने इस भवन को रु. 998.91 लाख की राशि पर 'आस्ति के उपयोग अधिकार' के तहत दर्शाया है जिसमें पट्टे की देयता के रु. 9720.01 लाख तथा 26.90 लाख रुपये का भारतीय लेखा मानक 116 के तहत दि. 1.04.2019 तक आस्ति निवृत्ति बाध्यता के लिए प्रावधान शामिल है। पट्टे की देयता को 8% की वृद्धिशील उधार दर पर पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर लिया गया है।

टिप्पणी 5: अमूर्त आस्तियाँ

(रु लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2019 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2019 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.1	-	-	**3,324.10**	3,146.12	86.61	-	**3,232.73**	**91.37**
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,104.19	52.45	-	**2,156.64**	1,563.60	311.09	-	**1,874.69**	**281.95**
अनुज्ञप्ति शुल्क	15,707.46	2390.00	-	**18,097.46**	1,976.95	2,714.63	-	**4,691.58**	**13,405.88**
कुल	**21,135.75**	**2,442.45**	-	**23,578.20**	**6,686.67**	**3,112.33**	-	**9,799.00**	**13,779.20**

विवरण	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास / परिशोधन				निवल वहन राशि
	1 अप्रैल, 2020 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	1 अप्रैल, 2020 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन	31 मार्च, 2021 तक संचित मूल्यह्रास / परिशोधन	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति
विकास व्यय	3,324.1	-	-	**3,324.10**	3,232.73	-	-	**3,232.73**	**91.37**
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2156.64	26.14	-	**2,182.78**	1,874.69	211.13	-	**2,085.82**	**96.96**
अनुज्ञप्ति शुल्क	18097.46	1,817.23	-	**19,914.69**	4,691.58	2,161.65	-	**6,853.23**	**13,061.46**
कुल	**23,578.20**	**1,843.37**	-	**25,421.57**	**9,799.00**	**2,372.78**	-	**12,171.78**	**13,249.79**

उल्लेखनीय निर्णय

कंपनी की तकनीकी दृष्टि से अप्रयुक्तता को देखते हुए मानना है कि सॉफ्टवेयर की कार्यावधि / प्रयोगावधि 3 साल हो सकती है। यद्यपि, तकनीकी नवोन्मेष को देखते हुए यह अवधि 3 साल से कम या अधिक भी हो सकती है।

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
6	**गैर-चालू निवेश**		
	लाभ-हानि द्वारा उचित मूल्य पर किया गया निवेश (अनकोटेड)	452.26	390.43
	(i) ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रु. 10/- प्रति शेयर मूल्य के 9,21,920 (31 मार्च, 2019 तक 9,21,920) (3,85,920 बोनस शेयर सहित) पूर्ण प्रदत्त ईक्विटी शेयर (अनकोटेड)		
		452.26	**390.43**
- नुकसान का जायजा लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने मूल्यांकन कर पाया कि किसी प्रकार के नुकसान के संकेत नहीं है। - टिप्पणी 39 (15) का संदर्भ लें: उचित मूल्य के उपाय			
उल्लेखनीय निर्णय : ए पी गैस पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किया गया निवेश लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में अभिहित किया गया है। उचित मूल्य निवेशी की निवल मालियत पर आधारित है क्योंकि शेयर अनकोटेड हैं और कंपनी का इस निवेशी पर कोई खास दखल नहीं चलता है।			
7	**गैर-चालू ऋण**		
	- सुरक्षित, शोध्य माल	-	-
	- असुरक्षित, शोध्य माल	251.96	300.35
		251.96	**300.35**
	टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें: उचित मूल्य के उपाय		
8	**अन्य-गैर चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	प्राप्य दावे / वापसियाँ	198.18	261.91
	आस्थगित ऋण	4,205.93	4,414.98
		4,404.11	**4,676.89**
	टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें: उचित मूल्य के उपाय		

उल्लेखनीय निर्णय :

आस्थगित ऋण:

आस्थगित ऋण भारतीय सेना और आयुध निर्माणी से प्राप्त होने हैं। यह प्राप्ति भारतीय रुपयों में दिनांक 1.4.1992 से आरंभ कर समान किश्तों में 45 साल में प्राप्त होनी है। अनुबंध अनुसार, इन प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) द्वारा जारी विशेष आहरण अधिकार (एस डी आर) के आधार पर समायोजित किया जाता है। ये प्राप्तियाँ इस मानक अनुसरण पूर्णत: मूल भुगतान और ब्याज के मानदण्ड (एस पी पी आई) के अनुरूप नहीं हैं। अत: प्राप्तियों को लाभ-हानि के जरिये उचित मूल्य पर लिया जाता है। आरंभिक पहचान कर आस्थिगत ऋण को उचित मूल्य पर लाने के लिए 8% की छूट दी जाती है तथा ऐसे उचित मूल्य और आस्थआगित ऋण के अंतर को आस्थिगत खर्च माना जाता है। बाद में इसे लाभ-हानि के ज़रिये उचित मूल्य पर लिया जाता है।

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति		31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	
9	**अन्य गैर-चालू आस्तियाँ**				
	पूँजीगत अग्रिम		660.30		660.30
	आस्थगित व्यय*		2,085.25		2,224.27
			2,745.55		**2,884.57**
	* आस्थगित ऋण पर टिप्पणी सं 8 में उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।				
10	**सामग्री-सूची ***				
	कच्चा माल तथा घटक	101,909.27		60895.14	
	घटाव: प्रावधान	(5,237.05)		(4,524.99)	
	मार्गस्थ कच्चा माल तथा घटक	160.84		257.36	
			96,833.06		**56,627.51**
	निर्माणाधीन कार्य#	40,589.45		27829.16	
	घटाव: प्रावधान	(353.13)		(867.01)	
			40,236.32		**26,962.15**
	तैयार माल	645.87		515.41	
	घटाव: प्रावधान	(127.66)		(88.03)	
	मार्गस्थ तैयार माल	-		0.31	
			518.21		**427.69**
	भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	1, 829.58		1242.59	
	घटाव: प्रावधान	(233.98)		(169.95)	
	मार्गस्थ भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जे	-		-	
			1,595.60		**1,072.64**
	शिथिल औजार	1,053.63		1057.28	
	घटाव: प्रावधान	(536.02)		(496.18)	
	मार्गस्थ शिथिल औजार	-		-	
			517.61		**561.10**
	निर्माण सामग्री		-		-
	भण्डार तथा उपस्कर-कल्याण	308.56		307.89	
	घटाव: परिशोधन	(308.56)		(307.41)	
			-		**0.48**
	विविध भंडार		**0.20**		**0.20**
			1,39,701.00		**85,651.77**
	# ग्राहकों के पास उपलब्ध सामग्री-सूची मिलाकर		9.20		9.20
	* उप ठेकेदारों/अन्यों को जारी की गई सामग्री सहित		14,460.90		4,768.43
	रु. 14460.90 लाख (31 मार्च, 2020 को रु. 4768.43 लाख) में से उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 5633 लाख (31 मार्च, 2020 तक 2787.33 लाख) की सामग्री को भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और शेष की पुष्टि विक्रेताओं ने की है। उप ठेकेदारों के पास उपलब्ध रु. 137.13 लाख (31 मार्च, 2020 को रु. 470.76 लाख) मूल्य की सामग्री के भौतिक रूप से किये गये सत्यापन के दौरान पाये गये अंतर को प्राप्य दावे के अंतर्गत दर्शाया गया और सामग्री-सूची में से इसे कम कर दिया गया।				
	सामग्री-सूची की मूल्य-गणना कंपनी की लेखा नीति सं. 7 के तहत की गई है				
	टिप्पणी 38(7) का संदर्भ लें अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं के विवरण				
11	**प्राप्य ट्रेड**				
	सुरक्षित		-		-
	असुरक्षित, शोध्य माल		32,269.27		33,836.80
	संदिग्ध		-		-
	घटाव:संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता (अनुमानित जमा राशि भत्ता)		-		
			32,269.27		**33,836.80**
	टिप्पणी 38(15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य उपाय, 38(12) पंजीकृत प्रभार				
	टिप्पणी: 38(20)(एफ) का संदर्भ लें: ट्रेड प्राप्यों की आवाजाही				
12	**नक़द एवं नक़द तुल्य**				
	बैंक में शेष				
	- चालू खातों में		398.66		248.69
	- जमा खातों में (3 महीनों तक)		45,290.93		29,500.00
	हाथ नक़दी*		2.08		0.78
	मार्गस्थ प्रेषण व्यय		-		-
			45,691.67		**29,749.47**
	रिपोर्टाधीन अवधि और उससे पूर्वावधि के लिए नक़द तथा नक़द तुल्य के संबंध में किसी प्रकार के प्रत्यावर्तन के बंधन नहीं हैं।				
	* हाथ नक़दी में अग्रदायी धारकों के पास की नक़दी भी शामिल है।				
	टिप्पणी 38 (15) का संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय				
	टिप्पणी 38 (1) का संदर्भ लें: वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं की ऑफसेटिंग-बैंक फ्लेक्सी और चालू खाते का बैंक ओवरड्राफ्ट के तहत समायोजन।				

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
13	**अन्य बैंकों में शेष**		
	सीमांत धन के अलावा बैंक में जमा	1,10,403.80	36,600.00
	(परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक, लेकिन 12 महीने से कम)		
		1,10,403.80	**36,600.00**
	- कंपनी ने रु.1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है जिसके लिए कंपनी ने रु.1,800.000 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये थे।		
	- 12 महीने से अधिक के कोई भी परिपक्व होने वाले जमा नहीं हैं।		
	नक़द एवं बैंक शेष का समाधान :		
	नक़द एवं नक़द तुल्य (उपर्युक्त अनुसार)	45,691.67	29,749.47
	बैंक में शेष (उपर्युक्त अनुसार)	1,10,403.80	36,600.00
	बैंक में शेष तथा कुल नक़द	**1,56,095.47**	**66,349.47**
14	**चालू ऋण**		
	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित शोध्य माल	-	-
	असुरक्षित शोध्य माल	196.87	236.96
	कुल चालू ऋण	**196.87**	**236.96**
	टिप्पणी 38 (15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय		
15	**अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ**		
	प्राप्य दावे / वापसी	3,969.40	5,804.12
	घटाव: संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान (निम्नलिखित टिप्पणी "ए" का संदर्भ लें)	(21.47)	(21.47)
	आस्थगित ऋण*	347.85	347.85
	बिल रहित राजस्व #	1,15,251.21	2,33,782.49
	जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	2,022.42	2,618.47
	प्रोद्भूत ब्याज - अन्य	24.62	17.77
	बिक्री के लिए रखी गयी आस्तियाँ (निम्नलिखित टिप्पणी 'बी' का संदर्भ लें)	0.28	1.20
	कुल अन्य चालू वित्तीय आस्तियाँ	**1,21,594.31**	**2,42,550.43**
	टिप्पणी 38(15) का संदर्भ लें: उचित मूल्य के उपाय।		
	#टिप्पणी 38(20)(सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियों और ठेका देयताओं की आवाजाही		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		
	टिप्पणी - ए		
	(i) ठेके का निष्पादन नहीं होने पर ब्याज सहित रु.17.14 लाख रुपये की अग्रिम राशि आदि की वसूली के लिए कंपनी ने एक आपूर्तिकर्ता पर कानूनी कार्रवाई शुरु की है। कंपनी के नाम रु.48.10 लाख की राशि के लिए जिला न्यायालय ने डिक्री जारी किये जाने पर भी यह राशि प्राप्य दावे/आय के रूप में नहीं मानी जाएगी क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय से आपूर्तिकर्ता को डिक्री के प्रचालन पर स्टे प्राप्य हुई है और आज तक यह मामला विचाराधीन है।		
	(ii) एक और आपूर्तिकर्ता के संदर्भ में कंपनी ने ब्याज सहित 4.33 लाख की अग्रिम राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। यह राशि सामग्री खरीद के लिए भुगतान की गई, तदुपरांत अस्वीकृत होने से आपूर्तिकर्ता ने सामग्री वापस ले ली और सही सामग्री की आपूर्ति में विफल हो गया। यह मामला सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में लंबित है और यह फिलहाल कोर्ट के विचाराधीन है।		
	टिप्पणी - बी		
	वर्ष 2020-21 के दौरान काम से बाहर कर दी गयी और बिक्री के लिए लगायी गयी आस्तियों का सकल शून्य है (वर्ष 2019-20 दौरान ₹213.98 लाख) और संचित मूल्यह्रास शून्य है। (वर्ष 2019-20 दौरान ₹212.78 लाख)		
16	**अन्य चालू आस्तियाँ**		
	पूंजीगत अग्रिमों के अतिरिक्त अग्रिम		
	विक्रेताओं को दिये गये अग्रिम		
	- सुरक्षित, शोध्य माल	1,361.76	264.72
	- असुरक्षित, शोध्य माल	28,381.59	20,701.27
	- असुरक्षित, शोध्य संदिग्ध	1.71	2.55
	घटाव: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(1.71)	(2.55)
	प्रोद्भूत व्यय	255.28	113.55
	जमा	5,621.63	3,904.43
	आस्थगित व्यय*	139.02	139.02
	भुगतान न किये लाभांश के लिए बैंक में उद्दिष्ट शेष	60.25	12.46
	कुल चालू आस्तियाँ	**35,819.53**	**25,135.45**
	टिप्पणी 38(7) का संदर्भ लें: अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण		
	* टिप्पणी सं. 8 में आस्थगित ऋण पर उल्लेखनीय निर्णय का संदर्भ लें।		

टिप्पणी 17: ईक्विटी शेयर पूँजी

(रु लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
प्राधिकृत		
प्रति शेयर रु. 10/- मूल्य के 20,00,00,000 ईक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
जारी, खरीदी गई और प्रदत्त		
प्रति शेयर रु. 10/- मूल्य के 18,32,81,250 ईक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	18,328.12	18,328.12
	18,328.12	**18,328.12**

टिप्पणियाँ
ईक्विटी शेयर का सम मूल्य रु. 10/- है (वर्ष 2016-17 और उससे पहले यह रु. 1,000/- था।) यह धारक को लाभांश का प्रतिभागी बनाता है तथा शेयर पर खर्च रुपय और इसकी संख्या के अनुपात में कंपनी को बंद करने का हक़दार बनाता है।

(ए) बकाया शेयरों की संख्या का समाधान

(रु लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31 मार्च, 2019 का शेष	183,281,250	18,328.12
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
31 मार्च, 2020 का शेष	183,281,250	18,328.12
वर्ष के दौरान वापस-खरीद	-	-
वर्ष के दौरान जारी बोनस	-	-
31 मार्च, 2021 का शेष	**183,281,250**	**18,328.12**

(बी) 5% से अधथ्क शेयर रखने वाले प्रति शेयरधारक के शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति		31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	
	रखे गये शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों के धारकों की संख्या	रखे गये शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों के धारकों की संख्या
पूर्णत: प्रदत्त ईक्विटी शेयर				
भारत सरकार	137,325,527	74.93%	160,829,297	87.75%
भारतीय जीवन बीमा निगम	18,744,839	10.23%	-	-
एचडीएफसी न्यासी कंपनी लिमिटेड	10,916,175	5.96%	-	-

सी) चालू वर्ष तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए वापस-खरीद का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वापस खरीदे गये शेयरों की संख्या (संख्या)	-	-	-	30,546,875	-	172,500
वापस खरीदे गये शेयर का अंकित मूल्य (रुपये में)	-	-	-	10.00	-	1,000.00
वापस खरीदे गये कुल शेयरों का अंकित मूल्य	-	-	-	3,054.69	-	1,725.00
वापस खरीदे गये शेयरों पर कुल प्रदत्त प्रीमियम	-	-	-	41,998.90	-	18,160.80
वापस खरीदे गये शेयरों पर कुल प्रदत्त प्रीमियम	-	-	-	45,053.59	-	19,885.80
शेयर पूँजी कटौती	-	-	-	3,054.69	-	1,725.00
प्रयुक्त शेयर प्रीमियम	-	-	-	-	-	-
प्रयुक्त सामान्य प्रारक्षण	-	-	-	45,053.59	-	19,885.80
पूँजी शोधन प्रारक्षण में राशि का अंतरण	-	-	-	3,054.69	-	1,725.00

रु. 1,000/- प्रति अंकित मूल्य के शेयर को रु. 10/- के अंकित मूल्य में बाँटा गया जिससे ईक्विटी शेयर दि. 8 मई, 2017 से 100 गुना बढ़ गये।

'- कंपनी अधिनियम की धारा 68; 69 और 70 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2015-16 और वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरों की वापस खरीद प्रक्रिया आरंभ कर पूरी कर ली।

डी) चालू वर्ष के तत्काल पूर्व पिछले 5 वर्षों के लिए जारी बोनस शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
जारी बोनस शेयरों की संख्या (संख्या)	-	-	-	91,640,625	2,44,375	-
जारी बोनस शेयरों का मूल्य (रु. लाख में)	-	-	-	9,164.06	2,443.75	-

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
18	**अन्य ईक्विटी**		
	सामान्य प्रारक्षण	248,135.54	223,135.54
	पूंजी शोधन प्रारक्षण	-	-
	प्रतिधारित अर्जन	2,011.06	19,219.31
	वर्ष के अंत में शेष	**250,146.60**	**242,354.85**
	ए. सामान्य प्रारक्षण		
	वर्ष के आरंभ में शेष	223,135.54	183,135.54
	पूंजी शोधन प्रारक्षण में अंतरण	-	-
	वापस खरीदे गये बट्टे खाते में डाला गया।	-	-
	मूल्यह्रास समायोजन	-	-
	लाभ-हानि खाते की विवरणिका से अंतरण	25,000.00	40,000.00
	जारी किये गये बोनस शेयर	-	-
	वर्ष के अंत में शेष	**248,135.54**	**223,135.54**
	सामान्य प्रारक्षण का उपयोग समय-समय पर प्रतिधारित अर्जनों के विनियोजन के उद्देश्य से अंतरिम करने के लिए किया जाता है। चूँकि सामान्य प्रारक्षण ईक्विटी के एक घटक से दूसरे घटक में अंतरण के लिए बनाया गया है और यह अन्य व्यापक आय का मद नहीं है, अत: सामान्य प्रारक्षण में शामिल मदों की क्रमश: लाभ या हानि में पुर्नवर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
	बी. प्रारक्षित पूंजी शोधन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	-	-
	सामान्य प्रारक्षण से अंतरण	-	-
	जारी किये गये बोनस शेयरों के मुकाबले प्रयुक्त	-	-
	वर्ष के अंत में शेष	-	-
	वापस खरीद के संदर्भ में शेयर पूँजी के नाममात्र मूल्यों में कमी को पूँजीगत पुन:प्राप्ति प्रारक्षण में रिकार्ड किया जाता है।		
	सी. प्रतिधारित अर्जन		
	वर्ष के आरंभ में शेष	19,219.31	25,390.94
	वर्ष में लाभ	25,776.52	53,490.08
	अंतिम लाभांश और उस पर कर	(4,673.67)	(3,689.95)
	अंतरिम लाभांश	(12,279.84)	(11,455.08)
	अंतरिम लाभांश पर कर	-	(2,354.62)
	सामान्य प्रारक्षण में अंतरण	(25,000.00)	(40,000.00)
	अन्य विस्तृत आय (कर का निवल)	(1,354.33)	(2,162.06)
	सीएसआर प्रावधान समायोजन*	323.07	-
	वर्ष के अंत में शेष	**2,011.06**	**19,219.31**
	टिप्पणी 28 का संदर्भ लें : चालू प्रावधान		
19	**गैर-चालू पट्टा देयताएँ**		
	पट्टा देयताएँ	652.71	771.19
		652.71	**771.19**
20	**अन्य गैर चालू वित्तीय देयताएँ**		
	आस्थगित जमा	1,731.28	1,784.14
	अंतर्निहित उत्पन्न देयताएँ (आस्थगित देयताएँ)	2,594.11	2,756.24
		4,325.39	**4,540.38**
	टिप्पणी 38(15) का भी संदर्भ लें: उचित मूल्य उपाय		
	उल्लेखनीय निर्णय: 1) आस्थगित ऋण: आस्थगित ऋण राशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 45 वर्ष (01.04.1992 से आरंभ) के आस्थगित ऋण के मूल ऋण भाग (आधार दर पर) को दर्शाया है। आस्थगित ऋण एक वित्तीय देयता है, अत: इसे उचित मूल्य पर लिया जाएगा। उचित मूल्य 8% की दर से अभिनिश्चित किया जाता है। कंपनी इस 8% पूँजी की लागत के रूप में मानती है। 2) अंतर्निहित व्युत्पन्न: एस डी आर में उतार-चढ़ाव के कारण देयताओं में हुई वृद्धि को अंतर्निहित व्युत्पन्न के रूप में लिया जाता है। अंतर्निहित व्युत्पन्न का लेखा-जोखा, लाभ और हानि के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्य पर किया जाता है। ऐसे उचित मूल्य के करार के अनुसार रिपोर्टिंग तारीख पर एस डी आर यूनिट का समायोजन रुपय मूल्य माना जाता है।		
21	**गैर-चालू प्रावधान**		
	परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति बाध्यता	31.54	29.13
	कर्मचारी लाभ		
	प्रोद्भूत छुट्टी	-	-
	उपदान	-	-
	भविष्य निधि	2,875.28	-
		2,906.82	**29.13**
	टिप्पणी सं. 38 (3) का संदर्भ लें : कर्मचारी लाभ अनिवार्यता		

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
22	**अन्य गैर- चालू देयताएँ**		
	ग्राहकों से अग्रिम-$		
	रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी)	12,276.37	18,647.55
	अन्य	43,892.72	40,052.71
	आस्थगित आय*	2,144.48	2,287.44
	आस्थगित राजस्व#	9,405.30	10,048.39
		67,718.87	**71,036.09**
	* टिप्पणी सं.20 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें। # टिप्पणी 38 (19) का संदर्भ लें: सौर ऊर्जा सयंत्र के लिए अनुदान $ टिप्पणी 38(20)(सी) का संदर्भ लें : ठेका आस्तियाँ एवं देयताओं की आवाजाही का संदर्भ लें। साथ ही, लेखा नीति सं.3 ए(vi) तथा 4.4 का भी संदर्भ लें।		
23	**उधार**		
	(ए) माँग पर पुनर्भुगतान किये जाने वाले ऋण		
	(i) बैंकों से		
	- सुरक्षित बैंक ओवरड्राफ्ट	-	216.63
	- असुरक्षित	-	-
		-	**216.63**
	कंपनी को रु.1,500.00 लाख की ओवरड्राफ्ट सुविधा मंजूर की गई है जिसके लिए कंपनी ने रु.1,800.00 लाख के जमा सुरक्षा के रूप में किये हैं। टिप्पणी 38(1) का संदर्भ लें: वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताओं की ऑफसेटिंग -बैंक फ्लेक्सी और चालू खाते का बैंक ओवरड्राफ्ट के तहत समायोजन।		
24	**देय ट्रेड**		
	देय ट्रेड - चालू :		
	माइक्रो एवं छोटे उद्यमों को बकाया राशि	2,937.69	1,380.62
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों को छोड़ ऋणदाताओं को बकाया राशि	71,322.42	33,167.91
		74,260.11	**34,548.53**
	माइक्रो, छोटे एवं मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटन की आवश्यकता है।		
	(i) लेखांकन वर्ष के दौरान किसी आपूर्तिकर्ता को देय शेष मूल धन एवं उस पर ब्याज		
	- मूलधन	2,895.16	1,339.65
	- ब्याज	42.53	40.98
	(ii) निर्धारित तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को दी गई राशि के साथ दिया गया ब्याज		
	(iii) वर्ष के लिए देय ब्याज और शेष	-	-
	(iv) लेखांकित वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और देना शेष	42.53	40.98
	(v) ऊपर की तिथि पर दिये गये ब्याज के बाद आने वाले वर्ष के लिए देय ब्याज राशि	-	-
	- माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए शेष देय का निर्धारण प्रबंधन द्वारा इस तरह की पार्टियों की पहचान की प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। लेखापरीखकों ने इस पर भरोसा दर्शाया है।		
25	**चालू पट्टा देयताएँ**		
	पट्टा देयताएँ की चालू परिपक्वता	118.48	106.10
		118.48	**106.10**
26	**अन्य चालू वित्तीय देयताएँ**		
	आस्थगित जमा की चालू परिपक्वता*	357.73	357.73
	जमा	1,810.04	1,170.27
	व्यय के लिए ऋणदाता	4,245.51	6,398.85
	देय कर्मचारी लाभ	6,603.49	6,966.47
	अन्य	454.51	320.21
	पूंजीगत कार्य	946.57	1,341.09
		14,417.85	**16,554.62**
	टिप्पणी 38(15) का भी संदर्भ लें : उचित मूल्य के उपाय * टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर उल्लेखनीय निणर्य का संदर्भ लें।		

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
27	अन्य चालू देयताएँ		
	ग्राहकों से अग्रिम#		
	- रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी)	95,671.28	124,531.52
	- अन्य	37,575.06	7,785.71
	आस्थगित आय*	142.97	142.97
	आस्थगित राजस्व*	1,993.93	2,384.69
	सांविधिक प्रेषण	4,919.34	12,570.67
		140,302.58	**147,415.56**
	टिप्पणी 38 (7) का संदर्भ लें : अल्पावधि में बंद की गई परियोजनाओं का विवरण। # टिप्पणी सं.38(20)(सी) का संदर्भ लें: ठेका आस्तियों तथा देयताओं की आवाजाही * टिप्पणी सं. 20 में आस्थगित जमा पर महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ लें।		
28	चालू प्रावधान		
	कर्मचारी लाभ		
	- उपदान	-	3,625.08
	- संचित छुट्टी	-	1,418.57
	- भविष्य निधि	122.86	-
	वारंटी	7,322.28	6,609.23
	दुर्वह संविदा	789.64	926.47
	सीएसआर एवं सातत्यता विकास	637.06	967.41
	भविष्य प्रभार	4,270.63	9,200.02
	अन्य	9,855.61	9,878.13
		22,998.08	**32,624.91**

प्रावधानों में गति

प्रावधान	वारंटी	दुर्वह संविदा	सीएसआर एवं सातत्यता विकास	भविष्य प्रभार	अन्य
31 मार्च, 2020 तक का शेष	**6,609.23**	**926.47**	**967.41**	**9,200.02**	**9,878.13**
पहचाने गए अतिरिक्त प्रावधान	2,040.37	-	1,458.43	-	47.80
वर्ष के दौरान उपयोजन	(22.33)	-	(1,788.78)	(4,929.39)	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन	(1,304.99)	(136.83)	-	-	(70.32)
31 मार्च, 2021 तक का शेष	**7,322.28**	**789.64**	**637.06**	**4,270.63**	**9,855.61**

वारंटी :

वारंटी दावे की प्रकृति, बारंबारता और अवसतन लागत की इतिवृत्तात्मक सूचना तथा उत्पाद असफलता पर सामान्यतः आपूर्ति की तारीख से 1 से 2 वर्ष के भीतर ग्राहकों को दी जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी सेवा से होने वाले आगामी परिणाम के आधार पर वारंटी का प्राक्कलन तैयार किया जाता है।

दुर्वह संविदा :

दुर्वह संविदा का प्रावधान, अपने निष्पाद्य विक्रय संविदा पर कंपनी द्वारा प्राक्कलित हानि को सूचित करता है। ऐसे संविदा को कार्यान्वित / प्रारंभ करते समय कंपनी द्वारा जब कभी भी मूल्यांकन किया जाता है ऐसे हानि के लिए प्रावधान किया जाता है। इस प्रावधान की आवधिक समीक्षा की जाती है।

सीएसआर एवं सातत्यता विकास :

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार जितना खर्च किया जाना है उसके आधार पर सीएसआर एवं सातत्यता विकास व्यय तय किया जाता है। उपर्युक्त समापन प्रावधान, डीपीई दिशानिर्देशों के लिए वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए बनाए गए प्रावधान से संबंधित है। वर्ष के दौरान किए गए उपयोजन में रु. 323.07 लाख शामिल है जो प्रशासनिक ऊपरी व्यय तथा पिछले वर्ष किए गए सातत्यता विकास व्यय से संबंधित है लेकिन पिछले वर्षों के दौरान प्रावधान के प्रति इसका समायोजन नहीं किया गया है।

भविष्य प्रभार :

भविष्य प्रभार प्रावधान, पूर्व में कार्यान्वित विक्रय संबंधी संविदा शर्तों में मूलतः निर्धारित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के बदले सुपुर्दगी के लिए स्वीकृत संशोधित अनुषंगी / पैकिंग सामग्री के आधार पर तथा आपातकाल की स्थिति में ब्रेकडाउन से बचने के लिए प्रयोक्ता द्वारा उपयोज्यता के लिए किए गए अनुरोध पर भेजे गये पुर्जों के मूल्य के आधार पर प्राक्कलित देयता को सूचित करता है।

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक
29	**आयकर**		
29ए	**आस्थगित कर शेष**		
	आस्थगित कर आस्तियाँ	10,387.11	10,727.22
	आस्थगित कर देयताएँ	5,613.86	5,302.25
	कुल	**4,773.25**	**5,424.97**
	आस्थगित कर शेष का ब्यौरा		
	आस्थगित कर आस्तियाँ		
	पूर्णस्वामित्व पर प्राप्त भूमि	1,914.72	1,757.18
	पट्टा देयताएँ	194.09	220.80
	प्रावधान	7,964.48	8,435.35
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	313.82	313.89
	उप-कुल	**10,387.11**	**10,727.22**
	आस्थगित कर देयताएँ		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3,537.56	3,279.70
	आस्तियाँ के उपयोग का अधिकार	181.25	56.52
	अमूर्त आस्तियाँ	1,522.12	1,582.34
	निवेश का उचित मूल्य		
	- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	67.77	78.47
	- म्युचुअल फण्ड	-	-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य का समायोजन	305.16	305.22
	अन्य	-	-
	उप-कुल	**5,613.86**	**5,302.25**
	निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयता)	**4,773.25**	**5,424.97**

आस्थगित कर शेष का समाधान :

वर्ष 2019-20 के लिए

(रु लाख में)

	विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अथ प्रारक्षण में पहचाने गये	इति शेष
	आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
	पूर्ण स्वामित्व भूमि	1,632.41	124.77		1,757.18
	पट्टा देयता	-	220.80		220.80
	प्रावधान	12,445.66	(4,010.31)		8,435.35
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	434.51	(120.62)		313.89
	उप-कुल	**14,512.58**	**(3,785.36)**	**-**	**10,727.22**
	आस्थगित कर देयताएँ :				
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	4279.41	(999.71)	-	3,279.70
	आस्तियों के उपयाग का अधिकार		56.52	-	56.52
	अमूर्त आस्तियाँ	2,532.72	(950.38)	-	1,582.34
	निवेश का उचित मूल्य			-	-
	-गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	74.12	4.35		78.47
	- म्युचुअल फण्ड	-	-		-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	448.97	(143.75)	-	305.22
	अन्य	-		-	-
	उप कुल	**7,335.22**	**(2,032.97)**	**-**	**5,302.25**
	कुल	**7,177.36**	**(1,752.39)**	**-**	**5,424.97**

असितिगत कर शेष का समाधान :
वर्ष 2020-21 के लिए

(रु लाख में)

	विवरण	अथ शेष	लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये	अथ प्रारक्षण में पहचाने गये	इति शेष
	आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
	पूर्ण स्वामित्व भूमि	1,757.18	157.54		1,914.72
	पट्टा देयताएँ	220.80	(26.71)		194.09
	प्रावधान	8,435.35	(926.37)	455.50	7,964.48
	आस्थगित जमा उचित मूल्य का समायोजन	313.89	(0.07)		313.82
	उप कुल	**10,727.22**	**(795.61)**	**455.50**	**10,387.11**
	आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित :				
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण	3,279.70	257.86	-	3,537.56
	आस्तियों के उपयोग का अधिकार	56.52	124.73	-	181.25
	अमूर्त आस्तियां	1,582.34	(60.22)	-	1,522.12
	निवेश का उचित मूल्य			-	-
	- गैर-सूचीबद्ध कंपनी में ईक्विटी शेयर	78.47	(10.70)		67.77
	- म्युचुअल फण्ड	-	-		-
	आस्थगित ऋण में उचित मूल्य समायोजन	305.22	(0.06)	-	305.16
	अन्य	-		-	-
	उप कुल	**5,302.25**	**311.61**	-	**5,613.86**
	कुल	**5,424.97**	**(1,107.22)**	-	**4,773.25**

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 के लिए	31 मार्च, 2020 के लिए
29B	**चालू कर आस्तियाँ एवं देयताएँ**		
	चालू कर आस्तियाँ	4,223.26	3,645.39
	कुल चालू कर आस्तियाँ	**4,223.26**	**3,645.39**
	चालू कर देयताएँ	-	-
	कुल चालू कर देयताएँ	-	-
29C	**कर व्यय**		
	i) लाभ-हानि के विवरण में पहचाने गये		
	चालू कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	7,788.37	19,002.93
	पिछले वर्ष से संबंधित	(584.00)	-
	कुल	**7,204.37**	**19,002.93**
	आस्थगित कर		
	चालू वर्ष से संबंधित	1,107.22	1,752.39
	कुल	**1,107.22**	**1,752.39**
	ii) अन्य व्यापक आय में पहचाने गये		
	चालू कर		
	चालू वर्ष के संबंधित	455.50	727.16
	कुल	**455.50**	**727.16**

वर्ष के लिए आयकर खर्च लेखांकित लाभ का समाधान निम्न प्रकार है : (रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए
	जारी परिचालनों से प्राप्त कर पूर्व लाभ	**34,088.11**	**74,245.40**
	कर देय अय की गणना में (देय कर) राशियों पर नहीं की जाने वाली कटौती		
	25.168% पर आयकर व्यय की गणना की गई है (वित्तीय वर्ष 2019-20: 25.168%)	8,579.29	18,686.08
	वर्ष के दौरान किये गये दान	0.13	0.13
	सी एस आर गतिविधियों से संबंधित राशि	367.06	377.18
	एम एस एम ई को बकाया ब्याज़	1.37	3.02
	अन्य	(1,159.48)	(871.00)
	धारा 234 ए, 234 बी, 234 सी के तहत देय ब्याज	-	25.76
	देय कर अय की गणना में कर व्यय राशि जिस पर भारांश कटौती उपलब्ध है।		
	अनुसंधान एवं विकास व्यय पर भारित कटौती	-	-
	वर्ष के दौरान धारा 80 जी के तहत दान	-	(209.40)
	आस्थगित कर का प्रभाव	651.72	1,752.39
	पिछले वर्षों के चालू कर के लिए समायोजन		
	पूर्ववर्ती वर्ष के अस्थगित कर लेखा वर्ष 2017-18 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	264.00
	पूर्ववर्ती वर्ष के अस्थगित कर लेखा वर्ष 2018-19 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	(98.58)	-
	पूर्ववर्ती वर्ष के अस्थगित कर लेखा वर्ष 2019-20 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	(437.31)	-
	पूर्ववर्ती वर्ष के अस्थगित कर लेखा वर्ष 2020-21 से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	(48.11)	-
	आने वाले वर्षों (कर दरों में परिवर्तन) का आस्थगित कर से संबंधित समायोजन चालू वर्ष में पहचाना गया।	-	-
	लाभ / हानि का आयकर संबंधी सामग्री का पुनर्वर्गीकरण नहीं किया गया।	455.50	727.16
	लाभ या हानि में पहचाना गया आयकर व्यय	**8,311.59**	**20,755.32**
	अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	455.50	727.16
	अन्य व्यापक आय में पहचाना गया आयकर	**455.50**	**727.16**

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए
30	**परिचालनों से प्राप्त राजस्व**		
	उत्पादों की बिक्री		
	तैयार माल	156,188.18	280,485.00
	पुर्जे	11,511.42	13,895.54
	विविध	1,237.55	1,454.55
	ग्राहकों द्वारा उगाही गयी परिसमापन क्षति	(3,585.74)	(16,461.63)
		165,351.41	**279,373.46**
	सेवाओं की बिक्री *		
	मरम्मत एवं ओवरहॉल्स	7,154.92	2,390.43
	प्रशिक्षण	-	-
	जॉबवर्क	8,075.59	5,243.09
	विविध	293.56	12,233.34
	ग्राहकों द्वारा उगाही गयी परिसमापन क्षति	(128.69)	(711.50)
		15,395.38	**19,155.36**
	अन्य परिचालन राजस्व		
	विनिर्माण ठेके	-	-
	स्क्रैप की बिक्री	29.11	58.02
	ग्राहकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी आस्तियों पर आस्थगित राजस्व	1,344.62	1,306.84
	सौर ऊर्जा	1,327.51	372.53
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं को बट्टे खाते में डाला गया	722.62	594.88
	अन्य दावे	7,205.30	9,626.11
		10,629.16	**11,958.38**
	कुल	**191,375.95**	**310,487.20**

रु. 8,313.67 लाख (वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 23,351.67 लाख) मूल्यख के कुछ बिक्री लेन-देन पर राजस्व की पहचान में 'बिल अण्ड 6 होल्ड' वाला सिद्धांत अपनाया गया है जबकि संबंधित बिक्री अनुबंध एफ ओ आर डेस्टिनेशन आधारित हैं। मूल अनुबंध में संशोधन किये बिना ग्राहक ने कंपनी को बिक्री की पहचान कर सामग्री रखने की अनुमति दी है।

- टिप्पिणी 38 (4) का संदर्भ लें : निर्माण अनुबंध
-टिप्पिरि 38 (20) भारतीय लेखा मानक 115 के तहत प्रकटीकरण
-टिप्पिणी 38 (21) प्रस्तुभति में परिवर्तन
-प.स. का अर्थ है – परिसमापन क्षतियाँ

***उल्लेखनीय निर्णय :**

राजस्व :

-कंपनी द्वारा कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता पद्धति के अधार पर सेवा राजस्व की पहचान की जाती है जहाँ समानांतर रूप से ग्राहक भी सेवाओं से लाभान्वित होता है।
-कार्य-पूर्ति की प्रतिशतता का निर्धारण, कुल अनुमानित लागत के मुकाबले रिपोर्टिंग तिथि तक संपन्न कार्य पर आये खर्च के अनुपात में किया जाता है।
-कुल लागत के कुल राजस्व से अधिक होने की अनुमानित नष्ट की पहचान तुरंत की जाती है।

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए
31	**अन्य आय**		
	परिशोधन लागत पर वित्तीय आस्तियों पर ब्याज आय		
	बैंक निक्षेप	4,091.84	4,312.57
	अन्य	1,537.02	1,080.83
		5,628.86	**5,393.40**
	अन्य गैर परिचालित आय		
	दीर्घावधि के लिए आवश्यक नहीं ऐसी देयताओं को बट्टे खाते में डाला गया	98.63	250.03
	आपूर्तिकर्ताओं से वसूली गयी परिसमापन क्षतियाँ	2,669.06	2,016.67
	विविध आय (निवल)	586.14	352.24
		3,353.83	**2,618.94**
	अन्य लब्धि एवं क्षतियाँ		
	निवल विदेशी मुद्रा लब्धि / (हानि)	267.76	632.03
	लाभ- हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापित वित्तीय अस्तियों पर अंकित मूल्य लब्धि / (हानि)	200.62	161.28
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर लब्धि	10.29	(0.62)
	लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों के मापन की बिक्री से लब्धि / प्राप्ति	-	-
		478.67	**792.69**
	कुल	**9,461.36**	**8,805.03**
	-टिप्पणी सं. 38 (21) का संदर्भ लें : प्रस्तुति में परिवर्तन		
32	**खपत सामग्री की लागत**		
	खपत सामग्री की लागत	96,319.42	98,310.38
	प्रत्यक्ष व्यय	688.89	3,098.47
		97,008.31	**101,408.85**
	-टिप्पणी सं. 38 (21) का संदर्भ लें : प्रस्तुति में परिवर्तन		
33	**तैयार माल एवं निर्माणाधीन कार्य की सामग्री-सूची में परिवर्तन**		
	अथ स्टॉक :		
	तैयार माल	515.41	40,606.29
	निर्माणाधीन कार्य	27,829.16	38,104.61
		28,344.57	**78,710.90**
	इति स्टॉक :		
	तैयार माल	645.87	515.41
	निर्माणाधीन कार्य	40,589.45	27,829.16
		41,235.32	**28,344.57**
	निवल (वृद्धि) / अपवृद्धि	**(12,890.75)**	**50,366.33**
34	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	बोनस सहित वेतन तथा मजदूरी	41,303.20	44,006.59
	भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान	6,398.56	7,258.69
	स्टॉफ कल्याण व्यय	2,407.10	2,137.79
	कुल	**50,108.86**	**53,403.07**
	टिप्पणी सं. 38 (3) का संदर्भ लें : रोज़गार लाभ दायित्व और 38 (8) संबंधित पार्टी लेन-देन		
35	**वित्त लागत**		
	ब्याज व्यय	252.26	326.55
	अन्य वित्त लागत	139.02	139.02
	कुल	**391.28**	**465.57**
36	**मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय**		
	संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	6,904.64	6,355.09
	आस्तियों के उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास	176.42	176.42
	अमूर्त आस्तियों का परिशोधन	2,372.78	3,112.33
	कुल	**9,453.84**	**9,643.84**

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2020 समाप्त वर्ष के लिए
37	अन्य व्यय		
	शॉप आपूर्तियाँ	401.59	415.67
	बिजली तथा ईंधन	1,858.84	2,261.58
	पानी का प्रभार	468.67	458.94
	यात्राएँ #	754.01	1,350.10
	मरम्मत :		
	भवन	1,126.67	1,320.08
	सयंत्र, मशीनरी तथा उपस्कर	1,036.60	993.52
	फर्नीचर तथा उपस्कर	163.38	189.81
	वाहन	18.63	14.53
	अन्य	22.98	64.23
	वाहन व्यय - पेट्रोल एवं डीजल	26.36	60.02
	शिथिल औजार तथा उपस्कर	305.71	262.87
	बीमा	647.32	416.29
	दरें तथा कर	220.84	419.48
	डाक, तार, टेलेक्स तथा टेलिफोन	126.26	234.43
	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	45.45	90.99
	प्रचार-प्रसार	447.65	599.53
	विज्ञापन	132.62	211.84
	बैंक प्रभार	79.92	80.19
	विधि व्यय	3.71	7.43
	दान	0.50	0.50
	बट्टा खाता - अन्य	0.24	170.60
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक : (निम्न टिप्पणी (i) का संदर्भ लें)	15.75	13.40
	सुरक्षा व्यवस्थाएँ	4,355.83	4,224.77
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा विकास	-	-
	मनोरंजन	1.07	1.33
	सौजन्यात्मक	-	-
	निदेशकों का प्रतिभागिता शुल्क	3.00	9.80
	स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों का प्रतिभागिता शुल्क	0.80	1.20
	सी एस आर तथा सतत विकास व्यय	1,458.43	1,498.67
	प्रतिस्थापन, वारंटी और बैच अस्वीकृतियों का प्रावधान	735.37	1,070.55
	निष्प्रयोजनीयता के लिए प्रावधान	359.63	1,031.37
	भविष्य प्रभार के लिए प्रावधान	-	-
	दुर्वह ठेके के लिए प्रावधान	-	-
	अन्य प्रावधान	-	-
	विविध परिचालनीय व्यय:		
	सामग्री का परीक्षण	3,123.95	4,898.21
	प्रूफ फायरिंग व्यय	18.66	757.10
	मानव-शक्ति के नियोजन संबंधी प्रभार	1,065.40	1,085.64
	सामग्री वहन प्रभार	815.56	848.89
	किराये पर ली गई गाड़ियों का प्रभार	510.55	674.71
	अन्य	2,325.71	4,020.90
	कुल	**22,677.66**	**29,759.17**
	# निदेशकों का यात्रा व्यय शामिल	29.80	73.31
	टिप्पणियाँ :		
	i) लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है :		
	विवरण		
	सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए	10.00	10.00
	कर लेखापरीक्षा के लिए	1.25	0.70
	अन्य सेवाओं के लिए	4.50	2.70
	लेखापरीक्षकों का कुल पारिश्रमिक	**15.75**	**13.40**

ii) टिप्पणी सं. 28 का संदर्भ लें : चालू प्रावधान
iii) टिप्पणी सं. 38 (5) का संदर्भ लें : अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय
iv) टिप्पणी सं. 38 (8) का संदर्भ लें : संबंधित पार्टी लेन-देन
v) टिप्पणी सं. 38 (21) का संदर्भ लें : प्रस्तुति में परिवर्तन

टिप्पणी 38: सामान्य टिप्पणियाँ:

अनुपालन की विवरणिका

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक कंपनी नियमावली (भारतीय लेखा मानक) [2015 के नियम 3 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में अधिसूचित अनुसार] एवं अधिनियम के अन्य संबद्ध प्रावधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं।

38(1) वित्तीय आस्ति÷ह्मवं देयताओं को बराबर करना - बैंक ओवरड्राफ्ट के प्रति बैंक फ्लेक्सी एवं चालू खाते का समायोजन

निम्न सारणी 31 मार्च 2021 और 31 मार्च, 2020 तक के मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों को बराबर करने की स्थिति को दर्शाती है। निवल लाभ वाला कॉलम बराबर किये जाने के सभी अधिकारियों का प्रयोग करने पर कंपनी के तुलन पत्र पर होने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	तुलन पत्र पर ऑफसेटिंग किये जाने का प्रभाव		
	सकल राशि	तुलन पत्र में बराबर की गई सकल राशि	तुलन पत्र में दर्शायी गयी निवल राशि
31 मार्च, 2021 तक			
बैंक अवरड्राफ्ट	63.30	-	63.30
बैंकों के साथ फ्लेक्सी एवं चालू खाते	8,790.93	-	8,790.93
31 मार्च, 2020 तक			
बैंक अवरड्राफ्ट	(219.73)	3.10	(216.63)
बैंकों के साथ फ्लेक्सी एवं चालू खाते	3.10	(3.10)	-

38(2) प्रति शेयर अर्जन

(i) निरंतर परिचालनों के लिए :

विवरण	31 मार्च,2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च,2020 को समाप्त वर्ष के लिए
कर के बाद लाभ	25,776.52	53,490.08
मूल :		
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयरों की संख्या	183,281,250	183,281,250
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	183,281,250	183,281,250
प्रति शेयर अर्जन (भारतीय रुपये)	14.06	29.18
विलयित :		
कर्मचारी स्टॉक विकल्पों के बकाया संभाव्य ईक्विटी शेयरों पर प्रभाव	-	-
बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	183,281,250	183,281,250
प्रति शेयर अर्जन (भारतीय रुपये)	14.06	29.18

टिप्पणी : ई पी एस की गणना अन्य व्यापक अय को छोड़ कर लाभ के आधार पर की जाती है।

(ii) परिचालनों को जारी न रखने के लिए :

परिचालनों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है।

(iii) परिचालनों को जारी रखने एवं न रखने के लिए :

तालिका (i) का संदर्भ लें।

38(3) रोजगार लाभ दायित्व

(i) रोजगार उपरांत दायित्व : उपदान

कंपनी द्वारा भारत के कर्मचारियों को उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार उपदान उपलब्ध कराया जाता है। लगातार 5 वर्ष तक सेवाएँ देने वाले कर्मचारी उपदान के लिए अर्ह्य होंगे। सेवानिवृत्ति / पदच्युत कर्मचारी को देय उपदान की गणना, उसकी प्रति माह के मूल वेतन के 15 दिन के समानुपातिक आधार पर उसके कुल सेवा वर्षों को गुणित कर की जाती है। यह उपदान योजना एक निधिक योजना है और कंपनी द्वारा भारत में मान्यता प्राप्त निधियों में अंशदान दिया जाता है। कंपनी के पास पूर्णतः निधिधारित देयता का प्रावधान नहीं है और अपेक्षित उपदान भुगतान के अनुमान के आधार पर एक निर्धारित अवधि के लिए अनुरक्षित किये जाने योग्य निधि लक्ष्य का अनुरक्षण किया जाता है।

उपदान

बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	22,865.09	20,513.13
चालू सेवा लागत	604.72	637.75
ब्याज व्यय या लागत	1,444.19	1,529.52
पुनर्मापन		
(लब्धि)/हानि से जनांकिक अनुमान में परिवर्तन	111.04	19.40
(लब्धि)/हानि से वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	(109.66)	1,299.56
अनुभव (लब्धि)/हानि	(22.05)	420.63
लाभ भुगतान	(2,033.03)	(1,554.90)
वर्ष की समाप्ति पर बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	**22,860.30**	**22,865.09**

योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	19,240.01	17,981.32
ब्याज आय	1,324.38	1,431.41
नियोक्ता अंशदान	3,625.08	2,531.82
लाभ भुगतान	(2,033.03)	(1,554.90)
पुनः मापन - आस्तियों पर प्रतिलाभ (ब्याज आय छोडकर)	1,167.65	(1,149.64)
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**23,324.09**	**19,240.01**

अवधि के दौरान पहचाने गए कुल व्यय

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
लाभ एवं हानि विवरणिका में	724.53	735.86
अन्य व्यापक आय में	(1,188.32)	2,889.22
कुल	**(463.79)**	**3,625.08**

ऊपर प्रकटित कुल देयता निधिक तथा गैर-निधिक योजना संबंधी है जो निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	22,860.30	22,865.09
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	23,324.09	19,240.01
निधि योजनाओं का घाटा	**(463.79)**	**3,625.08**

उल्लेखनीय वास्तविक अनुमान निम्न प्रकार रहे :

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
छूट दर	6.71%	6.61%
वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
संघर्षण दर	3.62%	2.77%

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
परिभाषित लाभ दायित्व	22,860.31	22,865.09
छूट दर (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	21,820.74	21,717.26
अपवृद्धि : -1%	24,008.38	24,138.19
वेतन वृद्धि दर :(मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	23,429.70	23,536.40
अपवृद्धि : -1%	22,280.13	22,170.27
संघर्षण दर : (मूल शेष की संवेदनशीलता की तुलना में बदलाव का %)		
वृद्धि : +1%	22,982.94	22.998.43
अपवृद्धि : -1%	22,728.97	22,722.32

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण, अन्य सभी प्राक्कलनों को स्थिर रखते हुए प्राक्कलन में होने वाले परिवर्तन पर आधारित है। व्यावहारिक तौर पर, यह संभव नहीं होता है और कुछ प्राक्कलनों में परिवर्तन सहसंबंधित हैं। प्रमुख वास्तविक प्राक्कलनों के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय (परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग समय की समाप्ति पर दर्शायी गयी इकाई ऋण पद्धति के साथ की जाती है) भी वही पद्धति अपनायी जाती है जो तुलन-पत्र में ली गई परिभाषित लाभ दायित्व की गणना के समय अपनायी जाती हो। पूर्व अवधि की तुलना में संवेदनशील विश्लेषण तैयार करने में प्रयुक्त पद्धतियों और प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं होता।

योजना आस्तियों की मुख्य श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
केंद्र सरकार प्रतिभूति	5,731.49	4,727.89
राज्य सरकार प्रतिभूति	9,905.41	8,170.96
एनसीडी/बॉण्डस	5,191.56	4,282.51
ईक्विटी	1,501.92	1,238.93
मियादी जमा	78.91	65.09
सीबीएलओ	668.05	551.07
ऋण	3.30	2.72
अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	243.45	200.82
	23,324.09	**19,240.01**

परिभाषित आस्थगित लाभ देयताएँ एवं कर्मचारी अंशदान

कंपनी ने कर्मचारियों के उपदान भुगतान के लिए बीमा पॉलसी खरीदी है। प्रति वर्ष कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गये डॉटा मे आधार पर बीमा कंपनी द्वारा निधि का मूल्य निर्धारण किया जाता है। उस प्रकार के मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप आस्तियों में आने वाली किसी भी प्रकार के घाटे का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। कंपनी का मानना है कि स्वीकृत अवधि के लिए घाटा न हो, इसके लिए पिछले मूल्य निर्धारण तिथि पर निर्धारित अंशदान दर पर्याप्त है और सेवा लागत पर आधारित नियमित अंशदान में भी विशेष वृद्धि नहीं होगी।

अगले वर्षों के लिए संभाव्य नक़द प्राप्ति निम्न प्रकार है :

(₹ लाख में)

विवरण	एक वर्ष से कम	2-3 वर्षों के मध्य	4-5 वर्षों के मध्य	कुल
31 मार्च 2020				
परिभाषित लाभ दायित्व-उपदान	3,075.32	6,679.16	6,515.33	16,269.81

जोख़िम का सामना

अपनी निर्धारित लाभ योजनाओं के माध्यम से कंपनी ने कई जोख़िमों का सामना किया है। इनमें से प्रमुख जोख़िम का विवरण इस प्रकार है : वृद्धि दर जोख़िम : गणित निर्धारित लाभ बाध्यताओं में सरकारी बांड के आधार पर रियायती दर का उपयोग किया जाता है। यदि बांड लब्धियों में क्षति होती है तो निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

वेतन में वृद्धि का जोख़िम : वेतन में अनुमानित से अधिक वृद्धि से निर्धारित लाभ बाध्यताओं में वृद्धि होगी।

डेमोग्राफिक जोख़िम : यह जोख़िम घाटे (नुकसान) की गैर-योजनाबद्ध प्रकृति के कारण परिणामों में आने वाले परिवर्तन की वजह से है जिनमें मृत्यु दर, आहरण, अपंगता तथा सेवानिवृत्तियाँ शामिल हैं। निर्धारित लाभ बाध्यताओं पर इन घाटों का सीधा प्रभाव नहीं रहता है और वेतन में वृद्धि रियायती दर तथा निहित मानदंड के योग पर निर्भर करता है। आहरण को अधिक महत्व देना होता है क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में कम सेवा-समय वाले कर्मचारियों की तुलना में दीर्घकालीन सेवा देने वाले कर्मचारिय़ों के सेवानिवृत्ति लाभ अधिक होते हैं।

(ii) भविष्य निधि

कंपनी के भविष्य निधि न्यास को भविष्य निधि पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित ब्याज दर से अधिक ब्याज घोषित करना होता है। यदि न्यास द्वारा ब्याज की देयता में कोई कमी रहती है तो कंपनी को यह कमी दूर करनी होगी। यह एक निर्धारित लाभ योजना है और कंपनी ने यह प्रोद्भूत मूल्य प्राप्त किया है।

कंपनी ने भविष्ये निधि न्यारस की ओर से ब्याकज कमी के रूप में चालू वित्ती य वर्ष में रु. 122.86 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी है जो अन्य व्यापक आय के रूप में दर्शायी गयी।

कुछ लिखतों की वसूलीयोग्यता के संबंध में भविष्य निधि न्यास की कुछ अनिश्चिनतताओं को देखते हुए चालू वित्तीरय वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्धारित लाभ योजनाओं के पुन:मापन के कारण परिवर्तन के लिए रु. 2875.28 लाख की राशि उपलब्धि करायी है जो अन्य व्यापक आय के रूप में दर्शायी गयी।

वास्तवि प्रतिधारणा	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	(निधि प्राप्त)	(निधि प्राप्त)
छूट दर	6.71%	6.61%
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
भविष्य निधि पर प्रत्याभूत ब्याज दर	8.50%	8.50%
बीडीएल न्यास बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज दर	8.50%	8.50%

(iii) अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति :

अवकाश संबंधी बाध्यताओं में कंपनी के अर्जित अवकाश संबंधी देयताएँ शामिल हैं.

कंपनी, क्षतिपूरक अनुपस्थिति के लिए निधिक योजना का अनुरक्षण करती हैं। कंपनी, वास्तविक मूल्य-निर्धारण के अनुसार योजित आस्तियाओं से निवल बाध्यताओं को पहचानती है। कर्मचारी लाभ बाध्यताएँ और योजित आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कंपनी के कर्मचारियों की संचित अनुपस्थिति की वास्तविक देयताएँ	12677.66	13896.43
घटाव : योजना आस्तियाँ	12985.91	12477.86
निवल दायित्व (आस्ति)	(308.25)	1418.57
उल्लेखनीय अनुमान :		
छूट दर	6.71% प्रति वर्ष	6.61% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	6.00%	6.00%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष	60 वर्ष

(iv) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
ए) दि. 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान	322.47	316.30
बी) दि. 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त कार्यपालकेतर वर्ग के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता उपरांत चिकित्सा लाभ के लिए किये गये अंशदान –पी एस एम बी – III	443.15	426.29
सी) सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा बीमा (आर ई एम आई) योजना के लिए किये गये अंशदान	-	-

38(4) विनिर्माण ठेके:

निर्माण ठेकों की राजस्व मान्यता के संबंध में निम्न प्रकटन किया जाता है।

ठेका राजस्व की पहचान पद्धति :

अवधि के दौरान ठेका राजस्व निर्धारित करने के लिए पूर्णता पद्धति की प्रतिशतता का प्रयोग किया जाता है।

ठेका पूर्णता की स्थिति निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति :

ठेका पूर्णता के स्तर का निर्धारण कुल अनुमानित लागत के अनुपात में पूर्ण किये गये कार्य पर आयी लागत के आधार पर किया जाता है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
वर्ष के दौरान राजस्व की पहचान	-	-
लागत खर्च की कुल जोड़ राशि	41,554.10	41,436.11
पहचाना गया लाभ	4,058.40	4,176.39
बकाया प्रतिधारण धन की राशि	-	-
प्राप्त एवं बकाये की अग्रिम राशि	3,335.21	3,335.21

38(5) अनुसंधान एवं विकास से संबंधित व्यय:

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय सामान्य लेखा शीर्ष में लेखांकित जिसमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित उत्पादन विकास शामिल है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
राजस्व व्यय में सम्मिलित होने के कारण	4,087.18	7004.65
पूँजीगत व्यय में सम्मिलित होने के कारण (पूँजगत आस्तियाँ)	207.57	382.01

38(6) आकस्मिक देयताएँ एवं ठेके में शामिल प्रतिबद्धता :

(₹ लाख में)

प्रावधान नहीं की गई आकस्मिक देयताएँ	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
जमा एवं प्रत्याभूतियों से संबंधित पत्र :		
(i) साख पत्र	568.50	844.45
(ii) प्रत्याभूतियाँ एवं प्रति प्रत्याभूतियाँ	2,111.40	2,343.16
कुल	2,679.90	3,187.61
दावे / माँग जिनके प्रति ऋण मान कर कंपनी ने पावती नहीं दी :		
(i) सार्वजनिक उपक्रम	-	-
(ii) बिक्री कर	21,310.03	21,439.30
(iii) सेवा कर	4,239.31	4,239.31
(iv) आय कर	95.63	1,140.26
(v) अन्य	290.90	193.35
कुल	25,935.87	27,012.22
ठेके में शामिल प्रतिबद्धताएँ :		
(ए) निवेश पूँजी पर कार्यनिष्पादन के लिए शेष ठेकों की अनुमानित राशि अर उपलब्ध नहीं करायी गयी हो		
(i) संपत्ति, सयंत्र एवं उपस्कर	7,112.70	5,904.04
(ii) संपत्ति निवेश	-	-
(iii) अमूर्त आस्तियाँ	50.00	71.98
(बी) वर्ष के अंत में सुपुर्दगी के लिए शेष सामग्री की परिसमापन क्षतियों के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धता का हिसाब तब तक किया जाएगा जब संबंधित राजस्व लिया जाता है।	6,057.01	6,092.38
कुल	13,219.71	12,068.40

38(7) अल्पावधि में बंद की गयी परियोजनाएँ:

कंपनी ने ग्राहक से समय पूर्व समाप्त पाँच संविदाओं / माँग पत्र तथा एक एल ओ आई के लिए प्राप्त रु.36234 लाख (31 मार्च, 2020 तक रु. 36233.36 लाख) की अग्रिम राशि में से विशेष औजार एवं उपकरण तथा सामग्री की खरीदी के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया है। इन भुगतानों में आपूर्तिकर्ताओं के खाते में से विशेष औजार एवं उपकरण (टिप्पणी 1) के लिए रु. 114.05 लाख (31 मार्च 2020 तक 114.05 लाख), चालू आस्तियों (टिप्पणी-10-16) के लिए रु.13084 लाख (31 मार्च, 2020 तक रु. 13314.42), जिसमें पिछले वर्ष के दौरान विक्रेताओं को दिया गया शून्य (31 मार्च, 2020 तक 620. 02 लाख) तथा सामग्री खाते में रु. 7452.96 लाख (31 मार्च, 2020 तक 7855.89 लाख) जो कुल मिलाकर रु. 20651. 81 लाख (31 मार्च, 2020 तक 21284. 36 लाख) है। इन आस्तियों की प्राप्ति / किया गया खर्च कंपनी ने पुख़्ता आदेशों / एल ओ सी के आधार पर किया तथा ग्राहक द्वारा दी गई एसी निधि में से कंपनी को दीर्घावधि शेष अग्रिम और रुके पड़े विशेष औजार तथा सामग्री से किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है। अत: किसी भी प्रावधान की आवश्यता नहीं समझी गयी। आगे, इन समयपूर्व समाप्त माँग पत्र / संविदाओं / एल ओ आई के संबंध में कंपनी ने प्राप्ति अग्रिम का समायोजन कर . 5866.37 लाख (31 मार्च, 2020 को रु 6072.67 लाख) के निवल व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए ग्राहकों से संपर्क किया। चूँकि सरकार / ग्राहक से इस राशि का निश्चित होना शेष है, कंपनी की लेखा-बही में किसी प्रकार का लाभ लेखांकित नहीं किया गया है।

38(8) संबंधित पार्टी से लेन-देन

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के नाम

श्री कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.), सी एम डी	श्री एन पी दिवाकर, निदेशक (तकनीकी)
श्री एस पिरमनायगम, निदेशक (वित्त) (दि. 30 जून, 2020 तक)	श्री वी गुरुदत्त प्रसाद, निदेशक (उत्पादन), दि. 31 मई, 2019 तक
श्री एन श्रीनिवासुलु, निदेशक (वित्त), (दि. 01 जुलाई, 2020 से)	श्री पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन), दि. 01 जून, 2019 से)
श्री के एस संपत, स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)	श्री अजय नाथ, स्वतंत्र निदेशक (दि. 12 सितंबर, 2020 तक)
श्रीमती लता नरसिम्ह मूर्ति, स्वतंत्र निदेशक दि. 12 सितंबर, 2020 तक)	श्रीमती सुषमा वी दबक, स्वतंत्र निदेशक (दि. 30 नवंबर, 2019 तक) 2019)
प्रो. अजय पाण्डेय, स्वतंत्र निदेश (दि. 30 नवंबर, 2019 तक)	श्री एन नागराजा, कंपनी सचिव

(₹ लाख में)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की प्रतिपूर्ति	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	222.96	201.53
रोजगार उपरांत लाभ	36.69	30.62
दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	-	-
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आसीन शुल्क	3.00	9.80
कुल मुआवजा	**262.65**	**241.95**

38(9) पूँजीगत प्रबंधन

ए) जोख़िम प्रबंधन

कंपनी के पास ईक्विटी पूँजी तथा अन्य प्रारक्षण निधियाँ हैं जो पूँजी के एकमात्र स्रोत के रूप में शेयरधारकों से जुड़ी हैं तथा ओवरड्राफ्ट राशि को छोड़कर कंपनी पर कोई उधारी या ऋण नहीं है। (31 मार्च, 2020 को 216.63 लाख)

बी) लाभांश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
(i) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश रु. 6.70 प्रति प्रदत्त शेयर है। (31 मार्च, 2020 को रु. 6.25/-)	12,279.84	11,455.08
(ii) रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अप्रेक्षणीय लाभांश : निदेशकों ने 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर रु. 0.65/- के लाभांश की सिफारिश की है। (31 मार्च, 2020 को रु. 2.55/-) प्रस्तावित लाभांश का निर्णय आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन होता है।	1,191.33	4,673.67

रिपोर्टिंग अवधि के बाद सूचित की गई घटनाएँ :

निदेशकगण द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश के लिए उपर्युक्त टिप्पणी का संदर्भ लें जो अगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

38 (10) शेष की सुनिश्चितता :

देनदार / लेनदार प्राप्य दावा, ठेकेदार / उप-ठेकेदार के साथ सामग्री, अग्रिम, जमा व अन्य के संबंध में शेष की पुष्टि के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। यथा प्राप्त उत्तर के आधार पर आवश्यकतानुसार समाधान / प्रावधान समायोजन किये जाते हैं।

38 (11) बिक्रियों की अवधारणा :

वर्ष के दौरान सकल टर्नओवर में शामिल प्रतिधारित बिक्री का मूल्य (ग्राहक के अनुरोध और उनके जोख़िम पर रखा गया माल) रु. 41,000 लाख है। (31 मार्च, 2020 को रु. 41,010.00 लाख)

38 (12) पंजीकृत प्रभार :

कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक के साथ बही ऋण पर रु. 41,000.00 लाख के फ्लोटिंग प्रभार का पंजीकरण किया है। (31 मार्च 2020 तक 41,010.00 लाख)

38 (13) परिचालन चक्र :

कंपनी अधिनिय, 2013 की अनुसूची III के आवश्यकतानुसार यथाप्रयोज्य उत्पाद के स्तर पर परिचालनीय चक्र का निर्धारण किया जाता है।

38 (14) आकस्मिक आस्तियाँ:

विवरण	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
आकस्मिक आस्तियाँ	-	-

38 (15) उचित मूल्य माप

(₹ लाख में)

	विवरण	उचित मूल्य पदानुक्रम स्तर	टिप्पणियाँ	31 मार्च 2021 तक की स्थिति			31 मार्च 2020 तक की स्थिति		
				लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	लागत	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल
ए.	**वित्तीय आस्तियाँ**								
ए)	**परिशोधित लागत पर माप**								
	i) नक़द एवं नक़द तुल्य	3	12	45,691.67	45,691.67	-	29,749.47	29,749.47	
	ii) अन्य बैंकों में शेष	3	13	110,403.80	110,403.80	-	36,600.00	36,600.00	
	iii) ऋण	3	7, 14	448.83	448.83	-	537.31	537.31	
	iv) अन्य वित्तीय आस्तियाँ	3	8, 15	121,444.64	121,444.64	-	242,464.49	242,464.49	
	v) प्राप्य ट्रेड	3	11	32,269.27	32,269.27	-	33,836.80	33,836.80	
	कुल उप			**310,258.21**	**310,258.21**	**-**	**343,188.07**	**343,188.07**	**-**
बी)	**लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित**								
	i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के जरिए किया गया निवेश	3	6	53.60	-	452.26	53.60		390.43
	ii) आस्थगित प्राप्य	3	8, 15	3043.09	-	4,553.78	3,233.28		4,762.83
	उप-कुल			**3,096.69**	**-**	**5,006.04**	**3,286.88**	**-**	**5,153.26**
	कुल वित्तीय आस्तियाँ			**313,354.90**	**310,258.21**	**5,006.04**	**346,474.95**	**343,188.07**	**5,153.26**
बी)	**वित्तीय देयताएँ**								
ए)	**परिशोधित लागत पर माप**								
	i) देयताएँ ट्रेड	3	24	74,260.11	74,260.11	-	34,548.53	34,548.53	
	ii) पट्टा देयताएँ	3	19, 25	771.19	771.19		877.29	877.29	
	iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3	20, 26	15,791.40	15,791.40	-	17,981.03	17,981.03	
	उप-कुल			**90,822.70**	**90,822.70**	**-**	**53,406.85**	**53,406.85**	**-**
बी)	**लाभ या हानि माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से मापित**								
	i) एंबेडेड डेरिवेटीव वित्तीय देयता	3	20,26	-	-	2,951.84	-		3,113.97
	उप-कुल			**-**	**-**	**2,951.84**	**-**	**-**	**3,113.97**
	कुल वित्तीय देयताएँ			**90,822.70**	**90,822.70**	**2,951.84**	**53,406.85**	**53,406.85**	**3,113.97**

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नांकित तालिका आस्तियों तथा देयताओं का उचित मूल्य प्रस्तुत करती है :

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	मार्च 31, 2021	मार्च 31, 2020
वित्तीय आस्तियाँ :			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापन			
i) अन्य कंपनियों में ईक्विटी लिखत के जरिए किया गया निवेश	3	452.26	390.43
ii) आस्थगित प्राप्य	3	4,553.78	4,762.83
वित्तीय देयताएँ :			
ए) लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर मापन			
i) एंबेडेड डेरिवेटीव वित्तीय देयता	3	2,951.84	3,113.97

उचित मूल्य का पदानुक्रम :

वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का वर्गीकरण निम्नलिखित तीन स्तरों के आधार पर विभिन्न उचित मूल्य क्रम में वर्गीकृत किया जाता है :

स्तर 1 : समरूप आस्तियों एवं देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में कोट की गई दर (असमायोजित)।

स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल कोट की गई दर के अतिरिक्त इनपुट, या तो प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात दर के रूप में) या अप्रत्यक्ष (अर्थात दर से प्राप्त) रूप से आस्तियाँ देयताओं में दर्शाए जाते हैं। सक्रिय बाजार में ट्रेड न किये गये वित्तीय लिखित के उचित मूल्य का निर्धारण प्रेक्षणीय बाजार डॉटा के प्रयोग को बढ़ाने वाले और वस्तु-निर्दिष्ट अनुमान पर कम-से-कम दर्शाते हुए मूल्य-निर्धारण तकनीक के आधार पर किया जाता है। यदि उचित मूल्य के लिए प्रमुख इनपुट की आवश्यकता होती है तो एक उपकरण की पहचान की जाती है जो स्तर -2 में शामिल है।

स्तर 3 : आस्तियाँ देयताओं के लिए आवश्यक इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा (गैर-प्रेक्षणीय इनपुट) के आधार पर नहीं है। यदि एक या अधिक प्रमुख इनपुट प्रेक्षणीय मार्केट डॉटा के आधार पर नहीं हो तो उसे स्तर 3 में शामिल किया जाता है। ऐसा सूचित लिखत के मामलों में होता है जहाँ बाज़ार असूचित लिखत के लिए चल नहीं होता।

उचित मूल्य के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त तकनीक :

वित्तीय लिखत के मूल्य-निर्धारण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण तकनीक में शामिल हैं :

कोट नहीं किये गये ईक्विटी लिखत के उचित मूल्य का निर्धारण कंपनी की निवल मालियत के आधार पर किया जाता है।

45 वर्ष आस्थगित ऋण तथा प्राप्य के उचित मूल्य का निर्धारण ठेके के अनुसार विदेशी मुद्रा विनिमय दर के आधार पर किया जाता है प्राप्त उचित मूल्य अनुमान स्तर 3 में शामिल किये जाते हैं।

प्राप्त उचित मूल्य प्राक्कलन स्तर 3 में शामिल किए जाते हैं :

प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट (स्तर 3) का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्तर – 3 के मदों में परिवर्तन को दर्शाती है: (₹ लाख में)

विवरण	असूचित ईक्विटी शेयर	आस्थगित प्राप्य	एंबेडेड डेरिवेटीव देयता
31 मार्च 2020 तक की स्थिति	390.43	4,762.83	3,113.97
लाभ-हानि में पहचानी गई लब्धि / हानि	61.83	(209.05)	(162.13)
31 मार्च 2021 तक की स्थिति	452.26	4,553.78	2,951.84

मूल्य-निर्धारण इनपुट और उचित मूल्य के साथ इसका संबंध

निम्नलिखित तालिका में स्तर 3 उचित मूल्य मापन में प्रयुक्त प्रमुख अप्रेक्षणीय इनपुट से संबंधित मात्रात्मक सूचना का सार प्रस्तुत है :

विवरण	उचित मूल्य की स्थिति		उल्लेखनीय अप्रेक्षणीय इनपुट	संवेदनशीलता
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020		
कोट न किये गए ईक्विटी शेयर	452.26	390.43	कंपनी का उचित मूल्य	कंपनी के उचित मूल्य के 1% की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से गैर-चालू निवेश में रु. 4.52 लाख की वृद्धि होगी। इसी तरह कंपनी के उचित मूल्य की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर और प्रभाव से गैर-चालू निवेश में रु. 4.52 लाख की अपवृद्धि होगी।
आस्थगित प्राप्य	4,553.78	4,762.83	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर दर में एक रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में रु. 61.10 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव से उचित मूल्य में 68.74 लाख की अपवृद्धि होगी।
एंबेडेड डेरिवेटीव देयता	2,951.84	3,113.97	विशेष आहरण अधिकार अनुसार रुपय की दर (एस डी आर इकाई)	एस डी आर दर में एक रु. 1 की वृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में रु. 62.83 लाख की वृद्धि होगी। इसी प्रकार एस डी आर में रु.1 की अपवृद्धि से लाभ और हानि पर प्रभाव के साथ उचित मूल्य में 62.83 लाख की अपवृद्धि होगी।

38 (16) वित्तीय जोख़िम प्रबंधन

कंपनी की गतिविधियों से बाजार जोख़िम, परिसमापन जोख़िम और ऋण जोख़िम से जुड़े हैं। प्रत्येक जोख़िम का विश्लेषण इस प्रकार है :

ए) जमा जोख़िम

ऋण जोख़िम, नक़द एवं नक़द-तुल्य, प्रतिशोधन लागत पर लिखत का तथा बैंक में जमा व बकाया प्राप्य सहित ग्राहकों को मिलने वाले ऋण पर किया जाता है।

(i) साख जोख़िम प्रबंधन

ए. नक़द एवं नक़द-तुल्य पर ऋण जोख़िम सीमित होता है क्योंकि सामान्यतः कंपनी अपना निवेश बैंको में ही करती है जिन्हें बाह्य एजेंसियों द्वारा उच्च ऋण दर प्राप्त होती है।

बी. दावे/पुनः प्राप्य, ट्रेड प्राप्य तथा बिल न किये गये राजस्व पर ऋण जोख़िम का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होता है :

(i) 31 मार्च 2021 को समाप्त :

(ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित ऋण नुकसान जहाँ सामान्य रूप लागू होता है : (₹ लाख में)

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	दावे/वापसी प्राप्य	4167.58	0.52%	(21.47)	4,146.11
12 महीन पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	448.83	-	-	448.83

बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल नहीं किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीन या इसके बराबर	6 महीनों से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	140466.64	7053.84	147520.48
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता का प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	140466.64	7053.84	147520.48

(ii) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष

ए) वित्तीय आस्तियों के लिए अनुमानित जमा हानि जहाँ सामान्य रूप अपनाया गया (₹ लाख में)

विवरण	आस्ति समूह	डीफाल्ट पर अनुमानित सकलयुक्त राशि	डीफाल्ट पर अनुमानित संभावना	अनुमानित जमा हानि	वहन निवल राशि का प्रावधान
वित्तीय आस्तियाँ जिनके लिए आरंभ से ऋण जोख़िम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं पायी गयी	दावे/वापसी प्राप्य	6066.03	0.35%	(21.47)	6,044.56
12 महीन पर अनुमानित जमा हानि का हानि भत्ता मापा गया	ऋण	537.31	-	-	537.31

बी) प्राप्य ट्रेड तथा बिल न् किये गये राजस्व पर सरलीकृत तरीके से अनुमानित साख नुकसान

विवरण	6 महीन या इसके बराबर	6 महीनों से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	260178.21	7441.08	267619.29
अनुमानित जमा हानि दर	0%	0%	0%
अनुमानित जमा हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-
प्राप्य ट्रेड की वहन राशि	260178.21	7441.08	267619.29

(iii) हानि भत्ते का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	ट्रेड प्राप्य एवं बिल नहीं किया गया राजस्व	दावे / प्राप्य वापसियाँ
1 अप्रैल 2020 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)
जोड़ / कमी	-	-
1 अप्रैल 2021 तक का हानि भत्ता	-	(21.47)

(iv) उल्लेखनीय अनुमान तथा निर्णय :

वित्तीय आस्तियों का नुकसान :

ऊपर प्रकटित वितीय आस्तियों के लिए नुकसान प्रावधान, डीफाल्ट तथा अनुमानित नुकसान दर जोख़िम संबंधी प्राक्कलनों पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को और नुकसान की गणना तय करने में कंपनी के पूर्व इतिहास, वर्तमान बाज़ार की स्थिति और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि पर अनुमानों की भावी दृष्टि को आधार बनाती है।

बी) क्षति संबंधी जोख़िम

विवेकपूर्ण परिसमापन जोख़िम प्रबंधन का तात्पर्य है बकाये की स्थिति में बाध्यताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नक़द निधियों का होना। कंपनी खज़ाना द्वारा बैंको में जमा की उपलब्धता बनाये रखते हुए निधियों में लचीलापन रखा जाता है।

प्रबंधन द्वारा अनुमानित नक़द-प्राप्ति के आधार पर नक़द-तुल्य का अनुवीक्षण किया जाता है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कंपनी के पास अनाहरित ऋण सुविधा उपलब्ध है :

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाले (बैंक ओवर ड्राफ्ट व अन्य सुविधाएँ)	1500.00	1283.37

(ii) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीनों से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
पट्टा देयताएँ	118.48	131.97	489.22	31.52	771.19
45 वर्षों के कारक की देयता जमा	195.60	181.10	466.73	887.85	1731.28
निक्षेप	1,810.04	-	-	-	1810.04
व्यय के लिए ऋणदाता	4,245.51	-	-	-	4245.51
देय कर्मचारी लाभ	6,603.49	-	-	-	6603.49
अन्य	454.51	-	-	-	454.51
पूँजी कार्य	946.57	-	-	-	946.57
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटीव देयता (आस्थगित देयता)	357.73	162.14	486.42	1945.68	2951.97

(₹ लाख में)

31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय देयताओं के ठेके में शामिल परिपक्वताएँ	12 महीनों से कम	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	5 वर्षों से अधिक	कुल
नॉन-डेरिवेटिव					
पट्टा देयताएँ	106.10	118.48	441.21	211.50	877.29
45 वर्षों के कारक की देयता जमा	195.60	181.11	466.73	940.72	1,784.15
निक्षेप	1,170.27	-	-	-	1,170.27
व्यय के लिए ऋणदाता	6,398.85	-	-	-	6,398.85
देय कर्मचारी लाभ	6,966.47	-	-	-	6,966.47
अन्य	320.21	-	-	-	320.21
पूँजी कार्य	1,341.09	-	-	-	1,341.09
डेरिवेटिव					
एंबेडेड डेरिवेटीव देयता (आस्थगित देयता)	357.73	162.14	486.42	2,107.82	3,114.11

सी) विपणन जोख़िम

(i) विदेशी मुद्रा जोख़िम

कंपनी एक ऐसे संव्यवहार क्षेत्र से परिचालित करती है जहाँ विदेशी मुद्रा लेन-देन से प्रमुखतः यू एस डी, यूरो, जीबीपी, सीएचएफ तथा एस ई के के संदर्भ में विदेशी मुद्रा जोख़िम होता है। भावी वाणिज्यिक लेन-देन तथा मानित देयताओं से जनित विदेशी विनिमय जोख़िम को कंपनी की कामकाजी मुद्रा (भारतीय रुपय) से इतर मुद्रा मूल्य में दर्शाया जाता है। इस जोख़िम का माप (गणना), उच्चतम संभावित विदेशी मुद्रा नकद-प्राप्ति की भविष्य दृष्टि के माध्यम से किया जाता है। बिक्री ठेके के अनुसार, कंपनी, विदेशी विनिमय देयताओं के निपटान पर विनिमय दर परिवर्तन के लिए अर्ह्य है। अतः कंपनी विदेशी मुद्रा जोख़िम की दृष्टि से सुरक्षित है।

विवरण	31 मार्च 2021				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	246.08	8.68	-	0.10	-
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ					
- प्राप्य	120.13	-	-	-	-
निवल प्रभाव	125.95	8.68	-	0.10	-

विवरण	31 मार्च 2020				
	USD	EURO	GBP	CHF	SEK
विदेशी मुद्रा देयताएँ					
- देय	4.43	0.27	-	0.04	-
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ					
- प्राप्य	42.74	-	-	-	-
निवल प्रभाव	(38.31)	0.27	-	0.04	-

(ii) संवेदनशीलता

लाभ या हानि में विदेशी मुद्रा विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता प्रमुखतः विदेशी मुद्रा अंकित वित्तीय लिखत तथा विदेशी अग्रेषण विनिमय ठेकाओं से होती है।

विवरण	लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
संवेदनशीलता		
भारतीय रुपय / यूएसडी – 1% की बढ़ोत्तरी	93.87	(27.88)
भारतीय रुपय / यूएसडी – 1% की कमी	(93.87)	27.88
भारतीय रुपय / यूरो – 1% की बढ़ोत्तरी	7.53	0.23
भारतीय रुपय / यूरो – 1% की कमी	(7.53)	(0.23)
भारतीय रुपय / जीबीपी – 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
भारतीय रुपय / जीबीपी – 1% की कमी	-	-
भारतीय रुपय / सीएचएफ – 1% की बढ़ोत्तरी	0.08	0.03
भारतीय रुपय / सीएचएफ – 1% की कमी	(0.08)	(0.03)
भारतीय रुपय/ एसईके – 1% की बढ़ोत्तरी	-	-
भारतीय रुपय / एसईके - 1% की कमी	-	-

38 (17) खण्ड सूचना:

चूँकि कंपनी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में है, अत : निगम मामले मंत्रालय के दि.23 फरवरी, 2018 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत भारतीय लेखामानक (सेगमेंट रिपोर्टिंग) की अनुप्रयोज्यता से कंपनी को छूट प्राप्त है।

38 (18) विदेशी मुद्रा का प्रभाव :

विदेशी मुद्रा के प्रभाव के प्रकटन की आवश्यकता को देखते हुए आई सी ए आई की घोषणा के अवलोकन में 31 मार्च, 2021 तक (31 मार्च, 2020 के आँकड़े कोष्ठकों में दर्शाये गये) प्रमुख मुद्रावार प्रभाव निम्नवत है :

(₹ लाख में)

मुद्रा	देय		प्राप्य		आकस्मिक देयता	
	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि	विदेशी मुद्रा	भारतीय रुपय की समान राशि
यू एस डी	246.08	18182.44	120.13	8,795.73	34.51	2347.26
	(4.43)	(336.78)	(42.74)	(3,124.48)	(0.25)	(18.70)
यूरो	8.68	753.39	-	-	3.30	286.14
	(0.27)	(22.95)	-	-	(9.52)	(801.39)
जीबीपी	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
सी एच एफ	0.10	7.79	-	-	-	-
	(0.04)	(3.40)	-	-	-	-
एस ई के	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
कुल (₹)		**18943.62**		**8795.73**		**2633.40**
		(363.13)		**(3,124.48)**		**(820.09)**

38 (19) सौर सयंत्र के लिए अनुदान

ए) बीडीएल ने एम एन आर ई द्वारा दि. 7 जनवरी, 2015 को जारी 30/69/2013-14/nsm (Pt.) संख्यक दिशानिर्देशों के अनुसार 5 मेगावाट सौर सयंत्र स्थापित किया है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन (जे एन एन एस एम) के फेज-II/III के अंतर्गत वयबिलिटी गैप फण्डिंग (वी जी एफ) से रक्षा मंत्रालय और अर्द्धसैनिक बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) की रक्षा संस्थापनाओं द्वारा 300 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टे ड तथा ऑफ-ग्रिड सोलार पवर परियोजनाओं के लिए संशोधन व स्पष्टीकरण शामिल हैं। जे एन एन एस एम के अंतर्गत वी जी एफ, परियोजना प्राप्त कर इसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर आधारित होता है। यह वी जी एस निधि संविदा के अनुसार परियोजना लागत पर निर्भर होती है। स्कीएम में दी गयी शर्तों के अनुपालन में इसे आस्थगित राजस्व में दिखाया जा रहा है। अब तक बी डी एल लेखा-बही (भानूर) में वी जी एफ का मूल्य रु. 995.89 लाख है। सितंबर, 2017 से प्रति वर्ष 4% की दर से आस्थगित राजस्व - सोलार सयंत्र के अंतर्गत वी जी एफ मूल्य दर्शाया जा रहा है और चालू वर्ष के लिए समानुपातिक दर से रु. 39.89 लाख की राशि दर्शायी गयी।

बी) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) योजना के तहत इब्राहीमपट्टणम इकाई, हैदराबाद में 5 मेगावाट का एक और सौर सयंत्र कार्यान्वित किया गया है । जे एन एन एस एम योजना के अनुसार, कंपनी सोलर प्लांट लगाने वायबिलिटी गैप फंड (VGF) के लिए अर्ह्य है। वी जी एफ फंड अनुबंध के अनुसार परियोजना लागत पर आधारित होता है। इस राशि को योजना की निर्धारित शर्तों के अनुपालन में आस्थगित राजस्व में दर्शाया जा रहा है। अब तक बी डी एल (इब्राहीमपट्टणम) की लेखा-बही में रु. 550.00 लाख की वी जी एफ की राशि दर्शायी गयी। पूँजीकरण के बाद आस्थगित राजस्व को मान्यता दी जाएगी।

38(20) भारतीय लेखामानक 115 के अंतर्गत प्रकटीकरण: ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

ए निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि

i. अधिकतर अनुबंधों के संबंध में निष्पादन बाध्यता एक निश्चित समय पर संतुष्ट की जाती है जो प्राथमिकत: ग्राहक द्वारा आस्ति पर नियंत्रण पाने के समय निर्धारित की जाती है। जटिल प्रणालियों की आपूर्ति, संस्थापन और कमिशनिंग से संबंधित अनुबंधों के संदर्भ में निष्पादन बाध्यता 'कालांतर में' पहचानी जाती है।

ii. "बिल अण्ड होल्ड" व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादन बाध्यता, ग्राहक द्वारा माल को स्वीकार कर अनुबंध के लिए माल के बेशर्त पर विनियोजन पर संतुष्ट की जाती है।

iii. सामान्यत: कंपनी के अनुबंधों में वित्तीय घटक और कोई प्राप्त अग्रिम और / या ग्राहक द्वारा दी गई राशि शामिल नहीं होती ताकि अनुबंध की दोनों पार्टियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

iv. परिवर्तनीय प्रतिफल में प्राथमिकत: विदेशी मुद्रा विनिमय अंतर उपबंध और परिसमापन क्षतियों के तहत प्राप्य / प्रतिपूर्त की जाने वाली राशि शामिल होती है। इस संबंध में पहचान की गई राजस्व राशि को अनुबंध में विनिर्दिष्ट पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस राशि की पहचान अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व में की जाती है।

v. कंपनी के टर्नओवर में प्रमुखत: मिसाइल एवं संबद्ध रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है।

vi. प्रदत्त वारंटी में प्रमुखत: निष्पादन संबंधी वारंटी आती है।

vii. सामान्यत: कंपनी द्वारा ऐसे अनुबंधों के मामले में राजस्व की पहचान में 'इनपुट पद्धति' का उपयोग किया जाता है जिनकी निष्पादन बाध्यताएँ कालक्रम में संतुष्ट होती हैं। मान्यता प्राप्त करने राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए पूर्णता विधि का प्रतिशत अपनाया जाता है जहाँ राजस्व की मात्रा पर पहुँचने के लिए अनुबंधित मूल्य पर कुल अनुमानित लागत के प्रतिशत को लागू किया जाता है। कंपनी के अनुबंध (ए एम सी के अतिरिक्त) को समय की अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें आम तौर पर विभिन्न प्रकृति की कई गतिविधियाँ शामिल होती हैं जैसे भवन-निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति और संस्थापना इसके चलते भौतिक रूप से कार्य की मात्रा (अर्थात् आउटपुट) को निर्धारित करना संभव नहीं होता है। जबकि इनपुट पद्धति में इन विविध गतिविधियों के संबंध में होने वाली लागत का हिसाब किया जा सकता है और पूर्णतः विश्वसनीय के प्रतिशत तक पहुँचने के लिए होने वाली कुल अनुमानित लागत के साथ तुलना की जा सकती है। ए एस सी अनुबंधों के संबंध में राजस्व की मान्यता के लिए आउटपुट पद्धति अपनायी जाती है जहाँ निष्पादन बाध्यताओं की संतुष्टि के लिए कालांतर मानदण्ड होता है।

viii. निश्चित समय पर निष्पादन बाध्यता संतुष्ट होने के संदर्भ में, ग्राहक ने 'आस्ति पर नियंत्रण' प्राप्त किया कि नहीं - इसका निर्धारण करने निम्नलिखित मानदण्डों का उपयोग किया जाता है :

- अनुबंध के अनुसार सुपुर्दगी की शर्तें
- ग्राहक के पास आस्ति संबंधी वैधिक टाइटल हो
- कंपनी ने आस्ति के भौतिक स्वामित्व का अंतरण कर दिया है
- ग्राहक ने आस्ति को स्वीकार किया है
- कंपनी के पास आस्ति के लिए भुगतान करने का अधिकार है।

ix. लेन-देन दर का निर्धारण ग्राहक के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर किया जाता है। बहु-बाध्यताओं के संबंध में लेन-देन दर का आबंटन संबंधित एकमेव बिक्री मूल्य पर निर्भर होता है जो हाल ही में बेची गयी इसी प्रकृति की वस्तुओं से संबंधित अनुबंध के आधार पर है।

बी ग्राहकों के साथ अनुबंध के तहत मान्य राजस्व का ब्रेक-अप

(₹ लाख में)

विवरण	भारत सरकार	चैनल भागीदार (निर्यातों के लिए)	अन्य	कुल
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	129,442.18	14,171.29	21,737.95	**165,351.41**
सेवाओं की बिक्री	9,061.20	293.56	6,040.62	**15,395.38**
कुल	**138,503.38**	**14,464.85**	**27,778.57**	**180,746.79**
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
उत्पादों की बिक्री	259,759.83	16,132.59	3,481.04	**279,373.46**
सेवाओं की बिक्री	18,215.71	938.84	0.97	**19,155.52**
कुल	**277,975.54**	**17,071.43**	**3,482.01**	**298,528.98**

सी अनुबंध आस्तियों और अनुबंध देयताओं की आवाजाही

(₹ लाख में)

विवरण	अनुबंध आस्तियाँ		अनुबंध देयताएँ	
	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति
अथ शेष (ए)	**233,782.49**	**131,860.15**	**189,719.73**	**196,046.39**
जोड़				
वर्ष के दौरान मान्यताप्राप्त बिक्री के तहत	35,972.61	134,589.14		
वर्ष के दौरान ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम			186,165.05	168,270.44
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष मानी गयी लेन-देन दर में परिवर्तन				
अन्य (यदि कोई हो तो)	147.47	24,368.68	1,165.35	74.74
कुल - (बी)	**36,120.08**	**158,957.82**	**187,330.41**	**168,345.18**
कटौतियाँ				
वर्ष के दौरान अथ शेष में से मान्यताप्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			77811.62	114,008.92
वर्ष के दौरान चालू वर्ष के शेष में से मान्यता प्राप्त राजस्व के प्रति समायोजित अनुबंध देयता			111041.73	57,412.16
अनुबंध आस्तियों का ट्रेड प्राप्य में बदलाव	148226.06	54,894.83		
अनुबंध आस्तियों की हानि यदि कोई तो*				
अनुबंध देयताओं की हानि यदि कोई हो तो			89.19	
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष मान्य लेनदेन दर में परिवर्तन				
अन्य (यदि कोई हो तो)	6425.30	2,140.65	-	3,250.76
कुल - (सी)	**154,651.36**	**57,035.48**	**188,942.54**	**174,671.84**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी-सी)	**115,251.21**	**233,782.49**	**188,107.60**	**189,719.73**

* हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया गया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।

ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को अनुबंध देयताओं में वर्गीकृत किया जाता है और क्रमानुगत रूप से निष्पादन बाध्यता की समाप्ति पर इसका समायोजन किया जाता है। अग्रिम के समायोजन के उपरांत प्राप्य शेष राशि को ट्रेड प्राप्य मे वर्गीकृत किया जाता है।

अनुबंध मे पूर्ण कर दी गयी निष्पादन बाध्यता के संबंध में इसी अनुबंध की अन्य निष्पादित बाध्यता के भुगतान के साथ जोड़े रखने के चलते ग्राहक द्वारा रोक रखी गयी राशि को अनुबंध आस्ति में वर्गीकृत किया जाता है।

डी शेष निष्पादन बाध्यताओं का मूल्य

ग्राहकों के साथ अनुबंध से मान्यताप्राप्त न किया गया राजस्व जो अंशत: संतुष्ट या असंतुष्ट

(₹ लाख में)

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष में	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2021 तक निष्पादित नहीं किये गये आदेशों का मूल्य	838,631.81	322,426.20	289,282.13	167,035.48	59,888.00

* यह राशि रु. 6057.01 लाख की परिसमापन क्षति पर आधारित है।

ई अनुबंध मूल्य सहित लाभ-हानि लेखा में मान्य राजस्व का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
लाभ-हानि लेखा के अनुसार राजस्व				
उत्पादों की बिक्री से	165,351.41		279,373.46	
सेवाओं की बिक्री	15,395.38		19,155.52	
कुल (ए)		**180,746.79**		**298,528.98**
अनुबंध मूल्य में जोड़ / घटाव का समायोजन				
एफ ई विचलन का दावा	(1,824.85)		(3,607.35)	
प्राप्त प्रोत्साहन,निष्पादन बोनस	-		-	
आफर किया गया भुनाना, रिबेट	-		-	
आफर की गई दर में कटौती	-		-	
ग्राहकों द्वारा उगाही परिसमापन क्षतियाँ	3,714.43		17,173.13	
अन्य यदि कोई हो तो	7,304.86		9,586.27	
कुल समायोजन (बी)		**9,194.43**		**23,152.05**
अनुबंध मूल्य (ए+बी)		**189,941.23**		**321,681.03**

एफ वर्ष 2020-21 के लिए ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही (₹ लाख में)

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	**27,730.13**	**6,106.67**	**33,836.80**
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	173,256.47	9,799.98	183,056.45
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में अंतरण	142,896.72	5,329.34	148,226.06
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	-	-	-
कुल - (बी)	**316,153.19**	**15,129.32**	**331,282.51**
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	132,112.13	11,797.41	143,909.54
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	186,884.09	1,969.26	188,853.35
देनदार की हानि (प्रावधान)*	-	-	-
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	34.95	34.95
अन्य (यदि कोई हो तो)	52.20	-	52.20
कुल - (सी)	**319,048.42**	**13,801.62**	**332,850.04**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी-सी)	**24,834.90**	**7,434.37**	**32,269.27**

वर्ष 2019-20 के लिए ट्रेड प्राप्यताओं की आवाजाही (₹ लाख में)

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय	कुल
अथ शेष निवल देनदार (ए)	**48,954.60**	**3,637.91**	**52,592.51**
जोड़			
वर्ष के दौरान की गई बिक्री के तहत	199,793.92	18,407.75	218,201.67
अनुबंध आस्ति का ट्रेड प्राप्य में अंतरण	52,117.82	2,777.01	54,894.83
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो तो)	924.80	93.16	1,017.96
कुल - (बी)	**252,836.54**	**21,277.92**	**274,114.47**
कटौतियाँ			
वर्ष के दौरान किये गये संग्रह	109,444.99	7,157.07	116,602.06
पहचान किये गये राजस्व में से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	159,992.00	11,429.08	171,421.08
देनदार की हानि (प्रावधान)*			-
वर्ष के दौरान / पिछले वर्ष पहचान की गई लेनदेन दर में परिवर्तन			-
अन्य (यदि कोई हो तो)	**4,624.02**	**223.02**	**4,847.04**
कुल - (सी)	**274,061.01**	**18,809.17**	**292,870.17**
सकल योग (इति शेष) डी = (ए+बी-सी)	**27,730.13**	**6,106.67**	**33,836.80**

*** हानि का परीक्षण लेखा-नीति 15 के अनुसार किया जाता है। कंपनी ने समीक्षा की और पाया कि हानि के कोई संकेत नहीं हैं।**

जी भुगतान संबंधी ग्राहकों की शर्तें जिसमें अग्रिम और चरणवार भुगतान शामिल है और जो एक ठेके से दूसरे ठेके के लिए अलग-अलग होते हैं।

38 (21) प्रस्तुति में परिवर्तन :

आंतरिक बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने और आधिक्य बिजिली उत्पन्न हो तो बेचने के लिए कंपनी ने सौर सयंत्र स्थापित किए हैं। चूँकि इन इकाइयों में उत्पन्न बिजली व्यवसाय की मुख्य गतिविधियों के लिए एक आकस्मिक और अनुषंगी माँग का हिस्सा है, अत: बिजली की आधिक्य इकाइयों पर प्राप्य राशि को अन्य खर्चों (बिजली और ईंधन) से अन्य परिचालन राजस्व के रूप में डाला गया है।

प्रावधानों को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है यानी, वारंटी, दुर्वह, अतिरेक और अन्य खर्च के लिए किये गये प्रावधान से बचत को 'अन्य आय' से परिचालन राजस्व के तहत 'अन्य परिचालन राजस्व' के रूप में डाला गया है। भविष्य में इन पर होने वाले खर्च को उपभोग के अंतर्गत डाला जाएगा। यह बेहतर व्याख्या होगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुरूप है।

38 (22) कोविड-19 :

कोविड-19 महामारी और इस कारण लगे लॉकडाउन ने मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और लाभ को प्रभावित करते हुए बड़ी रुकावटें खड़ी की हैं। अत: इस अवधि के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन की तुलना पिछली अवधि या पिछले वर्ष की किसी भी अवधि के साथ नहीं की जा रही है। कंपनी ने मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और उम्मीद है कि दीर्घकालिक आधार पर व्यवसाय के परिचालन की निरंतरता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा और परिसंपत्तियों के वहन मूल्य और उनकी वसूली में कोई भौतिक प्रभाव का अनुमान नहीं है।

38 (23) सामाजिक सुरक्षा संहिता / कोड, 2020 :

रोजगार के दौरान और रोजगार बाद लाभ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (कोड) को सितंबर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। इसे भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, कोड के प्रभावी होने की तारीख को अधिसूचित नहीं किया गया है। कंपनी इस कोड के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और इसके प्रभावी अवधि के वित्तीय विवरणों में उचित प्रभाव को बतायेगी।

38 (24) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। ऋणात्मक आँकड़े कोष्ठक में दर्शाये गये हैं।

प्रमुख लेखा-नीतियाँ एवं संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणिकाओं की अंगभूत अंश हैं।

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुरूप।

कृते जी नटेशन एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीक्रण संख्या. 002424S

निदेशक मंडल की ओर से एवं निदेशक मंडल के लिए

के मुरली
भागीदार
(सदस्यता सं. 024842)

एन श्रीनिवासुलु
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 08744682

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08367035

एन नागराजा
कंपनी सचिव
(सदस्यता सं. A19015)

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21.06.2021

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 21.06.2021

भारत डायनामिक्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

निगम पहचान संख्या (सी आई एन) : L2429TG1970GOI00353

निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032.

पंजीकृत कार्यालय : कंचनबाग, हैदराबाद-50058.

दूरभाष : 040-23456145, फैक्स : 040-23456107 ई-मेल : investors@bdl-india.com वेबसाइट : www.bdl-india.in

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड (CIN : L24292TG1970GOI001353) के सदस्यगण की 51वीं वार्षिक आम सभा (ए जी एम) सोमवार, दि. 27 सितंबर, 2021 को 15.00 बजे वीडियो (वी सी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओ ए वी एम) के ज़रिये जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का निगम कार्यालय प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद, तेलंगाना-500032 पर स्थित है और जिसे बैठक का स्थान माना जाएगा और जहाँ से निम्नलिखित संव्यवहार संचालन के लिए वार्षिक आम सभा की कार्यवाही की जाएगी :

सामान्य संव्यवहार

1) दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएँ तथा इन पर निदेशक मंडल सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार कर अंगीकृत करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   "**संकल्प किया जाता है कि** 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणिकाएँ तथा इन पर निदेशक मंडल सहित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट विवरण जो बैठक में प्रस्तुत किए गए, एतद्द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत की जाती हैं"।

2) अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि कर दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री पोट्लूरी राधाकृष्ण (डी आई एन : 08437975) के स्थान पर स्व-अर्हता के नाते इनकी पुन:नियुक्ति एक निदेशक के रूप में करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   "**संकल्प किया जाता है कि** रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री पोट्लूरी राधाकृष्ण (डी आई एन : 08437975) के स्थान पर स्व-अर्हता के नाते एतद् द्वारा एक निदेशक के रूप में इनकी पुन:नियुक्ति की जाती है।"

4) रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री नूका श्रीनिवासुलू (डी आई एन : 08744682) के स्थान पर स्व-अर्हता के नाते इनकी पुन:नियुक्ति एक निदेशक के रूप में करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :

   "**संकल्प किया जाता है कि** रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले श्री नूका श्रीनिवासुलू (डी आई एन : 08744682) के स्थान पर स्व-अर्हता के नाते एतद् द्वारा एक निदेशक के रूप में इनकी पुन:नियुक्ति की जाती है।

विशेष संव्यवहार

5) **लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार कर, सही पाये जाने पर संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के निम्न संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :**

   "**संकल्प किया जाता कि** धारा 148 (3) के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधान तथा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियमावली, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या समय पर लागू उसके पुन: अधिनियमन सहित) और ऐसी अन्य अनुमतियाँ जो आवश्यक हो सकती हैं, इनके क्रम में वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति को देय लागू माल एवं सेवा कर (जी एस टी) सहित रु. 15,000/- के पारिश्रमिक का भुगतान और वास्तविक रूप से जेब खर्च की प्रतिपूर्ति का अनुसमर्थन और अनुमोदन किया जाता है।"

   आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने में आने वाली किसी भी प्रकार के सवाल, समस्या या संदेह के निपटान के लिए और इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए यथावश्यक, वांछित कार्य, कार्रवाई, व्यवस्था करने के लिए निदेशक मंडल और / या कंपनी सचिव प्राधिकृत हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A19015

हैदराबाद
तारीख : 12 अगस्त, 2021

टिप्पणियाँ:

1. कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निगम मामले मंत्रालय (एम सी ए) ने दि. 8 अप्रैल, 2020 की सामान्य परिपत्र सं. 14/2020; दि. 13 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र सं. 17/020; दि. 05 मई, 2020 की सामान्य परिपत्र 20/2020; दि. 13 जनवरी, 2021 की सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दि. 12 मई, 2020 की परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P / 2020/79 और दि. 15 जनवरी, 2021 की परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P / 2021/11 के तहत कंपनियों को अनुमति दी गई है कि सदस्यों को एक जगह एकत्रित न करते हुए वीडियो कान्फ्रेन्सिंग (वी सी) / अन्य ऑडिया-विजुअल माध्यम (ओ ए वी एम) के ज़रिये वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधान, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यताएँ) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) और निगम मामले मंत्रालय के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक आम सभा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम के ज़रिये आयोजित की जा रही है।

2. अधिनियम के प्रावधानों के क्रम में वार्षिक आम सभा में भाग लेने और मतदान देने के लिए सदस्य अपनी जगह मतदान करने प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकते हैं और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह वार्षिक आम सभा निगम मामले मंत्रालय के परिपत्रों के क्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी सी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओ ए वी एम) के ज़रिये आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति रद्द कर दी गयी है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। अत: उपस्थिति स्लिप और प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न नहीं होंगे।

3. वी सी / ओ ए वी एम के ज़रिये वार्षिक आम सभा में जुड़ने की सुविधा ए जी एम के समय से 30 मिनट पहले शुरू होगी और यह सुविधा First Come – First Served आधार पर होगी।

4. वी सी / ओ ए वीएम के ज़रिये वार्षिक आम सभा में First Come – First Served आधार पर 1000 सदस्य जुड़ सकते हैं। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयरधारण करने वाले), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। इनके लिए First come-first-served आधार लागू नहीं होगा।

5. वीडियो कान्फ्रेन्सिंग / ओ ए वी एम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की पुनःप्राप्ति के उद्देश्य से गिना जाएगा।

6. कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 102 (1) के क्रम में विशेष संव्यवहार संबंधी विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है।

7. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम की धारा 108 और एस ई बी आई (एल ओ डी आर) प्रावधान, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में सदस्यों को एन एस डी एल द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान देने की सुविधा सुलभ करायी जाती है। इस संबंध में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एन एस डी एल को प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नियुक्त करते हुए करार किया है। वार्षिक आम सभा के दिन एन एस डी एल द्वारा सदस्यों को इस सूचना में शामिल सभी मदों पर मतदान देने के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली और ई-वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

8. निगम मामले मंत्रालय तथा 'सेबी' के उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल आई डी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य नोट करें कि ए जी एम की नोटिस और वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.bdl-india.in, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

9. चूँकि यह आम सभा वी सी / ओ ए वी एम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अत: इसके सुचारू आयोजन के लिए ए जी एम दौरान प्रश्न पूछने / अपने विचार रखने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, फोलियो नंबर / डीमैट खाता संख्या, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर और समस्या / प्रश्न का उल्लेख करते हुए सोमवार दि. 20 सितंबर, 2021 सुबह 9.00 बजे से बुधवार, दि. 22 सितंबर, 2021 शाम 5.00 बजे के दौरान investors@bdl-india.in पर ई-मेल भेज कर अपने आपको एक वक्ता के रूप में पंजीकृत करवा सकते हैं। उक्त तारीख और समय के भीतर कंपनी को प्राप्त प्रश्न पर ही विचार किया जाएगा और ए जी एम के दौरान इन्हीं का उत्तर दिया जाएगा। कंपनी, ए जी एम के लिए उपलब्ध समय के आधार पर बोलने वालों की संख्या सीमित करने का अधिकार रखती है।

रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक आम सभा में जुड़ने वाले सदस्यों के लिए निर्देश :

यह रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, दि. 23 सितंबर, 2021 (सुबह 9 बजे) को शुरू होगी और रविवार, दि. 26 सितंबर, 2021 (शाम 5.00 बजे) बंद होगी। वोटिंग के बाद एन एस डी एल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि अर्थात् सोमवार, 20 सितंबर, 2021 तक जिनके नाम सदस्यों की पंजी में उपलब्ध

हैं या जो लाभार्थी सदस्य हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान दे सकते हैं। सदस्यों का मतदान अधिकार अंतिम तिथि यानी सोमवार, दि. 20 सितंबर, 2021 तक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के अंश के अनुपात में होगा।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश :

एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के दो चरण होते हैं जो इस प्रकार हैं :

चरण-1 एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग-इन करें।

ए) डी-मैट फार्म में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग में लॉग-इन करने और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने की पद्धति :

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डी-मैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाती है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डी-मैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

डी-मैट फार्म में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के लिए ई-वोटिंग में लॉग-इन होने की पद्धति

शेयरधारक के प्रकार	लॉग-इन पद्धति
एन एस डी एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	i. यदि आप पहले से ही एन एस डी एल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एन एस डी एल की ई-सेवा वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर / मोबाइल में निम्नलिखित URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com/। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज खुल जाने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो "आइडीएएस" सेक्शन में उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अब आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एन एस डी एल ई-वोटिंग वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा। ii. यदि प्रयोगकर्ता आई डी ई ए एस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। iii. "IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। iv. एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यू आर एल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाये गये अनुसार एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता – एन एस डी एल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।
सी डी एस एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	i. मौजूदा प्रयोगकर्ता जिन्होंने ईज़ी/ईज़ीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन कर सकते हैं। आगे बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईज़ी/ईज़ीएस्ट में लॉग-इन करने के लिए यूआरएल है https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com और न्यू सिस्टम - मायसी पर क्लिक करें। ii. ईज़ी/ईज़ीएस्ट के सफल लॉग-इन के बाद प्रयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेन्यू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एन एस डी एल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एन एस डी एल पर क्लिक करें। iii. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। iv. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डी-मैट खाते में दर्ज किये गये विवरण अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओ टी पी भेज कर प्रयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, प्रयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एन एस डी एल के लिए लिंक प्रदान किए जाएँगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डी-मैट मोड में प्रतिभूतायाँ रखने वाले)	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एन एस डी एल / सी डी एस एल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डी-मैट खाते के दिये गये लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग कर भी लॉग-इन कर सकते हैं। लॉग-इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एन एस डी एल / सी डी एस एल डिपॉजिटरी साइट री-डायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता – एन एस डी एल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए आपको एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपाजिटरी अर्थात् एन एस डी एल और सी डी एस एल के माध्यम से लॉग-इन होने संबंधी किसी तकनीकी समस्या के लिए डी-मैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क :

लॉग-इन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एन एस डी एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन संबंधी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एन एस डी एल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर फोन कर सकते हैं।
सी डी एस एल में डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग-इन संबंधी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए सदस्य evoting@cdslindia.com पर एक अनुरोध भेजकर सी डी एस एल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022-23058738 या 022-23058542-43 पर फोन कर सकते हैं।

बी) डी-मैट में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारक और भौतिक रूप से प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने की पद्धति :

एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग-इन कैसे करें?

1. एन एस डी एल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यू आर एल - https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप कर ब्राउसर खोलें।
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम-पेज खुल जाने के बाद लॉग-इन आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य' सेक्शन के नीचे होगा।
3. अब एक नई स्क्रीन खुलेगी। अब आपको अपना प्रयोगकर्ता आई डी, पासवर्ड और स्क्रीन में दिखायी देने वाला जाँच कोड एंटर करना होगा।

   इसके विकल्प में यदि आप एन एस डी एल की ई-सेवाएँ आई डी ई ए एस के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आई डी ई ए एस से https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन हो सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेन्शियल के साथ एन एस डी एल ई-सेवाओं में लॉग-इन करने के उपरांत ई-वोटिंग पर क्लिक करें और दूसरे चरण यानी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान देने के चरण पर जा सकते हैं।

4. आपके प्रयोगकर्ता आई डी संबंधी विवरण इस प्रकार हैं :

शेयरधारक की पद्धति अर्थात् डी-मैट (एल एस डी एल या सी डी एस एल) या भौतिक रूप से	प्रयोगकर्ता आई डी:
ए) एन एस डी एल के डीमैट अकाउंट में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए अगर आपकी डीपी आईडी IN300 *** है और क्लाइंट आईडी 12 ****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300 *** 12 ****** होगी।
बी) सी डी एस एल के डीमैट अकाउंट में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 डिजिट की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12**************होगी।
सी) भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ई वी ई एन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और ई वी ई एन नंबर 113082 है तो आपकी प्रयोगकर्ता आई डी 113082001*** होगी।

5. व्यक्तिगत शेयरधारक के अतिरिक्त अन्यों के लिए पासवर्ड के विवरण इस प्रकार हैं :

   ए) यदि आपने पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकरण कर लिया है, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड से लॉग-इन कर अपना वोट डाल सकते हैं।

   बी) यदि आप पहली बार एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको पहले से सूचित किया गया 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन:प्राप्त कर लेते हैं तो आपको अपना प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा। उसके बाद सिस्टम से अनुदेश मिलेंगे कि अपना पासवर्ड बदलें।

   सी) 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुन:प्राप्त करें?

   (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाता या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका प्रारंभिक पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। एन एस डी एल से आपके मेल पर भेजा गया ई-मेल देखें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट यानि .Pdf फाइल खोलें। .Pdf फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड

एन एस डी एल खाते के लिए आपकी 8 डिजिट ग्राहक आईडी है, सी डी एस एल खाते के लिए ग्राहक आई डी के अंतिम 8 अंक हैं और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर है। .Pdf फाइल में आपकी 'प्रयोगकर्ता आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' शामिल हैं।

(ii) यदि आपकी ई-मेल आई डी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नीचे दी गयी प्रक्रिया अपनाएँ :

6. यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड पुन:प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या प्राप्त न किया हो या प्रारंभिक पासवर्ड भूल गये हों तो ऐसी स्थिति में :

ए) "Forgot User Details / Password" पर क्लिक करें। (यदि आप एन एस डी एल या सी डी एस एल के साथ डीमैट अकाउंट में शेयर रखते हैं।) www.evoting.nsdl.com पर विकल्प मौजूद है।

बी) www.evoting.nsdl.com पर 'Physical User Reset Password?' का विकल्प (यदि आप भौतिक रूप से शेयर रखते हैं।) मौजूद है।

सी) यदि आप उक्त दोनों पद्धतियों से अपना पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पाये तो अपना डीमैट अकाउंट नंबर / फोलियो नंबर / पी ए एन नंबर, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेजें।

डी) सदस्य एन एस डी एल की ई-वोटिंग प्रणाली में 'ओ टी पी' आधारित लॉग-इन के माध्यम से भी अपना वोट डाल सकते हैं।

7. पासवर्ड एंटर करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए 'Terms and Conditions' के 'Agree' पर टिक करें।

8. अब आपको 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. 'लॉग-इन' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम-पेज खुलेगा।

चरण-2 एन एस डी एल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और आम सभा से कैसे जुड़ें :

एन एस डी एल की ई-वोटिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कैसे वोट डालने और आम सभा से कैसे जुड़ें ?

1. चरण 1 (एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली में आने के बाद) पर सफलतापूर्वक लॉग-इन होने के बाद, आप सभी कंपनियों के "ईवीईन" दिखेगा जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनके वोटिंग साइकल की स्थिति सक्रिय है।
2. जिस कंपनी को आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान वोट डालना चाहते हैं उस कंपनी के "ई वी ई एन" चुनें। वर्चुअल मीटिंग से जुड़ने के लिए आपको 'Join General Meeting' के अंतर्गत पर "VC / OAVM" पर क्लिक करना होगा।
3. अब जैसे ही वोटिंग पेज खुल जाए आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने वोट का चयन करें, यानी सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें, जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और संकेत दिए जाने पर "SUBMIT" और "CONFIRM" पर क्लिक करें।
5. पुष्टि होने पर, "VOTE CAST SUCCESSFULLY" संदेश आएगा।
6. पुष्टीकरण पृष्ठ के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपने वोट में संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों को निर्देश :

1. वार्षिक आम सभा के दिन ई-वोटिंग की वही प्रक्रिया होगी जो ऊपर बताया गया है।
2. वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया हो और ऐसे देने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो, वे सदस्य ही ए जी एम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डाल सकते हैं।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य ए जी एम में भाग लेने के अर्ह्य होंगे। हालाँकि, वे ए जी एम में मतदान के लिए अर्ह्य नहीं होंगे।
4. एजीएम वाले दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति ही होगा।

संकल्पों पर मतदान करने वाले सदस्यों के लिए सामान्य निर्देश / सूचना :

1. कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (व्यक्ति, एच यू एफ, एन आर आई आदि के अलावा अन्य) को वोट डालने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के नमूने हस्ताक्षर के साथ

संबंधित बोर्ड के संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ / जे पी जी फार्मेट) investors@bdl-india.in पर कंपनी को भेजते हुए इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in और rta@alankit.com को भी भेजना होगा।

2. बड़ी सख़्ती से सुझाया जाता है कि आप अपना पासवर्ड किसी को न बताएँ और इसकी गोपनीयता बनाये रखें। पासवर्ड को सही करते-करते लगातार पाँच बार पासवर्ड गलत दर्ज करने पर ई-वोटिंग वेबसाइट में लॉग-इन होने की सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको पासवर्ड पुन: ठीक करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details / Password?" या "Physical User Reset Password" विकल्प देखने होंगे।

3. ई-वोटिंग के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप शेयरधारकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) या www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल की मदद ले सकते हैं या टॉल फ्री नं. 1800 1020 990 / 1800 224 430 पर फोन कर सकते हैं या फिर evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी समस्या या शिकायत के लिए सुश्री सोनी सिंह, एन एस डी एल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कांपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई-400013 पर या ई-मेल evoting@nsdl.co.in या 1800 1020 990 / 1800 224 430 पर संपर्क करें।

4. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों को लेता है और कंपनी द्वारा ए जी एम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि अर्थात सोमवार 20 सितंबर 2021 पर शेयर रखता है, वे evoting@nsdl.co.in पर / जारीकर्ता / आर टी ए को अनुरोध भेज कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए NSDL के साथ पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details / Password" या "Physical User Reset Password?" का इस्तेमाल कर या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 180022 44 30 पर संपर्क कर पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। डी-मैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक के संबंध में जो जो कंपनी के शेयरों को लेता है और कंपनी द्वारा ए जी एम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंतिम तिथि अर्थात सोमवार 20 सितंबर 2021 पर शेयर रखते हैं, वे वार्षिक आम सभा की सूचना के Access to NSDL e-Voting System में उल्लिखित चरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं :

ऐसे शेयरधारक जिनके ई-मेल आई डी डिपाजिटरी के साथ ई-मेल आई डी और पासवर्ड लेने के लिए पंजीकृत नहीं हैं और इस सूचना में उल्लिखित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए ई-मेल के पंजीकरण की प्रक्रिया :

1. यदि शेयर भौतिक मोड में होते हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति), 'आधार' (स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी) rta@alankit.com और investors@bdl-india.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजें।

2. यदि शेयर डी-मैट मोड में होते हैं तो अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के सुझावानुसार ई-मेल आई डी पंजीकृत करवाएँ।

3. यदि आप प्रतिभूतियाँ डी-मैट मोड में रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक हैं तो अनुरोध है कि चरण 1 (ए) में उल्लिखित अनुसार लॉग-इन पद्धति यथा – अपनी प्रतिभूतियाँ डी-मैट मोड में रखने वाले शेयरधारकके लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग जुड़ने की पद्धति (ई-वोटिंग निर्देश) का संदर्भ लें।

4. वैकल्पिक रूप से सदस्य ऊपर बताए गए विवरण देते हुए प्रयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल से अनुरोध भेज सकते हैं।

5. जिन सदस्यों द्वारा अभी तक अपने ई-मेल आई डी पंजीकृत नहीं किये गये हों या जो सदस्य अपने ई-मेल आई डी अद्यतन करना चाहते हैं, वे संबंधित डी पी (इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वालों के लिए) या आर अण्ड टी ए / कंपनी (भौतिक रूप से शेयर रखने वालों के लिए) से संपर्क करें ताकि कंपनी द्वारा प्रेषित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट, सूचना, परिपत्र, एन ई सी एस सूचनाएँ इत्यादि पत्राचार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उन्हें प्राप्त हो सकें। सदस्यों से अनुरोध है कि शेयर संबंधी सभी पत्राचार हमारे रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेजें :

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
एस ई बी आई पंजीकरण सं. INR000002532
पता : - 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
दूरभाष : +91 11 42541234, Facsimile : +91 11 41543474
ई-मेल : rta@alankit.com ; वेबसाइट : www.alankit.com

वीडियो कान्फ्रेंसिंग / ओ ए वी एम के माध्यम से ए जी एम में भाग लेने के लिए निर्देश :

1. सदस्य को एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली की ओर से वी सी / ओ ए वी एम के माध्यम से ए जी एम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य एन एस डी एल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का प्रयोग कर सकते हैं। लॉग-इन होने के बाद आप कंपनी के नाम के सामने "Join General

Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC / OAVM" लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "Join General Meeting" मेन्यू के अंतर्गत दिए गए "VC / OAVM" लिंक पर क्लिक करें। "VC / OAVM" के लिए लिंक कंपनी का ईवन जहाँ प्रदर्शित है, वहाँ शेयरधारक / सदस्य लॉग-इन में उपलब्ध होगा।

2. सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या भूल गए हैं, सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय में जल्दबाजी / हड़बड़ी से बच सके।

3. सदस्यों को सुझाया जाता है कि बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हों।

4. साथ ही, सदस्यों को कैमेरा का इस्तेमाल करना होगा और बैठक के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिये अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करें।

5. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिये मोबाइल या टैबलेट्स या लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागितयों को संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा आ सकती है। अत: सिफारिश की जाती है कि ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार की दिक्कतों से बचने के लिए एक सुस्थिर WIFI या LAN CONNECTION का उपयोग करें।

6. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और First come-first-served आधार पर आने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी।

7. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या इसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे NSDL से 1800 1020 990 पर या फिर सुश्री सोनी सिंह से evoting@nsdl.co.in / पर संपर्क कर सकते हैं।

बुक-क्लोजर और लाभांश संबंधी जानकारी

1. कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पंजिका **मंगलवार दि. 21 सितंबर, 2021 से सोमवार दि. 27 सितंबर, 2021** (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगे।

2. निदेशक मंडल ने रु. 10/- मूल्य के प्रत्येक शेयर पर रु. 0.65/- के लाभांश की सिफारिश की है। वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा लाभांश घोषित किये जाने की स्थिति में इसकी घोषणा की तिथि के 30 दिनों के भीतर ऐसे व्यक्तियों को यह देय होगा :

   - जिनके नाम सोमवार दि. 20 सितंबर, 2021 के कार्यालयीन समय की समाप्ति तक नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपाजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (सी डी एस एल) द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली शेयरधारक लाभार्थियों की सूची में इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारक के रूप में दर्ज हों।

   - सोमवार दि. 20 सितंबर, 2021 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट्स के पास वैध रूप से शेयरों के हस्तांतरण किये जाने पर सदस्यों के रूप में नाम दर्ज होने पर।

3. कंपनी जहाँ भी संभव हो, लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से और अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद शेयर के संबंध में लाभांश का भुगतान **सोमवार दि. 20 सितंबर, 2021** के संव्यवहार समय की समाप्ति तक इस उद्देश्य के लिए डिपाजिटरी (एन एस डी एल एवं सी डी एस एल) द्वारा दिये गये लाभार्थी मालिकियत की सूची के आधार पर किया जाएगा। शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखने वाले सदस्य नोट करें कि कंपनी, लाभांश का भुगतान, सदस्यों द्वारा अपने संबंधित डिपाजिटरी अकाउंट के प्रति दिये गये बैंक विवरणानुसार ही करेगी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा बैंक विवरण में परिवर्तन करने के लिए किये जाने वाले सीधे अनुरोध पर कंपनी या इसके रजिस्ट्रार इस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन संबंधी सुझाव सदस्यों के डिपाजिटरी प्रतिभागियों को ही दिये जाते हैं। डिपाजिटरी अकाउंट खोलने के बाद जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में परिवर्तन किया है और लाभांश, डिपाजिटरी अकाउंट खोलते समय निर्दिष्ट अकाउंट से अन्य अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे **सोमवार दि. 20 सितंबर, 2021** से पहले अपने डिपाजिटरी प्रतिभागी के द्वारा अपने बैंक अकाउंट विवरण में परिवर्तन / सुधार (9 डिजिट वाले बैंक कोड सहित) करवा लें।

4. सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी, भुगतान न किये गये लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष तक भुगतान न की गई राशि को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि' ('निधि') में जमा कर देने के लिए बाध्य है। आगे, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और धनवापसी) नियमावली, 2016 यथासंशोधित ('आई ई पी एफ नियमावली') के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार लगातार सात वर्ष या उससे अधिक समय के लिए जिन शेयर के लाभांश का भुगतान / दावा नहीं किया गया हो, उन शेयरों को निगम मामले मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आई ई पी एफ डीमैट अकाउंट में अंतरित किया जाता है। अत: कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित लाभांश ले लें / दावा करें।

5. इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक खाता के जनादेश को अद्यतन करने की प्रक्रिया:

भौतिक रूप से शेयरधारण	शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए निम्न दस्तावेज सहित कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक अनुरोध पत्र भेजें : क) रद्द किए गए मूल चेक लीफ जिस पर पहले शेयरधारक का नाम स्पष्ट रूप से दिखायी दे। ख) बैंक पासबुक / विवरण के खाते के पहले पृष्ठ की प्रतिलिपि और मूल रद्द किया गया चेक (मूल रद्द किए गए चेक पर नाम या इनीशियल न होने की स्थिति में।
डी-मैट शेयरधारण	डीमैट होल्डिंग कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DP) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बतायी दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने बैंक खाते का विवरण अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें।

6. यदि कंपनी बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता के चलते किसी शेयरधारक को लाभांश का भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी डाक सेवाओं के सामान्य हो जाने के बाद डाक से लाभांश वारंट भेज देगी।

7. सदस्य कृपया नोट करें कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित आय कर अधिनिय, 1961 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा प्रदत्त या वितरित लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर योग्य होगा। तदनुसार, उक्त अनुबंधों के अनुपालन में आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन पर कंपनी लाभांश का भुगतान, स्रोत पर कर की आवश्यक कटौती (टी डी एस) करने के बाद करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारकों के लिए निर्धारित दरों के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम-2020 और तत्संबंधी संशोधन देखें।

8. सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीमैट मोड में शेयर रखने वाले) के साथ अपना पी ए एन (पैन) विवरण अद्यतन करें।

9. एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास PAN है और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह फॉर्म संख्या 15जी/15एच में एक वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर, सोमवार, दि. 20 सितंबर, 2021 तक निवेशकों को investors@bdl-india.in; bdltaxation@bdl-india.in; और rta@alankit.com पर एक ई-मेल भेजकर स्रोत पर कर की गैर-कटौती का लाभ प्राप्त कर सकता है।

10. शेयरधारकों से नोट करने का अनुरोध है कि यदि उनका PAN पंजीकृत नहीं है तो आयकर की कटौती 20% के उच्च्च दर पर की जाएगी।

11. वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197 के तहत आयकर विभाग द्वारा जारी वैध कम / शून्य दर कटौती प्रमाण पत्र में उल्लिखित दर पर टीडीएस कटौती योग्य है।

12. गैर-आवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज - कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व नहीं होने की घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म -10 एफ या आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज investors@bdl-india.in; bdltaxation@bdl-india.in और rta@alankit.com पर ई-मेल भेज कर भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत कर के लाभकारी दर का लाभ उठा सकते हैं। घोषणा और दस्तावेज शेयरधारक द्वारा **सोमवार, दि. 20 सितंबर 2021** तक जमा करने होंगे।

13. आगे, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि उपरोक्त विवरण / दस्तावेज के प्राप्त होने की स्थिति में लाभांश पर कर अधिक दर पर काटा जाता है, तब भी अर्ह्य होने पर आय का रिटर्न दाखिल करने और दावा करने के लिए अंशधारक के पास विकल्प होगा। इस तरह के करों में कटौती के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

14. टी डी एस दर लागू करना कंपनी के देय परिश्रम और सत्यापन के अधीन है, जो बुक क्लोजर की तारीख पर सदस्यों के रजिस्टर में उपलब्ध विवरण, दस्तावेज, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी, आदि की जाँच के अनुसार होगी। अधूरी या अस्पष्ट जानकारी, या यदि वैध दस्तावेज प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो कंपनी अधिकतम लागू दर पर कर घटाने की व्यवस्था करेगी।

15. किसी भी आयकर माँग, (ब्याज, जुर्माना, सहित) की स्थिति में, किसी भी गलत बयानी से उत्पन्न होने वाली, अशुद्धि या सूचना का चूक / सदस्य द्वारा प्रदान किए जाने के लिए सदस्य जिम्मेदार होंगे। साथ ही, सभी आवश्यक जानकारी / दस्तावेज प्रदान करने और किसी भी मूल्यांकन / अपीलीय कार्यवाही में सहयोग देने के बाध्य होंगे।

16. टी डी एस संबंधी ऊपर दी गई सूचना केवल सदस्यों की जानकारी के लिए है न कि कर कानूनों के अनुपालन पर पूर्ण या व्यापक मार्गदर्शन के लिए। शेयरधारक अपने कर सलाहकारों / सलाहकारों के साथ अपने व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू कर प्रावधानों और कर कानूनों के अनुपालन के संबंध में परामर्श करने के लिए जिम्मेदार हैं।

अन्य निर्देश

1. कंपनी ने मेसर्स पुट्टपर्ति जगन्नाथम अण्ड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने और उसकी जाँच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। ये संवीक्षक, ए जी एम में मतदान-प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान डाले गए वोट और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोट) के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेंगे। संवीक्षक वार्षिक आम सभा की समाप्ति से 48 घण्टे के भीतर पक्ष या विपक्ष यदि कोई हो तो, डाले गये वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति को लिखित में प्रस्तुत करेंगे जो उस पर प्रतिहस्ताक्षर भी करेंगे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा पैन (PAN) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने डीमैट खाता रखने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपना 'पैन' जमा करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी को अपना पैन प्रस्तुत करेंगे। सदस्य कृपया ध्यान दें कि 'सेबी' ने निम्नलिखित मामलों में भी पैन जमा करना अनिवार्य कर दिया है। (i) मृत अंशधारक (ओं) के नाम हटाने (ii) शेयरों का कानूनी उत्तराधिकारी (ओं) को हस्तांरित करने और (iii) शेयरों का हस्तांतरण।

3. सूचीबद्ध विनियमों के नियम 40 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के मामले में छोड़कर 1 अप्रैल, 2019 से डीमैटरियलाइज्ड रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोख़िमों को समाप्त करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने शेयरधारण को डीमैट रूप में परिवर्तित करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए कंपनी या आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

4. एस ई बी आई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत अनिवार्य नियुक्ति / पुन: नियुक्ति की माँग रखने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय इस सूचना का अंग है।

5. अध्यक्ष, वार्षिक आम सभा में जिन मदों पर मतदान किया जाना हो, उन प्रस्तावों पर चर्चा की समाप्ति पर संवीक्षकों के सहयोग से ए जी एम में उपस्थित और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान न करने वाले सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से मतदान देने की अनुमति देंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के क्रम में व्याख्यात्मक विवरण / कथन

मद सं. 5

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावाली, 2014 के नियम 14 के अनुसार कंपनी के लिए लागू उत्पादों की रिकॉर्ड की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। निदेशक मंडल ने दि. 21 जून, 2021 को संपन्न अपनी 265वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार कर मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति अण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन देते हुए लागू कर के साथ-साथ रु. 1,50,000/- प्रति वर्ष के पारिश्रमिक की भी सिफारिश की।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। निदेशक मंडल इस सूचना के साथ संलग्न संकल्प की मद संख्या 5 को कंपनी के सदस्यों के समक्ष साधारण संकल्प के रूप में अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से, संलग्न सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प में आर्थिक या किसी अन्य तरह से न संबंधित हैं न रुचि रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A19015

हैदराबाद
तारीख : 12 अगस्त, 2021

आम सभाओं पर लिस्टिंग विनियम के विनियम 36 (3) और साचिविक मानक-2 के अनुसार वार्षिक आम सभा में पुन:नियुक्ति / नियुक्ति की माँग करने वाले निदेशक का विवरण :

निदेशक का नाम	श्री पी राधाकृष्ण	श्री एन श्रीनिवासुलू
डी आई एन	08207722	08744682
जन्म-तिथि	दि. 30 जून, 1963	दि. 26 जनवरी, 1964
निदेशक मंडल में पहली नियुक्ति की तारीख	दि. 01 जून, 2019	दि. 01 जुलाई, 2020
योग्यताएँ	जे एन टी यू, हैदराबाद से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अण्ड मेनेजमेंट में एम.टेक., और आंध्र प्रदेश के नागार्जुन विश्वविद्यालय से मेकानिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक., की उपाधि।	वाणिज्य विषय में स्नातक और उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से वित्त विषय में एम बी ए की उपाधि प्राप्त।
विनिर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र में विशेषज्ञता	इन्हें घटक उत्पादन, मिसाइल एकीकरण तथा परीक्षण, परियोजना योजना, गुणता नियंत्रण एवं मिसाइल प्रणालियों के देशीकरण जैसे मिसाइल उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्ष का गहन अनुभव प्राप्त है।	श्री श्रीनिवासुलू को वित्त से संबंधित विविध क्षेत्रों में 30 वर्ष का समृद्ध अनुभव प्राप्त है, जिसमें 24 वर्ष बीडीएल में कार्य संबंधी अनुभव।
नियुक्ति या पुन:नियुक्ति की निबंधन और शर्तें	दि. 27 मई, 2019 की रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं. डीडीपी-एम-0001 (11)/02/2018-डी के क्रम में दि. 01 जून, 2019 से इनकी नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें रक्षा मंत्रालय के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित हैं।	इनकी नियुक्ति रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 20.3.2020 की पत्र सं. डीडीपी-एम 0001 (11)/03/2019-डी (बीडीएल) के क्रम में दि. 01 जुलाई, 2020 से की गई। इनकी नियुक्ति संबंधी वर्तमान निबंधन एवं शर्तें दि. 28 जुलाई, 2020 की रक्षा मंत्रालय की पत्र सं. डीडीपी-एम 0001 (11)/03/2019-डी (बीडीएल) के तहत निर्धारित हैं।
पिछले पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2020-21)	रु. 53,20,806/-	रु. 44,58,228/-
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशकत्व (विदेशी कंपनियाँ प्राइवेट कंपनियाँ और अनुसूची-8 की कंपनियों को छोड़ कर)	शून्य	शून्य
समितियों में सदस्यता / अन्य लिमिटेड कंपनियों में अध्यक्षता *	-	-
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान उपस्थित निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या	5 में से 5 बैठक	5 में से 5 बैठक
कंपनी में धारित कुल शेयर		
ए) स्वयं के लिए	शून्य	शून्य
बी) लाभ आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य	शून्य
अन्य निदेशक एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के साथ परस्पर संबंध	शून्य	शून्य

* टिप्पणी : यथासंशोधित 'सेबी' (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

एन नागराजा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. A19015

हैदराबाद
तारीख : 12 अगस्त, 2021

टिप्पणियाँ

कंचनबाग इकाई

भानूर इकाई

विशाखापट्टणम इकाई

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम, रक्षा मंत्रालय)
(A Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)

निगम कार्यालय : प्लाट नं. 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग,
आई सी आई सी आई टॉवर्स के पास, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्ची बाउली, हैदराबाद-500032. तेलंगाना, भारत।
ई-मेल : investors@bdl-india.in वेबसाइट : www.bdl-india.in